छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **अष्टम् सत्र**

बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 2026

(फाल्गुन 20, शक सम्वत् 1947)

[अंक 08]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 2026

(फाल्गुन 20, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

{सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, पूरा ट्रेजरी बेंच फिर से खाली है और अब सत्ता पक्ष के सदस्य का भी इंटरेस्ट नहीं है। केवल अजय चंद्राकर जी, जिसको बिल्कुल एक किनारे कर दिया है, वही उपस्थित रहते हैं, आदत से मजबूर हैं। बचत कोई नहीं है। सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण सूचना है।

जन्मदिवस की बधाई

श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा, सदस्य

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, आज यशोदा वर्मा जी का जन्मदिन है, हम सब उनके सुखमय जीवन की कामना करते हैं। बधाई शुभकामनाएं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, यशोदा वर्मा जी, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो। यह मंगलकामना है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- कल नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि पांच मिनट के अंदर जाएंगे, आप लोग तो पांच मिनट के अंदर ही भाग गए। आखिरी समय तक तो कोई था ही नहीं, हम लोग सोच रहे थे आपका भाषण होगा।

श्री उमेश पटेल :- अजय जी, कुछ देर पहले वे भूल गए थे, इधर बैठ गए थे।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, भूपेश बघेल जी ट्रेजरी बेंच की चिंता मत करें तो ज्यादा अच्छा है। पूरा सदन देख रहा है, हमने कल संसदीय कार्य मंत्री जी से वक्तव्य की मांग की थी। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जी को हाईप कर लिया है। उनकी अस्तित्व खत्म कर दिया है, यह मानना पड़ेगा, अकेले वन-मैन शो।

श्री भूपेश बघेल :- वह तो ठीक है, मैं तो नेता जी से पूछ के ही करता हूं, लेकिन आप तो पूरे सदन को हाईजैक कर लेते हो। आप पूरे सदन को हाईजैक कर लेते हो । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- डिप्रेशन, वे सिर्फ उपस्थित भर हैं, काम-वाम नहीं कर रहे हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप पूरा मंत्रिमंडल हाईजैक कर लेते हो।

श्री भूपेश बघेल :- चलिए।

सभापति महोदय :- श्री उमेश पटेल जी।

<u>बालोद में हुए जंबूरी कार्यक्रम की जानकारी</u>

[स्कूल शिक्षा]

1. (*क्र. 1720) श्री उमेश पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- बालोद में हुए स्काउट गाइड के रोवर रेंजर जंबूरी कार्यक्रम में किस-किस कार्य के लिए कितना-कितना खर्च किया गया? सामग्रीवार जानकारी देवें ? कौन से फर्म को कितने का टेंडर दिया गया ? क्या शर्त तय करने के लिए समिति बनी थी ? क्या चहेतों को लाभ दिलाने के लिए टेन्डर बदलने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : बालोद जिले में हुए स्काउट गाइड के रोवर रेंजर जंबूरी कार्यक्रम में क्रीडांगन (एरीना निर्माण), शौचालय निर्माण, जल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था, आवास हेतु टेंट, कार्यक्रम हेतु डोम, बेरिकेट, भोजनालय एवं प्रिंटिंग आदि कार्य के लिये अद्यतन राशि रूपये 2,00,00,000.00 (अक्षरी दो करोड़ रूपये) मात्र का खर्च किया गया है। जानकारी संलग्न प्रपत्र[1] अनुसार है। जम्बूरी कार्य के लिए मेसर्स अमर भारत किराया भण्डार, रायपुर को राशि रूपये 5,18,88,860.00 (अक्षरी पाँच करोड़ अठ्ठारह लाख अठ्ठासी हजार आठ सौ साठ रूपये मात्र) का टेंडर दिया गया था। जी हाँ, शर्त तय करने के लिए समिति का गठन किया गया था। इस कार्य हेतु किसी भी फर्म को लाभ दिलाने के लिए टेन्डर बदलने संबंधी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मेरा जो प्रश्न है, इस पर माननीय मंत्री जी का जवाब आया है। मेरा इसमें पूरक प्रश्न यह है कि इस कार्य के लिए निविदा कितने बार लगी? कब-कब लगी? दूसरा, अगर एक से अधिक बार लगा है तो निरस्त करने का कारण क्या था? तीसरा, अगर निविदा दो बार हुआ है तो दोनों में क्या अंतर था?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, जो जम्बूरी का टेंडर हुआ, टेंडर दो बार लगा। पहली बार जो टेंडर लगा, वह 10-12-2025 को लगा और दूसरी बार जो नया टेंडर लगा, वह 23-12-

[11] † परिशिष्ट "एक"

2025 को लगा। जो टेंडर रद्द किया गया, उसका कारण यह रहा कि जब पहला टेंडर निकला, चूंकि यह कार्यक्रम नेशनल लेवल का था, जो भारत स्काउट गाइड राज्य नेशनल हेडक्वार्टर के निविदा के शर्त के हिसाब से MOU हुआ, उसके हिसाब से उसमें टेंडर बहुत कठोर और तकनीकी योग्यता वाला था। जैसे कि पहला जो टेंडर था, तीन वर्ष के अनुभव, न्यूनतम टर्नओवर 5 करोड़ का, कार्यावधि 5 दिन की थी, सहभागियों की संख्या 15,000, मूल्य के आंकलन की पद्धति QCBS मूल्यांकन पद्धति था, तकनीकी और वित्तीय वेटेज का अनुपात 70:30 का था। बाद में, जब टेंडर पूरा हो गया, वहां के स्थानीय लोगों ने टेंडर खोलने के समय जिला प्रशासन के समक्ष, राज्य शासन के समक्ष मांग की कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन में ये था कि प्रधानमंत्री के लेवल के कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री के लेवल का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री और बड़े आयोजन के लेवल का कार्यक्रम है, उसमें लोकल कोई भी किसी प्रकार का वेंडर भाग नहीं ले पाएगा। उनका अनुरोध था कि इस टेंडर को रद्द करके थोड़ा सा सरलीकृत किया जाए। सरलीकृत करने से वहां के स्थानीय लोगों को उसमें लाभ मिले, ऐसी उनकी मांग आई तो उनकी मांग पर हमने फिर से 23 तारीख को नया टेंडर किया जिसमें अनुभव की जो पुरानी आवश्यकता तीन वर्ष की थी, उसको हमने एक वर्ष किया। टर्नओवर तो सेम ही था और बहुत सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे, उसको हमने जैसे कानूनी इकाई अधिकतम अंक पहले 20 था, उसको 10 किए, टर्नओवर 20 को हमने 10 न्यूनतम अंक के हिसाब से किया, अनुभव को हमने 20 को 10 के हिसाब से किया, पूर्व कार्य प्रदर्शन 20 को 10 के हिसाब के किया, मानव संसाधन उसमें पहले 10 था, उसको हमने 6 किया, सकारात्मक नेटवर्थ को हमने 10 को 6 किया। पहले जो टेंडर था, टेंडर जो कुल अंक 100 में तकनीकी योग्यता के लिए न्यूनतम अंक 90 था, बाद में हमने जो दोबारा टेंडर किया, उसमें कुल अंक 100 में तकनीकी योग्यता के लिए न्यूनतम अंक 52 किया।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी यह मान रहे हैं कि जितने टर्म्स एंड कंडीशन थे, उनको पहली निविदा और दूसरी निविदा में डाउनग्रेड किया गया। जैसे वर्क एक्सपीरियंस को 3 साल से 1 साल कर दिया गया, बैंक गारंटी को 3 महीने से 1 महीने कर दिया गया, वार्षिक टर्न ओवर को 5 से 3 कर दिया गया। मंत्री जी ने अभी जो भी माना और डिटेल दी है। यह जो डाउनग्रेड किया गया है तो इसकी कोई क्राइटेरिया है क्योंकि स्काउट गाइड के संविधान और स्काउट गाइड के परिषद के अनुसार उसका निर्णय होना चाहिए। क्या यह निर्णय स्काउट गाइड परिषद ने लिया था कि यह डाउनग्रेड किया जाए या नहीं?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको टेंडर के संबंध में बता दूं कि दिनांक 14.11.2025 को भारत स्काउट गाइड नेशनल हेड क्वार्टर ने जब सहमति दी कि आगामी माह में रायपुर में या जहां छत्तीसगढ़ सरकार चाहे, वहां बालोद में उन्होंने अपनी सहमति दी कि नेशनल लेवल का एक कार्यक्रम होना है। उसके बाद जैसे ही उन्होंने दिनांक 14.11.2025 को चिट्ठी लिखी तो दिनांक

25.11.2025 को तत्काल हमारी ने 5 करोड़ रूपये की राशि भारत स्काउट गाइड को जब जारी की तो दिनांक 26.11.2025 को राज्य सचिव, भारत स्काउट गाइड की एक चिट्ठी आई कि यदि हम छत्तीसगढ़ के नियम से करेंगे तो छत्तीसगढ़ के नियम से हम जेम पोर्टल से ही टेंडर कर पाएंगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, मैं आपको टोक रहा हूं। मेरा आपसे सामान्य सा प्रश्न है कि निविदा को डाउनग्रेड किया गया यह तो आपने मान लिया, लेकिन यह जो डाउनग्रेड करने का परमिशन है, क्या वह परमिशन आपको स्काउट गाइड ने दिया था या उनके परिषद ने यह निर्णय लिया था कि हम डाउनग्रेड करेंगे या स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वयं यह निर्णय लिया था?

श्री गजेन्द्र यादव :- आदरणीय, मैं उसी में आ रहा हूं। राज्य सचिव, भारत स्काउट गाइड ने चिट्ठी लिखी थी कि उनके पास जेम पोर्टल का कोई पंजीयन नहीं है हम यह टेंडर जेम पोर्टल में नहीं कर पाएंगे। उन्होंने वापस शासन को चिट्ठी लिखी, उन्होंने डी.पी.आई. को चिट्ठी लिखी। दिनांक 02.12.2025 को उनको शासन से अनुमति मिली। अनुमति मिलने के बाद डी.पी.आई. द्वारा जेम पोर्टल से जंबूरी टेंडर प्रक्रिया के लिए कलेक्टर बालोद को निर्देश किया गया। कलेक्टर बालोद ने एक समिति बनाई। वहां के सीनियर अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनी, उस समिति में विभाग के।

श्री उमेश पटेल :- मंत्री जी, मैं आपकी बात समझ गया।

श्री गजेन्द्र यादव :- मैं आपको पूरी बात बता रहा हूं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, आप मुझे सीधा इतना बता दीजिए कि स्काउट गाइड परिषद से इसकी अनुमति ली गई थी या नहीं?

श्री गजेन्द्र यादव :- अनुमति ली गई थी। उसमें उनकी अनुमति थी। उनकी भी अनुमति थी और जो निविदा क्रय समिति है।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, आप मुझे एक चीज और बता दीजिए कि आपने स्काउट गाइड परिषद की बात की है तो स्काउट गाइड परिषद का अध्यक्ष उस दिनांक तक कौन था?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, भारत स्काउट गाइड का जो नियम है, उस नियम के हिसाब से स्कूल शिक्षा मंत्री ही उसका अध्यक्ष होता है।

श्री उमेश पटेल :- क्या स्कूल शिक्षा मंत्री उसका पदेन अध्यक्ष होता है?

श्री गजेन्द्र यादव :- जी, पदेन अध्यक्ष होता है।

श्री उमेश पटेल :- क्या आपने पहले परिषद को भंग किया था या नहीं किया था? क्योंकि उसको भंग किए बगैर तो आप डायरेक्ट अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय जी, मैं सदस्य महोदय को बताना चाहता हूं कि भारत स्काउट गाइड के पदेन अध्यक्ष या अध्यक्ष को बदलने का अधिकार उसकी जो नियमावली है, उस नियमावली के हिसाब से भारत स्काउट गाइड, छत्तीसगढ़ के उप नियम 17 की कंडिका 1 के अनुसार

भारत स्काउट गाइड के छत्तीसगढ़ के संरक्षक माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं और उन्हीं को राज्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्य मुख्य आयुक्त को बदलने का अधिकार होता है।

श्री उमेश पटेल :- क्या उनको भंग करने का अधिकार होता है?

श्री गजेन्द्र यादव :- भंग मतलब बनाने का?

श्री उमेश पटेल :- क्या आप पहले स्काउट गाइड परिषद को भंग करते हैं और उसके बाद अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं? यही प्रक्रिया है?

श्री गजेन्द्र यादव :- ऐसा कोई नियम नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, यही तो चलता आया है। यही तो शुरू से होता रहा है कि पहले आप परिषद को भंग करेंगे।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सदस्य महोदय, मैं आपको नियम बता रहा हूं। परिषद कभी भंग नहीं होती है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, यह सरकार की तरफ से चला। एक सांसद महोदय बोलते हैं कि मैं अध्यक्ष हूं, माननीय मंत्री जी बोलते हैं कि मैं अध्यक्ष हूं और वह जाकर इस पूरे टेंडर को निरस्त कर देते हैं। यदि वह अध्यक्ष नहीं हैं, यह अपने जवाब में बता रहे हैं कि स्कूल शिक्षा मंत्री अध्यक्ष हैं तो फिर वह टेण्डर निरस्त कैसे हुआ?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, किसी शिकायत के आधार पर, किसी सांसद महोदय के कहने पर कोई भी टेंडर भंग नहीं हुआ। समिति ने जो तय किया, जो वहां की जिला की निविदा समिति थी, उस निविदा समिति ने उसको भंग किया और उसी निविदा समिति के ही अनुमोदन से पुनः निविदा की गयी। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि उसमें कोई भी अध्यक्ष भंग नहीं किया गया। चूंकि जो पूर्व माननीय अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने जिस दिन स्कूल शिक्षा मंत्री के पद से कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष इस्तीफा दिया, भारत स्काउट गाइड की नियमावली से स्वतः ही उनके सारे पद स्वमेव ही समाप्त हो जाते हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, पहले टेण्डर से दूसरे टेण्डर में टेण्डर को डाउनग्रेड किया गया। इनका कहना है कि स्काउट गाईड परिषद की अनुमति थी। अभी तो यहां यही क्लीयर नहीं हो रहा है कि उसमें अध्यक्ष कौन है। चलिये, मैं इससे आगे बढ़ जाता हूं। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि आपने यह जो निविदा के बारे में बताया है कि 23.12.2025 को दूसरी बार टेण्डर हुआ। इसकी अंतिम तारीख 03.01.2026 थी, मैं सही हूं ? 03.01.2026 को इसकी अंतिम तारीख थी और क्या अंतिम तारीख पूर्ण होने से पहले, निविदा पूर्ण होने से पहले वहां पर काम शुरू हो गया था ?

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, मैं आपको क्लीयर कर रहा हूं कि भारत स्काउट गाईड का कार्यक्रम सिर्फ छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम नहीं था। छत्तीसगढ़ एज होस्ट था, जिसमें अलग-अलग काम बंटे

हुए थे। स्काउटिंग में ऐसा होता है कि जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो सर्विस कैंप लगते हैं। उनके सर्विस कैंप का जो नाम होता है चूंकि नेशनल का आयोजन था तो उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे। उस टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर छत्तीसगढ़ के भारत स्काउट गाइड ने नेशनल हेड क्वार्टर से एम.ओ.यू. किया था।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, आप सीधा उत्तर दीजिये ना। मैंने प्वाईंटेड प्रश्न पूछा है कि क्या निविदा पूर्ण होने से पहले वहां पर काम शुरू हो गया था ?

श्री गजेन्द्र यादव :- मैं बता रहा हूं ना। आप जो पूछ रहे हैं मैं उसका ही जवाब दे रहा हूं। मैं बोलना चाह रहा हूं कि वहां वही काम शुरू हुआ था जो सर्विस कैंप में नेशनल हेड क्वार्टर के द्वारा जो काम किया जाना था, वह हुआ था।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, वहां पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया था।

सभापति महोदय :- आप अंतिम प्रश्न करिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, यह आलोचना का मामला है। यह आलोचना का मामला है।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, वहां स्ट्रक्चर खड़ा हो गया था। वहां आधा काम पूरा हो गया था। देखिये, मैं आपके सामने एक-एक चीज को ओपन कर रहा हूं कि पहले ऐसे आदमी को देने के लिए टेण्डर को डाउनग्रेड किया गया जो यह काम शुरू कर सके । यहां सांसद और मंत्री के बीच में लड़ाई हो रही थी कि अध्यक्ष कौन है ? (शेम-शेम की आवाज)

सभापति माहदेय :- आप सीधे प्रश्न करिये।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, उसके बाद टेण्डर पूरा हुआ नहीं था और उस टेण्डर में ऑलरेडी पहले से काम शुरू कर दिया गया। मतलब यहां से आदेश था कि फलाना आदमी को ही टेण्डर मिले। सभापति महोदय, यह भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा उदाहरण है। (शेम-शेम की आवाज)

सभापति महोदय :- मेरा कहना यह है कि आप प्रश्न करिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- यह पूरे प्रदेश में चल रहा है । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- इस तरह के और भी उदाहरण है। राजीव युवा मितान क्लब के लिए आपने जो टेण्ट लगाया वह भी .. (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, वहां सब चीज रेडी था और हमारे कांग्रेस के लोगों द्वारा आवाज उठाने के बाद उसमें (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, यह बालोद जिला का मामला है। अधिकतर विधायक वहां से आते हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- आपके बोर-बासी का भी भ्रष्टाचार का उदाहरण है।

श्री उमेश पटेल :- आप बैठिये ना।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मैं आपसे मांग कर रहा हूं कि..।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, यहां कौन-सा टॉपिक चल रहा है और यह क्या बोल रहे हैं ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, ऐसा प्रदेश में पहली बार हुआ है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में ऐसा ही चल रहा है।

सभापति महोदय :- संगीता जी, वह प्रश्न पूछ रहे हैं, आप लोग बैठिये ना। उमेश जी बोल रहे हैं ना।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, पूरा सेटअप तैयार था।

एक माननीय सदस्य :- भैया, बोर-बासी खाना है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं इसमें मानीय मंत्री जी से मांग करता हूं और यह प्रश्न पूछता हूं कि क्या आप इसमें विधायक दल की समिति से जांच करायेंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके ?

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप पहली बात बोल रहे हैं कि टेण्डर में भ्रष्टाचार किया गया । मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जेम पोर्टल में टेण्डर हुआ। सदन के सारे सम्माननीय सदस्य, अधिकारी दीर्घा के सारे लोग जानते हैं कि जेम पोर्टल में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। पहले टेण्डर हुआ, उसमें जिस प्रतिस्पर्धी वेण्डर को काम मिला था वह पहले में भी eligible था और दूसरे में भी eligible था।

श्री उमेश पटेल :- मंत्री जी, क्या आप विधायक दल की कमेटी से इसकी जांच करायेंगे ?

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, जब भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ है तो जांच कराने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, इसमे दो-दो बात स्पष्ट हो चुकी है और माननीय मंत्री जी मान चुके हैं कि पहली निविदा को दूसरी निविदा में डाउनग्रेड किया गया।

श्री रिकेश सेन :- आप भ्रष्टाचार साबित करिये ना।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- वह बता रहे हैं। इसमें बिना टेण्डर के काम चालू हो गया था, वही तो भ्रष्टाचार है। (व्यवधान) बिना टेण्डर के आधे से ज्यादा काम हो गये थे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, यह हर टेण्डर में हो रहा है।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, इस सदन में यह चीज स्पष्ट हो चुकी है कि पहली निविदा को दूसरी निविदा में डाउनग्रेड किया गया और यह भी स्पष्ट हो गयाहै कि निविदा शुरू होने से पहले ही काम शुरू हो गया। इससे तो स्पष्ट है कि वहां भ्रष्टाचार हुआ है, कुछ और बोलने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए आप विधायक दल की कमेटी से इसकी जांच कराये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा।

श्री रिकेश सेन :- पूरी निविदा प्रक्रिया से हुई है।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। प्रोग्राम नेशनल हेड क्वार्टर का था, नेशनल हेड क्वार्टर का एक नियम, उप नियम है, उसके आधार पर हमने टेण्डर में जो काम किया, हमारा जो टेण्डर का वर्क था, उसमें सिर्फ हम लोगों ने काम किया, जिसमें एरिना, शौचालय, जल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था, आवास और टेंट का काम किया। लेकिन उसके अलावा वहां बहुत से और इवेन्ट थे जिसके लिए टेंट लगे। वह काम छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं किया, वह काम तो उनका एक महीने पहले से चल रहा था, जिस दिन कैंप चालू हुआ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, यह बहुत स्पष्ट है। इसमें यदि कुछ नहीं हुआ है तो ..।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं। आपके कहने से थोड़ी ना होता है, मैं बोल रहा हूं।

श्री उमेश पटेल :- मंत्री जी, मान लीजिए कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो आप विधायक दल की समिति का गठन कर दीजिये जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा और यह आपके लिए भी अच्छा हो जायेगा। आप तो ऐसा करके अपने ऊपर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं। अगर आप इस समिति का गठन नहीं करते हैं तो आप अपने ऊपर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, 14 तारीख को नेशनल ने नई अनुमति दिया और 4 दिसंबर से वहां सर्विस कैंप चालू हो गया। नेशनल हेडक्वार्टर के संयुक्त निदेशक के निर्देश पर उनको जो वर्क था, नेशनल हेडक्वार्टर के बाद जो सर्विस कैंप किया गया, उसको आप छत्तीसगढ़ सरकार का काम मानेंगे तो हम कैसे सहमत होंगे।

सभापति महोदय :- आप एक प्रश्न कर लीजिए। आप बैठिये।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी आज पहली बार जवाब दे रहे हैं, अच्छा जवाब दे रहे हैं लेकिन थोड़ा साहस करने की जरूरत है। इनके कार्यकाल में जब पहली बार जंबूरी हुआ..।

श्री रिकेश सेन :- इतना बड़ा जम्बूरी आयोजन हुआ, उसके लिये आपको धन्यवाद देना चाहिए।

श्री भूपेश बघेल :- उसके कारण तो पूरा छत्तीसगढ़ बदनाम हो गया।

श्री सुशांत शुक्ला :- बदनाम तो बोरे बासी दिवस में हुआ था, तब कोई नहीं बोलता था।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप लोगों को छत्तीसगढ़ के व्यंजन में भी तकलीफ है। आप लोगों को बासी से तकलीफ है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप लोग भ्रष्टाचार करके बदनाम हो।.. (व्यवधान)

श्री ललित चन्द्राकर :- जेल में कौन है।

श्री रिकेश सेन :- 8 करोड़ रुपये का बोरे बासी वह भी, चम्मच में।

श्री दिलीप लहरिया :- 15, 16 नंबर का मूसवा कहां से आ रहा है ?

श्री भूपेश बघेल :- हम बदले की राजनीति नहीं करते। बदले की राजनीति करते तो बहुत सारे लोग जेल में रहते।

सभापति महोदय :- आप बैठिये। आप प्रश्न करिये।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, पहली बात तो यह है कि कौन अध्यक्ष है इसकी तक लड़ाई हुई और कोर्ट तक चला गया है और अभी भी वह कोर्ट में है। कौन अध्यक्ष है, इसकी लडाई अभी कोर्ट में चल रही है और इन्हीं के सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, नंबर एक। नंबर दो जो उमेश जी ने बात कही कि टेंडर दो बार लगाया गया, डीग्रेट किया गया और दूसरी बात यह है कि जिसको टेंडर दिया गया, उसको कैसे मालूम कि उसको टेंडर मिलने वाला है। वह पहले से कैसे काम कर लिया ? सभापति महोदय, इनकी आदत सी हो गई है। पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर माननीय अरूण साव जी बैठे हैं। सुकमा में वैसे हुआ कि आचार संहिता लगी है, टेंडर नहीं हुआ है और काम शुरू हो गया। महिला बाल विकास विभाग में भी ये हुआ। ये इनकी प्रवृत्ति बन गई है। इस पर रोक लगाना जरूरी है। क्योंकि यदि रोक नहीं लगायेंगे तो फिर नियम प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं है। इसलिए माननीय उमेश पटेल जी ने जो बात कही है कि ये सारी प्रक्रिया में गड़बड़ी दिखाई दे रही है, प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि आप बिना टेंडर के काम शुरू कर दिये।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न कर लीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं वही तो कह रहा हूं कि बिना टेंडर के काम शुरू किया गया और उसी व्यक्ति को मिला है। इससे स्पष्ट होता है कि वह काम मिलीभगत से हुआ है और उसको काम मिला है। माननीय मंत्री जी से उमेश पटेल जी ने जो बात कही है कि क्या इसको सदन की समिति से जांच करायेंगे ? क्या उच्च स्तरीय किसी समिति से जांच करायेंगे ? इसकी घोषणा करेंगे क्या ?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि कहीं भी अध्यक्ष पद में कोई विवाद नहीं था। यहां के लोगों के मन में कोई बात थी, वहां के नेशनल हेडक्वार्टर से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आये तो उन्होंने सबके बीच में सार्वजनिक रूप से कहा कि पदेन

अध्यक्ष स्कूल शिक्षा मंत्री ही होंगे। दूसरी बात जेम पोर्टल में टेंडर हुआ। जेम पोर्टल जब खुला नहीं तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये ठेकेदार है। आप जिस काम का मूल्यांकन कर रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- जब ठेकेदार ही नहीं था तो बिना ठेकेदार के निर्माण कैसे शुरू हो गया ?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, नेशनल हेडक्वार्टर का जो पार्ट था, उसने अपना काम किया। चूंकि उसके कुछ दिन पहले ही नेशनल जम्बूरी लखनऊ में हुआ, लखनऊ का उनका सिस्टम सीधा छत्तीसगढ़ आया और 4 दिसंबर से हमारे यहां सर्विस कैंप चालू हुआ है। नेशनल के संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में 480 सर्विस रोवर रेंजर वहां पर आये। स्काउटिंग में ऐसा सिस्टम है कि पूरा काम सरकार नहीं करती, बहुत से सर्विस रोवर रेंजर करते हैं। वह आये, मैंपिंग किये, छोलदारी, इपिक टेंट और बहुत सारी जो व्यवस्थायें हैं, ये पूरा काम भारत स्काउट गाइड नेशनल हेडक्वार्टर के हिसाब से उनके लोगों के द्वारा किया गया है। हमारा जो काम था, हमारा काम था कि मेन मंच में एरिना माननीय मुख्यमंत्री जी जायेंगे, अतिथि जायेंगे, उनके लिये जो डोम और तमाम प्रकार की व्यवस्थायें हैं, उनको भोजन देने का काम है, यह हमारा काम था जो 9 तारीख के बाद चालू होता है। आप जानते हैं कि 5 दिन में यहां बड़े-बड़े आयोजन होते हैं, आप भी जानते हैं कि आपके यहां भी कार्यक्रम हुए हैं, अपने समय में काम कराये हैं, लोग 3 दिन में डोम खड़ा कर देते हैं। आप किसी प्रकार का आरोप न लगायें। जेम पोर्टल में कहीं भी भ्रष्टाचार की बात ही नहीं है, आपको उठाना है तो आप उठा सकते हैं।

सभापति महोदय :- श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी बार-बार कह रहे हैं।

सभापति महोदय :- देखिये, आप बार-बार जो प्रश्न कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी का जवाब वही आ रहा है, इसमें क्या करें, आगे बढ़ना पड़ेगा। श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा जी।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, इनका उत्तर ऐसे ही आ रहा है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार हुआ है। .(व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- टेंडर हुआ ही नहीं है और ठेकेदार ने कहां से आकर काम चालू किया। ... (व्यवधान)

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- आप लोग अनर्गल अलाप कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने कोई व्यवस्था नहीं की । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, बहुत बड़ा आयोजन हुआ लेकिन तीनों विधायकों को कभी बैठक में नहीं बुलाया गया । (व्यवधान)

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये।) (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, यह सरकार (व्यवधान) यह सदन में स्पष्ट हो गया उसके बाद भी मंत्री जी बचाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिये हम सदन से बहिर्गमन करते हैं ।

समय :-

11.20 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में</u>

(नेता प्रतिपक्ष, डॉ. चरणदास महंत के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तरी (क्रमश:)</u>

<u>समग्र शिक्षा में आबंटित राशि</u>

[स्कूल शिक्षा]

2. (*क्र. 1009) श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** प्रदेश के कितने स्कूलों को वोकेशनल कोर्स की सामग्री खरीदी के लिये वर्ष 2024-25 से 31.01.2026 तक की अवधि तक में समग्र शिक्षा मिशन में कितनी-कितनी राशि जारी की गई है? जिलेवार ब्यौरा दें? **(ख)** कंडिका ''क'' के मद में कौन-कौन से उपकरण/सामग्री खरीदी के लिये शासन स्तर से दिशा-निर्देश जारी किया गया व कब? **(ग)** कंडिका ''क'' की राशि से खरीदी के लिये क्या स्कूलों द्वारा भण्डार क्रय नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं किए जाने की या बाजार मूल्य से अधिक राशि पर खरीदी करने की शिकायतें मिली हैं? हॉ तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) प्रदेश में सत्र 2024-25 में स्कूलों को वोकेशनल कोर्स की सामग्री खरीदी के लिये कोई भी राशि जारी नहीं की गयी है। सत्र 2025-26 में 1285 स्कूलों को वोकेशनल कोर्स के लिये ऑफिस एक्स्पेंसेस/कॉटिजेंसी मद में प्रति विद्यालय 02-02 लाख आहरण सीमा जारी की गयी थी। जिलेवार ब्योरा **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** कंडिका 'क' के मद में उपकरण/सामग्री खरीदी के लिये शासन स्तर से दिशा-निर्देश समग्र शिक्षा के लिए दिनांक 11.11.2025 एवं पी.एम.श्री विद्यालयों के लिए दिनांक 25.11.2025 को जारी किया गया। दिशा निर्देश **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(ग)** स्कूलों द्वारा भण्डार कय नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं किए जाने की या बाजार मूल्य से अधिक राशि पर खरीदी करने की शिकायतें स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। इसे दृष्टिगत रखते हुए राज्य स्तर पर 06 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। वर्तमान में जांच प्रक्रियाधीन है।

श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा :- माननीय सभापति महोदय, मैंने स्कूल शिक्षा मंत्री जी से प्रश्न किया था उसके आधार पर उत्तर मुझे मिल गया है । आदरणीय आप मंत्री हैं, आपने जो जांच समिति बनायी है उसे कब तक जांच पूर्ण करने की समय-सीमा बताने का कष्ट करेंगे ? माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा के लिये संचालन हेतु जो राशि आवंटित की गयी है उस राशि का दुरूपयोग हुआ है, ऐसी शिकायत मिली है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि बाजार नियमों के आधार पर कार्रवाई की गयी है या नहीं ?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, स्कूलों में जो हमने अलग-अलग स्कूलों में 1285 स्कूलों में लगभग 25 करोड़ 70 लाख रूपये प्रति स्कूल के पैमाने से 2 लाख रूपये प्रति स्कूल हमने दिया, कुछ जगह शिकायत हमें स्पष्ट कहीं नहीं आयी लेकिन कुछ जगह समाचार-पत्रों में ऐसा आया कि कुछ स्कूलों में भण्डार क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया । हम स्वमेव ही समाचार-पत्रों के आधार पर एक 6 सदस्यीय जांच दल समिति बनाये हैं, जिन-जिन जिलों में जहां-जहां शिकायत की बात आती है उन सारे जगह वह जांच समिति जा रही है और परीक्षण कर रही है और परीक्षण के आधार पर हम आगे निर्णय लेंगे ।

श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा :- माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय जी से यह जानना चाह रहा हूं कि जो जांच समिति बनायी है, उसकी जांच रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करेंगे और कब तक उसका निराकरण होगा ? इसकी जानकारी दे दें ।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, लगभग जांच समिति बहुत सारी जगहों की सूची आ गयी है । चूंकि अभी एग्जाम चल रहे हैं, विथ एग्जाम में अभी कार्रवाई करना उचित नहीं होगा इसलिये मानवीय दृष्टिकोण से बच्चों के शैक्षणिक स्थिति को देखते हुए एग्जाम के बाद उसमें कार्रवाई होगी ।

श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा :- माननीय सभापति महोदय, किस अधिकारी के समक्ष जांच की जा रही है ?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, यहां पर ज्वाईंट डॉयरेक्टर के नेतृत्व में 6-7 लोगों की समिति है और जहां-जहां शिकायत आयी है वहां पर समिति सभी जगह जाकर जांच कर रही है ।

सभापति महोदय :- श्री सुनील सोनी ।

श्री सुनील सोनी :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद । मंत्री जी ने जांच बैठायी है उसके लिये मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं लेकिन मैं एक अनुरोध करता हूं और बहुत सरलता से प्रश्न कर रहा हूं । मैं आपको प्रमाणित कर सकता हूं कि वहां पर जो आपके लैपटॉप, प्रिंटर यह जो कोटेशन लिये गये थे, यदि उस कोटेशन को भी देखेंगे, इसके अंदर मेरी तीन चीजें हैं, सबकी मिलीभगत के आधार पर

300-400 रूपये फिर उसके बाद में उसको कम किया गया है मतलब सारे राउंड फिगर में हैं, एक । दूसरा, जो है उसकी एम.आर.पी. को मिटा दिया गया है, मेरे पास उसका भी प्रमाण है । तीसरा, यह है कि जिसको मिला है उसका जो जी.एस.टी. नंबर है, प्रतिष्ठित मेडिकल स्टोर्स है इसलिये मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं वह जो है मेडिकल स्टोर्स का, वह स्टेशनरी वालों का नहीं है जिन्होंने सप्लाई की, उसके जो पूरे जी.एस.टी. नंबर हैं वह मेडिकल के हैं तो इन तीनों को लेकर भी क्या उस जांच के दायरे में लायेंगे ? मेरी यह मांग है ।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि जहां-जहां शिकायतें आयी हैं, रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार या जिन भी जगहों पर आयी हैं तो वहां पर अभी तक हमको डॉयरेक्ट शिकायत नहीं मिली है । समाचार-पत्रों के आधार पर शिकायत मिली है और समाचार-पत्रों के आधार पर ही हमने जांच समिति बनायी है और माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो बिल्कुल उसमें जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे ।

सभापति महोदय :- डॉ. चरणदास महंत ।

<u>प्रदेश में संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय</u>

[स्कूल शिक्षा]

3. (*क्र. 470) डॉ. चरण दास महंत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) प्रदेश में कुल कितने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हैं? नर्सरी कक्षायें प्रारंभ करने की स्वीकृति कब प्रदान की गई? उनमें से कितने विद्यालयों में प्री-प्रायमरी नर्सरी, के.जी.-1, एवं के.जी.-2 की कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई थी? कितने में वर्तमान स्थिति में प्री-प्रायमरी कक्षाएं चल रही हैं? कितनी बन्द हो गई हैं? जिलेवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश 'क' के अनुसार संचालित स्कूलों के नर्सरी कक्षाओं हेतु किन-किन शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय पदों पर कितने संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी? जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश 'ख' के अनुसार नर्सरी स्कूलों के कितने शिक्षकों एवं गैर शिक्षकीय पदधारियों को सेवा से पृथक किया गया? कितने को पृथक करने का नोटिस दिया गया? सेवा से पृथक करने के कारण सहित जिलेवार जानकारी देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) प्रदेश में कुल 403 स्वामी आत्मानंद अग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हैं। नर्सरी कार्य प्रारंभ करने हेतु शासन के पत्र क्रमांक/एफ/ 13-08/2021/20 तीन दिनांक 01.04.2022 के द्वारा राज्य के समस्त जिलों में प्री-प्रायमरी / नर्सरी की कक्षायें प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य के कुल 14 जिलों के 54 विद्यालयों में प्री-

प्रायमरी नर्सरी, के.जी.- 1 एवं के.जी.- 2 की कक्षाएं संचालित है। सभी नर्सरी कक्षाएं संचालित हैं शेषांश का प्रश्न ही नहीं उठता। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र [2]अनुसार है। (ग) शेषांश का प्रश्न ही नहीं उठता।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय सभापति महोदय, मैं दो बहुत छोटे-छोटे सवाल माननीय मंत्री महोदय जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने यह जवाब दिया है कि प्रदेश में कुल 403 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल संचालित हैं । मंत्री जी, ठीक है । संशोधन तो नहीं करना है न । जबकि मुख्यमंत्री जी ने दिसंबर 2024 के प्रश्न क्रमांक-311 में लिखित उत्तर में यह कहा है कि कुल 751 आत्मानंद स्कूल चल रहे हैं तो आप मुझे यह पहले बता दीजिए कि आपका दिया हुआ आंकड़ा सही है या माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया हुआ आंकड़ा सही है ?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, यह दोनों आंकड़ा सही है। अंग्रेजी के विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम 403 स्कूल हैं और प्रदेश में 348 हिन्दी माध्यम के स्कूल हैं। कुल मिलाकर अभी प्रदेश में 751 स्वामी आत्मानंद स्कूल उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, प्री-प्रायमरी की कक्षाएं कितने स्कूलों में चल रही है और यह कितने में बंद है?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, अभी टोटल 54 स्कूलों में प्री-प्रायमरी की कक्षाएं चल रही हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, यह अंग्रेजी माध्यम के हैं या हिन्दी माध्यम के हैं ?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, यह अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, जो प्री-प्रायमरी में लगे हुए शिक्षक हैं उनको अलग करने जा रहे हैं, आप उन्हें निकालने वाले हैं ?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, अभी फिरहाल तक उन्हें निकालने के लिए कोई आदेश, निर्देश नहीं दिया गया है, लेकिन प्रदेश में हमारा टोटल 38 हजार 333 स्कूलों में मात्र 54 स्कूल ऐसे हैं जहां प्री-प्रायमरी, के.जी. वन और के.जी. टू की कक्षाएं चल रही है और चूंकि पूर्व में आपकी गवर्नमेंट में जारी हुआ था उसको फाईनेंस डिपार्टमेंट से पर्टीक्यूलर अनुमति नहीं मिल पायी । स्थानीय व्यवस्था से वह स्कूल संचालन करने की बात कही गयी थी और जिन-जिन स्कूलों में व्यवस्था है, वहां पर चल रही है लेकिन जहां पर व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वहां उन स्थानों पर इन स्कूलों को जब नया

[2] परिशिष्ट "तीन"

सत्र आएगा, जो बच्चे एक बार एडमिशन हो गये वह तो चलेंगे ही, लेकिन नया सत्र आने के बाद जैसे बाकी आत्मानंद स्कूल चलते हैं वैसे ही यह भी स्कूल संचालित होंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मंत्री जी, यह बताने का कष्ट करेंगे। मेरी जानकारी में जो प्री-प्रायमरी के शिक्षकों का आया है कि बिलासपुर के 18, बेमेतरा के 4 और इसी तरह से और भी कई स्थान हैं, आपने जहां के शिक्षकों को निकाल दिया है तो उन शिक्षकों को निकालने और उनकी नौकरी समाप्त करने का आधार क्या है?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, जो टोटल आत्मानंद स्कूल हैं, जो प्री-प्रायमरी स्कूल हैं वह स्थानीय कलेक्टर के माध्यम से या डी.एम.एफ. की राशि या अन्यत्र रिसोर्से के आधार पर चलाने के लिए जो स्त्रोत हैं, उनको मौखिक रूप से कहा गया था। जहां -जहां पर पैसे की दिक्कत है अब डी.एम.एफ. मद का भी नियम बदल गया है जहां नियम बदल गया है तो वहां ऐसा बोला जा रहा है कि अभी जो बच्चे आ गये हैं उनको पढ़ाई कम्पलीट करने दीजिए। आप नये बच्चों का एडमिशन न लें और जैसे बाकी आत्मानंद स्कूल चलते हैं उसी पैटर्न में चलने दें।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, आपकी सरकार ने बाल वाटिका स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, क्या आपने यह निर्णय लिया है ? या विचाराधीन है।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, यह जो बालवाड़ी है चूंकि अभी नई शिक्षा नीति पर बाल वाड़ी चलेगी । लगभग 11 हजार बालवाड़ी खोलने का प्लान हमारी सरकार द्वारा तय है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, मैं बाल वाड़ी का नहीं पूछ रहा हूँ मैं बाल वाटिका का पूछ रहा हूं।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि बाल वाटिका और बालवाड़ी दोनों एक ही हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, अच्छा तो आपके इस बाल वाटिका के शुरू हो जाने के बाद, क्या इनको आत्मानंद स्कूलों से संचालित करवायेंगे, यह उन्हीं के अंदर रहेगा या कि आपने अलग से बाल वाटिका चलाने का निर्णय लिया है ?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, स्कूल संचालन में केवल आत्मानंद स्कूल ही नहीं है। प्रदेश में आत्मानंद स्कूलों के अलावा अतिरिक्त हमारे पास लगभग 38 हजार और स्कूल हैं। हम तो यह सभी स्कूलों में चले, उसकी चिंता करेंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, इससे बाल वाटिका और आत्मानंद स्कूल से कोई संबंध नहीं रहेगा ?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, जी। कोई संबंध नहीं रहेगा।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मेरा इसी में एक सवाल है कि आत्मानंद स्कूलों में जितने भी अंग्रेजी माध्यम के हैं? वर्तमान में जो नियुक्ति की गयी हैं, वह प्राचार्य के पद हैं, वह हिन्दी माध्यम के हैं । इसमें अब शिक्षा की गुणवत्ता पर एक सवाल आ गया है और जो पहले प्रभारी प्राचार्य या प्राचार्य के रूप में काम कर रहे थे, उनको वहां से अन्यत्र हटा दिया गया है उनको व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं कि वह वहां पर रहें या कहां पर रहें। यदि मैं अर्जुन्दा का बताऊं तो वहां प्रभारी प्राचार्य के रूप में काम कर रही थी। वहां अर्जुन्दा में डे शिफ्ट भी चलता है और मार्निंग शिफ्ट भी चलता है अब वहां पर एक प्राचार्य है तो मार्निंग में कौन करेगा और डे शिफ्ट में कौन करेगा तो वहां कोई नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि वहां पर दो-दो शिफ्ट चल रहा है तो वहां पर प्रभारी प्राचार्य हैं उनको कम से कम दिन में कर दें और फिर एक को मार्निंग शिफ्ट में कर दें।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं, यह प्रश्न उद्भुत नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बोल दूं।

सभापति महोदय :- उनकी चिंता है। आप उसकी व्यवस्था कैसे करेंगे, उसे एक बार दिखावकर, उससे अवगत करवा देंगे।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भर्ती का बोल रहे हैं तो हम सारे पदों पर भर्ती नहीं करते हैं, बहुत से पद ऐसे हैं जिसको हम प्रतिनियुक्ति पर लेते हैं। रहा सवाल कहीं कोई प्रभारी प्राचार्य काम कर रहा है और हमने अभी बहुत बड़ी संख्या में प्राचार्य के पदों पर प्रमोशन किया है जब उनका प्राचार्य के पद पर प्रमोशन है तो वह सारे स्कूलों में गये हैं। आपकी जो दिक्कत है, आप उसे अलग से बतायेंगे, मैं उसको दिखवा लूंगा। मैं उसे कर दूंगा।

<u>कांकेर जिले अंतर्गत जीर्ण-शीर्ण पुल-पुलियों के निर्माणकी स्वीतकृति</u>

[लोक निर्माण]

4. (*क्र. 1875) श्री विक्रम उसेण्डी : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कांकेर जिले के केंवटी-पखांजूर-बांदे-ईरपानार मार्ग में वर्तमान समय में कितने पुल-पुलिया जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं ? (ख) क्या इन पुल-पुलियों के निर्माण कार्य की स्वीकृति हुई है? यदि हां तो कब से निर्माण कितनी-कितनी लागत से किया जाना है ? (ग) क्या इन पुल-पुलियों के संकरे होने एवं ठीक नहीं होने के चलते इन स्थलों पर कई दुर्घटनाएं घटित हुई हैं ? यदि हां तो क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र[3] अनुसार है। (ख) जी हॉ। जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) जी नहीं।

श्री विक्रम उसेण्डी :- माननीय सभापति महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से कांकेर जिले के पखांजूर-बांदे-ईरपानार-कोरेनार तक करीबन् 96 किलोमीटर सड़क के निर्माण के साथ-साथ वहां पुल के निर्माण की बात पूछी थी । इसकी स्वीकृति 2010 में मिली थी, 2013 तक पूरा होना था, लेकिन 2013 के बाद साढ़े 5 साल और अतिरिक्त समय देने के बाद भी 2018 तक वह काम पूरे नहीं हुए । ये पुल करीबन् 60 साल पहले बन चुके हैं और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, वहां आये दिन दुर्घटना होती रहती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि उसका निर्माण कब तक होगा ? दूसरी बात, मेरा मूल प्रश्न यह था कि 11 स्थान जहां पर सकरा होने के साथ-साथ बहुत डैमेज हो गए हैं, वहां रेलिंग भी नहीं है तो वहां पर हमेशा दुर्घटना होती है । आपके विभाग के माध्यम से अधिकारियों ने कहा कि वहां कोई दुर्घटना नहीं हो रही है । क्या इस बारे में आप स्पष्ट करेंगे ?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति जी, माननीय उसेण्डी जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और यह महत्वपूर्ण रोड है, जो कांकेर जिले के अंतर्गत भानुप्रतापपुर, केंवटी-पखांजूर-बांदे-ईरपानार मार्ग है, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय से 31.3.2010 को हुई थी । बाद में पुनरीक्षित स्वीकृति हुई और दिनांक 9.2.2011 को कार्यादेश जारी किया गया । यह सही है कि 28 माह की अवधि 8.6.2013 तक सड़क का काम पूरा करना चाहिए था । इस मार्ग में 91.600 किलोमीटर की चौड़ीकरण, मजबूतीकरण का काम और 134 नग पुल-पुलिए के निर्माण की स्वीकृति थी । ठेकेदार ने 91.500 किलोमीटर सड़क की चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का काम किया । 134 में से 114 नग पुल-पुलियों के निर्माण का काम किया और शेष 20 नग पुल-पुलियों का निर्माण जो अनुबंधक है, उन्होंने नहीं किया क्योंकि अनुबंध में शामिल था, उसे छोड़ दिया गया । वह 2018 में काम छोड़कर चला गया । भुगतान को लेकर विवाद हुआ, विवाद को लेकर अनुबंधक ने 2011 में रिट याचिका दायर की, सोल आर्बिट्रेटर (Sole Arbitrator) नियुक्त हुआ । आर्बिट्रेटर ने अनुबंधक के पक्ष में आंशिक रूप से उनके दावे को स्वीकार किया, उसके खिलाफ लोक निर्माण विभाग आर्बिट्रेशन ट्रियूबनल गये, ट्रियूबनल ने हमारे पक्ष में आदेश किया । उसके खिलाफ उच्च न्यायालय में मामला लंबित है । यह सही है कि 11 पुल-पुलिए सकरे हैं, जीर्ण-शीर्ण हैं, पर विभाग ने उसमें दुर्घटना रोकने और जीर्ण-शीर्ण स्थिति को ठीक करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं जैसे सांकेतिक बोर्ड, डेलीनेटर, रम्बल, स्ट्रिप गार्ड, स्टोन, हेजार्ड मार्कर आदि लगाया है । जो दुर्घटनाजन्य चिह्नित स्थान हैं, उन पर सड़क मद से, विशेष मरम्मत से भी हम काम करा रहे हैं और इन सड़कों की स्वीकृति के लिए क्षेत्रीय अधिकारी को लिखा गया है कि इनके टेण्डर निरस्त करने की अनुमति हो और जो बचे हुए काम हैं, उसको पूरा करने की अनुमति की मांग की है ।

[3] परिशिष्ट "चार"

इस रोड़ में कुछ और हिस्सा बहुत खराब है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके निर्माण की घोषणा की है, बजट में शामिल है और प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया, प्रक्रियाधीन है। यह महत्वपूर्ण रोड है । दो और नये बड़े ब्रीज हमने राज्य मद से स्वीकृत किये थे, हम उम्मीद करते हैं कि उसमें से एक ब्रीज का काम अप्रैल तक पूरा हो जाएगा और दूसरे पुल के काम जो है, वह प्रशासकीय स्वीकृति के प्रक्रियाधीन है । जैसे ही होगा, हमारी भी चिंता है । मैं इस बात को जानता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण रोड है, इस रोड को लेकर हमारी चिंता है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यह रोड समय पर पूरा हो, अच्छे से बन जाये ।

श्री विक्रम उसेण्डी :- माननीय सभापति महोदय, मैंने इसमें एक प्रश्न पूछा था कि 11 पुल-पुलियां बहुत संकीर्ण हैं, वे 60 साल पहले बने थे। वहां नीचे छड़ वगैरह निकला हुआ है, जिससे कभी भी बड़ी दुघटना हो सकती है। मैंने पूछा था कि क्या वहां कोई दुर्घटना हुई है तो विभाग से जवाब आ गया है कि जी नहीं, जी नहीं, कहीं कोई दुर्घटना नहीं हुई है। क्या उन स्थानों में अभी तक कोई घटना-दुर्घटना नहीं हुई है ?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, मैंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि यह सही है कि वहां दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। हो आवश्यक उपाय हो सकते हैं, विभाग ने वह उपाय किए हैं। विभाग की जो रिपोर्ट है, उसके हिसाब से कोई दुर्घटना नहीं हुई है। फिर भी हम सावधानी बरत रहे हैं। घुमावदार है, टर्निंग है, संकरा है, जीर्ण-शीर्ण भी है, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। इसीलिए निर्माण की स्वीकृति भी हुई है। अनुबंधक चला गया इसलिए निर्माण में विलंब हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि फिर से जल्दी से स्वीकृति मिल जाये। हमने चिंता करके राज्य मद से दो नये ब्रिज स्वीकृत किए हैं, जिसमें से एक ब्रिज का काम अप्रैल में पूरी होने की संभावना है। दूसरे ब्रिज की प्रशासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। मैंने पहले ही स्वीकार किया कि वह हमारा महत्वपूर्ण सड़क है। इस सड़क को लेकर हमारी चिंता है। जब पखांजुर के एक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी गये थे तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। वह बजट में शामिल है और प्रशासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है।

श्री विक्रम उसेण्डी :- माननीय सभापति महोदय, मैं जानकारी देना चाहूंगा कि वहां पर लगातार घटनाएं हुई हैं। वहां पर 77/2 किलोमीटर पी.व्ही. 39 परलकोट विलेज जो 39 सड़क है, वहां पर 5 घटनाएं हो चुकी हैं। 20 नवम्बर, 2017 को पी.व्ही.39 में एक पुलिस में नगर पंचायत के लेखापाल मोटर सायकल से नीचे गिर गया था । 30 अप्रैल, 2025 को एक छोटा हाथी वाहन का एक्सीडेंट हुआ था। 11 नवम्बर, 2025 को एक पिकअप वाहन गिरा था, वाहन चालक और परिचालक बाल-बाल बचे थे। 17 दिसम्बर, 2025 को एक ट्रक चालक गिर गया, उनकी बेटी की शादी थी। 29 अप्रैल, 2025 को एक स्कार्पियो वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। इस प्रकार से वहां पर लगातार 5 घटनाएं हुई हैं। उसके

साथ 90/4 किलोमीटर पी.व्ही. 79 में वहां पर बाईक के साथ हुई दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हुई। उसके साथ-साथ 21 दिसम्बर, 2024 एवं 28 सितम्बर, 2024 को घटना घटी हैं। वहां पर लगातार दुर्घटनाएं हो रहीं हैं। लेकिन विभाग के उत्तर में यह जानकारी आना कि कुछ नहीं हो रहा है, बिलकुल ठीक नहीं है। कुल मिलाकर विभाग के अधिकारियों को कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए। वहां घटनाएं घट रहीं हैं, दुर्घटनाएं हो रहीं हैं। मेरे पास प्रिंट मीडिया के अखबार भी हैं कि कब-कब घटनाएं हुई हैं और इलेक्ट्रानिक चैनल में भी कब-कब बयान आया है, मेरे पास पूरी जानकारी है।

सभापति महोदय :- आप प्रश्नकाल के बाद माननीय मंत्री जी के साथ बैठकर उनको बता देंगे तो माननीय मंत्री जी देख लेंगे कि और क्या उपाय हो सकता है।

श्री विक्रम उसेण्डी :- माननीय सभापति महोदय, बात बैठकर की नहीं है। गलत जानकारी दिया गया है कि घटनाएं नहीं हुई हैं। मैं इसके बारे में कह रहा हूं। यह लिखित उत्तर में आ गया है। यदि आप कहें तो मैं पूरी घटना की बातों को इसको पटल पर रख देता हूं। गलत जानकारी देना ठीक बात नहीं है।

सभापति महोदय :- घटना को इन्कार नहीं कर रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि टेण्डर की प्रक्रिया है और बाकी सब कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि और भी जो जानकारी है तो मंत्री जी को उपलब्ध करा देंगे तो वह देख लेंगे।

श्री उमेश पटेल:- माननीय सभापति महोदय, यह लगातार हो रहा है। हर विधायक आपसे यही शिकायत कर रहा है कि जानकारी सही नहीं आ रही है। आपकी ओर से मंत्रियों को प्रताड़ित करना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। लगातार गलत जवाब आ रहा है।

श्री विक्रम उसेण्डी :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। मेरा मूल प्रश्न था कि क्या इन पुल-पुलियों के संकरे होने के कारण इन स्थलों पर कई दुर्घटनाएं हुई हैं ? यह मेरे प्रश्न में था ही। यदि दुघटनाएं हुई हैं तो स्वीकार करना चाहिए, मेरे कहने का यह मतलब है। दुर्घटनाएं नहीं हुई, नहीं हुई है, कह रहे हैं। मुझे जानकारी है, नीचे के अधिकारी जानकारी भेजे थे कि घटनाएं हुई हैं। लेकिन ऊपर से यह जानकारी आ गया कि घटनाएं नहीं हुई है। मैं भी अंदरूनी तौर से जानकारी ले रहा था। कुल मिलाकर आप इसको दिखवाईये। मेरे पास तो इसमें पूरी जानकारी है यदि आप कहे तो मैं पूरी जानकारी पटल पर रख सकता हूं। मेरे पास एक-एक जानकारी है।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं। माननीय सदस्य विक्रम जी जिस बात का उल्लेख कर रहे हैं, एक तो अभी जो टेण्डर हो रहा है, वह रेट से कम में चले जा रहे हैं। टेण्डर ओपन होने के बाद ठेकेदार एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। जो ठेकेदार एग्रीमेंट कर रहे हैं, वह काम छोड़ देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा प्रयास होना चाहिए कि उनको छत्तीसगढ़ के बाकी कामों से भी ब्लेक लिस्टेड करना चाहिए, जिससे समय पर काम पूरा हो सके। नहीं तो, जिस प्रकार से यह अनावश्यक

प्रयास कर रहे हैं। इतना प्रयास माननीय विधायक, माननीय सदस्य करते हैं, वह विफल हो जाता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिये। विक्रम जी इसी बात की चिंता कर रहे हैं।

श्री अरूण साव :- जी-जी, बिलकुल। आसंदी के निर्देश का पालन होगा। (प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) जहां तक दुर्घटनाओं की बात है, विभाग ने थाने जानकारी ली है। थाने से यह जानकारी आई है कि कोई दुर्घटना नहीं हुई है। परन्तु आपने जो कहा है, मैं आपकी बातों को इन्कार भी नहीं करता हूं। निश्चित रूप से हमारी चिंता है और सबकी समस्या है।

सभापति महोदय :- मैं भी वही कह रहा हूं।

श्री अरूण साव :- सभापति महोदय, मैंने इस बात को स्वीकार किया है कि दुर्घटनाजनित संभावना बनी रहती है।

श्री विक्रम उसेण्डी :- माननीय सभापति महोदय, अभी 8 साल से ज्यादा का समय हो गया। पुलों की कोई बड़ी दुर्घटना हो, उसके पहले उसका कुछ हो जाना चाहिए। नीचे बहुत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, बरसात में उन पुलों के नीचे दबने से कभी भी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं ।

श्री अरूण साव :- सभापति महोदय, निश्चित रूप से मैंने पहले शुरू से स्वीकार किया है कि यह महत्वपूर्ण रोड है और इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- श्री रोहित साहू जी।

<u>जिला गरियाबंद लो.नि.वि. में रख-रखाव मेन्टेनेंस मद से किए गए कार्य</u>

[लोक निर्माण]

5. (*क्र. 35) श्री रोहित साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** जिला गरियाबंद के लोक निर्माण विभाग अंतर्गत रख-रखाव मेन्टेनेंस मद में वर्षवार कितनी-कितनी राशि आबंटित की गयी है?वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक की जानकारी देंवें ? **(ख)** प्राप्त आबंटन को वर्षवार किन-किन कार्यों पर व्यय किया गया? जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'अ' अनुसार है। **(ख)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'ब' अनुसार है।

श्री रोहित साहू :- सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । मेरा माननीय उपमुख्यमंत्री जी से लोक निर्माण विभाग का प्रश्न है । महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग अंतर्गत रख-रखाव, मेंटेनेंस मद में वर्षवार कितनी राशि आवंटित की गई है? यह जानकारी मेरे द्वारा मांगी गई थी और वर्ष 2023 से वर्ष 2025-26 तक की जानकारी देने की या बताने की कृपा करेंगे माननीय महोदय, यही मेरी जानकारी है, प्रश्न है।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, बहुत विस्तार से एक-एक कामों की जानकारी दी है। वर्ष 2022-23 से 2025-26 जनवरी, 2026 तक कुल मिलाकर 232 कार्यों के लिए 65 करोड़ 84 लाख 68 हज़ार रुपये आवंटित किया गया था, उस पर 58 करोड़ 29 लाख 26 हजार रुपये के खर्च मेंटेनेंस में हुए हैं। एक-एक कामों की विस्तृत जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध कराई है।

श्री रोहित साहू :- जी माननीय महोदय, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, मेरे पास पूरी जानकारी तो आई है, लेकिन मैं माननीय उपमुख्यमंत्री जी को एक विशेष धन्यवाद भी देना चाहूंगा, जिसके माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णु देव जी की सरकार में, यह सुशासन की सरकार में आज इतनी बड़ी-बड़ी स्वीकृति राजिम विधान सभा क्षेत्र को मिली है। मैं आज इस सदन के माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा, राजिम-फिंगेश्वर-महासमुंद मार्ग, जो बहुत पुरानी मांगें थीं, राजिम-छुरा-महासमुंद, इतनी 145 करोड़ की, 146 करोड़ की स्वीकृति पच्चीसों साल के इंतजार के बाद आज पूरा हो रहा है। आज इस सदन के माध्यम से मैं धन्यवाद दूंगा बहुत सारी रोड की स्वीकृति मिली है।

सभापति महोदय :- श्री राजेश मूणत जी।

श्री रोहित साहू :- और माननीय महोदय, मैं माननीय उपमुख्यमंत्री जी से और आग्रह करूंगा, यह मेंटेनेंस कार्य में 30 वर्ष बहुत पुराने बिल्डिंग भी बनी हुई है, जिसमें हमारे जिले के कलेक्टर, एस.पी. या बहुत बड़े अधिकारी, वहां छोटे अधिकारी भी रहते हैं, बड़े अधिकारी भी रहते हैं, वहां के भवन जर्जर की स्थिति में हैं । जिनकी मेंटेनेंस की मैं जानकारी मांगा था। इसमें मैं कहूंगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी हर साल करोड़ों रुपये हमारे विभाग से या सरकार के माध्यम से जीर्णोद्धार के लिए जाते हैं।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न करें, प्रश्न।

श्री रोहित साहू :- तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां एक नयी बिल्डिंग हो जाए, जिला मुख्यालय है। मेंटेनेंस में ही हर साल खर्चा होता है, तो उसके लिए भी विशेष आग्रह है कि इसकी बिल्डिंग की व्यवस्था हो जाए।

सभापति महोदय :- मंत्री जी।

श्री अरूण साव :- माननीय सदस्य ने जो पूछा है, स्वीकार किया है कि लगातार बड़े-बड़े रोड के काम स्वीकृत हुए हैं और उन्होंने जो कहा है निश्चित रूप से उसका परीक्षण करायेंगे।

श्री रोहित साहू :- बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री राजेश मूणत जी। श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते।

प्रश्न संख्या 06 :- XX XX

<u>प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अवैध शराब निर्माण एवं देशी-विदेशी मदिरा में मिलावट</u>

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

7. (*क्र. 1011) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या शासन को प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अवैध शराब निर्माण एवं देशी-विदेशी मदिरा में मिलावट की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? **(ख)** यदि हाँ, तो विगत दो वित्तीय वर्षों (2023-24,2024-25) एवं अप्रैल,2025 से दिसम्बर,2025 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** उक्त अवधि में मिलावटी शराब के कारण किसी प्रकार की जनहानि अथवा स्वास्थ्य संबंधी घटनाएँ घटित हुई हैं? यदि हाँ, तो उनका विवरण दें? **(घ)** मिलावट करने वालों के विरुद्ध कितने प्रकरण पंजीबद्ध किए गए तथा कितने दोषियों पर दंडात्मक कार्यवाही की गई? **(ङ)** भविष्य में प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में मिलावटी शराब पर प्रभावी रोक लगाने हेतु शासन द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) :(क) जी हां। **(ख)** विगत दो वित्तीय वर्षों (2023-24, 2024-25) एवं अप्रैल 2025 से दिसम्बर 2025 तक आबकारी विभाग को अवैध शराब निर्माण के 51 शिकायतें प्राप्त हुई एवं उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ अनुसार है। इसी प्रकार देशी-विदेशी मदिरा में मिलावट की 07 शिकायतें प्राप्त हुईं एवं उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब अनुसार है। पुलिस विभाग को उक्त अवधि में अवैध शराब निर्माण की 197 शिकायतें प्राप्त हुईं एवं उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र स अनुसार है। इसी प्रकार देशी-विदेशी मदिरा में मिलावट की कोई भी शिकायतें पुलिस विभाग को प्राप्त नहीं हुई हैं। **(ग)** उक्त अवधि में मिलावटी शराब के कारण किसी प्रकार की जनहानि अथवा स्वास्थ्य संबंधी घटनाएँ घटित नहीं हुई हैं। **(घ)** मिलावट करने वालों के विरुद्ध विगत दो वित्तीय वर्षों (2023-24, 2024-25) एवं अप्रैल 2025 से दिसम्बर 2025 तक विभाग द्वारा 02 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए तथा 08 दोषियों पर दंडात्मक कार्यवाही की गई। **(ङ)** भविष्य में प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में मिलावटी शराब पर प्रभावी रोक लगाने हेतु दुकान प्रभारी अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से मदिरा दुकानों की जांच की जा रही है। शिकायत दर्ज कराने हेतु टोल फ्री नम्बर 14405 दुकानों में चस्पा किया गया है, जिस पर नियमित निगरानी रखी जा रही है। मनपसंद ऐप में भी ग्राहकों को मदिरा दुकान व शराब के संबंध में शिकायत करने की सुविधा प्रदान की गई है। आबकारी कार्यपालिक अधिकारियों को औचक निरीक्षण करने एवं निरीक्षण दौरान प्राप्त अनियमितता पर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- सभापति महोदय, मैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत अवैध शराब निर्माण एवं देशी-विदेशी मदिरा शराब में मिलावट की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, प्रतापपुर विधान सभा में..।

सभापति महोदय :- देखिए, आप लोग बोलते हो कि मंत्री जी नहीं बोल देते हैं, जवाब नहीं देते हैं, मंत्री जी ने स्वीकार किया है, जी हां। अब उनको धन्यवाद दीजिए।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, आबकारी विभाग में प्रतापपुर विधान सभा में तीन वर्षों में आबकारी विभाग को शिकायत मिली, जिसमें 40 शिकायतों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ पुलिस विभाग को 197 शिकायत मिलीं और 197 के 197 शिकायत पर कार्रवाई की गई है और सभी को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- माननीय मंत्री महोदय, 197 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यह बहुत चिंता का विषय है। इसे रोकने के लिए आपकी तरफ से क्या-क्या तैयारियां की गई हैं, जिससे अवैध शराब निर्माण एवं मिलावटी शराब के रोकथाम के लिए कदम उठाया जा सकें?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, मिलावटी शराब की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उसमें जो प्लेसमेंट कर्मचारी दोषी पाये गये हैं, उन सभी को जेल दाखिल कर दिया गया है और उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, इसी में मेरा एक प्रश्न है।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- माननीय सभापति महोदय, दोषियों को जेल दाखिल किया गया है, यह पूरी तरह से सही नहीं है। माननीय मंत्री, मैं आपसे यह जानना चाह रही हूं कि आप इसे रोकने के लिए क्या उपाय करेंगे?

श्री रामकुमार यादव :- और भट्ठी खोलवा देंगे। (हंसी)

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- आप लोग न बोलें। सर, आपकी सरकार में 2000 करोड़ रूपये का घोटाला हुआ था। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- हमन मुसवा के मारे परेशान हो गय हन।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अभी क्या हो रहा है? यह घोटाला नहीं है तो क्या है?

श्री दिलीप लहरिया :- अभी मिलावट हो रहा है।

श्री रोहित साहू :- अभी जांच हो रही है।

श्रीमती रायमुनी भगत :- अभी-अभी आये हैं।

एक माननीय सदस्या :- अभी तो कार्यवाहियां होनी चाहिए।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- अभी कार्यवाही हो रही है।

श्री रोहित साहू :- अभी जांच हो रही है।

श्री रामकुमार यादव :- हमन मुसवा के मारे परेशान हो गय हन।

एक माननीय सदस्य :- सभापति महोदय, अफीम की खेती हो रही है।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप बैठ जाइये। उनको प्रश्न पूछने दीजिये।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, रोकथाम के लिए लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें उपायुक्त आबकारी अधिकारी, सहायक आयुक्त अधिकारी, संभागीय उड़नदस्ता, प्रत्येक अधिकारी द्वारा छह केंद्रों में प्रति माह निरीक्षण का प्रावधान है। साथ ही साथ हमारे सहायक आयुक्त आबकारी, जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जिला के मुख्यालय में प्रत्येक केंद्र में तीन माह में एक बार, शेष प्रत्येक केंद्र में वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जाता है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जिला मुख्यालय में प्रत्येक केंद्र में माह में एक बार, शेष प्रत्येक केंद्र में वर्ष में दो बार निरीक्षण करने का प्रावधान है। इसी तरह से सहायक जिला आबकारी अधिकारी, उप निरीक्षक के द्वारा मुख्यालय स्थित केंद्र में साप्ताहिक और अन्य मासिक निरीक्षण करने का प्रावधान है। लगातार निरीक्षण हो रहे हैं। अवैध शराब बिक्री की रोकथाम के लिए जो भी शिकायतें आ रही हैं या शिकायत नहीं आती है, इस प्रकार की जो भी जानकारी मिलती है तो आबकारी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने जाते हैं और वे रोकथाम का प्रयास करते हैं। जैसा कि माननीय सदस्या जी ने कहा कि जो 197 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन सभी शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है। इसका मतलब विभाग मुस्तैदी के साथ अवैध शराब निर्माण की रोकथाम के लिए निरंतर प्रक्रिया में लगा हुआ है।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- माननीय सभापति महोदय, प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, जहां से लगातार बहुत सारे रेक्टिफाइड, स्पिरिट एवं अवैध शराब आने की खबरें हैं। माननीय मंत्री जी, मैं यह चाहती हूं कि इसके लिए कोई ठोस कदम उठाया जाये, जिससे मेरे विधान सभा क्षेत्र को बहुत सहयोग मिले। मैं मंत्री जी से इसमें विशेष सहयोग की अपेक्षा करती हूं। मंत्री जी ने टोल फ्री नंबर बताया है और ऐप भी बताया है। मेरा विधान सभा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जहां लगभग 15 गांवों में टॉवर नहीं है। वहां यह समस्याएं बनी हुई हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि आप कोई विशेष कड़ी कार्रवाई या ठोस कदम का आश्वासन दीजिये।

सभापति महोदय :- आप एक प्रश्न कर लीजिये, उसके बाद मंत्री जी जवाब दे देंगे।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय शकुंतला जी यहां पहली बार चुनकर आयी हैं और उन्होंने हमें कहा कि आप लोगों को शराब के संबंध में बोलने का अधिकार नहीं है, आपकी सरकार में 2000 करोड़ का शबरा घोटाला हुआ है और आप लोग चुप रहें। इसलिए मैं उनको जानकारी दे दूं कि 3200, 3400 करोड़ ..।

सभापति महोदय :- मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा कि आप मंत्री जी से प्रश्न करें, आप शकुंतला से प्रश्न मत करिये।

श्री भूपेश बघेल :- हाँ-हाँ, मैं उन्हीं से प्रश्न कर रहा हूं। किसी में 3400, किसी में 4000 करोड़ का घोटाला हो गया, वह चल ही रहा है। आंकड़ा पता नहीं कि कितने तक जाएगा।

सभापति महोदय :- आप मंत्री जी से प्रश्न करिये।

श्री भूपेश बघेल :- हां, मैं आपको बता रहा हूं, प्रश्न ही कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी, पिछले शासनकाल में जो घोटाला हुआ है और जिसकी जांच हो रही है, उसमें रिकव्हरी के लिए आपने कितने लोगों को नोटिस दी है और उसमें क्या कार्रवाई की है?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, यह पूरा प्रकरण ई.डी. न्यायालय में चल रहा है।

श्री भूपेश बघेल :- नहीं। भाई, नोटिस देने का अधिकार आपको है, आपको रिकव्हरी करने का अधिकार है। आपने कितने लोगों को नोटिस दी हैं, उसमें कितनी रिकव्हरी हुई हैं? यदि आपने रिक्वहरी नहीं की है तो क्यों नहीं की है?

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, 134 के तहत जो मामला न्यायालय में लंबित है, उस विषय पर बात नहीं कर सकते हैं ।(व्यवधान) मैं आपको नियमावली दिखा देता हूँ । (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मंत्री जी को जवाब देना होगा । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, मैं यही पूछ रहा हूँ कि आपने रिकवरी के लिये क्या किया ? कितने फैक्ट्री थे, जहां अवैध शराब बना है, वहां आपने कितनी वसूली किये हैं, यह बताईये ? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- इस प्रश्न में आप कुछ जवाब देंगे क्या ?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, प्रतापपुर विधान सभा के संबंध में पूछा गया है, वैसे यह प्रश्न उद्भूत नहीं होता । वरिष्ठ सदस्य पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है...।

श्री भूपेश बघेल :- मंत्री जी, मैं रिकवरी की बात किया हूँ ।

श्री लखनलाल देवांगन :- बाकी प्रकरण न्यायालय में लंबित है ।

श्री भूपेश बघेल :- कितना फैक्ट्री वालों से रिकवरी किये, कितना अधिकारियों से रिकवरी किये, किससे-किससे कितना रिकवरी किये, यह बतायें ? नोटिस दिये हैं कि नहीं दिये हैं ।

श्री केदार कश्यप :- आप उनके विभाग में बोल लीजिएगा ।

सभापति महोदय :- आप बैठिये । केदार जी, आप बैठ जाईये । प्रश्न का जो स्वरूप है, आप उसको पढ़ लीजिए । उस प्रश्न का स्वरूप होता और संदर्भित होता तो मंत्री जी निश्चित रूप से जवाब

देते । एक्चुअल में प्रश्न उद्भूत ही नहीं हो रहा है और आप उसको पढ़ लीजिए । मैं इसलिये इनको आगे बढ़ाता हूँ, पुरन्दर मिश्रा ।

श्री भूपेश बघेल :- बहुत सुंदर । आपने बहुत सुंदर बात कही है, लेकिन किसी भी सदस्य को बिना तथ्य के इस प्रकार से मुंह उठाकर बात नहीं कहनी चाहिये । वित्त मंत्री भी आ गये हैं, कितने लोगों को नोटिस दिया गया, कितना नुकसान हुआ है, कितना इंकम टैक्स का नुकसान हुआ है, सरकार यह बताये ? यह उद्भूत कैसे नहीं होता है, जब बात आ गई है ।

सभापति महोदय :- उद्भूत इसलिये नहीं होता कि आप प्रश्न पढ़ लीजिए । आप अनुभवी हैं, आप इस प्रश्न को पढ़ लीजिए । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- भ्रष्ट्राचार हुआ है तो बोल सकते हैं । (व्यवधान) सरकार को बने ढ़ाई साल हो गये हैं ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आपमें हिम्मत है तो चलियेगा ।(व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- राजनीति कर रहे हो । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- श्री पुरन्दर मिश्रा ।

श्री उमेश पटेल :- कोई भी कुछ भी बोल रहा है सभापति महोदय।(व्यवधान)

श्री पुरन्दर मिश्रा :- सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया है ।

सभापति महोदय :- मैं खड़ा हुआ हूँ, आप बैठ जाईये । मेरा यह कहना है कि किसी सदस्य ने कुछ बात कह दी है तो उसका मंत्री जी जवाब दें, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, आप भी अनुभवी हैं, भूपेश बघेल जी तो बहुत सीनियर हैं, प्रश्न का जो स्वरूप है, संदर्भित होता है तो निश्चित रूप से मैं अवसर देता हूँ लेकिन प्रश्न दूसरा है और मंत्री जी से जवाब दूसरा मांगेगें तो वह कैसे जवाब देगा ? मैंने इसलिये कहा है कि प्रश्न उद्भूत नहीं होता है । अब इसको आगे बढ़ाई जाये । पुरन्दर मिश्रा जी ।

<u>स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम/औद्योगिक नीति के अंतर्गत स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की वसूली</u>

[वाणिज्य एवं उद्योग]

8. (*क्र. 1765) श्री पुरन्दर मिश्रा : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या छ.ग. राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम,2014 एवं छ.ग. राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम,2019 के नियमों एवं अनुबंध के उल्लंघन करने वाले उद्योगों को दिये गये स्थायी निवेश पूंजी अनुदान वसूल किये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या प्रावधान है ? (ख) क्या यह सही है कि दिनांक 15/12/2025 की स्थिति में प्रदेश के रायगढ़ एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला में औद्योगिक नीति 2014-2019 एव 2019-2024 के अंतर्गत स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्राप्त 263

उद्योगों ने अनुदान दिये जाने संबंधी नियमों एवं अनुबंध का उल्लंघन किया गया है ? (ग) प्रश्नांक 'ख' में स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्राप्त उद्योगों द्वारा नियमों एवं अनुबंध के उल्लंघन करने वाले उद्योगों से राशि वसूली के लिये भू-राजस्व अंतर्गत आर.आर.सी.जारी की गई है ? यदि नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई तथा कब तक जारी की जायेगी ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) :(क) हां, छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम-2014 के कंडिका क्रमांक 10 तथा छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम-2019 के कंडिका क्रमांक 12 में नियमों एवं अनुबंध के उल्लंघन करने वाले उद्योगों को दिए गए स्थायी पूंजी निवेश अनुदान वसूल किए जाने का प्रावधान किया गया है। प्रावधान की जानकारी संलग्न प्रपत्र[4] अनुसार है। (ख) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ से प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक 15/12/2025 की स्थिति में प्रदेश के रायगढ़ एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला में औद्योगिक नीति 2014-2019 एवं 2019-2024 के अंतर्गत स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्राप्त 263 उद्योगों में से वर्तमान में 256 उद्योगों द्वारा स्वप्रमाणित उत्पादन व विक्रय संबंधी जानकारी प्रस्तुत कर दिया गया है एवं जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के 07 उद्योगों द्वारा प्रतिवर्ष स्वप्रमाणित उत्पादन व विक्रय संबंधी जानकारी न दिये जाने संबंधी नियमों एवं अनुबंध का उल्लंघन किया गया है।(ग) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ से प्राप्त जानकारी अनुसार उत्तरांश (ख) में औद्योगिक नीति 2014-2019 अंतर्गत स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्राप्त 07उद्योगों द्वारा नियमों एवं अनुबंध के उल्लंघनकरने पर, नोटिस जारी किया गया है, जिसमें से 02 उद्योगों का स्थायी पूंजी निवेश स्वीकृति आदेश निरस्त किया गया है। सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से पत्राचार एवं आर.आर.सी. जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- सभापति महोदय, मैंने प्रश्न संख्या 8 के माध्यम से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जी से प्रश्न किया है और माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि मेरा प्रश्न आप भी पढ़ लिये होंगे और मैंने आपका उत्तर भी पढ़ लिया है । सभापति महोदय, मैं इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं करूँगा और मैं चाहूँगा कि इसमें पूर्ण उत्तर आ जाये । स्थायी पूँजी निवेश अनुदान अधिनियम में 263 उद्योगों को अनुदान दिये गये थे और 15 दिसम्बर 2025 के आंतरिक प्रश्न में रायगढ़ जिले के 152 और सारंगढ़ जिले के 111 उद्योगों को जिला व्यापार एवं उद्योग द्वारा नोटिस दिया गया था, जबकि आज उसका अलग से उत्तर आ रहा है कि 256 उद्योगों को स्व-प्रमाणित उत्पादन विक्रय संबंधी जानकारी दी गई थी । दोनों में उत्तर अलग-अलग है, माननीय मंत्री जी क्या अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही करेंगे ?

[4] परिशिष्ट "पांच"

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, पिछली बार मैंने उत्तर में दिया था कि उस समय उन्होंने उत्पादन प्रमाण पत्र वगैरह जमा नहीं किये थे और अनुदान जो होता है, वह पांच साल की अवधि तक रहता है । अभी के समय में 256 उद्योगों ने अपना स्व-प्रमाणित उत्पादन विक्रय संबंधी जानकारी विभाग को प्रस्तुत कर दिया है और उसके बावजूद भी हम लोगों ने उनको 7 का बताये हैं, उसके बाद में 5 लोगों ने और अपना प्रमाण पत्र दे दिया है और दो लोगों ने नहीं दिया है और उसके रिकवरी के लिये जो प्रावधान है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने कलेक्टर को पत्र लिख दिये हैं । जो भी देर से अनुदान प्राप्त करता है और काम शुरू नहीं करता है, समय सीमा खत्म हो जाती है, उस अनुदान की 12% ब्याज की दर से वसूली करने का प्रावधान है।

श्री पुरंदर मिश्रा :- सभापति महोदय, क्या ये अनुदान की राशि 5 वर्ष के बाद भी वसूली की जाती है या कागजात लिया जाता है? मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे।

सभापति महोदय :- आपने तो कम प्रश्न पूछेंगे कहा था। (हंसी)

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, एक समय निर्धारित किया जाता है और उस निर्धारित अवधि के अंतर्गत वह काम पूरा नहीं करता है तो उसकी वसूली की पूर्ण रूप से प्रक्रिया है। जैसे कि हम लोगों ने दो लोगों का निरस्त किया है - मेसर्स दादी बिलासन पेडी प्रोसेसिंग मिल, ग्राम बलपारी, विकासखंड बरमकेला, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़। 28/01/2026 को स्वीकृत अनुदान 66 लाख, ब्याज मिलाकर 1 करोड़ 7 लाख रूपये की वसूली होगी। उसी तरह एक और मेसर्स एस फ्लाई ऐश ब्रिक, ग्राम छिंद, विकासखंड सारंगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़। उनका 29/01/2026 को निरस्त किए हैं, कुल अनुदान 11 लाख 80 हजार, 12% ब्याज मिलाकर 19 लाख 35 हजार की वसूली करना है।

सभापति महोदय :- श्री अनुज शर्मा

<u>निको जायसवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर में श्रम कानूनों के तहत जांच</u>

[श्रम]

9. (*क्र. 1648) श्री अनुज शर्मा : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या श्रम विभाग द्वारा कारखाना अधिनियम,1948 व अन्य श्रम कानूनों के अतंर्गत माह नवम्बर, 2024 से जनवरी, 2025 के मध्य में कारखाना निको जायसवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर के विभिन्न प्रभाग जैसे ब्लास्ट फर्नेस, पावर प्लांट, स्टील प्लांट तथा फ्लैट प्रोडक्ट डिवीजन में निरीक्षण किया गया था? यदि हां, तो इन निरीक्षणों के दौरान क्या-क्या कमियां पाई गई थी तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार इन निरीक्षणों में जांच अधिकारी के द्वारा क्या किसी प्रकार का ''प्रतिबंधात्मक आदेश'' कारखाना प्रबंधन को जारी किया गया था? यदि हां

तो क्या? **(ग)** प्रश्नांक 'क' अनुसार निरीक्षण उपरांत जारी आदेश / सुझाव का पालन कारखाना प्रबंधन के द्वारा किया गया है अथवा नहीं? इसे पुनः कब परीक्षण कर किस अधिकारी द्वारा जांचा गया है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) जी हां, श्रम विभाग द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 एवं विभिन्न श्रम अधिनियमों के अतंर्गत माह नवम्बर 2024 से जनवरी 2025 के मध्य में कारखाना जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड सिलतरा रायपुर के विभिन्न प्रभाग जैसे ब्लास्ट फर्नेस, पावर प्लांट, स्टील प्लांट तथा फ्लैट प्रोडक्ट डिवीजन में निरीक्षण किया गया है। उक्त निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियां तथा इस पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे संशोधित प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख)** जी हां, कारखाना अधिनियम, 1948 अंतर्गत निरीक्षण उपरांत जांचकर्ता अधिकारी द्वारा कारखाने में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था। **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'ब' अनुसार है। (ग)** जी हां, उक्त अवधि में निरीक्षण उपरांत जारी निर्देश/सुझाव का कारखाना प्रबंधन द्वारा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा परीक्षण किया गया है।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत आभार। मैंने माननीय मंत्री जी से सवाल पूछा था, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रतिबन्धात्मक आदेश जो जारी होता है, उस पर क्या कार्यवाई की जाती है? आपने कहा है कि ये जो जांच के विषय में मैंने लिखा था उसका परीक्षण किया गया, किस अधिकारी द्वारा और कब किया गया?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य तीन महीने के अंतराल में जांच की पूछ रहे हैं, उसमें 23 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। हम लोगों ने बहुत ज्यादा जांच की है और जो अधिकारी का नाम पूछ रहे हैं, मैं अधिकारी का भी नाम बताना चाहता हूं।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैंने पूछा कि प्रतिबन्धात्मक कार्यवाई में जब आदेश जारी होता है तो क्या कार्यवाई करते हैं? बाद में जब कंप्लायंस पूरे कर दिए गए तो फिर किसने जांच की? बस मेरा दो लाइन का पॉइंटेड प्रश्न है।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हैं तो हमारे औद्योगिक सुरक्षा स्वास्थ्य के अधिकारी रहते हैं। श्रम विभाग की अलग-अलग कानून में, धारा में अलग-अलग जांच अधिकारी जाते हैं। गलत पाया जाता है तो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हैं। फिर उनके द्वारा जवाब दिया जाता है और विभाग उससे संतुष्ट हो जाता है तो जो प्रतिबंधात्मक धारा रहती है, उसको हटा दिया जाता है। निश्चित तौर पर निरंतर रूप से जांच हो रही है।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, टोटल 71 शिकायतें थीं, तीन दिन के अंदर सारी चीजें दूर हो गईं। प्रतिबंधात्मक आदेश में लिखा है कि पल्वराइज्ड कोल इंजेक्शन संयंत्र पर किए जा रहे कार्य को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक रोकने का निर्देश देता हूं। एक सेकंड के लिए भी नहीं

रोका गया। इसके बाद जब मैं माननीय मंत्री जी से सवाल पूछता हूं तो मंत्री जी कहते हैं कि आप लिख कर दे दीजिए, जांच करा देंगे।

सभापति महोदय :- अनुज जी, समय हो रहा है जल्दी पूछिए।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय मंत्री जी, ये 2025 का चिट्ठी लिखा हुआ है, आज तक इसका जवाब आपके विभाग ने नहीं दिया। आप तो कह देते हैं, आपके अधिकारी मुझे कोई जवाब नहीं देते। क्या मेरी मौजूदगी में जांच कराएंगे? बस इतना चाहता हूं।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, शिकायत में निश्चित तौर पर जांच हुई है।

श्री अनुज शर्मा :- क्या आप हम जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आप जांच कराएंगे? माननीय मंत्री जी समय कम है ।

श्री लखनलाल देवांगन :- एक मिनट बताने दीजिए। ऐसा जांच कराने का प्रावधान नहीं है कि हम किसी जनप्रतिनिधि को लेकर जांच अधिकारियों के साथ जाएं। हम ऐसा जांच नहीं करते।

श्री अनुज शर्मा :- कैसे नहीं होगा ? हम जनप्रतिनिधि हैं।

श्री दिलीप लहरिया :- डबल इंजन में कैसे जांच होगी ? डबल इंजन में जांच थोड़ी होती है।

श्री रामकुमार यादव :- डिब्बा बदले जाथे, जांच नई होए।

श्री दिलीप लहरिया :- डिब्बा बदलेगा।

श्री भूपेश बघेल :- ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, लेकिन मंत्री जी तो ऐसे हैं कि कलेक्टर को भी कुछ काम करने के लिए आदेश नहीं दे सकते।

सभापति महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

समय :

12.00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25.

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 13 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 पटल पर रखता हूं।

(2) छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024.

वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- माननीय सभापति महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 पटल पर रखता हूं।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025.

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :- माननीय सभापति महोदय, मैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2006) की धारा 36 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2009 के नियम 20 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखती हूं।

सभापति महोदय :- शून्यकाल।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था से संबंधित विषय है। आज अनुदान मांगों पर जो चर्चा है, उसमें प्रथम क्रमांक में वित्त विभाग की चर्चा है और द्वितीय क्रमांक में कृषि विभाग की चर्चा है। मेरा आपसे आग्रह है कि कृषि विभाग को प्रथम क्रमांक में लिया जाए।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, जब मंत्री जी अनुपस्थित होते हैं या किसी कारण से बाहर रहते हैं तो ऐसा होता है। मंत्री जी तो यहां उपस्थित हैं।

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, मंत्री जी को एक बैठक में जाना है और मुझे पता चला कि आप भी कहीं जाने वाले हैं और दोपहर के बाद जब वापसी में आएंगे तो फिर अच्छे से चर्चा करेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- मंत्री जी, आप बहुत जानकारी रखते हैं। surveillance रखते हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा surveillance तो रखते हो, लेकिन आपके विधायक को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और कल से मैंने सदन में इस बात को उठाया है। अभी भी मैं शून्यकाल में कह रहा हूं कि आखिर उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है?

श्री अनुज शर्मा :- सभापति महोदय, मैं इससे सहमत हूं।

श्री भूपेश बघेल :- वह सत्ताधारी विधायक हैं और उनकी जान को खतरा है। सरकार की तरफ से इस पर वक्तव्य आना चाहिए। आपके विधायक सुरक्षित नहीं हैं।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मेरी माननीय विधायक जी से चर्चा हुई है। मैंने विधायक जी से पूरी चर्चा की है और उसमें जो भी नियमतः होगा, उस पर हम कार्रवाई करेंगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। विधान सभा का सत्र चल रहा है। हम लोगों को न्यूज पेपर से यह पता चलता है कि हमारे सम्माननीय सदस्य को जान का खतरा है और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। हमको पत्रिकाओं के माध्यम से इस बात की जानकारी मिली है। यह व्यवस्था हुई है और पहले भी इस तरह के केस हुए कि जब हमारे सदस्य ने इस बात को कहा कि उनकी जान को खतरा है तो यहां सरकार ने वक्तव्य दिया है। हमारी पहले यह व्यवस्था बनी है तो मैं आपसे यह व्यवस्था की मांग कर रहा हूं कि कम से कम इस विषय में सरकार से वक्तव्य आए।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, उनको कुछ ब्लैक कमांडो की सुरक्षा भी दी जाए। (हंसी)

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, उनको बाउंसर दिया जाए।

सभापति महोदय :- माननीय महंत जी, संसदीय कार्य मंत्री जी का कुछ आग्रह है। क्या आप सहमत हैं कि कृषि विभाग को पहले लिया जाये? रामविचार जी को कहीं जाना है।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- जी।

सभापति महोदय :- वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों पर चर्चा में आज की कार्यसूची के पद 5 के उपपद 1 में श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री के विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर पद 5 के उप पद 2 में श्री रामविचार नेताम, कृषि मंत्री के विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर तथा पद 5 के उप पद 3 में श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री के विभागों से संबंधित चर्चा रखी गई है। माननीय श्री रामविचार नेताम, कृषि मंत्री जी द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार उनके विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री जी के विभागों से पहले कराई जाए। इस संबंध में माननीय वित्त मंत्री जी तथा संसदीय कार्य मंत्री जी के साथ-साथ प्रतिपक्ष की ओर से भी

सहमति व्यक्त की गई है, अतः श्री रामविचार नेताम, कृषि मंत्री के विभागों से संबंधित चर्चा पहले ली जाएगी। मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैंने आपसे व्यवस्था का प्रश्न किया है कि इस तरह की व्यवस्था पहले आयी है।

सभापति महोदय :- आपने संज्ञान में ला दिया है और वह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। सरकार की ओर से सब बैठे हुए हैं।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, इसी तरह की व्यवस्था पहले भी बनी थी, तब सरकार ने वक्तव्य दिया था।

सभापति महोदय :- श्रीमती कविता प्राण लहरे अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ेंगी।

श्री लखेश्वर बघेल :- मंत्री जी, क्या बात हुई है यह सदन जानना चाहता है, इसलिए आप अपना वकत्वय दे दीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- जब सत्ता पक्ष के लोगों की आप मन सुरक्षा नइ कर सकत हस तो हमर कैसे करबे जब तुमन एती हो जाबे तहान।

सभापति महोदय :- आप पूछ रहे हैं। अब मैं आसंदी में हूं इसलिए इस बात को बोलना ठीक नहीं है। आप जिस सदस्य के बारे में बोल रहे हैं, इस प्रकार की कोई सूचना सदन को नहीं मिली है। यदि ऐसी कोई सूचना आती है तो मैं जरूर इस बात का जिक्र करता।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, पिछले सत्र में इसी तरह की एक बात आयी थी जिसमें सरकार ने अपना वक्तव्य दिया था। यह व्यवस्था इस सदन में पहले भी बनी है।

सभापति महोदय :- उमेश पटेल जी, वह दूसरा विषय था। इस सदन में आप भी बैठे हुए थे और मैं भी बैठा हुआ था। एक ने दूसरे सदस्य के ऊपर बैठे-बैठे ही आरोप लगा दिया था। वह आपकी जानकारी में है।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, यह भी तो उनकी सुरक्षा की बात है। जब विधान सभा सत्र चल रहा है और विधायक सुरक्षित नहीं है और उनको ऐसा एहसास है तो सरकार को तो वक्तव्य देना ही पड़ेगा।

सभापति महोदय :- उस समय एक सदस्य ने ही दूसरे सदस्य के ऊपर आरोप लगा दिया था । इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि माननीय सदस्य की ओर से सूचना नहीं है। यदि सूचना आती तो मैं जरूर इस बात के लिए मंत्री जी से आग्रह करता।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, या तो आप उन्हीं से बोलवा दीजिये।

सभापति महोदय :- श्रीमती कविता प्राण लहरे, अपना ध्यानाकर्षण पढ़िये।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, या तो उनको अनुमति दिलवा दीजिये कि वह बता दें।

श्री रामकुमार यादव :- वह सदस्य इसीलिए डर में खुद गायब हैं। वह कांप रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, लेकिन यदि विधायक सुरक्षित नहीं है तो यह सदन कैसे चलेगा ? यह सदन चल ही नहीं सकता।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय सभापति महोदय, यह गंभीर विषय है। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, ओकर गोड़ हाथ कांपत हे।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, विधायक जी स्वयं बोल रहे हैं कि वह असुरक्षित हैं।

श्री केदार कश्यप :- विधायक पूरी तरह से सुरक्षित है। आपकी सरकार में जिस तरीके से हुआ था, उसको पटल पर मत लाईये।

श्री विक्रम मण्डावी :- सभापति महोदय, यह गंभीर विषय है। इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य से इस सदन में बोलवा लीजिये। उनसे समझ लीजिए कि कौन क्या चाह रहा है।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य से बोलवाने की आवश्यकता नहीं है। यदि माननीय सदस्य अपने मन से कभी इस बात की ओर अवगत कराये होते तो मैं जरूर इस बात का आग्रह करता। श्रीमती कविता प्राण लहरे, अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ेंगी।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मैं तो आपको जानकारी दे रहा हूं कि माननीय सदस्य असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर कोई माननीय सदस्य असुरक्षित महसूस कर रहा है तो सदन कैसे चलेगा ?

श्री रामकुमार यादव :- उमेश जी, मोला पता चलत हे कि ओ मन खाना पीना छोड़ देवत हे। मैं हर अभी ओकर से मिले रेहेव।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, उमेश भैया अपनी सरकार मैं वैसे ही भयभीत है और वह आज उसका प्रदर्शन कर रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, यदि माननीय सदस्य असुरक्षित है तो इस सदन को चलाने का कोई मतलब ही नहीं है।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय सभापति महोदय, बात एक विधायक की नहीं है, सभी विधायकों को सुरक्षा चाहिए।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, आप उनको यहां सदन में बुलवा लीजिये और यहीं उनसे वक्तव्य दिलवा दीजिये। यह बहुत गंभीर विषय है।

श्री रामकुमार यादव :- जनता जनार्दन के ये मन का सुरक्षा करही ?

सभापति महोदय :- श्रीमती कविता प्राण लहरे, आप अपने ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़े। आप सदन चलाने में सहयोग करें।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, उमेश पटेल जी अपनी सरकार में भयभीत थे।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, यदि माननीय सदस्य सुरक्षित नहीं है तो इस सदन के लिए उससे बड़ा कोई विषय हो ही नहीं सकता ।

सभापति महोदय :- आप जिस बात का उल्लेख कर रहे हैं, सदन में वह बात कहीं नहीं है। आप जहां तक समाचार पत्रों का उल्लेख करेंगे, समाचार पत्र को ऑथेंटिक नहीं माना गया है कि समाचार पत्र पढ़कर आप उस बात का संकेत करें। यदि माननीय सदस्य की ओर से लिखित में कुछ आयेगा तो वे आसंदी को, विधान सभा को अवगत करायेंगे। आपने निश्चित रूप से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है, मंत्री जी विचार करेंगे और आपकी बात को गंभीरता से लिये हैं। आप सदन चलाने में सहयोग करें। श्रीमती कविता प्राण लहरे।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ?

सभापति महोदय :- मैं उत्तेजित नहीं हो रहा हूं। भूपेश जी, मैं उत्तेजित इसलिए नहीं हूं क्योंकि जिस बात को बार-बार उमेश जी बोल रहे हैं। मेरा यह कहना है कि यदि माननीय सदस्य की ओर से किसी प्रकार की सूचना आयी होती तो मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से या गृह मंत्री जी से इस बात के लिए वक्तव्य दिलवाता। लेकिन आपका धन्यवाद कि आपने सरकार को इस बात का ध्यानाकर्षण करा दिया है।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि यह बात कल हुई थी और मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि इस प्रकार से वीडियो चल रहे हैं और इस प्रकार की संभावना है इसीलिए कल गृह मंत्री जी के विभाग में चर्चा के दौरान मैंने सबसे पहले यह बात उठाई थी कि हमारे एक सदस्य के साथ इस तरह की स्थिति हो रही है। चूंकि मैंने यह मामला कल ही कह दिया था और आज उसके बाद भी हम मंत्री जी से उम्मीद कर रहे थे कि मंत्री जी विभागीय उत्तर दे रहे थे, उस समय जवाब देंगे, लेकिन कल भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसलिए आज उमेश जी बार-बार कह रहे हैं कि कल मंत्री जी के संज्ञान में आ गया, उसके बाद भी कुछ नहीं बोल रहे हैं और किसी न किसी माध्यम से सदन में यह बात आ चुकी है। अब तो कम से कम सत्तापक्ष की ओर से जवाब आ जाये। वह विधायक डर के मारे सदन में नहीं हैं, हम तो ये कह रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- वोहा कांपत हे।

श्री भूपेश बघेल :- वह यहां क्यों नहीं हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- विधायक जी बाहर बैठे हुए हैं।

श्री भूपेश बघेल :- तो फिर वह आ क्यों नहीं रहे हैं ? जब विवाद है तो उनको बुला लीजिए।

श्री केदार कश्यप :- उनसे हमारी बात हुई है। मेरी उनसे व्यक्तिगत तौर पर बात हुई है। ऐसा कोई विषय नहीं है। विपक्ष जबरदस्ती इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी बोल भी रहे हैं कि यहीं हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं। इसका मतलब यह है कि संसदीय कार्य मंत्री जी उसे दबाव में रखे हुए हैं कि आये मत, बोले मत। आप दबाव में रखे हैं तभी नहीं आ रहे हैं। जब आप बोल रहे हैं कि यहां विधान सभा परिसर में हैं तो सदन के भीतर में क्यों नहीं आ रहे हैं ? सभापति महोदय, जो आरोप लग रहा है, वह सही लग रहा है। माननीय सदस्य यदि डर में हैं, भय में हैं तो फिर सदन कैसे चलेगा ? यही बात तो कह रहे हैं। जब तक ये निकाकृत न हो, हम लोग सदन की कार्यवाही में भाग कैसे लेंगे ? पहले उनका वक्तव्य हो जाये, आप उनको बुला लीजिए, उनका वक्तव्य लीजिए, तब हम लोग सदन में भाग लेंगे। इसके पहले हम लोग सदन में भाग नहीं लेंगे। हम क्षमा चाहते हैं।

समय

12.11 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>माननीय सदस्य का वक्तव्य नहीं आने के विरोध में</u>

(डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा माननीय सदस्य श्री रिकेश सेन का वक्तव्य नहीं आने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

श्री केदार कश्यप :- माननीय सदस्य कहीं पर कोई ऐसी स्थिति नहीं है। बल्कि कल आप लोग भाग गये। माननीय सभापति महोदय, माननीय भूपेश बघेल जी को कहीं बाहर जाना है और वह सब विधायकों को अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं। यह तो पूरा सदन देख रहा है कि कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका की दृष्टि से किस तरीके से उनको दबाने की कोशिश की जा रही है।

सभापति महोदय :- श्रीमती कविता लहरे अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढेंगी।

श्रीमती कविता प्राण लहरे :- माननीय सभापति महोदय, मैं सदन में आपकी अनुमति से सरकार का ध्यान प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय की ओर आकर्षित करना चाहत हवं। ये विषय केवल स्वास्थ्य व्यवस्था से नहीं बल्कि प्रदेश के गरीब, किसान, मजदूर, माताओं और बहन मन के जीवन से जुड़े हुए सम्मान के हे।

सभापति महोदय :- आपक जो ध्यानाकर्षण सूचना स्वीकृत हुई है, वह पढ़िये न।

श्रीमती कविता प्राण लहरे :- माननीय सभापति महोदय, सदन के माध्यम से आप ला बताना चाहिहौं कि जो आयुष्मान कार्ड के बारे में मैं ध्यानाकर्षण लगाये रहेवं, आकर जवाब अभी दो मिनट पहले ही सदन में मोर पास पहुंचिस।

सभापति महोदय :- ध्यानाकर्षण का ये हैं कि आप जो ध्यानकर्षण की सूचना दी हैं, उसको आप पहले पढ़ेंगी।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- ओला पहले पढ़ न ओ, जब तो जवाब दूहूं।

समय :

12:13 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) प्रदेश के निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्डधारी मरीजों का इलाज नहीं किया जाना।

श्रीमती कविता प्राण लहरे (बिलाईगढ़) :- माननीय सभापित महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :- छत्तीसगढ़ सरकार में एक ओर सरकार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत रुपये 5,00,000 तक नि:शुल्क उपचार का दावा रकती है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत बिल्कुल विपरीत है। प्रदेश के अनेक निजी अस्पताल आयुष्मान कार्डधारी मरीजों का इजाज करने से इंकार कर रहे है। विशेष रूप से डिलीवरी, गंभीर बीमारियों तथा अन्य आवश्यक उपचारों में मरीजों को वापस लौटा दिया जा रहा है। अस्तपाल संचालाकों का स्पष्ट कहना है कि वर्ष 2022-23 से आयुष्मान योजना के अंतर्गत किए गए उपचार का भुगतान अब तक लंबित है। शासन द्वारा 46 दिनों में भुगतान करने का प्रावधान होने के बावजूद अस्पतालों को वर्षों तक राशि प्राप्त नहीं हो रही है। परिणामस्वरूप अस्पताल प्रबंधन कर्मचारियों को वेतन देने, दवाइयों की आपूर्ति बनाए रखने और नियमित संचालन करने में असमर्थ हो रहे हैं। यही कारण है कि कई अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड से इलाज करना बंद कर दिया है। सबसे चिंताजनक स्थिति प्रसूति सेवाओं की है। डिलीवरी पैकेज की अस्पष्टता अथवा अपर्याप्तता के कारण गर्भवती महिलाओं को भी उपचार से वंचित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त डेंटल उपचार को आयुष्मान योजना में शामिल नहीं किया गया है, जिससे गरीब और जरूरतमंद नागरिक दंत रोंगों के इलाज से वंचित हैं। समय पर उपचार न मिलने से कई मामलों में मरीजों की जान तक चली जा रही है। यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि गरीबों के जीवन के साथ अन्याय है। जिससे जनमानस में शासन के प्रति रोष एव आक्रोश व्याप्त है।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि आज मेरे सवालों का जवाब...।

सभापति महोदय :- आप बैठिए न । मंत्री जी का उत्तर पहले आ जाये फिर आप प्रश्न करें ।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो माननीय सदस्य कविता प्राणलहरे जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ अपने क्षेत्र के लिये और प्रदेश के स्वास्थ्य की चिंता के लिये अकेले डटी हुई हैं ।

माननीय सभापति महोदय, यह कहना सही है कि सरकार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5,00,000 तक नि:शुल्क उपचार का दावा करती है किंतु यह कहना सही नहीं है कि जमीनी हकीकत बिल्कुल विपरीत है । प्रदेश के अनेक निजी अस्पताल आयुष्मान कार्डधारी मरीजों का ईलाज करने से इंकार कर रहे हैं । विशेष रूप से डिलीवरी, गंभीर बीमारियों तथा अन्य आवश्यक उपचारों में मरीजों को वापस लौटा दिया जा रहा है ।

वस्तुस्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 01 मार्च, 2026 तक कुल 13.38 लाख प्रकरणों पर उपचार प्रदान किया गया है जिनमें से कुल 4.91 लाख प्रकरणों पर कुल राशि रूपये 1,485 करोड़ से अधिक की राशि का उपचार निजी असपतालों द्वारा किया गया है जिसमें गंभीर एवं अन्य आवश्यक उपचार भी शामिल हैं । भारत सरकार द्वारा सामान्य डिलीवरी के पैकेज को आयुष्मान योजना में शामिल नहीं किया गया है तथापि राज्य सरकार के शासकीय अस्पतालों को सामान्य डिलीवरी पैकेज में रूपये 3,500 प्रदाय किया जाता है । योजना में वर्ष 2025-2026 में डिलीवरी पैकेज में 1.5 लाख प्रकरण दर्ज किए हैं ।

यह कहना सही नहीं है कि अस्पताल संचालकों का स्पष्ट कहना है कि वर्ष 2022-23 से आयुष्मान योजना के अंतर्गत किए गए उपचार का भुगतान अब तक लंबित है । शासन द्वारा 45 दिनों में भुगतान करने का प्रावधान होने के बावजूद अस्पतालों को वर्षों तक राशि प्राप्त नहीं हो रही है । परिणामस्वरूप अस्पताल प्रबंधन कर्मचारियों को वेतन देने, दवाईयों की आपूर्ति बनाए रखने और नियमित संचालन करने में असमर्थ हो रहे हैं । यही कारण है कि कई अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड से ईलाज करना बंद कर दिया है वस्तुस्थिति यह है कि योजनांतर्गत क्लेम प्रकरणों के परीक्षण उपरांत भुगतान योग्य प्रकरणों का नियमित भुगतान किया जा रहा है ।

योजनांतर्गत पंजीकृत निजी अस्पतालों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में रूपये 840 करोड़ राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 में रूपये 1,204 करोड़, वित्तीय वर्ष 2024-25 में रूपये 1,265 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में रूपये 1,017 करोड़ का भुगतान किया गया है । परीक्षण में कुछ प्रकरणों के ऑडिट में होने, अस्पताल के बैंक खाते की ऑनलाईन जानकारी में त्रुटि होने तथा तकनीकी कारणों से भुगतान के कुछ प्रकरण लंबित हैं । राशि की उपलब्धता के अनुसार अस्पतालों को निरंतर भुगतान किया जा रहा है ।

यह कहना सही नहीं है कि सबसे चिंताजनक स्थिति प्रसूति सेवाओं की है । डिलीवरी पैकेज की अस्पष्टता अथवा अपर्याप्तता के कारण गर्भवती महिलाओं को भी उपचार से वंचित किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त डेंटल उपचार को आयुष्मान योजना में शामिल नहीं किया गया है जिससे गरीब और जरूरतमंद नागरिक दंत रोगों के ईलाज से वंचित हैं । समय पर उपचार न मिलने से कई मामलों में

मरीजों की जान तक चली जा रही है जबकि वस्तुस्थिति यह है कि योजनांतर्गत डिलीवरी के पैकेज स्पष्ट हैं, शासकीय अस्पतालों एवं हितग्राही महिलाएं प्रदेश के मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसूति सेवाओं का लाभ उठा रही हैं । भारत सरकार द्वारा दंत रोगों के सामान्य ईलाज के पैकेज को योजना में शामिल नहीं किया गया है परंतु दुर्घटना जन्य एवं मुख कैंसर के जटिल ईलाज योजना में Oral and Maxilofacial Surgery अंतर्गत शामिल हैं जिससे आयुष्मान में उपचार से गंभीर मरीजों की जान बचाई जा सकी है ।

प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजनांतर्गत समय पर एवं सुगमता से उपचार मिल रहा है। जिससे जनमानस में शासन के प्रति किसी प्रकार का रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न करें ।

श्रीमती कविता प्राण लहरे :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी हर सवाल के जवाब तो पढ़ दीस हे। मैं आपसे निवेदन करथौं कि कोई भी जानकारी, अगर कोई सदस्य ध्यानाकर्षण लगाए हे ओकर जवाब समय से पहिली दे दिया जाये ता ओ सदस्य हा तैयारी करके आही। मोला दो मिनट पहिली जवाब मिले हे, जेला में पढ़ भी नहीं पाएव। जिस प्रकार से महिला मन के डिलीवरी के बारे में बोलत हे तो महिला मन अइसे अस्पताल में जाथे, लेकिन उहां मना कर दिये जाथे। ए प्रदेश स्तर के बात हे, जहां तक में जानत हौं, मोर बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कई जगह अइसे घटना घटे हे जेमा जच्चा-बच्चा दोनों मौत से गले लगा ले हे। अइसे में कइसे चल पाही, अइसे में हमर नारी शक्ति मन ला कइसे न्याय मिल पाही । रही बात ईलाज के तो आप मन ला एक डेंटल समस्या भी बतात हौं। दांत के दर्द से गरीब मजदूर मन इतना परेशान रहिथे, जो अपन ईलाज करवाए के बजाए ओला तोड़वाना पसंद करथे । काबर उहां आयुष्मान कार्ड के कोई इस्तेमाल हो ही नहीं पावत हे। अउ दांत के दर्द के कारण बहुत सारे बहन बेटी मन के शादी नइ हो पावत हे, ओ मन भी सब कुंवारी पड़े हे। ए मोर विधान सभा के बात हे। ए गंभीर मैटर हे। एला आप मन संज्ञान में लेवव।

सभापति महोदय :- आप माननीय मंत्री जी से प्रश्न करना।

श्रीमती कविता प्राण लहरे :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके अनुमति से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहत हौं वर्ष 2022-2023 से अब तक प्रदेश में कितने निजी अस्पताल में आयुष्मान योजना के अंतर्गत भुगतान लंबित है और यह लंबित राशि कितनी है, आप बताये के थोड़ा कष्ट करतेव ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में आयुष्मान योजना के अंतर्गत लगभग जो राशि है हम लोगों ने जनवरी तक का भुगतान कर दिया है। वर्तमान में 500 करोड़ के आसपास की राशि देना शेष है। बाकी हम लगातार पिछले समय में जब 31 दिसम्बर 2023 की

स्थिति में 1500 करोड़ रूपये का भुगतान देनदारी थी, उसको देने के बाद हमने जनवरी तक का दे दिया है, जो डेढ-दो महीने का है वह लगभग 500 करोड़ के आसपास देनदारी शेष है जो अभी प्रक्रिया में है और हम समय-समय पर भुगतान कर रहे हैं।

श्रीमती कविता प्राण लहरे :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहत हौं जब सरकार 45 दिन में भुगतान करे के वादया करे रिहिस हे तो फिर वर्षों तक भुगतान काबर हे, आप थोड़ा जवाब दे दव ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय,कई प्रक्रियाएं होती हैं जैसे 45 दिन की समय-सीमा उस अधिनिमय में है और हम 45 दिन में प्रयास भी करते हैं और उसका भुगतान भी करते हैं जैसे हमने अभी जनवरी तक का भुगतान कर दिया है तो अभी फरवरी-मार्च माह है। हम इसकी प्रक्रिया कर रहे हैं। परन्तु उसकी जो इंट्री है और जो हमारी अन्य प्रक्रियाओं में थोड़ा टाईम लगता है, परन्तु हम लगातार भुगतान कर रहे हैं। यहां भुगतान के अभाव में किसी भी प्राईवेट नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में ईलाज अवरूद्ध नहीं है।

श्रीमती कविता प्राण लहरे :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से एक आखिरी सवाल हे। डिलीवरी पैकेज ला आयुष्मान योजना में नारी शक्ति मन के लिए शामिल करे के मांग करथौं। का आप एला करहौ। आप सदन के माध्यम से एला घोषणा कर देतेव तो आपके बहुत आभारी रहितेव।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य महोदया ने जो चिंता की है वह बहुत जायज है, लेकिन मैं माननीय सदस्य महोदया को बताना चाहूंगा कि यह भारत सरकार का निर्णय है, जो डिलीवरी के प्रकरण हैं उसको आयुष्मान योजना के पैकेज से बाहर कर दिया गया है, परन्तु मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रदेश सरकार ने जो हमारे शासकीय हॉस्पिटल्स हैं उसमें इस योजना के तहत 3500 रूपये का भुगतान करते हैं और पूरे वर्ष 2025-2026 में 1 लाख 66 हजार 776 ऐसी बहनों को हमारी आयुष्मान योजना का लाभ मिला है जिसमें अभी तक हम लोगों ने 119 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान किया है। इसी प्रकार पिछले साल की बात करूं तो सरकारी हॉस्पिटलों में इस आयुष्मान पैकेज से 1 लाख 81 हजार 318 महिलाओं की डिलीवरी हुई है इसमें 130 करोड़ की राशि भुगतान की गयी है। मैं माननीय सदस्य को यह बताना भी चाहूंगा।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, माननीय सदस्य की दो चिंता हे । एक तो बैलेंस के कारण अस्पताल में ईलाज करने में आना-कानी कर रहे थे । जिसका लाभ मिलना चाहिए था, पर किसी-किसी अस्पताल में नहीं मिला है । उन्होंने अपने विधान सभा क्षेत्र की भी चिन्ता की, प्रदेश की भी चिन्ता की । दूसरा, डिलीवरी के संबंध में है । मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट में भी लगभग 1500 करोड़ रूपए प्राप्त हो गया है, बैलेंस भी बहुत ज्यादा नहीं है । जो अस्पताल पंजीकृत हैं, खासकर प्राईवेट

हॉस्पिटल, वहां इसका लाभ पूर्ण रूप से मिले । उसको विभागीय स्तर पर निर्देशित करवा देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, यह आपकी भी चिन्ता है, हम लोग भी चिन्ता कर रहे हैं । माननीय सदस्या पहली बार पूछ रही हैं । उनकी चिंता यह है कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा ईलाज नहीं होता है क्योंकि उसमें पेमेंट नहीं हुआ है । आखिर जब सरकार का नियम है, नीति है, पैसा है तो इसमें देरी क्यों होती है ? इस देरी को कम करने के लिए आप सदन में आश्वस्त करें । दूसरा, जचकी या डिलीवरी वगैरह का मामला है, उसमें और क्या सुविधा दे सकते हैं, उसके बारे में बोलिए । खास करके इनके जिले में यहां पर आयुष्मान कार्ड से ईलाज नहीं हो पा रहा है, उसको स्पेशिफिक रूप से आप चेक करवा लीजिए और मदद करिए । यह योजना गरीबों के लिए है । आप गरीबों के लिए बजट भी लेकर आये हैं, माननीय वित्तमंत्री जी ने पैसा भी दिया है । आप बहुत सक्षम मंत्री हैं, किसी बात को बिल्कुल गंभीरता से लेते हैं तो इस ओर विशेष रूप से ध्यान में लीजिए । उनकी मंशा गरीबों को चिकित्सा सुविधा दिलाने की है, गरीबों को आयुष्मान कार्ड का फायदा मिले । वह सरकार के खिलाफ या हमारे खिलाफ या आपके खिलाफ बात नहीं कर रही हैं, उनकी मंशा बहुत पवित्र है इसलिए उस पवित्र मंशा को क्रियान्वित करने के लिए आप सदन को आश्वस्त कर दीजिए, ताकि इसी के माध्यम से सभी के क्षेत्रों में इसका लाभ और इसकी सुविधा मिल सके । सभापति जी, आपने बहुत सही विषय उठाया है । इनकी चिंता यही तो है और हम लोग भी समझ रहे हैं इसलिए हम लोग भी उनकी बात को अपनी आवाज देकर आप तक पहुंचाना चाहते हैं ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैंने शुरूआत में ही माननीय सदस्य को धन्यवाद कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य की चिंता की, उन्होंने अपने दल की भी चिंता नहीं की, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं । माननीय धर्मजीत सिंह जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने भी चिंता व्यक्त की है । सभापति महोदय, आपने भी आसंदी से भी और व्यक्तिगत प्रदेश के और क्षेत्र के जनप्रितनिधि होने के नाते आपकी भी चिंता है, मेरी भी चिंता है, लेकिन आयुष्मान योजना से अभी हमारी सरकार में ही नहीं, पूरे देश में जो दांत, आंख और डिलीवरी के केसेस हैं, इन पैकेज को प्राईवेट से अलग किया है क्योंकि पूर्व में भी इसकी जांच में काफी दुरूपयोग होती रही है । लेकिन हम प्राईवेट की तर्ज पर ही जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहां हमने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाई हैं और पूरे प्रदेश में जैसा कि मैंने डाटा बताया कि 1,66,000 डिलीवरी हमने सरकारी हॉस्पिटलों में की है । दूसरी जो चिंता पेमेंट की है । मैं बताना चाहूंगा कि 1500 करोड़ रूपए पेंडिंग थे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट । मंत्री जी, आपने जो डाटा बताया है कि हम डिलीवरी को ठीक कर रहे हैं और 1,66,000 डिलीवरी करवायी है । क्या आप कह सकते हैं कि 100 परसेंट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी छत्तीसगढ़ में होती है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- 100 परसेंट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी छत्तीसगढ़ में नहीं हो रही है, लेकिन 99 प्रतिशत के नियर एबाऊट हमारे यहां इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं हो रही है तो जो 100 परसेंट हो, उसके लिए फिर आप बोलिए । 66 परसेंट करवाते हैं, 65 परसेंट करवाते हैं, 62 परसेंट करवाते हैं । 100 परसेंट डिलीवरी करवाने के लिए यह कार्य योजना हो और इतने दिन में हम 100 परसेंट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लक्ष्य को पाएंगे ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सदस्य ने जो बात कही है, इसमें मैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर अभी जवाब नहीं दे रहा हूं । अभी तो आयुष्मान कार्ड पर बात हो रही है । मैंने 1,66,000 डिलीवरी का डाटा बताया, उस आयुष्मान का लाभ हमने दिया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन आपकी कृपा हो तो आपका ध्यानाकर्षित करवा देता हूं । आप उत्तर देते हैं, उस विषय में उसका उल्लेख होता है, लेकिन उसके उल्लेख में प्रति प्रश्न नहीं हो सकता, यह व्यवस्था मंत्रीगण देते हैं । यदि आपको पूरक प्रश्न नहीं चाहिए तो आप उल्लेख मत करिए और उल्लेख करते हैं तो उसमें पूरक प्रश्न होंगे और पूरक प्रश्न होंगे तो उसमें व्यवस्था आप नहीं दे सकते, व्यवस्था आसंदी देगी कि आप किसमें जवाब दे रहे हैं और आप किसमें जवाब नहीं दे रहे हैं ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैंने उस पर कोई आपत्ति नहीं की है कि प्रश्न क्यों पूछा। मैं बकायदा जवाब दे रहा हूं और जवाब दे सकता हूं।, मैं सक्षम व्यक्ति हूं। लेकिन जो प्रश्न था मैंने उसका डाटा बताया है। उन्होंने 1 लाख 66 हजार डाटा को कोड किया है। जो आयुष्मान से लाभन्वित हुए हैं, उनका डाटा है। अभी तक हमारा संस्थागत प्रसव 99 प्रतिशत था, मैंने कहा था, मैं उसको संशोधित करता हूं। हम अभी 86 प्रतिशत तक पहुंचे हैं। हमारा लक्ष्य नीचे में जो प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र और उससे नीचे उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उसको कर रहे हैं।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रदेश के जो नामी-गिरामी, ब्राण्डेड अस्पतालें हैं, वे आयुष्मान में शामिल नहीं हैं। मैं बिलासपुर अपोलो की ही बात कर रहा हूं। यहां के भी कुछ अस्पतालें हैं, जिसके कारण लोगों को बाहर जाना पड़ता है। क्योंकि एक बड़ी बीमारी के लिए मध्यम वर्ग के लोग जाना नहीं चाहते हैं, मैं कोई टिप्पाणी नहीं करूंगा। क्या आपकी सरकार का कोई कन्ट्रोल उन अस्पतालों के ऊपर है या नहीं है ? क्या आप कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते हैं ?

श्री श्यातम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने काफी अच्छा सुझाव और चिंता भी जाहिर की है।

श्री अमर अग्रवाल :- नहीं-नहीं, मैं सुझाव नहीं दे रहा हूं। क्यों लागू नहीं हुआ ? यदि आपको पैकेज रिवाइज करना है तो स्पेशल परमिशन लेकर करिये। यदि छत्तीसगढ़ में अस्पताल हैं तो उनको शासन का आदेश मानना पड़ेगा, आप यह सुनिश्चित करेंगे या नहीं करेंगे ?

श्री रिकेश सेन :- माननीय सभापति महोदय, मैं इसी में कहना चाहता हूं कि भिलाई में एक बड़ा अस्पसताल है, वह हमारे पास सोर्स लगाने आते हैं कि मेरा आयुष्मापन कार्ड सस्पेण्ड हो जाये, ऐसा कुछ मंत्री जी को बोल दीजिये, अधिकारियों को बोल दीजिये तो ऐसा क्यों ? आज तक यह क्यों लागू नहीं है। वहां के किसी भी अस्पाताल में लागू नहीं है।

सभापति महोदय :- ठीक है। बैठ जाईये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, आयुष्मान, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और 'शहीह वीर नारायण योजना आयुष्मान स्वास्थ्य योजना' में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम किसी भी अस्पताल को जबर्दस्ती कर सकते हैं। परन्तु छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल करने हेतु जो सदस्य की चिंता है, उन्होंने जिस बात को उठाया है, हम उसमें लगातार प्रयासरत हैं। हमारे विभाग की ओर से अपोलो को पत्राचार किया गया है।

श्री अमर अग्रवाल :- नहीं,नहीं। माननीय सभापति महोदय, मैंने कब कहा कि आयुष्मान में प्रावधान नहीं है। लेकिन जब छत्तीसगढ़ की सरकार वह योजना चला रही है, हमारे छत्तीसगढ़ में अस्पताल संचालित हैं। हम उसको नियंत्रित नहीं कर सकते ? मैं आपको उदाहरण बता दूंगा। माननीय सभापति महोदय, पहले भी ऐसा हुआ था, सारे शासकीय जितने भी ईलाज हैं, उनसे उनको बाहर कर दिया गया था। उनकी बहुत सी मान्यता रोक दी गई थी और उनको मजबूर किया गया था कि वह काम करें। उनको लायसेंस कौन देता है ? क्या वार्ता होती है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, अस्पतालों को लायसेंस दिल्ली की एम.सी.आई.नहीं देती है छत्तीसगढ़ सरकार देती है।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, आपने प्रयास किया है क्या ? आपने उनसे बातचीत की है ? एकाध बार कोशिश की है ?

श्री अमर अग्रवाल :- सभापति महोदय, अगर बातचीत से नहीं माने तो सरकार, सरकार है।

श्री धर्मजीत सिंह :- सरकार बातचीत भी नहीं की है न।

श्री अमर अग्रवाल :- सभापति महोदय, सरकार तो सरकार है।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, सरकार बातचीत करें। नहीं तो सरकार के पास, आपके पास हक और हुकूम सब कुछ है। हमारे गरीबों को भी अपोलो में ईलाज कराने का पूरा अधिकार है। आज कोई मुफ्त में ईलाज नहीं करवा रहे हैं। पैसा देते हैं। आप कोशिश करिये। उनके जितने बड़े-बड़े सी.ई.ओ. हैं, उनको बुलवाकर मीटिंग करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसमें कोशिश नहीं, इसमें कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अमर अग्रवाल :- सीधा आदेश होना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- कोशिश वाले शब्द के लिए चर्चा नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं तो उनका फायर आडिट कराईये। वहां अस्पताल में कुछ नहीं है। आग लगने से रायपुर और बिलासपुर में लोग मर भी गये हैं।

सभापति महोदय :- अपोलो का उतना ही नहीं है। अपोलो को तो परोसकर दिया गया है। काफी सुविधा सरकार की ओर से दी गई है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्यों की चिंता जायज है।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, हम लोग इसको इसलिए बोल रहे हैं। अमर अग्रवाल जी 15 साल तक स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। वह स्वास्थ्य विभाग को समझते हैं।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैंने उदाहरण के तौर बताया कि मेरे समय में भी जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, तो यह विषय आया था। उस समय फोर्सली उनके लायसेंस कैंसिल करके उनको मजबूर किया गया था। सरकार, सरकार है और सरकार का रसूख होन चाहिए।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, मैंने अपोलो के खिलाफ इसी सत्र में प्रश्न भी लगाया ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी का जवाब तो आ जाये।

श्री धर्मजीत सिंह :- गरीबों के हित में सरकार की धमक बड़े अस्पतालों तक पहुंचनी चाहिए ।

सभापति महोदय :- पहले मंत्री जी का जवाब तो आ जाए।

श्री सुशांत शुक्ला :- मेरा प्रश्न भी जुड़ जायेगा न।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप तो इसमें विशेष रूचि लेकर आदेश करवाइए।

सभापति महोदय :- मैंने बोला कि जवाब आने दीजिए फिर आप पूछ लेंगे। भावना जी हैं, आप भी हैं पूछ लेना।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मेरा भी प्रश्न उसमें समाहित है।

सभापति महोदय :- अच्छा एक बार आप सब लोग पूछ लीजिए, फिर मंत्री जी जवाब दे देंगे।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, बिलासपुर का अपोलो अस्पताल, ज़मीन सरकार की, बिल्डिंग एस.ई.सी.एल. की और मर्जी अपोलो की।

सभापति महोदय :- क्या है, अमर जी ने जो प्रश्न किया है, अजय चंद्राकर जी, धर्मजीत जी, उसका जवाब एक बार आ जाए फिर आप पूछ लेना। यह बोल रहा हूं।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, मैं तथ्य दे रहा हूं। कार्रवाई करने का जो माननीय अमर अग्रवाल जी ने कहा, जमीन सरकार की, बिल्डिंग एस.ई.सी.एल. की और मर्जी अपोलो की चलती है। दो

वर्षों से मैं लगातार स्वास्थ्य विभाग को पत्राचार कर रहा हूं कि अगर सर्दी-खांसी आयुष्मान में नहीं कवर कर सकते, तो कम से कम सुपर स्पेशलिटी के केस आयुष्मान के माध्यम से अपोलो में उसको शामिल कर लीजिए । लेकिन स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कान में जूं नहीं रेंगती । वे तो अपोलो को दामाद बनाके रखे हुए हैं और हद तो तब हो जाती है जब 250 बेड के अस्पताल में..।

सभापति महोदय :- आपकी बात आ गई।

श्री सुशांत शुक्ला :- नहीं-नहीं, मैं तथ्य दे रहा हूं। दो मिनट, आपके संरक्षण की आवश्यकता है।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय सभापति महोदय जी, मेरा एक प्रश्न है।

श्री सुशांत शुक्ला :- 250 बेड के अस्पताल में नर्सिंग कॉलेज अवैध तरीके से यही मान्यता देते हैं, कैंसर इंस्टीट्यूट की मान्यता यही देते हैं और आज यह कहते हैं कि हम दबाव नहीं बना सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब उनको दामाद बनाकर न रखें । मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि कार्रवाई करने के आपके अवसर खड़े हैं और ऐसे अस्पतालों को उनको दायरे में लाकर गरीबों के हित में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को चिंता करनी चाहिए, अपोलो में आयुष्मान लागू किया जाना चाहिए।

श्री अमर अग्रवाल :- छत्तीसगढ़ के सारे अस्पतालों में।

श्री सुशांत शुक्ला :- सारे अस्पतालों में, जितने बड़े अस्पताल हैं।

श्रीमती भावना बोहरा :- महोदय, हर जिले की यही स्थिति है ।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय जी, सब में होना चाहिए। सवाल अपोलो का नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ का है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि जो आयुष्मान योजना से जिस अस्पताल को आपने मंजूरी दी है, उस आयुष्मान योजना का भी उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है, जैसे आपका कोई ऑपरेशन वाला हो या बच्चे का ऑपरेशन हो, जहां आपकी संस्था में परमिशन है, अगर नहीं दिया जाता तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? यह भी हमको बताएं।

सभापति महोदय :- भावना बोहरा। एक बार में जवाब दे देंगे। अभी ध्यानाकर्षण है, फिर बजट में जाना है। इतने प्रश्न सब करेंगे तो कैसे संभव होगा। भावना बोहरा जी।

श्रीमती भावना बोहरा :- धन्यवाद माननीय सभापति महोदय।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, इतने लोक महत्व के ध्यानाकर्षण बहुत कम लगते हैं और लोक महत्व के विषय में चर्चा करने के लिए यह सदन है और इसी में आपका संरक्षण चाहिए।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया है, मैं बस एक मिनट लेना चाहूंगी।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, श्रीमती कविता प्राण लहरे जी को मैं बधाई दूंगा कि वह बहुत ही अच्छे मुद्दे को ध्यानाकर्षण में लाई हैं और आपने उसे स्वीकार किया है। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, यह गरीबों के हित के लिए है।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, इतना लोकहित का है कि बहिष्कार करने के बाद दो बार बुलाने आए, विक्रम मंडावी जी आये, राघवेंद्र आये, उसके बाद नहीं गईं। इतना लोक महत्व का विषय है।

श्रीमती भावना बोहरा :- साथ में उनका एक और धन्यवाद है कि इस विषय पर उनका ध्यानाकर्षण स्वीकृत हुआ। इसलिए और विशेष तौर पर धन्यवाद है।

श्री अमर अग्रवाल :- इतना लोक महत्व का मुद्दा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है, अगर 10 मिनट चर्चा कराकर इसमें कोई हल निकलता है तो क्या दिक्कत है?

श्री सुशांत शुक्ला :- कविता जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाये। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- इसमें हल तो निकलना ही चाहिए। गरीबों को भी इलाज कराने का बड़े अस्पतालों में अधिकार है और उसको देना चाहिए, अगर नहीं है तो आप दिलवाइए।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय सभापति महोदय जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- और अगर अस्पताल यहां चलाना है, तो जैसे हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, वैसे ही अगर यहां अस्पताल चलाना है तो इस वाले में करना पड़ेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- एम.सी.आई. लाइसेंस नहीं देती।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय सभापति महोदय जी, एक प्रश्न मैं बहुत देर से पूछने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि ध्यानाकर्षण इस विषय पर हम लोगों ने लगाया था और किसी कारण से नहीं आ पाया होगा। लेकिन कविता जी का अभिनंदन है कि इतने सारे प्रश्नों के जवाब और उत्तर हम सबको मिलने वाला है। (मेजों की थपथपाहट) महोदय जी, विषय यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चाहे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जहां पर सारी सुविधाएं हैं। डिलीवरी पेशेंट की जो बात कर रहे हैं आज भी अगर डिलीवरी महिलाएं आती हैं अगर उनका डिलीवरी का डेट नजदीक आता है, चार-पांच दिन पहले अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी बच्चे का अगर नाल फंस गया, स्थिति है कि आज भी सोनोग्राफी की मशीन उपलब्ध नहीं है। चार से पांच दिन उसी कंडीशन में बिना सोनोग्राफी कराए वह महिला वापस घर चली जाती है और उस कारण से नाल फंसने के कारण से भी कई बार शिशु की मृत्यु होकर के मृत शिशु की डिलीवरी होती है। तो क्या इसके लिए कितने ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जहां पर सोनोग्राफी मशीन की व्यवस्था नहीं है और नहीं है तो क्या स्वास्थ्य मंत्री जी इस विषय पर ध्यान देंगे क्या? क्योंकि व्यक्तिगत हम लोगों ने कई बार निवेदन किया हुआ है।

सभापति महोदय :- बैठ जाइए। अब मैं ऐसा समझता हूं देखिए, मंत्री जी..।

श्रीमती रायमुनी भगत :- माननीय सभापति महोदय..।

सभापति महोदय :- आप बैठ जाइए न, सभी का विषय आ गया है। संभव नहीं होगा।

श्रीमती रायमुनी भगत :- नहीं, मेरा..।

सभापति महोदय :- आप बैठ जाइए। मंत्री जी, जो ध्यानाकर्षण प्रस्तुत किया गया है, उसकी गंभीरता आप देख रहे हैं कि सारे हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं और बाकी सदस्यों ने भी इस विषय में उसकी गंभीरता को देखते हुए जो चिंता की है, मैं ऐसा समझता हूं कि इस गंभीरता को देखते हुए आप इसका जल्दी निर्णय लेंगे ताकि उस समस्या का समाधान हो सके।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, वह निर्णय क्यों लेंगे? हाऊस चल रही है। माननीय मंत्री जी सक्षम हैं, उन्होंने यह अपने मुँह से कहा है।

सभापति महोदय :- यहाँ घोषणा कर सकते हैं, मंत्री जी सक्षम हैं।

श्री आशारात नेताम :- अभी घोषणा कर दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- उन्होंने कहा है कि मैं सक्षम हूँ। इसलिए वे कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं।

श्री आशाराम नेताम :- सभापति महोदय, बिल्कुल अभी घोषणा होनी चाहिए।

सभापति महोदय :- आप बैठ जाइए, मंत्री जी को बोलने दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, स्पष्ट और निर्णय तक पहुँचने वाला बयान आना चाहिए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, हमारे बहुत ही वरिष्ठ सदस्यों ने काफी चिंता व्यक्त की हैं और उन्होंने सुझाव भी दिए हैं और इस बात...।

सभापति महोदय :- अच्छा, जो प्रश्न पूछे हैं, वह भी और जो प्रश्न पूछना चाह रहे थे, वह भी बता दीजिये क्योंकि संभव नहीं था। समय-सीमा है, इसलिए उन सभी की चिंता व्यक्त करते हुए बता दीजिये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- जी। मैंने उन सभी लोगों की बातों को ध्यान में रख लिया है। इसमें ऐसे घोषणा नहीं कर सकते हैं। चूँकि यह पवित्र विधान सभा है, इसमें बिना Rule-Regulation के ऐसे ही घोषणा नहीं कर सकते हैं कि विधान सभा में घोषणा कर दिए कि हम ऐसे...।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मेरी इसमें आपत्ति है। मंत्री जी, इसमें कौन सा Rule-Regulation है, यह आप बता दीजिए। अगर इसमें निजी अस्पताल शामिल नहीं होंगे तो सरकार कुछ नहीं कर सकती है। इसके लिए कौन सी नीति निर्धारण है? इसमें कौन सा नियम-निर्देश है कि आप घोषणा नहीं कर सकते हैं? माननीय सभापति महोदय, मतलब यह बहुत ही संवेदनशील विषय है। मैं डिटेल में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जो आयुष्मान में चल रहा है, मैं उस विषय पर भी नहीं बात

करता। मैं केवल यह चिंता कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के नामी-गिरामी हॉस्पिटल में इलाज नहीं होने से मध्यम वर्गीय और गरीब आदमी बाहर इलाज करवाने जाता है। उनको आयुष्मान का लाभ नहीं मिलता। प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है, वह पूरी नहीं होती। इसका रास्ता निकल सकता है, इसमें रास्ता निकालने में कोई नियम-कानून नहीं है। अगर नियम-कानून है तो आप बता दीजिए। ऐसा नहीं होता, माननीय सभापति महोदय।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, कौन-कौन से नियम-निर्देश हैं, वह टेबल पर आ जाए। आयुष्मान में मान्यता देने के नियम-निर्देश क्या हैं? सरकार की भूमिका क्या है? आप उसको टेबल करवाइए। हम उसको जानना चाहते हैं।

श्री आशाराम नेताम :- सभापति महोदय, इसमें चर्चा होनी चाहिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, अभी मंत्री जी नहीं बोल पा रहे हैं तो आप आसंदी से व्यवस्था दीजिए कि वे आज ही शाम को उसमें एक बयान दे देंगे।

सभापति महोदय :- आपने विषय की गंभीरता को देखते हुए, प्रदेश के जनहित की गंभीरता को देखते हुए मंत्री जी का ध्यानाकर्षित किया है। मंत्री जी बैठे हुए हैं, मंत्री जी उसका जवाब दे रहे हैं और मैं ऐसा समझता हूँ कि मंत्री जी उसमें कोई ना कोई निर्णय लेंगे, जवाब देंगे। उसमें जो भी उनको समय लगेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, नियम-निर्देश नहीं है, वह बोल रहे हैं। आप नियम-निर्देश टेबल करवा दीजिए, हम लोग भी उसको देख कर बोलेंगे। नियम-निर्देश को टेबल करने में क्या बुराई है?

श्री आशाराम नेताम :- सभापति महोदय, इसमें चर्चा होनी चाहिए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- टेबल की क्या बात है, मैं आपको जानकारी दिला दूंगा। उसमें कोई ऐसा गोपनीय दस्तावेज है ही नहीं। वह तो आजकल ऑनलाइन भी मिलते हैं। लेकिन हम आपको कॉपी भी दे देंगे। आप स्वयं और माननीय सदस्यगण मेरे से बहुत अनुभवी हैं और कई विभागों के मंत्री भी रहे हैं, परन्तु कार्यवाही करने के लिए बिना कारण के किसी भी हॉस्पिटल को कैसे घोषणा कर सकते हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- हम कार्यवाही की बात ही नहीं कर रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम तो सुविधा की बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- आप कौन सी कार्यवाही की बात कर रहे हैं?

श्री धर्मजीत सिंह :- आप सुविधा दिलाइये।

श्री आशाराम नेताम :- सुविधा की बात हो रही है। कार्यवाही की बात कहां हो रही है?

श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम :- सभापति महोदय, लगता है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी स्वास्थ्य के प्रति गंभीर नहीं हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- ये लोगों की मांग है, जनता की मांग है, गरीबों की मांग है और उसको पूरा करना आपका काम है।

सभापति महोदय :- माननीय धर्मजीत जी, बैठ जाइये। मंत्री जी, आपकी दिशा अलग चली गई है। वह कार्यवाही करने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि आप किसी अस्पताल के खिलाफ कार्यवाही करें। उन अस्पतालों को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके कारण लोग बाहर इलाज करवाने जाते हैं। उस पर आप क्या निर्णय ले सकते हैं? आज आप निर्णय ना लें, लेकिन आप उस पर निर्णय लेंगे, जिससे लोगों को उसका लाभ मिलेगा। इसलिए उस पर आप अपना उत्तर दें।

श्री आशाराम नेताम :- सभापति महोदय जी, स्वास्थ्य विभाग में गंभीरता नहीं है।

सभापति महोदय :- आप बैठ जाइये।

श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, ऐसा लग रहा है कि स्वास्थ्य विभाग स्वयं अस्वस्थ हो गया है।

श्रीमती कविता प्राण लहरे :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। आप लोग बोलते रहिएगा तो मंत्री जी का जवाब नहीं आ पाएगा। देखिये, आप इसलिए मंत्री जी को धन्यवाद दीजिये क्योंकि आपके ध्यानाकर्षण में जितनी चर्चाएं हुई हैं, इस कार्यकाल में किसी भी सदस्य के ध्यानाकर्षण में इतनी चर्चाएं नहीं हुई हैं। इसलिए आप मंत्री जी को धन्यवाद दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- मंत्री जी को पूरा-पूरा धन्यवाद है। वह घोषणा कर देंगे तो यहीं अभिनंदन कर देते हैं।

श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम :- छत्तीसगढ़ की प्रत्येक जनता को तमाम सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों में उनका स्वास्थ्य का लाभ मिले, उसके बाद बहुत-बहुत धन्यवाद, स्वास्थ्य मंत्री जी।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, सरकार की यह मंशा नहीं है कि इसमें बड़े हॉस्पीटल शामिल न हो । आप लोग मेरी बात को सुन लीजिए, मैंने सभी का सुना है । हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आयुष्मान में ज्यादा से ज्यादा हॉस्पीटल बढ़ें और अच्छे हॉस्पीटल आये । आप देखे होंगे कि रायपुर में मेकाहारा जैसे बड़े संस्थान, बालाजी हॉस्पीटल है, एमएमआई है, इट्सा है, ऐसा नहीं है कि अपोलो हॉस्पीटल रातो-रात वर्ष 2024 में आ गया हो या आयुष्मान का पैकेज भी वर्ष 2024 में आ गया हो । मैं आपको जिम्मेदारी से विश्वास दिला सकता हूँ कि माननीय सदस्यों की जो चिन्ता है, उस पर सकारात्मक सोच के साथ डिपार्टमेंट को अभी निर्देश करता हूँ कि आयुष्मान की पूरी समीक्षा कर एक सप्ताह के अंदर हम निर्णय भी लेंगे कि कैसे हम हॉस्पीटलों को ज्यादा से ज्यादा शामिल कर सकें और

जरूरत पड़ेगी तो सरकार कानून भी लायेगी और विधान सभा में आवश्यकता होगी तो वह भी लाया जायेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके । (मेजो की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, एक सप्ताह का समय दिया है, एक सप्ताह में हाऊस चलती रहेगी और हम एक सप्ताह में उसकी सत्यप्रतिलिपि लेंगे ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, एक सप्ताह में हम जो भी निर्णय लेंगे, उससे अवगत करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ।

सभापति महोदय :- जवाब आ गया है, आप सहयोग करें ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, आपसे संरक्षण की उम्मीद है । मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ कि विगत 2 वर्षों में 7 बार पत्राचार किया है । मैं माननीय मंत्री जी से पाईन्टेड क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अपोलो अस्पताल में आयुष्मान के संचालन के लिये मैंने 7 बार विभागीय पत्राचार किये हैं और उस पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही हुई है, माननीय मंत्री जी कृपया यह बता दें ?

सभापति महोदय :- अनुज शर्मा जी एक मिनट । रिकेश सेन जी ।

श्री रिकेश सेन (वैशाली नगर) :- माननीय सभापति महोदय, अभी थोड़ी देर पहले विपक्ष ने मेरी सुरक्षा की मांग को लेकर सदन से बहिगर्मन किया था । मैं उस वख्त पांच मिनट के लिये सदन से बाहर था । माननीय सभापति महोदय, सदन को यह जानना बहुत आवश्यक है कि विपक्ष को इसकी ठीक तरह से जानकारी नहीं थी और बिना सोचे-समझे सदन का बहिगर्मन कर दिया है, हर किसी चीज पर राजनीति नहीं होनी चाहिये । इसमें पूरा मामला यह है कि नगर पालिक निगम, भिलाई का एक पूर्व पार्षद है, जो मेरे खिलाफ में विधान सभा का चुनाव लड़ा था । वह विडियो जारी करता है, मैं सदन से चाहूँगा कि इस विषय को दो सेकण्ड के लिये सुन ले । दुर्ग संभाग में और भिलाई की राजनीति सहित छत्तीसगढ़ के लोगों में असमंजस की स्थिति है कि यह विषय है क्या ? सभापति महोदय, अचानक एक विडियो आता है और विडियो में कहता है कि रिकेश सेन के खिलाफ दो साल से अलग-अलग मामलों में फंसाने की साजिश चल रही है और कभी भी उसकी हत्या की जा सकती है । सभापति महोदय, ऐसे कई विडियो बनते हैं, लेकिन यह विष्णु देव साय जी की सरकार है, हमारे काबिल गृह मंत्री है और हमारे राज्य का जो पुलिस प्रशासन है, एक-एक व्यक्ति का और एक-एक जनप्रतिनिधि के सुरक्षा की जिम्मेदारी बड़ी मजबूती के साथ करता है और इसलिये मेरा विपक्ष से अनुरोध है कि घबराने और डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी सुरक्षा भी हमारी सरकार के हवाले है और आप सुरक्षित हैं इसलिये आज सदन में है । सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि मैंने इस पूरे विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद किया है और इस विषय को मेरे संगठन और सरकार को बता दिया है तथा संसदीय कार्य मंत्री जी को भी इसकी पूरी सूचना दे दी है । मैं यही चाहूँगा कि इस पर कोई बहुत ज्यादा राजनीति न हो और आपने मेरी सुरक्षा की चिन्ता की है, उसके लिये भी धन्यवाद देता हूँ ।

सदन की सूचना

सभापति महोदय :- आज भोजन अवकाश नहीं होगा । मैं समझता हूँ कि सभा सहमत है । भोजन की व्यवस्था माननीय श्री राजेश अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में और पत्रकारों के लिये प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गई है । कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें ।

सभापति महोदय :- श्री अनुज शर्मा ।

(2) विधान सभा क्षेत्र धरसींवा में उद्योगों के द्वारा रासायनिक अपशिष्ट पदार्थों को भूमिगत जल स्त्रोत में डालने से पानी पीने योग्य नहीं होना।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

विधानसभा क्षेत्र धरसींवा अंतर्गत ग्राम पठारीडीह के पास संचालित आशुतोष इंजीनियरिंग वर्क्स एवं आसपास के उद्योगों के द्वारा रासायनिक अपशिष्टों को भूमिगत जल स्त्रोत में डालने से पठारीडीह एवं आस पास के लगभग 6 गांवों में भूमिगत जल स्त्रोतों से आने वाला पानी पीने योग्य नहीं होने की शिकायत ग्रामवासियों से लगातार प्राप्त हो रही है तथा ग्रामवासी किसी प्रकार के रोग से ग्रसित होने की आशंका से भयभीत है। इस प्रकार से उद्योगों के द्वारा मनमानी कर क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किये जाने एवं पर्यावरण विभाग द्वारा कोई भी कड़ी कार्यवाही नहीं करने से आम जनता में शासन प्रशासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, विधानसभा क्षेत्र धरसींवा अंतर्गत ग्राम पठारीडीह के पास संचालित मेसर्स श्री आशुतोष इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के नाम से एवं आसपास के अन्य उद्योगों के साथ कुल 04 गैल्वेनाईजिंग इकाईयां स्थापित/संचालित है। उक्त उद्योगों से उत्पन्न होने वाले दूषित जल के उपचार हेतु दूषित जल उपचार संयंत्र की स्थापना की गई है एवं उपचार उपरांत दूषित जल का उपयोग प्रक्रिया में पुनर्चक्रीयकरण, वृक्षारोपण, डस्ट सप्रेशन आदि में किया जाता है एवं शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। इन उद्योगों द्वारा दूषित जल उपचार संयंत्र से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट (स्लज) के नियमानुसार निपटान हेतु ग्राम-केसदा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में स्थित कॉमन ट्रीटमेंट स्टोरेज एण्ड डिस्पोजल फेसेलिटी (सीटीएसडीएफ) को प्रदाय किया जाता है तथा सीमेंट प्लांटों में को-प्रोसेसिंग हेतु भी प्रदाय किया जाता है।

मेसर्स श्री आशुतोष इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, ग्राम पठारीडीह, उरला, तहसील व जिला-रायपुर के विरूद्ध ग्राम पठारीडीह में पानी दूषित होने के संबंध में दिनांक 08/12/2025 को 01 शिकायत प्राप्त हुई है एवं मेसर्स विजय ट्रांसमिशन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-कन्हेरा के विरूद्ध प्रदूषण फैलाने के कारण कार्यवाही करने के संबंध में दिनांक 11/12/2025 को 01 शिकायत प्राप्त हुई है। उक्त दोनों शिकायतों के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 15/12/2025 को निरीक्षण किया गया। उक्त उद्योगों में स्थापित दूषित जल उपचार संयंत्र का संचालित होना पाया गया एवं दूषित जल का निस्सारण परिसर के बाहर किया जाना नहीं पाया गया।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड-रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र धरसींवा अंतर्गत ग्राम बेन्द्री, बाना, कारा, पठारीडीह, कन्हेरा एवं कुम्हारी के कुल 38 हैण्डपंपों/पेयजल स्त्रोतों के नमूनों का फिजिकल, केमिकल एवं बैक्ट्रोलॉजिकल टेस्ट विभाग द्वारा विभागीय प्रयोगशाला में 18 विभिन्न पैरामीटरों में किया गया है, जिसमें 35 स्त्रोत जल गुणवत्तायुक्त तथा 3 स्त्रोतों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है। सभी 6 ग्रामों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा शुद्ध पेयजल ग्रामीण जनता को उपलब्ध कराया जा रहा है। इण्डस्ट्रीयल वेस्ट से पेयजल स्त्रोतों के दूषित होने की स्थिति नहीं है।

किये गये शिकायत के अतिरिक्त ग्राम पठारीडीह के आस-पास स्थापित/संचालित उद्योगों द्वारा दूषित जल का निस्सारण परिसर के बाहर पाये जाने पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा (1) मेसर्स हाई-टेक इण्डस्ट्रीयल सॉल्यूशन, ग्राम-कुम्हारी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये उत्पादन बंद करने हेतु दिनांक 14/10/2025 को निर्देश जारी किया गया है। वर्तमान में उद्योग बंद है। (2) मेसर्स बारबरिक टाई-अप प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-बेन्द्री के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये उत्पादन बंद करने हेतु क्रमशः दिनांक 19/12/2025 एवं दिनांक 11/01/2026 को निर्देश जारी किया गया है। उक्त निर्देशों के तारत्मय में उद्योग द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योग का उत्पादन पुनः प्रांरभ/विद्युत संयोजन करने हेतु पत्र क्रमशः दिनांक 01/01/2026 एवं 22/01/2026 को जारी किया गया है। (3) मेसर्स एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड, ग्राम-बेन्द्री के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये नोटिस जारी किया गया। नोटिस के परिपेक्ष्य में उद्योग द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उल्लंघन अवधि हेतु कुल राशि रूपये 2,85,000/-पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि उद्योगों द्वारा जमा की गई है। अतः उद्योगों द्वारा मनमानी कर क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है तथा पर्यावरण विभाग द्वारा कड़ी कार्यवाही की गई है। आम जनता में कोई रोष व्याप्त नहीं है।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और राज्य सरकार का ध्यान एक अत्यंत गंभीर जनहित के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह विषय औद्योगिक इकाइयों द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण नियमों के संभावित उल्लंघन तथा उसके कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भू-जल स्रोतों पर उत्पन्न हो रहे गंभीर खतरे से जुड़ा हुआ है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में भी बताया, मैं बता दूं, हमारे पठारीडीह गांव में कुल छह बोर स्थापित हैं जिसमें सिर्फ एक का पानी पीने योग्य है, बाकी में लाल निशान लगा है। हमारे कन्हेरा में आठ बोर हैं, उसमें सिर्फ दो में पीने योग्य पानी है बाकी छह में लाल निशान लगा है। कुम्हारी में पूरी भूमि जल स्रोत तो अच्छा है लेकिन उसमें से लाल पानी आता है, पीने योग्य नहीं है। हम सब जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल तथा कृषि की निर्भरता मुख्य रूप से भू-जल पर ही है। यदि किसी औद्योगिक इकाई द्वारा बिना उपचारित अथवा आंशिक रूप से उपचारित अपशिष्ट जल को जमीन में छोड़ा जाता है तो इससे भूजल स्रोतों के प्रदूषित होने का गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है और जिसका प्रभाव सालों तक रहता है, बहुत जल्दी नहीं होता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974 की धारा 24 स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार के प्रदूषित जल को भूमि, नालों, जल स्रोतों में छोड़ने पर प्रतिबंध लगाती है। इसी प्रकार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 7 भी निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषकों के उत्सर्जन को प्रतिबंधित करती है। इसके अतिरिक्त C.P.C.B., I.S. 2490, I.S. 3025, A.P.H.A., वाटर टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स और कंसिस्टेंट ऑपरेट, इन सारी चीजों के मानक के आधार पर इनकी जांच कब की गई है और उसकी क्या रिपोर्ट है?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में भी बताया कि जिन इंडस्ट्रियल यूनिट की शिकायत के बारे में कहा गया है, उनका भी मैंने जिक्र किया। उसके अलावा बिना शिकायत के भी अनेक गैल्वेनाइजेशन के उद्योग हैं, उन पर भी कार्रवाई की गई है। वहां पर टोटल जो कार्रवाई की गई है और उन्होंने पूरी प्रक्रिया के बारे में कहा है तो इसमें मैं कहना चाहूंगा कि गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से जो स्पेंट एसिड होता है, उसको E.T.P. में उपचारित किया जाता है। E.T.P. में उपचारित करने के लिए उसमें बेस का इस्तेमाल करते हैं और जो केमिकल स्लज बनता है, वह दो जगहों पर या तो सीमेंट इंडस्ट्री में उपयोग होता है या ग्राम केसदा में हमारी सरकार के समय ही पहली बार प्रदेश में चालू हो पाया है, कॉमन T.D.S. प्लांट को प्रदाय किया जाता है और जो जिंक फाइन्स होता है उसकी रिसाइक्लिंग की जाती है। यह प्रोसेस है। उसके डिस्पोजल के लिए यह जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाना था, वह भी हमारी सरकार के समय में प्रारम्भ किया गया है।

मैंने कार्रवाई का भी जिक्र किया है। रायपुर जिले में पिछले वर्षों में जितनी जल संबंधी कार्रवाइयां होती थीं, उससे बहुत ज्यादा कार्रवाइयां की गई हैं। वर्ष 2024-25 में वाटर एक्ट के हिसाब से यूनिट्स में जो कार्रवाई होनी थी तो वर्ष 2024-25 में 8 प्रकरणों में कार्रवाई की गई है। वर्ष 2025-26 में 15 प्रकरणों

में कार्रवाई की गई है। जो फाइन है, वह वर्ष 2024-25 में 6,56,000 रूपये और वर्ष 2025-26 में 19,74,000 रूपये है। रायपुर जिले की यूनिट में केवल जल संबंधी कार्रवाई की गई है, जिसमें वायु प्रदूषण संबंधी या फ्लाई ऐश संबंधी अलग से कार्रवाइयां हैं। पिछले सालों की तुलना में बहुत ज्यादा कार्रवाइयां की गई हैं। यदि सम्मानीय सदस्य को अगर लगता है कि कहीं पर और ज्यादा दिक्कत हो रही है तो उसको मुझे बता देंगे तो निश्चित रूप से उस पर भी मैं विभाग के माध्यम से कार्रवाई सुनिश्चित करूंगा।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या effluent treatment plant (E.T.P.) निरंतर संचालित हो रहा है? क्या untreated effluent का कहीं डिस्चार्ज हो रहा है? क्या जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का पालन हो रहा है? क्या ट्रीटमेंट कैपेसिटी पर्याप्त है? क्या विभाग ने इनका जांच परीक्षण किया है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, यदि कोई शिकायत आती है तो विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण मंडल के माध्यम से उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। उसकी जांच की जाती है और जांच में अगर गलत पाया जाता है तो तत्काल कार्रवाई भी की जाती है। जैसा कि मैंने कार्रवाइयों का भी विस्तार से जिक्र किया है और आपके माध्यम से सदन को अवगत कराया है। उसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने अपने उत्तर में भी जवाब दिया कि मेसर्स हाईटेक इंडस्ट्रियल सोल्यूशन, जो गैल्वेनाइजेशन यूनिट है, जो कुम्हारी में है। इसमें बिना किसी शिकायत के भी विभाग ने इसको चेक किया था और चेक करने पर उसमें अनेक विसंगतियां पाई गई थीं तो उसके कारण वह उद्योग भी बंद है। जहां पर फाइन किया गया है, मैंने उसका भी जिक्र किया है। E.T.P. उद्योग द्वारा लगाया जाता है। C.S.E.B. का काम उसका निरीक्षण करना है। नियमित रूप से वहां पर प्रति 3 माह में निरीक्षण की कार्रवाई होती है। सम्मानीय सदस्य को अगर कहीं पर भी लगता है कि यहां पर उचित नहीं है तो उससे मुझे अवगत करा देंगे, मैं विभाग के माध्यम से निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई करावाऊंगा और दिखवाऊंगा और कहीं गलती पाई जाएगी तो कार्रवाई भी की जाएगी।

समय:
1.00 बजे

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। मेरा उनसे कुछ आग्रह हैं कि एक तो वाटर मीटर, कैसे फ्लो वाटर मीटर है, उसकी जांच समय पर होती रहे और वह स्थापित रहे। इसमें मुख्य बातें हैं जो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि संबंधित औद्योगिक इकाई की तकनीकी जांच अच्छे से कराई जाए। हमारे क्षेत्र में भू-जल की समय-समय पर नियमित जांच होती रहे ताकि अगर पानी में किसी प्रकार का कोई प्रदूषण वाली बात आती है तो इससे हम अपडेटेड रहे और समय-समय पर इसकी जांच होती रहे ताकि लोगों का पानी खराब न हो सके।

इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग वेल्स स्थापित है, तो इनको भी बहुत सुचारू रूप से चलाया जाए। मैं एक चीजज यह कहना चाहूंगा कि वहां पर भू-जल के स्तर की जो क्वालिटी है, उन चीजों में कहीं-कहीं कोताही हो जाती है तो उसकी एक स्वतंत्र जांच जरूर कराएं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र के ऐसे प्रभावित गांवों के पानी में किस प्रकार की दिक्कत है और क्यों है। मैं एक और बात कहूंगा कि जीरो डिस्चार्ज का जो कंप्लायंस है, इसका हमारे क्षेत्र में कड़ाई से पालन कराया जाए और यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है तो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कड़ी कार्रवाई करेंगे। मेरा यह कहना है कि जब तक ये इंडस्ट्रीज, जिससे गांव के पेयजल में इस तरह का असर होता है, जब तक इन सारी चीजों को कंप्लीट न करें, उनको तब तक अपने संचालन से स्थगित रखें और उसके बाद कंप्लायंस कंप्लीट करने के बाद उनको अनुमति दें। मेरा बस यही आग्रह है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है और जो गैल्वेनाइजेशन यूनिट होती हैं, उनसे एसिड निकलता है, जो वेस्ट एसिड होता है, तो निश्चित रूप से जल स्त्रोतों की दृष्टि से यह अत्यंत संवेदनशील विषय है। यहां पर प्रशासन में रहते हुए मैंने भी इस क्षेत्र की कई समस्याओं को देखा है और खुद भी झेला है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कहीं पर कोई भी गड़बड़ी मिलती है तो उसको अवगत कराएंगे, मैं उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई सुनिश्चित कराऊंगा। दूसरी ओर उन्होंने जो पेयजल के संबंध में कहा है तो हम लोग पी.एच.ई. (पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट) के माध्यम से जांच कराते हैं। वे स्वतंत्र एजेंसी कह रहे हैं। यदि ऐसी कोई स्वतंत्र एजेंसी होती तो वह फिलहाल मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर कोई ऐसी स्वतंत्र एजेंसी होती होगी जो पेयजल की क्वालिटी की जांच करे तो हम उनके माध्यम से भी जांच करा सकते हैं या अगर पी.एच.ई. में कोई और टीम गठित करके यहां से भेजना हो या कोई बड़ी टीम बनाकर भेजना हो तो भी माननीय सदस्य जैसा अवगत कराएंगे, मैं उसको विभाग के माध्यम से सुनिश्चित कर लूंगा। किसी भी स्थिति में पेयजल की दृष्टि से लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।

सभापति महोदय :- अनुज जी, हो गया ?

श्री अनुज शर्मा :- मंत्री जी, बहुत-बहुत आभार। मंत्री जी, एक और पानी से जुड़ा हुआ विषय है। हमारे यहां सेरीखेड़ी में बहुत माइग्रेटरी बर्ड आते थे, लेकिन वहां पर मिक्सर प्लांट्स आने के बाद वे अपना पूरा मटेरियल उस डैम में डालने लग गए। वहां अब वह माइग्रेटरी बर्ड आना बंद हो गए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम वहां के पानी का जो पी.एच. स्तर है, जो उन बर्ड्स के लिए ज़रूरी है, उसके संरक्षण के लिए आप जरूर अपनी ओर से कोई पहल करें, यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने नया विषय ध्यान में लाया है तो मैं निश्चित रूप से उनसे चर्चा करके आगे बढ़ाऊंगा ।

समय:
1.03 बजे

नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

सभापति महोदय :- अब मैं नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं लूंगा। निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जाएंगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा।

1. श्री राघवेंद्र कुमार सिंह
2. श्रीमती अंबिका मरकाम
3. श्री दलेश्वर साहू
4. श्री अनुज शर्मा
5. श्री अटल श्रीवास्तव

समय:
1.04 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नलिखित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जाएंगी।

1. श्री लखेश्वर बघेल
2. श्री राघवेंद्र कुमार सिंह
3. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

समय:
1.04 बजे

वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अनुदान मांगों पर चर्चा

1.	**मांग संख्या 13**	**कृषि**
	मांग संख्या 14	**पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय**
	मांग संख्या 16	**मछलीपालन**
	मांग संख्या 33	**आदिम जाति कल्याण**
	मांग संख्या 41	**अनुसूचित जनजाति उपयोजना**
	मांग संख्या 42	**अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल**
	मांग संख्या 54	**कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या 68 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य भवन

मांग संख्या 82 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

मांग संख्या 83 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 13 कृषि के लिए- सात हजार पचहत्तर करोड़, नब्बे लाख छप्पन हज़ार रुपये,

मांग संख्या - 14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय के लिए - छः सौ छप्पन करोड़, बारह लाख, उनचास हजार रूपये,

मांग संख्या - 16 मछली पालन के लिए - एक सौ दस करोड़, सड़सठ लाख, तीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 33 आदिम जाति कल्याण के लिए- एक सौ सन्तावन करोड़, पांच लाख, अन्ठावन हजार रूपये,

मांग संख्या - 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिये- उनतालीस हजार पांच सौ अड़सठ करोड़, अठारह लाख, बीस हजार रुपये,

मांग संख्या - 42 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल के लिये- एक हजार पांच सौ छियानबे करोड़, नवासी लाख रुपये,

मांग संख्या - 54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय के लिये- चार सौ सैंतालीस करोड़, तीस लाख रुपये,

मांग संख्या - 68 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन के लिये- दो सौ पन्द्रह करोड, उनहत्तर लाख, उन्नीस हजार रुपये,

मांग संख्या - 82 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिये- चार सौ तिरपन करोड़, इक्यानबे लाख अड़सठ हजार रुपये तथा

मांग संख्या - 83 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये- दो सौ छप्पन करोड़, चौबीस लाख, अड़सठ हजार रुपये तक की राशि दी जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापित महोदय :- अब इन मागों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे

मांग संख्या-13

कृषि

निरंक

मांग संख्या- 14

पशुपालन

1. श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम 1

मांग संख्या-16

मछलीपालन

1. श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम 1

मांग संख्या- 33

आदिम जाति कल्याण

निरंक

मांग संख्या- 41

अनुसूचित जनजाति उपयोजना

निरंक

मांग संख्या-42

अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सडकें और पुल

निरंक

मांग संख्या- 54

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय

निरंक

मांग संख्या- 66

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण

निरंक

मांग संख्या-82

अनुसूचित जनजाति उपयेजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

निरंक

मांग संख्या-83

अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

निरंक

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी। श्री पुन्नूलाल मोहले।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय कृषि मंत्री के अनुदान मांगों का मैं समर्थन करता हूं और अनुदान मागों के समर्थन में अपनी बात कहना चाहता हूं। कृषि हमारा जीवन है, हमारे किसान अन्नदाता हैं, हमारे लिये भगवान हैं और इन भगवान रूपी किसानों के लिये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय विष्णुदेव साय जी ने, माननीय रामविचार नेताम जी ने बहुत बढ़िया काम किया है सके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं । उन्होंने खरीफ वर्ष 2014-15 में धान के उत्पादन में प्रोत्साहन की बकाया राशि 3675 करोड़ रूपये का भुगतान भी किसानों को कराया जिससे भुगतान सम्मान बढ़ा है । कृषि उन्नति क्षेत्र के माध्यम से 2 वर्षों में राज्य के अन्नदाताओं को 25 हजार 265 करोड़ रूपये की सहायता सीधे उनके बैंक खाते में जमा किये इसके लिये

मैं उन्हें बधाई और धन्यवाद देता हूं । (मेजों की थपथपाहट) और किसानों की फसल के उत्पादन को दुगूना करने के लिये सरकार ने जो उपाय किये हैं, मैं उसके बारे में यह कहना चाहूंगा कि पहले हमारे खेत जो अनुपजाऊ हैं तथा बीमारू कहे जाने वाले हैं तथा अनुत्पादित हैं, उत्पादन को ठीक करने के लिये मिट्टी का परीक्षण कराकर जिसमें फॉस्फोरस है, नाईट्रोजन है, ऑक्सीजन है या अन्य प्रकार के उससे पोषक तत्व नहीं हैं, ऐसे पोषक तत्व की जानकारी के लिये वैज्ञानिक परीक्षण कर मिट्टी का परीक्षण पूरे गांव में जाकर प्रदर्शन कर, लोगों को समझा-बुझाकर तथा लोगों को जानकारी देकर प्रोत्साहित किया जाता है । उस मिट्टी के परीक्षण से जिस भी प्रकार की कमी है उस कमी को वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किसानों को, ग्राम सेवकों के माध्यम से दिया जाता है तथा प्रेक्टिकल रूप से फसलों का प्रदर्शन भी किया जाता है, जैसे प्रर्दशनी लगायी जाती है । मिनी किट भी दिये जाते हैं, मुफ्त में खाद भी दिया जाता है, बीज भी दिये जाते हैं, सिंचाई की सुविधा के बारे में बताते हैं कि उन्हें कब बीज डालना है, कब उनको खेती करना है, उसको कब खेत में डालना है, निंदाई-गुड़ाई कैसे करना है या पौष्टिक तत्व कैसे देना है इन विषयों पर हमारी सरकार के द्वारा फसलों के उत्पादन के लिये 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किये हैं जिससे उनको वैज्ञानिक पद्धति से खेती हो तथा उन्नत खेती के लिये सरकार ने उपाय किये हैं । मैं इसके लिये धन्यवाद देता हूं और धान की फसल ज्यादा उत्पादन होने से किसानों को एक ही बार, उन्हीं-उन्हीं फसल को बार-बार लेने से किसान के खेती की जो उत्पादकता कम हो जाती है, उस खेती को दूसरा खेती करें । दलहन की खेती, तिलहन की खेती, ऐसे खेती करने वाले किसानों को बढ़ते हुए आगे की स्थिति को देखते हुए उन परिस्थिति में जो दलहन, तिलहन, मक्का है, कोदो-कुटकी, रागी है, कपास की खेती करने वाले किसानों को भी अनुदान दिया जाता है और इस अनुदान में 1000 रूपये से लेकर डेढ़ हजार रूपये की राशि दी जाती है जिससे किसान उसकी तरफ प्रभावित हो और खेती करे । आपने पिछले समय देखा होगा कि धान की खेती से बिजली भी नहीं मिल सकती थी, उन्हें पानी भी नहीं मिल सकता था, बहुत सी फसलें सूख गयी थीं, उत्पादन कम हो गया था, किसानों में अशांति हो गयी थी इसके लिये सरकार ने उपाय किया इसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और इसी प्रकार से उन्नत किस्म के प्रोत्साहन देने के लिये, दलहन-तिलहन बीज के प्रोत्साहन के लिये, उन्नति करने के लिये प्रोत्साहन के लिये 10 वर्षों के कम नये किस्म की खेती के लिये, अनुदान के लिये 1000 से 5000 रूपये तक, 1500 से 5000 रूपये तक प्रति क्विंटल अनुदान दिया जा रहा है इसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला तथा कृषकों को बीज प्रमाणिकता और उन्नत बीज के लिये, उन्हें अनुसंधान करने के लिये बीज का अच्छे किस्म का बनाने के लिये सरकार के द्वारा लाभ भी दिया जा रहा है जिसमें 669 महिला कृषक भी शामिल हैं तथा 4 हजार 402, 28 कृषक भी नि:शुल्क पंजीयन कराकर इसका भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं तथा 7500 हैक्टेयर से अधिक में खेती कर रहे हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं । उद्यानिकी के क्षेत्र में हमारे किसान भाईयों की उद्यानिकी

संवेदनशील फसल, फल एवं सब्जी उत्पादन खेती में फेंसिंग, बोरवेल, खनन तथा एकीकृत कर नवीन खेती प्रारंभ की गयी है इसके लिये सरकार के द्वारा 25 करोड़ रूपये की राशि का भी प्रावधान किया गया है, मैं इसके लिये धन्यवाद देता हूं । खाद्यान्न, तेल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये खेती के कृषकों को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किये जा रहे अनुदान के अतिरिक्त 69,620 रूपये का टॉपअप अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है इससे वित्तीय सहायता 50 करोड़ रूपये की राशि का भी प्रावधान किया गया है । मैं धन्यवाद देता हूं तथा बधाई देता हूं । प्रदेश में उत्तरी पठारी क्षेत्र है या मैनपाट है...।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि आज हमारे विपक्ष के साथी अनुदान मांगों की चर्चा पर नहीं हैं। और जिस विषय को लेकर को उन्होंने यहां पर सदन में बात रखी थी और सदन में हमारे माननीय विधायक जी ने स्पष्ट तौर पर इस विषय को रखा । मेरा विपक्ष से आग्रह है कि इस चर्चा में भाग लें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय में भाग लेंगे तो यह बहुत अच्छा होगा और मैं आपसे भी यह निवेदन करूंगा कि हमारा कृषि विभाग महत्वपूर्ण विभाग है और आदिम जाति कल्याण विभाग भी महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय :- प्रतिपक्ष की ओर से यह बात आयी थी कि सदन में माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं और यहां माननीय सदस्य अपनी बात रखें। नहीं तो माननीय मंत्री जी अपना वक्तव्य दें। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो ध्यानकर्षित किया, उसके बाद सदन में माननीय सदस्य उपस्थित हैं और उन्होंने उपस्थित होकर, अपनी बात को स्पष्ट कर दिया है। इसलिए मैं प्रतिपक्ष से यह आग्रह करता हूं कि यह बजट की चर्चा है, यह महत्वपूर्ण विषय है और जो वह चाह रहे थे तो माननीय सदस्य का जवाब आ गया है इस बजट चर्चा में भाग लेंगे और अपनी बात रखेंगे तो उसके लिए मैं उनसे एक बार आग्रह करता हूँ कि वे आकर चर्चा में भाग लेंगे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, जो कुसमी तथा बगीचा क्षेत्र में आलू की खेती है इनके लिए भी मंत्री, मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए राशि, 2 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। जिसमें आलू की खेती अच्छे ढंग से हो। यहां के किसान गन्ने की भी खेती करे और इस तरह से अन्य फसलों के उत्पादन से बढ़ावा होगा तथा किसान आलू की खेती करेंगे, जिससे बाहर राज्यों में भी आलू की बिक्री हो सके और उनको आर्थिक स्थिति से लाभ मिल सके। कृषि के क्षेत्र में शोध को नया आयाम देने के लिए प्रदेश में कृषि वैज्ञानिक छात्रों को विदेश के विद्यालय, विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थाओं में शोध करने हेतु भेजने के लिए भी सरकार ने नयी योजना लागू की है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद एवं बधाई देता हूँ और इस योजना से हमारे अनुसंधान संस्थाओं में भेजने के लिए भी सरकार ने नयी योजना लागू की है उसके लिए मैं धन्यवाद् देता हूँ, बधाई देता हूँ। इस योजना से हमारे कृषि वैज्ञानिक बनने वाले छात्र उस अनुसंधान में भाग ले सकेंगे और वे प्रोत्साहित होंगे। प्रधानमंत्री सिंचाई

योजना के तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर के विस्तार के लिए सरकार, शासन के माननीय मंत्री जी के द्वारा 130 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है जिससे कृषि को बढ़ावा मिलेगा और ड्रिप से सिंचाई होगी, वह स्प्रिंकलर लेंगे जिसमें उनको 75 प्रतिशत राशि का अनुदान दिया जाता था, उस अनुदान को भी शामिल किया है। जब किसानों का बढ़ेगा अनुदान, बढ़ेगा उत्पादन करेंगे तो उससे बढ़ेगा स्वाभिमान, ऐसे हैं हमारे किसान। मधुमक्खी क्षेत्र में मधुमक्खी पालन के लिए भी 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जिससे गांव के पिछड़े वर्ग तथा आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले किसान भाई मधुमक्खी का पालन करेंगे उससे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारेंगे तथा उनको लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं धन्यवाद् देता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने हाईटेक नर्सरी उन्नत के लिए भी व्यवस्था की है, इसके लिए मैं धन्यवाद् देता हूँ। माइक्रो माईनर सिंचाई क्षमता योजना में चेक डेम है उसे चेक डेम बनायेंगे, मछली भी पालन करेंगे, मुर्गी की व्यवस्था भी करेंगे। इस तरह से ऐसे चेक डेम बनने से लोगों को सिंचाई की सुविधा भी प्राप्त होगी, वह स्वत: अपने खेत में सिंचाई कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। मछली पालन क्षेत्र में भी किसानों के लिए राशि की व्यवस्था की गयी है। वर्ष 2020-2021 से सर्वाधिक मछली उत्पादन किया जा रहा है। मत्स्य बीज की उत्पत्ति निजी हितग्राहियों के द्वारा की जा रही है । वर्तमान में 10 करोड़ से अधिक मत्स्य पालन का बीज की आपूर्ति की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020 से लागू की गयी है तथा सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 40 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग के हितग्राहियों को 60 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। जिससे अब तक के 20 नवीन सरकुलर हेचरी, 449.96 हेक्टेयर मत्य बीज संवधन जलक्षेत्र, 1989.65 हेक्टेयर नवीन तालाब निर्माण, 234 स्मॉल बायोफ्लॉट, 08 वृहद एवं 07 मध्यम रिसरकुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम भी लागू की गई है तथा 650 बायोफ्लाट भी है । 39 सजावटी मछली संवर्धन इकाई, 133 इकाई जीवित विपणन इकाई, 7416 केज स्थापन, 05 वातानुकूलित वाहन, 498 मोटर सायकल सह आईस बॉक्स, 45 थ्री व्हीलर, 06 कोल्ड स्टोरेज/आईस प्लांट भी है । 10 फिश मिल की स्थापना के लिए हितग्राहियों को आर्थिक सहायता हेतु सरकार के द्वारा लाभान्वित किये जा रहे हैं, जिससे 10000 मछुवारा भाई बहनों को प्रतिवर्ष अल्प अवधि बचत एवं राहत की सुविधा प्रदान की गई है । इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं तथा हमारे शासन के द्वारा माननीय मंत्री के मांगों के प्रस्ताव के बाद मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण का भी प्रावधन किया गया है, जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग की छात्र/छात्राओं के लिए हॉस्पिटालिटी तथा होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण योजना संचालित है। योजनांतर्गत कुल 50 अभ्यर्थियों को प्रतिवर्ष लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2025-26 में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, रायपुर के प्रस्तावित 01

डिग्री एवं 03 डिप्लोमा कोर्स में छात्र-छात्राओं को प्रवेश प्रदान की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में संस्था में अनुसूचित जनजाति के 5 विद्यार्थी अध्ययनरत है।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन सुविधा योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजाति वर्ग के 245 विद्यार्थियों को बी०एस०सी० नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन सुविधा हेतु (4 वर्षीय पाठ्यक्रम) छात्रावास, मेस एवं प्रशिक्षण शुल्क दिये जाने का प्रावधान हैं। योजना अंतर्गत वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 282 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

सभापति जी, छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केन्द्र (ट्यूशन) योजना लागू की गई है । दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में कठिन विषयों के शिक्षकों का अभाव बना रहता है, जिसके कारण छात्रावास आश्रमों में निवासरत विद्यार्थी कठिन विषयों में कमजोर हो जाते है, फलस्वरुप परीक्षा परिणाम अपेक्षित स्तर का नहीं रहता है। इस योजना द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों/आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को विशेष शिक्षण के माध्यम से अच्छी पढ़ाई के लिए कठिन विषयों जैसे गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, वाणिज्य से संबंधित विद्यार्थियों की कमजोरी को दूर करने की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे इस वर्ग के छात्र/छात्राओं के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने योग्य बन सके। वर्ष 2026-27 के लिये रूपये 1.00 लाख का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

समय :-

1:24 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

सभापति महोदय, छात्र-छात्राओं के लिए भोजन की व्यवस्था । मेट्रिक तथा मेट्रिकुलेशन छात्रावासों में विद्यार्थियों को बढ़ते उम्र के अनुरुप संतुलित शारीरिक मानसिक विकास हेतु अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है । इस दृष्टिकोण से विशेष पोषण आहार की व्यवस्था की गई है । इस अतिरिक्त प्रयास के लिए यह योजना तैयार है तथा वर्तमान में 1200/- प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी दिया जाता है। वर्ष 2026-27 के 25 करोड़ 78 लाख 40 हजार का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया पिछले मुख्य बजट की तुलना में लगभग 3 प्रतिशत अधिक है।

सभापति महोदय, क्रीड़ा परिसर है । राज्य में अनुसूचित जनजाति की खेल प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा 17 क्रीड़ा परिसर संचालित किये गए हैं, जिनमें प्रति क्रीड़ा परिसर में 100 सीट के मान से कुल 1700 सीट स्वीकृत है। इन संस्थाओं में छात्र-छात्राओं को अपनी खेल प्रतिभा को विकसित करते हुए निरंतर अध्ययनरत है। प्रत्येक क्रीड़ा परिसर में बालक/कन्या विद्यार्थी आवासीय सुविधा सहित खेल प्रशिक्षण रहे है। प्रत्येक बालक / कन्या को प्रतिमाह रुपये 1500

शिष्यवृत्ति एवं पोषण आहार हेतु इस प्रकार कुल प्रतिमाह 2 हजार रूपये दिया जाता है। वर्ष 2026-27 के लिए अधोसरंचना/अनुरक्षण सहित योजना अन्तर्गत रूपये 18 करोड़ 15 लाख 58 हजार का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के दौरान आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है। यह योजना 100 प्रतिशत राज्य पोषित योजना है। वर्ष 2024-25 के पोस्ट मैट्रिक छात्रावास हेतु दिनांक 06.03.2026 तक कुल 84,702 विद्यार्थियों को राशि रूपये 9457.14 लाख की छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है। एकीकृत अम्ब्रेला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2026-27 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए रूपये 110 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य हेतु उपलब्ध 2.039 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र में से 97.25 प्रतिशत जल क्षेत्र को मत्स्य पालन अंतर्गत विकसित कर 2.25 लाख से अधिक मछुआरों को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराये जा रहे है। राज्य मत्स्य बीज आपूर्ति के क्षेत्र में आत्म निर्भर एवं भारत में अन्तरर्देशीय मत्स्य बीज पदान के क्षेत्र में छठवाँ बड़ा राज्य है। वर्तमान में राज्य में पाँच सौ पचहत्तर करोड़ से अधिक मत्स्य बीज का उत्पादन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष राशि रू. 9 करोड़ को प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री जी द्वारा इसके लिए भी 10 हजार मछुवारों को प्रतिवर्ष अत्प अवधि बचत सह राहत योजना से लाभान्वित किया गया है।

सभापति महोदय, कोरबा जिले के हसदेव बांगों जलाशय में एकीकृत मछली पालन एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एकीकृत एक्वा पार्क की योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है। योजना के क्रियान्वयन से स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ-साथ मत्स्य पालन एवं पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने हेतु इस हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष राशि रूपये 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, बेस्ट फिश फार्मर आवार्ड के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में हमारी सरकार द्वारा ज्य के मछली पालन को आत्मनिर्भर बनाये जाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और वित्तीय वर्ष बजट में प्रावधान किया जा रहा है।

जिले में मत्स्य पालन योजना के तहत झींगा पालन हेतु 2 करोड़ 80 लाख रूपये का बजट प्रावधान है। फीशरीज पालीटेक्नीक कालेज राजपुर धमधा जिला के भवन निर्माण हेतु और बालक-बालिका छात्रावास के बस क्रय हेतु 3 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि छात्रों के लिए भोजन हेतु भी व्यवस्था की गई है। इसमें अच्छा दृष्टिकोण रखते हुए विशेष पोषण आहार के लिए 25 करोड 78 लाख 40 हजार का बजट में प्रावधान है। क्रीड़ा परिसर में 2 हजार रूपये प्रति माह की व्यवस्था की गई है।

ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के दौरान आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है।

आदिवासी क्षेत्र में पिछले समय बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के द्वारा विकास के लिए 50 करोड़ रूपये की राशि अनेक विकास कार्य के लिए स्वीकृत की जाती थी। उस विकास प्राधिकरण की राशि को बढ़ाकर 75 करोड़ किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण में सरगुजा संभाग क्षेत्र में 06 जिले क्रमश: सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया और मनेन्द्रगढ-चिरमिरी-भरतपुर है। इनके विकास के लिए प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह अपनी भूमिका निर्वहन कर रही है। हेतु 50 करोड़ रूपये की राशि को बढ़ाकर 75 करोड़ किया गया है। मैं इसके लिए भी माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। पिछले मुख्य बजट की तुलना में लगभग 48.51 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। इसी तरह मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरणम में भी क्षेत्र के विकास के लिए 50 करोड़ रूपये की राशि को बढ़ाकर 75 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले मुख्य बजट की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है। राज्य में विभिन्न जनजातियां निवासरत हैं। इनकी अपनी अनूठी एवं समृद्ध संस्कृति है। हमारी सरकार द्वारा जनजातियों के सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं में शहीर वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव है। इस महोत्व का उद्देश्य शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत को चिरस्मरणीय बनाना तथा आदिवासी लोक कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। शहीर वीर नारायण सिंह की स्मृति में उनके शहादत दिवस 10 दिसम्बर को शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष उनके जन्म स्थान सोनाखान भवन जिला बलौदाबाजार में किया जाता है। इसके अंतर्गत आदिवासियों की लोक कला को बढ़ावा देने के लिए नृत्य प्रतियोगिता राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित आदिवासी लोक कला दल को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले दलों को पुरस्कृत किया जाता है। आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आस्था के महत्वपूर्ण प्रतीक के रुप में आदिवासियों के पूजा एवं श्रद्धा स्थलों (देवगुड़ी) के निर्माण एवं मरम्मत की योजना संचालन है। योजनांतर्गत देवगुड़ी निर्माण / मरम्मत हेतु अधिकतम रुपये 5 लाख की सीमा देवगुड़ी के निर्माण का प्रावधान है। योजना अंतर्गत 107 देवगुड़ी स्वीकृत की गई है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता देने के लिए पूर्व में हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2005 से यह योजना संचालित किया गया है। आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत आदिवासियों

को सांस्कृतिक वाद्य यंत्र क्रय करने हेतु अनुदान स्वरुप प्रति दल राशि रुपये 10,000 दिये जाने का प्रावधान है। उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान पुरस्कार के लिए भी छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है। इस हेतु राशि रुपये 2 लाख पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसके लिए मैं हमारी सरकार को, विष्णु देव साय जी और भारतीय जनता पार्टी को एवं हमारे कृषि मंत्री को धन्यवाद देता हूं। स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते स्मृति आदिवासी सेवा सम्मान पुरस्कार भी इसमें शामिल है, जिसमें 2 लाख रूपये पुरस्कार दिया जाता है। स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते जी स्मृति में सम्मान करने के लिए राशि दी जाती है। इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 30 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें 57 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। इसके लिए भी मैं धन्यवाद दूंगा। अंत्यावसायी सहकारी वित्त विकास निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्गो हेतु संचालित योजना के अंतर्गत अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्गों के हितग्राहियों को विभिन्न व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें तकनीकी, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि वे स्वरोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो सके। छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम चैनेलाईजिंग एजेंसी के रुप में कार्य करता है। 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर अधिकतम 5 लाख रुपये तक की ऋण राशि आदिवासी भाई बहनों को उपलब्ध कराई जाती है। अनुसूचित जनजाति वर्गो के सदस्यों को स्वरुचि के व्यवसाय जैसे ट्रेक्टर ट्राली, खेती, वनोपज क्रय-विक्रय, सब्जी फल उत्पादन, बागवानी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, ऑटो पैसेंजर व्हीकल, आटो गुड्स कैरियर, ऑटो रिक्शा आदि परिवहन संबंधी, ब्यूटी पार्लर, नाई सेलून की दुकान, साइकिल रिपेयरिंग, कम्प्यूटर रिपेयरिंग, घरेलू विद्युत फिटिंग, वायरिंग, होटल ढाबा, सिलाई दुकान, ऑटो पार्टस, जूता चप्पल आदि क्षेत्रीय आवश्यकताजनित व्यवसाय हेतु सहायता उपलब्ध कराया जाता है। शासन के द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए योजना भी चलाई जा रही है। इसके लिए अभिकरण का गठन किया गया है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितप्रहरी के रूप में कार्य करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग गठित किया गया है। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग हेतु वर्ष 2026-27 में राशि रूपये 233 लाख का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, इसमें 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पण्डो एवं भुजिया विकास अभिकरण :- राज्य शासन द्वारा घोषित 02 विशेष रुप से कमजोर जजनाति पण्डो एवं भुजिया के समग्र विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सूरजपुर में पण्डो विकास अभिकरण तथा गरियाबंद में भुजिया विकास अभिकरण का गठन किया गया है। वर्ष 2026-27 में इसके लिए राज्य आयोजन मद में कुल राशि रुपये 200 लाख का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इस तरह पशुपालन के लिए भी सरकार के द्वारा राशि भी दी जा रही है और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए

पशुओं के नस्ल के सुधार के लिए भी सरकार के द्वारा राशि दी गई है तथा मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय :- मोहले जी, आप और कितना टाईम लेंगे?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आप कहेंगे तो मैं बोलना बंद कर देता हूं।

सभापति महोदय :- मैं बंद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप और कितना टाईम लेंगे?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, इन सभी प्रकार के पशुओं के लिए भी पशुपालन के क्षेत्र को जागृत किया जा रहा है। पशुपालन को आजीविका का प्रमुख स्त्रोत बनाया जा रहा है। कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान में बैकयार्ड कुक्कुट इकाई योजना भी लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 28 दिवसीय 45 नग रंगीन चूजे देने का भी प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत 5.44 करोड़ रूपये की वृद्धि करते हुए इस बजट में 60 करोड़ रूपये का प्रावधान है। प्रदेश में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में सूकर पालन को बढ़ावा देने के लिए सूकर त्रयी योजना भी संचालित है, जिसमें उन्नत किस्म के मादा सूकर एवं एक नर सूकर भी दिए जाते हैं। इस योजनांतर्गत 2 करोड़ रूपये की राशि की वृद्धि की गई है। इसके लिए 6646 हितग्राहियों को भी लाभांवित किया जावेगा। प्रदेश में बकरी वंश के संवर्धन हेतु उनके उन्नत नस्ल के लिए बकरा दिए जाने का भी प्रावधान है। इस योजना अंतर्गत वर्ष 2026-27 में 80 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है, जिससे 2078 हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। इस प्रकार राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना में अत्यधिक मांग को दृष्टिगत रखते हुए प्रति यूनिट 13 बकरी उन्नत किस्म के तथा 2 बकरा प्रदाय किए जाने की योजना है। इसके लिए वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि एक करोड़ रूपये में 500% की वृद्धि की गई है। बकरी पालन हेतु उक्त प्रावधान किए जाने से प्रदेश में पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी, साथ में मांस का उत्पादन बढ़ेगा। पशुपालकों को दूध उत्पादन हेतु भी प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्नत किस्म के बछिया के भरण-पोषण हेतु 04 से 24 माह की आयु तक पशु आहार अनुदान पर दिए जाने का प्रावधान है। पशुपालन के लिए चारे की भी व्यवस्था की गयी है, जिससे हमारे प्रदेश में बाहर में जो घुमंतू जानवर हैं, उनके सुरक्षा के लिए चारे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और रख-रखाव की व्यवस्था, चरवाहे की भी व्यवस्था की गई है। मैं इसके लिए मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैं इन अनुदान माँगों के समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय :- जी।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज से पहले जब कभी भी मांग की चर्चा होती थी, तो कटौती प्रस्ताव के पक्ष में जो होते थे, उनसे चर्चा की

शुरूआत होती थी। इसके विरूद्ध आज मांग के समर्थन वालों के द्वारा चर्चा शुरू कराई गई है। यह गलत परंपरा है और पहली बार विधान सभा में ऐसी परंपरा की शुरूआत हुई है। आज हमने अपना समझकर माननीय मंत्री जी के पास गये थे, उन्होंने हमारा निवेदन भी स्वीकार किया। हमारे सचिव महोदय गये थे, उनका भी निवेदन स्वीकार किया। हम लोग आ गये हैं। मगर भविष्य में यह व्यवस्था दे दी जाये। इसे परंपरा न बनाया जाये। कटौती प्रस्ताव वाले विपक्ष के साथियों को पहली बार बोलने का अवसर दिया जाये, ऐसा हम आपसे चाहते हैं।

सभापति महोदय :- जी, आपकी व्यवस्था सही है। मैं यहां बैठने के पहले सभापति महोदय जी से पूछा था कि प्रतिपक्ष के लोगों के लिए यह संदेश जाना चाहिए और उन्होंने शायद आसंदी से निवेदन भी किया था। संसदीय परंपरा की एक व्यवस्था है कि सत्तापक्ष, संसदीय कार्य मंत्री जी विपक्ष के लोगों से बात करते रहे, ऐसा मेरा स्वयं का भी अनुभव है। यह आपकी सहृदयता है कि आप संसदीय सम्मान के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, आपकी व्यवस्था आने के पहले मैं व्यवस्था के प्रश्न पर बोल देता हूँ । आप सुन तो लीजिए । मैं कुछ नहीं बोलूँगा तो फिर देखियेगा । माननीय सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी ने बहुत सही विषय उठाये हैं, उसमें असहमति नहीं है । हमको एक बात पर विचार करना पड़ेगा कि हमने जो संसदीय प्रणाली स्वीकार की है, वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली में नियम से ज्यादा हम परम्पराओं से चलते हैं । परम्परायें सबसे जिम्मेदारी मानती है और जिस जिम्मेदारी के साथ नेता प्रतिपक्ष जी ने परम्परा की बात कही है तो उसका जब समय आता है तो अपेक्षा यह करूँगा कि उसमें अपनी जिम्मेदारी को भी जोड़ें । यदि वह किन्हीं कारणों से बाहर है, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप बुलाने गये थे । बहन जी ने कितना अच्छा विषय लिया और सारे लोग उसके साथ थे और लोक महत्व का विषय था । बाकी सदस्य हो सकते हैं, परन्तु शुरू होना है भाग लेना है, आगे कम से जो कटौती प्रस्ताव शुरू करेगा और कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलेगा, ऐसे लोगों की उपस्थिति एकाध की तो सुनिश्चित रहे । परम्परा भी सुरक्षित रहेगी और उसका भाव भी सुरक्षित रहेगा ।

सभापति महोदय :- सब भावना आ गई ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय नेता जी ने संसदीय परम्परा की बात कही है और आसंदी से भी ताकीद की गई कि वह सही है । माननीय अजय जी ने बात कही है और हमारे सदस्य ने ध्यानाकर्षण में भाग लिया । आप लोग दो-दो भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री पर खूब प्रश्नों का बौछार किया और उसके बाद दूसरा आ गया, लेकिन तब तक बुलाने नहीं आये थे । हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि हम लोगों को मौका मिलेगा और हम लोग जायेंगे तथा अपनी बात कहेंगे । इस बीच में संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य आ गया, इस बीच में जिस विधायक की सुरक्षा के मामले में हम लोगों ने चिन्ता जाहिर की थी, उनकी भी बात आ गई । सभापति महोदय, कार्यवाही आगे बढ़ गई है, यदि

उसी समय एक ध्यानाकर्षण से दूसरे ध्यानाकर्षण के बीच हम लोगों को बुला लेते, पांच मिनट के लिये स्थगित कर देते, यह एक अच्छी परम्परा होती । सभापति महोदय, मैं फिर से एक निवेदन कर देता हूँ, चूँकि आसंदी ही हम सब का संरक्षक है, विधान सभा सदस्यों के सुरक्षा की जिम्मेदारी विधान सभा अध्यक्ष के आसंदी की है । मैं आपसे अभी आग्रह करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य ने अपना वक्तव्य हमारी अनुपस्थिति में दिया है, मंत्री जी ने वक्तव्य हमारी अनुपस्थिति में दिया है, होना यह चाहिये था कि हम लोगों ने यह मामला उठाये थे तो हमारी उपस्थिति में उनका यह वक्तव्य आना चाहिये था । आपने नहीं दिये, हम उसमें भी कुछ नहीं कहना चाहते हैं लेकिन आपसे निवेदन करना चाहते हैं । यह विधायक के सुरक्षा की बात है और वह विडियो जारी है और अभी भी चल रहा है । हम सब यहां से निर्देश दें कि वहां के एस.पी. या थानेदार जो भी हो, जो विडियो जारी करता है, उसे बुलाकर पूछें कि हकीकत क्या है या वह सेंसेशन पैदा करने के लिये किया है कि वापसी में किया है, उसकी जांच तो होनी चाहिये ? सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं कल मामला उठाया था, गृह मंत्री जी से इस प्रकार की बात नहीं आई तो आसंदी से इस प्रकार की व्यवस्था आनी चाहिये कि उसकी जांच हो और सदन की समाप्ति तक उसकी जांच रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत किया जाये । मैं आपसे यह आग्रह करता हूँ ।

सभापति महोदय :- माननीय वरिष्ठ सदस्य भूपेश बघेल जी ने जो यहां चिन्ता व्यक्त की है, मैं यहां पर संसदीय कार्य मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि आप इसको संज्ञान में ले और वहां के एस.पी. और अन्य उच्चाधिकारियों से बात करें और आपको कुछ बोलना हो तो अपनी बात रखें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) माननीय सभापति महोदय, मैंने सदन को पहले ही अवगत कराया है और इस संबंध में माननीय विधायक जी से चर्चा भी हुई है और विधायक जी ने सदन में उसे स्पष्ट भी किया तथा पूरे सदन को अवगत कराया कि इस तरह से मामला नहीं है और सरकार पूरी तरह से सक्षम है तथा माननीय सदस्य ने सरकार के ऊपर पूरा विश्वास जताया । इस पर किसी तरह से संशय नहीं होना चाहिये ।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, आसंदी से निर्देश हुआ है कि एस.पी. से बोलकर इसकी जांच करा लें । यह आसंदी से कहा जा रहा है । आप उसकी घोषणा कर दें । इस पर क्या तकलीफ है, इस प्रकार से सेंसेशन पैदा कैसे हो सकता है । विधायक के खिलाफ में विडियो जारी कर दे और वह एक सप्ताह तक जारी रहता है तो यह बहुत गंभीर बात है । आप कम से कम इतना एश्योर कर दें कि जो भी व्यक्ति है, वह गलत या सही जो भी कहा है, उसकी जांच कर दे और जांच करके सदन के सत्र समाप्ति के पहले वक्तव्य सरकार की तरफ से आये कि वह गलत है या सही है या उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, हम इसके संबंध में जिला प्रशासन से बात करेंगे ।

सभापति महोदय :- ठीक है, वही कहना है और साफ बात कर लीजिएगा । श्री ब्यास कश्यप जी ।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, आज कृषि विभाग के ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- कश्यप जी, बोले के पहली तैं स्पष्ट कर कि खेती करथस कि नइ करस ? मैं तोला ज्यादा होटल में बईठे देखे हंव । जब जांजगीर जाहूँ होटले में बइठे देखे हंव ।

श्री ब्यास कश्यप :- चल ना बिहनिया मोर करा आबे ।

श्री रामकुमार यादव :- खेती करे, काय करे, तुमन धान ल लेते नइ हव ।

श्री अजय चंद्राकर :- नेता प्रतिपक्ष जी, आप बता दीजिए कि वे होटल में बैठते हैं या खेती करते हैं।

श्री ब्यास कश्यप :- मैं खेती भी करथव, होटल में भी बइठथंव।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, ब्यास कश्यप जो भी बोलेंगे, मांग के खिलाफ में बोलेंगे और कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलेंगे। क्यों ब्यास जी ?

श्री ब्यास कश्यप :- बिल्कुल।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष से मांग की तो भूपेश बघेल जी खड़े हो गए, इस पर भी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष कौन है? (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- भाई, नेता प्रतिपक्ष यही हमारे विधायक दल के नेता डॉ. चरणदास महंत हैं और मेरे भी नेता हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने मांग की तो आप खड़े हो गए इसलिए मैं भ्रम में पड़ गया, भाई। माननीय सभापति जी, कांग्रेस पक्ष को ये स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है कि ये हमारे नेता हैं और सबके नेता हैं, ये दयनीय दशा हम देखने के लिए नहीं हैं। (हंसी)

सभापति महोदय :- महंत जी कुछ बोल रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- ये दयनीय दशा नहीं है, आप बार-बार इस प्रकार के प्रश्न उठा रहे हैं इस कारण से ये बोला जा रहा है। स्पष्टीकरण नहीं है, हमारे नेता हैं, हम दस बार बोलेंगे।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- सभापति जी, सदन में इस तरह की हास्य-व्यंग्य होना ही चाहिए। ये तो हम लोगों का दुर्भाग्य रहा कि डॉ. रमन सिंह जी की तबियत खराब हो गई, सदन में होली नहीं मनाई गई, सदन में पंचमी भी नहीं मनाई जा रही है और ऐसा लगता है कि हमारे अध्यक्ष महोदय तब तक नहीं आ पाएंगे जब तक ये विधानसभा चलेगी। ये होली के रंग-गुलाल जो बचे हुए हैं, उसे यहां फेंकना भी जरूरी है, लगाना भी जरूरी है, आपके गालों में भी लगाना है, आपके बालों में भी लगाना है।

श्री अजय चंद्राकर :- क्या बात, क्या बात। मैं आपके भाव से मैं पूरी तरह सहमत हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मैं आपकी ओर से कह देता हूं। भाई, हमने कई बार आग्रह किया कि इसको करना चाहिए, हमारी परंपराएं हैं, आप क्यों नहीं करवा रहे हैं ? आप एक बार थोड़ा जोर से बोलेंगे तो वे तैयार हो जाएंगे । आप भी अपना थोड़ा जलवा दिखाइए।

डॉ. चरणदास महंत :- नहीं मुझे आपसे कुछ नहीं करवाना है। (हंसी) सर, ये तो संसदीय कार्य मंत्री जी की अपनी व्यवस्था है, वे जो चाहें विधायकों के साथ करें।

श्री अजय चंद्राकर :- वे नहीं करेंगे तो संस्कृति मंत्री हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- जी-जी। आपने पूछा तो मैं बता रहा हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- आप नाचेंगे तभी करेंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मंत्री जी, सुनिए ना, वे खेत भी जाते हैं, ट्रैक्टर भी चलाते हैं, फावड़ा भी चलाते हैं, उनकी पत्नी भी खेत जाती है, वे ओरिजिनल किसान हैं और एक किसान के पुत्र हैं, इस नाते हमने उनको आज की चर्चा में ओपनिंग करने का आदेश दिया था, निर्देश दिया था और निवेदन भी किया था। इसलिए वे अपनी बात रखेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चंद्राकर :- भाभी जी तो मेरे साथ काम की है वे जानते हैं। एकदम सच है, मैंने आजकल की बात पूछी, आजकल खेतिखार जाते हो या होटल ही चलाते हो। (हंसी)

डॉ. चरणदास महंत :- नहीं देखिए, ये तो पहले आपकी तरफ थे।

श्री अजय चंद्राकर :- वे अभी भी हमारी तरफ हैं और कविता प्राणलहरे कहां हैं? वे भी फूलछाप बनने के लिए तैयार हैं। (हंसी)

डॉ. चरणदास महंत :- वे आपकी तरफ थे, आपको सब पता है, वे क्या-क्या करते हैं। मगर सब समय से करते हैं।

सभापति महोदय :- माननीय ब्यास कश्यप जी आप बोलिए।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, हम लोगों को यहां विधायक बनकर के आए हुए सवा दो साल हो गए। अमूमन मैं ये देखता हूं कि जब भी बोलने की बारी आती है तो माननीय अजय चंद्राकर जी खेती-किसानी की बात में ले आते हैं। मैं तो चाहूंगा कि इसी सदन में माननीय सदस्यगण वरिष्ठ सदस्य हैं, खेती-किसानी के बारे में हो, चाहे किसी भी विषय में हो, मैं हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार हूं, चाहे किसी विषय में व्यापार, खेती-किसानी, राजनीति पर बात कर लें, मैं सब विषय के लिए तैयार हूं। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- ब्यास कश्यप जी, वे आपका उत्साहवर्धन करने के लिए पूछ रहे हैं। आप बोलिए ना, आप बहुत अच्छा बोलते हैं।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मैं भी उत्साहवर्धन कर रहा हूं, चूंकि कह इसलिए रहे हैं, इनके भांचा जी अब है नहीं। (हंसी) क्षेत्र में रुके हुए हैं, मेरे विषय में इनको अवगत कराते रहते हैं तो ये थोड़ा सा उत्साह के लिए कि मैं भटक जाऊं। बोलने के पहले अपनी बारी का इंतजार करते हैं और पहले से ही टीका टिप्पणी चालू कर देते हैं।

सभापति महोदय :- आप बोलिए।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मैं भटकूंगा नहीं, इन्हीं लोगों से सीखकर आया हूं । (हंसी) है ना भाई? मुझे गर्व है कि मेरे दोनों माननीय नेता बैठे हुए हैं और मुझे आदेश दिए कि कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग में पार्टी की ओर से आप ओपनिंग करोगे, मुझे इस बात का गर्व है । (मेजों की थपथपाहट) एक किसान के नाते कृषि पर, छत्तीसगढ़ की आत्मा खेती-किसानी पर ही बसती है और हम अधिकांश किसान यहां पर चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, सबका मूल व्यवसाय खेती-किसानी ही है। खेती-किसानी से ही यह सरकार यानी कि यहां का जीविकोपार्जन जितना 70% से अधिक लोग खेती-किसानी करते हैं। माननीय मंत्री जी, एक किसान होने के नाते मैं भी इतने वर्षों से विधायकी में अनुभव करता हूं कि उतनी गंभीरता से खेती-किसानी के प्रति उनकी रुचि नहीं है। मैं आज इस सदन में प्रदेश के उन करोड़ों अन्नदाताओं की आवाज।

डॉ. चरणदास महंत :- एक मिनट। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से चंद्राकर जी से पूछना चाहूंगा कि हम लोग तो गांव में रहते थे। हम लोग थोड़े दिन तक किए होंगे और सिला बीनने जाया करते थे। वहां पर टमाटर ले जाकर और बर्तन रखकर मटर, राहेर या तिवरा का बनाते भी थे और खाते भी थे। क्या इस काम को वह भी कर चुके हैं या सिर्फ चखना का नाम याद है? (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, चखना को तो मैं भूल नहीं सकता हूं। इसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। मैं पिछले 25-30 साल से चखना का इस्तेमाल नहीं करता हूं। ओ बेचारा अभी सिला बीन-बीन के ही काम चलात हे। ओ सिला ला जेन छत्तीसगढ़िया हे, सब जानही। (हंसी)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- भैया, सिला के बदला मुर्रा मिले। ते इहुं ला जान।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति जी, आदरणीय हमारे अजय चंद्राकर जी के बारे में वह क्या-क्या चखना व बाकी बातें बोल रहे हैं। मैं समझता हूं कि इनके अनुभव का लाभ दादी भी लेते हैं और दोनों में बहुत गाढ़ी दोस्ती है। इसका कारण यह है कि यह जितना उसके परिष्कृत रूप में तरह-तरह का जो उसमें व्यंजन और खेत-खलिहान और बाकी चीजों के बारे में जानकारी है तो इतनी जानकारी ले चुके हैं कि अब वह उसे किनारे टांग चुके हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मंत्री जी, आप जहां से आते हैं, वहां अभी-अभी दो-तीन एकड़ खेत में अफीम पकड़ी गई है। क्याा आप उसको कृषि मानकर उस विषय में चर्चा करेंगे? कल दुर्ग जिले

में हुआ था, आज आपके जिले में हुआ है तो क्याक उस विषय को भी कृषि के अंदर शामिल करते हुए चर्चा करेंगे?

श्री अजय चंद्राकर :- लखमा जी का नाम आया है। साल-सवा साल तक वह बिना उसके कैसे रहते थे, उसका एक संस्मरण लिखवाइये। नहीं तो वह तो शाम 5:00 बजे अब टाइम हो गया कहकर विधान सभा से निकल जाते थे। आप उनसे पूछ लीजिये। (हंसी)

श्री कवासी लखमा :- जब आपने चालू किया था, उस समय मैं बंद था। मैंने चालू किया तो आपने बंद कर दिया। (हंसी)

डॉ. चरणदास महंत :- आप लोगों की दुर्भावना के कारण माननीय लखमा जी सब कुछ भूल गए हैं। उनको कुछ भी याद नहीं है और आप यदि उनको फिर से याद दिलाना चाहे तो घर बुलवा लीजिएगा।

सभापति महोदय :- इससे बढ़िया स्वस्थ वातावरण सदन में नहीं बन पाता। सब कुछ बन गया है। ब्या स कश्य प जी, आप दिल से बोलिए।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति जी, जो चर्चा चल रही है उसमें तो आप भी भागीदार आदमी हैं, आप भी कुछ संस्मरण बता दीजिये। (हंसी)

सभापति महोदय :- मैं आपको सारी बातों का जवाब नीचे उतरकर दूंगा।

श्री कवासी लखमा :- आप पास में बैठकर उसी समय दे देना। (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, इस चर्चा में, जिसकी डाला जी और नेता जी ने शुरुआत की थी और आपको भूल गए थे, लेकिन आपने स्मरण दिला दिया कि इस कंपनी का मैं भी पुराना खिलाड़ी हूं। (हंसी)

सभापति महोदय :- मेरी बात आपने बता दी, ठीक है।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, इस हास-परिहास के बीच छत्तीसगढ़ की जान खेती किसानी है। मैं आज इस सदन में प्रदेश के उन करोड़ों अन्नदाताओं की आवाज बनकर खड़ा हुआ हूं, जिन्हें अन्नदाता तो कहा जाता है लेकिन जिनके साथ पिछले 2 सालों में अपराधी जैसा व्यवहार किया गया है। मैं स्वयं पहले एक किसान हूं, बाद में विधायक हूं। खेती मेरी पहचान है और मिट्टी मेरी आत्मा, इसलिए किसान की सिसकियों को मैं अपनी मेज पर महसूस करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि इस कटोरे को थामने वाला हाथ खाली है। मैं तथ्यों के साथ इस सरकार की विफलताओं का कच्चा चिट्ठा खोलना चाहता हूं। जब खेती किसानी चालू करते हैं तो शुरुआत में बीज और खाद की आवश्यकता होती है इसलिए मैं आज खाद से शुरुआत करता हूं। खाद के बगैर हमारा उत्पादन अधूरा होता है। खाद में कमीशनखोरी और बाहरी प्रेम का जो रहस्य है, इस बात को मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, पिछले खरीफ सीजन में हमने जो दृश्य देखे, वे शर्मनाक थे। सरकारी सोसायटियों

में यूरिया का स्टॉक खत्म बता दिया गया जबकि वही यूरिया खुले बाजार में 1,500 रुपया प्रति बोरी तक बिका है। राजस्थान की कंपनी का खेल। मार्कफेड इस राज्य में खाद वितरण की नोडल एजेंसी है, आखिर उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने छत्तीसगढ़ के स्थानीय कारखानों को दरकिनार कर राजस्थान की एक प्राईवेट कंपनी के खाद को सोसायटियों में भर-भरकर बिकवाया। किसान मेरे पास आए और उन्होंने उस खाद की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाया। स्थानीय उद्योग का गला घोंटा गया। हमारे बिलासपुर में ही, जिस संभाग में मैं स्वयं रहता हूं, वहां बी.एस.सी फर्टिलाइजर, भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी प्रतिष्ठित इकाई है। इससे मिलने वाला कच्चा माल, सल्फ्यूरिक एसिड, हमारी सरकारी कंपनी भिलाई स्टील प्लांट से आता है। एक तरफ कंपनी माल दे रही है, स्थानीय इकाई उत्पादन कर रही है लेकिन मार्कफेड ने उन्हें असहयोग कर राजस्थान की कंपनी को लाभ पहुंचाया, यह सीधे-सीधे मोटा कमीशन और भ्रष्टाचार का खेल है। डी.ए.पी के बदले जबरन थोपी गई खाद। जनरली हम किसान जब खेती किसानी करते हैं। सभापति महोदय, आप भी कृषक हैं। हमें डी.ए.पी की प्रथम आवश्यकता होती है। मार्कफेड का सिंगल सुपर फास्फेट (एस.एस.पी.) खाद में कमीशन किसी से छिपा नहीं है। सहकारी समिति के लिए इसकी कीमत 500 रुपये तय की गई है जबकि खुले बाजार में यह 450 रुपये में मिल जाता है। क्या पिछले साल डी.ए.पी के बदले तीन बोरी एस.एस.पी इसी कमीशन के लिए बिकवाया गया? किसानों को जबरदस्ती 20, 20, 0, 13 खाद लेने पर मजबूर किया गया। इसकी सोसायटियों में जबरदस्ती स्टेकिंग कराई गई, नतीजा यह हुआ कि किसान खून के आंसू रोया। मैं जांजगीर-चांपा जिले से आता हूं, वहां के साथ-साथ पूरे राज्य में धान का उत्पादन घट गया है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि सरकार इस बार 149 लाख मीट्रिक टन के बदले 141 लाख मीट्रिक टन ही धान खरीद पाए हैं। प्रमाणित आंकड़ों में वर्ष 2024-25 में 149 लाख मीट्रिक टन उपार्जन के मुकाबले यह वर्ष 2025-26 में घटकर 141 लाख मीट्रिक टन रह गया है। जांजगीर-चांपा में भी उत्पादन साढ़े छह लाख से गिरकर 6 लाख 10 हजार मीट्रिक टन पर आ गया। यह गिरावट प्रमाणित करती है कि खाद नहीं मिलने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है।

सभापति महोदय, ऋण वितरण का विषय आता है। ऋण के बगैर हम खेती किसानी कैसे करेंगे? सरकार 0 प्रतिशत ब्याज पर ऋण का ढिंढोरा पीटती है लेकिन यहां भी किसानों के साथ धोखा हो रहा है । यदि रेशियो का संकट की बात है, तो राज्य स्तर पर स्केल ऑफ फाइनेंस में 60, 40 का रेशियो, जिसमें 60 प्रतिशत नगद और 40 प्रतिशत वस्तु एक बड़ा अड़ंगा है। समितियों के पास 40 प्रतिशत वस्तु कीटनाशक, ग्रोथ प्रमोटर आदि देने की क्षमता ही नहीं है क्योंकि पंजीयन में समितियों को कीटनाशक बेचने से बैन कर रखा है। परिणाम क्या हो रहा है? किसानों को 40 प्रतिशत वस्तु के बदले केवल 20 प्रतिशत ही मिल पाता है। उसे बाजार से नगद कीटनाशक खरीदना पड़ता है। सरकार ने इसे 70:30 किया है, इसके लिए धन्यवाद लेकिन इसे वास्तविक रूप से 80:20 करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, ऋण में कटौती का विषय आता है। मैं जांजगीर-चांपा जिले से आता हूं। पिछली सरकार के समय 184 करोड़ रूपये का ऋण वितरण हुआ था जो इस सरकार में घटकर 164 करोड़ रूपये रह गया है। हमें ऋण भी कम मिल रहा है। यह सरकार उद्योगपतियों को भर-भरकर ऋण दे रही है लेकिन किसानों के के.सी.सी ऋण में डंडी मार रही है। है ये आंकड़े बता रहे हैं। बिलासपुर बैंक का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। खेती किसानी में बैंक की भी बड़ी भूमिका होती है। बिलासपुर जिला सहकारी बैंक में यू.पी.आई की समस्या है। माननीय सभापति महोदय, राजीव गांधी न्याय योजना का नाम बदलकर कृषक उन्नति योजना तो कर दिया गया लेकिन बोनस का पैसा देने में बैंक असमर्थ है। बिलासपुर जिला सहकारी बैंक में जान-बूझ करके यू.पी.आई. की सुविधा शुरू नहीं की गई है। क्या जांजगीर, सक्ती, कोरबा, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही के किसानों ने कोई अपराध किया है? अगर यू.पी.आई. की सुविधा शुरू हो जाये तो बैंकों की भीड़ खत्म हो जाये। लेकिर शायद सरकार चाहती ही नहीं कि किसान परेशान न हों। किसान लोग आज बैंक में लाईन लगाये रहते हैं और 25 हजार रुपये से अधिक की राशि किसानों को नहीं दे पाते। जब अधिक पैसा देना हो तो उसका बोनस देना पड़ेगा, आपको कमीशन देना पड़ेगा तब हम किसानों को लाखों रुपया मिल पाता है। नेताओं से, अधिकरियों से फोन कराना पडता है, तब जाकर किसानों को पैसा मिल पाता है। जांजगीर चांपा के संकट में मैंने व्यक्तिगत प्रयास किया, एक किसान के नाते मैं प्रयास भी करता हूं। कुछ उपलब्धियां हैं जिसमें सरकार का योगदान मिला है। वह बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। जांजगीर चांपा सिंचित जिला है। आज हम डबल फसल भी ले रहे हैं, खरीफ के साथ-साथ फसल भी ले रहे हैं। हमारा सिंचित जिला है, वहां की जमीन पानी से भरी रहती है, वहां धान के अलावा दूसरी फसल सड़ जायेगी। क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम ऐसा नहीं बना है कि हम पाइपलाइन से पानी दें। खुले में पानी लेना है तो हम धान को छोड़ दूसरी फसल नहीं ले सकते। फिर भी प्रशासन रकबा कम करने का दबाव बना रहा है। एक किसान होने के नाते जब मैं खेती किसानी कर रहा था, वर्ष 2021 से लगातार प्रयासरत हूं। पहले हमारे जिले की समितियों में पोटाश खाद का विक्रय शून्य था। मैंन जागरूकता अभियान चलाया। आज पोटाश का विक्रय 1300 टन तक पहुंचा है। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक हम किसान खेती किसानी करेंगे, डी.ए.पी. यूरिया डालेंगे। पोटाश नहीं डालेंगे तो उसका वजन कम रहता है तो पोटाश डालना हम किसानों के लिये जरूरी है। मैंने समझा क्योंकि मैं भी खेती किसानी करता हूं, बीज निगम से अपना पंजीयन कराता हूं। जब तक हमारा वजन नहीं बढ़ेगा तब तक उसका लाभ हमें कैसे मिल पायेगा। सरकार की भी नीति है कि अधिक उत्पादन हो, उसका लाभ किसानों को मिले। इसलिए पोटाश खाद भी जरूरी है तो वर्तमान में हमारे जिले मे 1300 टन तक पहुंची है। इसके लिए मैं बैंक के एक अधिकारी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। चूंकि मैं संघ में रहा हूं, मेरा पुराना परिचय है। उस पुराने परिचय के नाते हमने कहा कि हम किसानों के लिये आप कुछ मदद कीजिये, आप पोटाश की उपलब्धता कराईये। इसके फलस्वरूप जांजगीर-चांपा जिले में

संतुलित खाद धरती माता को उपलब्ध कराई। माननीय महोदय, केवल पोटाश ही नहीं, हमारी मिट्टी को जिंक, मैगनीज और माइक्रो न्यूट्रीशन की जरूरत है। अगर हम मिट्टी में संतुलित खाद नही डालेंगे तो आने वाली पीढ़ी को पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा और वे केवल मेडिकल स्टोर पर मल्टीविटामिन की गोलियां ढूंढते रह जायेंगे। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में पोटाश के साथ-साथ जिंक, मैगनीज और माइक्रो न्यूट्रीशन जैसे जितने भी हैं, सेवा सहकारी समिति के माध्यम से वह हमको उपलब्ध कराई जाये। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि आपने 70-30 किया है, उसको 80-20 किया जाये और समिति को सीधे इफको या कुरफको कंपनी जो शासकीय अर्द्धसरकारी है, से कीटनाशक, खाद खरीदने की आजादी दी जाये। मार्कफेड का कमीशखोरी वाला एकाधिकार खत्म हो। महोदय, मै किसान के नाते अनुभव करता हूं कि किसी प्राइवेट दुकान में बैठा रहता हूं तो बड़ी-बड़ी कंपनिया बायर, सीजेंटा, यू.पी.एल है, इन कंपनियों का जो एम.एस.पी., एम.आर.पी. लिखाया रहता है वह अत्यधिक रहता है और जो विक्रेता है वह विक्रेता देख ताककर कितने पैसे में किसान पट जायेगा, उन दवाईयों को बेचता है। परंतु गुणवत्ता की भी बहुत सारी परेशानी जाती है। मैं चाहूंगा कि हमारी सरकारी कंपनी इफको, कृपको भी कीटनाशक का निर्माण करती हैं। इन कीटनाशकों को भी सेवा सहकारी समिति के माध्यम से हम किसानों को मिले। यह बात की मैं मांग करता हूं। सुशांत शुक्ला जी मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे रहे हैं। वह भी बिलासपुर जिले से आते हैं, उनके पास भी लोग आते होंगे, लाइन लगी रहती है। इसलिए वहां तुरंत यू.पी.आई. की सुविधा शुरू की जाये।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए सुन रहा था कि वह बताये कि मैं इधरी से गया हूं। वह किससे प्रताड़ित होकर गये हैं, यह नहीं बताते।

सभापति महोदय :- उनको बोलने दीजिए। ब्यास जी, आप बोलिये।

श्री ब्यास कश्यप :- अरे भई मैं जिससे प्रताड़ित होकर आया हूं, माननीय मंत्री जी का संरक्षण है और मंत्री जी मेरे को आज तक इस सवा दो साल में अपने विभाग की ओर से एक राशि नहीं देते, उनकी अनुशंसा पर लाखों के काम स्वीकृत कराते हैं। इसलिए यहां आया हूं।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- व्यास जी के साथ मेरे तो बड़े अच्छे संबंध हैं ।

श्री सुशांत शुक्ला :- अच्छे संबंध हैं, कैसे संबंध हैं, यह तो बताईये ?

श्री रामविचार नेताम :- अरे, बहुत अच्छा है, यह तो तगड़ा आदमी है, वजनदार आदमी है और जितना वजनदार यह हैं इनसे ज्यादा वजनदार इनकी श्रीमती जी हैं । (हंसी)

श्री ब्यास कश्यप :- हां, हैं और हमारी धर्मपत्नी और आपकी धर्मपत्नी एक-साथ जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं । महोदय, यह भी बता दीजिये । महोदय, जिनको आपके मित्र और मुझे यह बोलते थे, अजय जी रहते तो मैं खेती-किसानी की बात करता ।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, हमने ही उनको वहां सेंध मारने के लिये भेजा है, वह बेचारे दर्द में बता नहीं पा रहे हैं । (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- क्या हमारे वह वहां सेध मारने के लिये चले गये हैं? (व्यवधान)

श्री ब्यास कश्यप :- मैं सेंध मारने के लिये यहां आया हूं, आप लोग यहां आने के लिये कितने तैयार और प्रताड़ित हैं, आप अपनी पीड़ा मुझे बताते हैं ।

सभापति महोदय :- वह पूरी बात बता दिये हैं, आपने सुना नहीं तो कोई क्या करेगा ।

श्री ब्यास कश्यप :- चूंकि हमारी संख्या-35 है उसको कैसे भी करके 47 ले जाना है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सुशांत ला ऐती भेज दे ।

श्री ब्यास कश्यप :- ताकि आने वाले इसी समय में हम वहां पर पहुंच जायें । माननीय सभापति महोदय, मैं बिलासपुर में तुरंत यू.पी.आई. सुविधा की मांग करता हूं और राजस्थान की प्राईवेट कंपनी को लाभ पहुंचाने वाले अधिकारी और मार्कफेड के खाद घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग करता हूं ताकि हमारे यहां के खाद वाले नुकसान से मुक्ति पायें । जांजगीर-चांपा में किसानों के धान का रकबा कम करने का दबाव बंद कर दिया जाये । किसान का पसीना मिट्टी में मिलता है तो सोना उगता है लेकिन अगर उनकी आंखों का पानी मिट्टी में मिल गया तो यह सत्ता की नींव हिला देगी । मैं आशा करता हूं कि यह सरकार आंकड़ों की बाजीगरी छोड़ धरातल की इन समस्याओं का समाधान करेगी, मैंने इस विषय पर अपनी बात कही ।

माननीय सभापति महोदय, खाद के बाद मुख्य रूप से हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है । निश्चित रूप से पूर्ववर्ती सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में राजीव गांधी कृषि उन्नति योजना, अब यह कृषि समृद्धि योजना की राशि मिलने के कारण धान का रकबा लगातार बढ़ रहा है, लगातार धान की उत्पादन क्षमता भी बढ़ रही है और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम खरीफ में तो धान लगा लेते हैं लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि अभी रबी फसल में भी अधिकांश किसान जो ट्यूबवेल से जिनके पास पर्याप्त पानी है वह भी आज धान लगा रहे हैं क्योंकि धान का मूल्य मिल जाता है, दलहनी-तिलहनी का मूल्य उनको नहीं मिल पाता । माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे एक आग्रह है कि आप रबी फसल में खासकर एक ऐसा कार्यक्रम बनायें, हम तो खरीफ फसल में प्रकृति और मौसम आधारित खेती करते हैं लेकिन रबी की जो फसल है वह उपयोगिता अनुसार पानी के हिसाब से खेती करते हैं । जैसे मैं हसदेव बांगो से हूं या धमतरी जिला, महासमुंद जिला जहां पानी मिलता है वहां के किसान धान लगाते हैं परंतु आप प्रतिबंध कीजिये कि ट्यूबवेल से लगाने वाले किसानों को, मैं इस बेंच से बोल रहा हूं और मैं माननीय नेतागण लोगों से और मेरे दल के लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी उसका समर्थन कीजिये कि आने वाले समय में धान के बदले धान के लिये हम पीछे न पड़ें। (मेजों की थपथपाहट) आप प्रोत्साहित कीजिये कि ट्यूबवेल से धान लगाना प्रतिबद्ध हो क्योंकि ट्यूबवेल से

जायेगा तो विद्युत की भी खपत ज्यादा होगी और भू-जल पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, वह धरती मां का पुण्य जल है । (मेजों की थपथपाहट) उस जल पर सबका अधिकार होता है और 1 किलो चावल उगाने में कितने लीटर पानी खपत होता है, आप इस बात का अध्ययन करवाईये और आने वाले समय में जैसे मोदी की गारंटी, इच्छा शक्ति बंद करने की बात आती है कि नोटबंदी कर दिये, कोरोना काल में सब कर दिये तो यह भी तो थोड़ा सा कठोर निर्णय लीजिये जब तक कठोर निर्णय नहीं लेंगे तब तक फसल चक्र परिवर्तन नहीं होगा । आपको फसल चक्र परिवर्तन करना है, मैं एक-बार सचिव महोदया के साथ भी इस बात को लेकर अपनी बात कह रहा था कि आप संभाग स्तर पर या जिला स्तर पर अलग-अलग जिले का, अलग-अलग ब्लॉकों की अलग-अलग तासीर होती है कि किस जिले का मौसम और जलवायु कैसा है, उसके अनुरूप आप जगह का चयन कीजिये और फसल चक्र परिवर्तन वहां से कीजिये और उनको एक-बार ईमानदारी से सरकारी बीज उपलब्ध कराईये और उस बीज को आपके अंतर्गत चलने वाली जो सेवा सहकारी समिति से नहीं खरीद पाते तो कम से कम हर ब्लॉक में मण्डी है, मण्डी के माध्यम से उन बीजों का जो दलहनी और तलहनी हो, सरकार जो एम.एस.पी. तय करती है उस एम.एस.पी. के आधार पर आप खरीदिये, देखियेगा कि छत्तीसगढ़ भी दलहनी और तिलहनी के लिये भारत में नाम कमायेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है । यहां के किसान को पसीना बहाना भी आता है तो हम इस पसीने का मूल्य समझें और आने वाले समय में फसल चक्र परिवर्तन के लिये कुछ कठोर नीति बनायें और जवाबदारीपूर्वक जब काम करेंगे तो इसका आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के किसान को भी लाभ होगा । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं । यहां की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, मछलीपालन पर आधारित है। इन तीनों क्षेत्रों में कई तकनीकी संरचनाएं और बाजार से जुड़ी चुनौतियां हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में प्रमुख बातें हैं जो मैं आपकी ओर अवगत करना चाहूंगा। यहां धान पर अत्यधिक निर्भरता छत्तीसगढ़ के अधिकांश क्षेत्रों में एकल फसल धान की खेती है इससे मिट्टी की उर्वरता कम होती है और किसानों की भी आय सीमित रहती है। अगर आप दूसरी फसल लेंगे तो मैं इसका स्वयं उदाहरण हूं मैंने बीज निगम में पंजीयन करवाया और मैंने 100 रूपये में भी चना को बेचा है। अगर हम 4 क्विंटल भी करेंगे तो 40 हजार रूपया एकड़ के पीछे उससे अपना उत्पादन ले सकते हैं और धान में बमुश्किल से 30 हजार रूपये भी नहीं जाता और हमारा लागत मूल्य बढ़ जाता है।

सभापति महोदय, मुझे यह पता है कि आप भी मुंगेली, कवर्धा क्षेत्र के हैं आपके एरिया में पहले कितना चना लगता था, पहले यह कहा जाता था कि भाई, तखतपुर मुंगेली के बेल्ट में चना और धना करके चना-चना करके बात आती थी। पर आज चने के बदले में धान भी लग रहा है। जब हम उस क्षेत्र में जाएंगे तो आज भी चना नहीं दिखेगा, वहां धान की मात्रा ज्यादा दिखती है। क्योंकि धान बीज के लिए किसानों को ज्यादा लाभ मिल जाता है व्यापारी उसे खरीदने के लिए तैयार रहते हैं और चना खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। आपको भी सोसायटियों के माध्यम से चना की आवश्यकता पड़ती है तो

कम से कम ऐसी फसलें जिसे सोसायटियों के माध्यम से हम गरीबों को जिस क्षेत्र में बांटते हैं आप उनके लिए खुद उत्पादन करवाईये, माननीय मंत्री महोदय जी आप दूसरे राज्यों से निर्भरता खत्म कीजिए, मैं आपसे इस बात का आग्रह कर रहा हूँ।

माननीय सभापति महोदय, जब खेती किसानी की बात होती है तो उसमें मछली पालन का भी जिक्र होता है। निश्चित रूप से यहां धान का क्षेत्र है तो यहां पर तालाब, नदी-नाले, डबरी भी पर्याप्त है और मैं बार-बार इस बात को कहता हूँ कि पहले छत्तीसगढ़ की मछली उड़ीसा, बिहार, अब भले झारखण्ड बन गया है जमशेदपुर टाटानगर जाता था या कलकत्ता जाता था। आज यह स्थिति आ गयी है कि यहां आर्थिक उन्नति आयी है अब हमारा किसान बाहर प्रदेशों से मछली की खपत कर रहा है तो यहां पर जो 12 मासी तालाब है, उन तालाबों में प्रशिक्षण देकर, मछली पालन करवाईये ताकि अधिक उत्पादन हो सके। आप नेशनल हाईवे से जाएंगे वहां पर माननीय अकलतरा क्षेत्र के विधायक और सौरभ सिंह जी का गांव अर्जुनी है, उस गांव में हम अनुभव करते हैं कि वहां पर कितनी भारी मात्रा में मछली का उत्पादन होता है, वैसी तकनीकी आप हम लोगों को भी सिखाईये। हमको भी प्रशिक्षण दीजिए। एक बात और है आपके इस मछली पालन विभाग में जिसकी कठिनाईयां हैं मैं यह बात कहना चाहूंगा कि मछली पालन में आपके जो देश और प्रदेश के नियम हैं, नीति है कि भाई, हमारे मछुआरों की जो समिति है, हमें उन समितियों को लाभ पहुंचाना है, पर प्राय: देखने में यह आता है कि ग्राम पंचायत के सरपंच लोग या नगर पालिका क्षेत्र हो, इन जगहों के जनप्रतिनिधि लोग मिलकर, अपने-अपने लोगों को दे देते हैं और मछुआरा भाईयों को इसका लाभ नहीं मिलता है। जिसका मूल काम ही मछली पालन होता है। मैं आपसे यह आग्रह करता हूँ कि आप उनके हक को मत मारिये। मेरे जिले में ही..।

सभापति महोदय :- माननीय ब्यास जी, एक मिनट। आप क्या बोल रहे थे। आप बोलिए इसीलिए मैंने उनको रूकवाया है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, माननीय ब्यास जी जो बोल रहे हैं वह वास्तव में यह पूरे प्रदेश में है, एक तो ऑक्शन होने पर ज्यादा से ज्यादा शासन के राजस्व का नुकसान होता है, लेकिन गरीब लोगों के हित में बनाया गया है, लेकिन धरातल में केवल वह नाम पर है। वह लोग चंद पैसे दे देते हैं और इसमें बड़े लोग काम कर रहे हैं। इसमें पूरे प्रदेश में आवश्यक रूप से जांच होनी चाहिए कि वास्तव में यहां पर कौन सी समिति काम कर रही है और अगर समिति के नाम पर है और वह दूसरा काम कर रहे हैं।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इसीलिए आकर्षित कर रहा था कि हमारे जिले में एक बड़ा आन्दोलन हो गया। उस आन्दोलन में 32 मछुआरों के खिलाफ एफ.आई.आर. हो गया। उसका एक मात्र कारण था कि वहां मछुआ स्वसहायता समूह को न देकर, अन्य व्यक्ति जो मछली पालन में अनभिज्ञ हैं जो उसका लाभ उतना नहीं कमा पायेंगे, अगर वह

लाभ नहीं कमा पायेंगे तो छत्तीसगढ़ को भी लाभ नहीं होगा, केवल उसका दुरूपयोग हो रहा है इसलिए उसमें मछली उत्पादन के क्षेत्र में उन मछुआरा बंधुओं को प्राथमिकता दी जाये। आपके बोर्ड के जो प्रमुख बने हुए हैं जब हम उनके सामने मांग करते हैं तो हमारे मछुआरे भाई बोलते हैं कि अरे भाई, क्या करेंगे, हमारे अध्यक्ष आते हैं, मछली ऑफिस में जाते हैं और अधिकारी से मिल लेते हैं, वह क्या-क्या लेकर चले जाते हैं और हमारी आवाज नहीं उठाते हैं। जो किसान मछली उत्पादन करते हैं मैं उन किसानों की आवाज बनकर, यहां पर उस बात को कहना चाह रहा हूँ। सरकार इस विषय पर थोड़ा संज्ञान लें ताकि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों को देने के लायक हम मछली उत्पादन करें । न कि हमारे प्रदेश में अन्य प्रदेश की मछली आये, इस बात की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, बगैर पशु-पालन के अब खेती भी नहीं होती । चूंकि हम खाद के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं । पशुओं से उत्पादित जो खाद है, उस खाद का उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए पशु-पालन को भी बढ़ावा देने की कोशिश हमें करनी चाहिए । अजय भैया खेती के लिए बोलते हैं । मैं खेती किसानी ही नहीं, पशु पालन भी करता हूं । आज भी मेरे यहां 50 लीटर से ज्यादा दूध का उत्पादन होता है और लगभग 40 गाय और भैंस है । मुझे दूध बेचना नहीं पड़ता, मेरा होटल का भी व्यवसाय है, अजय भैया को पता है । होटल का भी व्यवसाय है तो एक साथ एक काम दो काज़ हो जाता है तो पशु पालको को भी हमें बढ़ावा देना है, दूध उत्पादन को भी हमें बढ़ावा देना है । हमारे प्रदेश में उन्नत नस्लों की कमी है । अधिकतर पशु स्थानीय नस्ल के हैं, दूध उत्पादन कम होते हैं । डॉ. रमन सिंह जी की सरकार के समय में माननीय बृजमोहन भैया ने मुझे कामधेनू विश्वविद्यालय की कार्य समिति का सदस्य बनाया था । उस समय 10 करोड़ रूपए कामधेनू विश्वविद्यालय को कोसली गाय के संवर्धन के लिए देने का प्रस्ताव था, ताकि उसका दूध उत्पादन कैसे बढ़े । अब तो मैं सदस्य नहीं हूं। उसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसके विषय में मैं नहीं जानता । परन्तु हमारे छत्तीसगढ़ की कोसली गाय जिससे हमें स्वर्ण युक्त दूध मिलता है, स्वादिष्ट दूध मिलता है, हमें उसके संवर्धन के लिए प्रयास करना चाहिए । अगर हम कोसली गाय को अधिक दूध उत्पादन क्षमता के लायक बना लेंगे तो छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी समस्या है, हम रबी फसल में पिछड़ रहे हैं, उसके पीछे एक मात्र कारण है कि कम दूध उत्पादन होने के कारण हम किसान पालक ही उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं और छोड़ने के कारण हमारा पशुधन खेत में जाता है और खेत में जाकर हमारे ओनहारी लगने के लिए पीला गाय की स्थिति आ जाती है । आज हम ओनहारी से वंचित हो गए हैं । पहले तिवरा लगाते थे, अलसी लगाते थे और विभिन्न प्रकार के मटर, अलसी और क्या-क्या नहीं लगाते थे, आज वह लगना बंद हो गया है । इसलिए कोसली गाय का संवर्धन हो, ताकि हमें अधिक दूध उत्पादन मिले और वह कोसली गाय अगर घर पर रहेगी तो हमारे फसल की बचत होगी और फसल की बचत होगी तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को इसका लाभ मिलेगा । चारा और चारागाह की कमी है । कई जगह चारे की भूमि कम होती जा रही है ।

मैं आपसे मांग करता हूं । माननीय भूपेश बघेल जी के समय कांग्रेस की सरकार में गो संवर्धन के लिए गोठान की व्यवस्था की गई थी और गोठान में लाखों एकड़ की जमीन संरक्षित है, घेरा हुआ है । मैं चाहूंगा कि आप उस जमीन का उपयोग कीजिए। अगर आप किसानों को पशु पालने नहीं दे रहे हैं तो कम से कम चारा उगाने के लिए दीजिए । यदि वह घेरा भी रहेगा तो कम से कम हमारे पशुधन को हम एक जगह संरक्षित रखें, ताकि हमारा पशु भी स्वस्थ और मजबूत होगा । अधिक दूध देने वाली होगी और दूसरी तरफ हम किसानों के फसल की भी बचत होगी ।

सभापति महोदय, पशु चिकित्सालयों की कमी है । डॉक्टर और दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पाती । इस ओर ध्यान देंगे । फसल बीमा और डेयरी नेटवर्क कमजोर है । सामान्यत: सरकार की योजनाएं आती हैं । जब सरकार की योजनाएं अच्छी रहती हैं, चाहे सरकार किसी की रहे, वह किसानों के हित के लिए रहती है, परन्तु अधिकारी क्या करते हैं, यह मेरा अनुभव है कि वे अपने चहेते लोगों को गाय देंगे या अपने चहेते लोगों का बीमा कराएंगे और वह खेल कुछ ही लोगों तक हो पाता है। सरकार की महती योजना धरातल तक नहीं उतर पाती, इस विषय में थोड़ा सा भविष्य में ध्यान देने की जरूरत है । पशु रोग नियंत्रण के लिए भी हमें ध्यान देना पड़ेगा । जैसे लम्पी जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा रहता है । इन सब विषयों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है । मछली विभाग में तो मैं बोल चुका हूं, इसमें हम थोड़ी प्रगति करें । जांजगीर चूंकि हमारा जिला है, अब तो सक्तिअलग हो गया है । छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तालाबों का जांजगीर जिला, जहां बारह मासी पानी रहता है । छत्तीसगढ़ में अन्य जगह तालाब हैं, परन्तु हमारे जांजगीर में रबी फसल में धान की फसल में पानी देने के कारण बारह महीने हमारे जिले के तालाब लबालब रहते हैं इसलिए जांजगीर में प्रशिक्षण केन्द्र खुलवाईए, ताकि पूरे प्रदेश के लोग भी जाकर वहां मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण करें । हो सके तो फिशरीज के लिए एक मात्र कॉलेज कवर्धा में है, एक कॉलेज कृपा करके जांजगीर में खोलिए । कृषि महाविद्यालय हैं । चाहें तो उसमें कुछ कोर्स चालू करवा दें, मछली उत्पादन को हम कैसे बढ़ाएं, इसके लिए मैं मांग करता हूं ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, क्या है कि जांजगीर में नहर का पूरा जाल है। इनके यहां कभी पानी कम नहीं होता है। फिशरीज को जो विश्वविद्यालय है, वह जांजगीर में खोलेंगे तो ज्यादा उपयोगी होगा। यह उनकी जो मांग है, वह वाकइ में बहुत अच्छी मांग है। आप इस पर सोच-विचार करियेगा।

श्री रामविचार नेताम :- इनके यहां मगरमच्छ भी है।

श्री ब्यास कश्यप :- है न। मगरमच्छ को मछली भी चाहिए, पशु भी चाहिए, बकरा भी चाहिए, मुर्गी भी चाहिए।

श्री उमेश पटेल :- आप किस मगरमच्छ की बात कर रहे हैं ? यह बताईये।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, आप एक बार कोटमी सोनार आईये। आप वहां तालाब में ऐसा करके बकरा रखेंगे, तालाब में बकरा दिखायेंगे तो वहां जितने मगरमच्छ हैं, वह दौड़े-दौड़े चले आयेंगे। उनको नाम से भी बुलाये जाते हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपसे आग्रह है कि आप यहां आयेंगे तो हमारे प्रदेश के एक मात्र मगरमच्छ केन्द्र की जरूर चिंता करेंगे। अगर आपकी दृष्टि वहां जाये तो उसका कुछ न कुछ लाभ उस क्षेत्र को मिलेगा।

सभापति महोदय :- वहां मत्री जी को आना है तो क्या-क्या लाना पड़ेगा ?

श्री ब्यास कश्यप :- देखिये, आप जब तक कुछ लेकर जायेंगे नहीं तब तक मगरमच्छ भी नहीं आयेंगे। (हंसी)

सभापति महोदय :- चलिये बोलिये।

श्री ब्यास कश्यप :- मैं स्थानीय होने के नाते व्यवस्था कर दूंगा।

श्री उमेश पटेल :- यह वही मगरमच्छ है क्या, जिसकी मंत्री जी बात कर रहे थे ?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति जी, मैं शुरूआत में वहां गया तो वहां मुझे पूरे गांव के लोग घेर लिया था, लोग मेरे पास आये। उसमें एक व्यक्ति जो मगरमच्छ से प्रभावित होकर बच गया था, उस आदमी को मगरमच्छ ने पकड़ा था और उसका हाथ काटकर ले गया। जब भी वहां कोई नेता जाता है, पता नहीं वह व्यक्ति जिंदा है या नहीं, अपने हाथ को दिखाता था कि देखो मगरमच्छ ने मेरे हाथ को पकड़ लिया था, आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं वहां जाकर साक्षात इस तरह की घटना को देखा हूं। वहां बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे। एक जमाने में रेल्वे ट्रेक में मगरमच्छ कट जाते थे। इस तरह की घटनाएं हुई हैं। अब तो चारो तरफ से बेरीकेटिंग हो गया है। अब अच्छी व्यवस्था हो गई है, सरंक्षित हो गया है।

सभापति महोदय :- अब सरंक्षित हो गया है।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, सरंक्षित हो गया है, फिर भी मगरमच्छ के बच्चे निकल जाते हैं। बाद में हमारे यहां बच्चे उनको पकड़कर तालाब में डालते हैं।

श्री राम विचार नेताम :- सभापति महोदय, हमारे लिए एक गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसा भी स्थान है जो कम से कम टूरिज्म का बहुत बड़ा केन्द्र उस नाम से है। लोग वहां मगरमच्छ के नाम से जाते भी हैं। उससे बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी निकली हैं। इस बारे में ब्यास जी को आगे बहुत अच्छे से जानकारी है।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, किसान की 2-4 बातें हैं, वह पूरे प्रदेश के विषय में है।

सभापति महोदय :- मेरा मतलब है कि आप आधे घण्टे से ऊपर बोल चुके हैं। अब आप समाप्त करने का प्रयास करें।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, समाप्त कर रहा हूं। मैं शार्ट कर देता हूं। संक्षेप में विषय ऐसा है कि डॉ. रमन सिंह जी की सरकार के समय एक महत्वाकांक्षी योजना थी। जब उनका शासन था तो प्रत्येक जिले में कृषि कालेज खोले गये थे ताकि छत्तीसगढ़ के किसान के बच्चे पढ़ें, वहां सेठ के बच्चें नहीं पढ़ते हैं, वहां किसान के बच्चें पढ़ते हैं। किसान के बच्चे हैं। बी.एस.सी. कर लेंगे, बी.एस.सी. करन के बाद एम.एस.सी. कर लेंगे। आज बी.एस.सी. और एम.एस.सी. करने के बाद भी छत्तीसगढ़ के हजारो बच्चें बेरोजगार घूम रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपके कृषि विभाग में जितनी भी नियुक्तियां खाली है, तत्काल उनकी नियुक्तियों से भरी जाये ताकि जो बेरोजगार बच्चें बी.एस.सी., एम.एस.सी. करके रोजगार के लिए रूके हुए हैं। जितनी भी रिक्तियां हैं, सब रिक्तियों को भरने की कृपा करें। ताकि उन बेरोजगारों को रोजगार, नौकरी मिल जाये, मैं यह बात कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैं आपसे एक विशेष बात जेम्स पोर्टल योजना विषय में कहना चाहूंगा। पहले किसानों को सीधे ट्रेक्टर मिल जाता था, रोटा-बीटर मिल जाता था, रीपर मिल जाता था, उनको कृषि यमंत्र मिल जाते थे। परन्तु आज की तारीख में जेम्स पोर्टल होने के बाद एकल खिड़की हो गया। एक खिड़की में कब किसका पोर्टल खुलता है और कब किसका पोर्टल बंद होता है, कब किसको क्या मिलता है, पता नहीं चल पाता है। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर चीज में गुजरात मॉडल लाना चाहती है। मैं कृपा करके अनुरोध कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ रहने दीजिये। छत्तीसगढ़ को किसानी के लिए ऐसा मजबूत बनाईये क्योंकि किसानों को कृषि यांत्रिकीकरण की भी आवश्यकता है। आज पूरे प्रदेश में मात्र 5 संभाग स्तर पर कृषि यांत्रिकी कार्यालय है। इसलिए मैं चाहूंगा कि कृषि अभियांत्रिकीकरण के लिए कम से कम जिला में कार्यालय तो खोल दीजिये, ताकि किसानों के आवेदन वहां आ जाएं, बार-बार संभागीय मुख्यालय उनको न आना पड़े। सरकार को किसानों के लिए कृषि यांत्रिकीकरण के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। महोदय, यह बात मैं कहना चाहूंगा। चेम्स पोर्टल की जो अनियमितताएं हैं, उससे मुक्तकरण करना है तो जिला स्तर पर इसके लिए हमें काम करना होगा ताकि सही किसानों को लाभ हो पाए अन्यथा देने वाले भी मस्त और लेने वाले भी मस्त, जिससे हम किसानों का भला होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि चेम्स पोर्टल की जो तैयारी है, मजबूत कीजिए और सही लाभ किसानों तक जाए। माननीय महोदय, आप आदिम जाति कल्याण विभाग के भी माननीय मंत्री महोदय हैं। अब भले ही आपसे छीनकर हमारे गुरु खुशवंत साहब के पास भी अनुसूचित जाति का विभाग चला गया है। हमारे जिले में भले ही जनजाति की कम संख्या है, परंतु आपके विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की कमी नहीं है। मैंने अपने उस बजट में चौधरी साहब से भी बात की थी कि जांजगीर में 100 सीटर पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास दिया जाए । तो वह तो बाद का विषय महोदय देंगे या नहीं देंगे, पर वर्तमान में जितने आपके संचालित हैं, मैं जब खुद भ्रमण करने जाता हूं तो वहां पर छात्र-छात्राएं, चूंकि छात्राओं के यहां नहीं जाता, छात्रों के यहां जाता हूं, छात्राओं के यहां तो जा

नहीं सकता एक प्रतिबंध है महोदय। तो मैं आग्रह करता हूं कि जितने भी छात्रावास चाहे बालक हो या चाहे बालिका हो, वहां पर उनकी उपस्थिति नगण्य रहती है, परंतु शासन की ओर से जितनी दर्ज संख्या है, उससे अधिक दर्ज संख्या दिखाकर शासन के पैसे का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, उस पर थोड़ा सा रोक लगाइए, यह एक गंभीर विषय है। हम चाहते हैं कि सही लोगों को उसका लाभ मिले। सही लोगों को उसका लाभ मिले, इसके लिए मैंने ध्यानाकर्षण लगाया था, परंतु आपका शासन है, आपका जवाब आ गया है, मैं पढ़ चुका हूं। आप बचाइए मत। आप बचाइए मत। उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, उनके हक को छीना जा रहा है, उनके पेट पर लात मारा जा रहा है, ऐसे छात्रों को मजबूत कीजिए और आपकी योजनाएं सही ढंग से पहुंचे और उन अधिकारियों को जो गलत करते हैं, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। महोदय, यह आवश्यक है। मुझे माननीय सभापति महोदय की ओर से निर्देश मिला है, निश्चित रूप से आधा घंटा से ऊपर हो गया, इस बात को मैं समझता हूं, मेरे बाद कई सम्मानीय सदस्यों को बोलना है। मैंने प्रयास किया है कि छत्तीसगढ़ के इन कृषक बंधुओं की समस्याओं को लेकर मैं अवगत कराया हूं। मुझे उम्मीद है कि आपका यह संकल्प का बजट है उसको सिद्ध कीजिए और आने वाले समय में जो कठिनाइयों से हम किसान गुज़र रहे हैं, उससे मुक्ति दिलाइए। मुझे कहने के लिए आपने समय दिया, महोदय, उसके लिए धन्यवाद।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- एक मिनट। श्री मोतीलाल साहू। आप कुछ बोलना चाहेंगे?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- बस एक ही मिनट में।

सभापति महोदय :- हां, बोल लीजिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो सड़क में गाय पशु घूम रहे हैं, उसमें मेरा आपसे निवेदन था, क्योंकि मैं यादव हूं तो जो हमारे पूर्वज हैं, 200-300 गाय-भैंस रखते थे तो जंगल में जहां सेंचुरी इलाके से जो बाहर होती थी, परसा की लकड़ी से बाउंड्री बना देते थे और एक चरवाहा जो है 200-300 गाय को एक या दो चरा लेते थे। जो सड़क में पशु घूम रहे हैं, हर जिले के आसपास जंगल है। आप केवल लकड़ी का बाउंड्री बनवा दीजिए दो ठोक बोर करवा दीजिए, दो-तीन चरवाहा रख दीजिए, बहुत कम लागत पर ये जो सड़क में पशु घूम रहे हैं, राजनांदगांव जिले में जैसे हमारे महासमुंद जिले का बारनवापारा लगा है, रायगढ़ के आसपास भी जंगल है, बिलासपुर के मरवाही तरफ और अगर आप पैसा नहीं खर्च करना चाहते तो केवल लकड़ी का बाउंड्री बनवा दीजिए, बोर करवा दीजिए और यादव लोग को प्राथमिकता दे दीजिए, वे लोग चरा लेंगे और तनख्वाह देंगे तो ठीक और नहीं देंगे तो उस दूध से भी हो सकता है।

सभापति महोदय :- श्री मोतीलाल साहू।

श्री आशाराम नेताम :- ममा, तोर करा के ठन गाय है?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मोर करा 150 है।

श्री आशाराम नेताम :- ओहि मन ला छेके ला बोलत हस।

सभापति महोदय :- बैठिए न, हो गया।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं-नहीं। माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- वे जवाब बाद में देंगे न।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हां मंत्री जी, आप इसको गहराई से अध्ययन कर लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है।

सभापति महोदय :- आपने कह दिया, मंत्री जी ने सुन लिया, जब उन्हें जवाब देना होगा तो देंगे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, धन्यवाद।

समय :

2.30 बजे

(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए)

श्री मोतीलाल साहू (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री श्री रामविचार नेताम जी के विभागों की अनुदान मांग संख्या 13, 14, 16, 33, 41, 42, 54, 68, 82 एवं 83 का मैं समर्थन करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य को हम सब कृषि प्रधान राज्य के रूप में जानते हैं। यहां जितनी भूमि पर खेती होती है, उसका लगभग 81% ऐसा क्षेत्र है, जिसमें धान की पैदावार होती है। छत्तीसगढ़ में किसानों की जो स्थिति है, उसे लोग ऐसा कहते थे कि 'खेती अपन सेती', यानी एक ऐसा उपेक्षित भाव से, बड़े दुखी मन से किसान इस बात को कहते थे। क्योंकि अन्नदाता अपने जीवन स्तर में बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करते थे। लेकिन माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, उसके कारण आज उनके चेहरे पर खुशहाली दिखाई देती है। किसानों के चेहरे पर पहले जो चिंता की लकीरें दिखती थीं, अब वे समाप्त हो चुकी हैं और यह कृषि बजट भी आने वाले समय में किसानों की खुशहाली लाने वाली बजट है। क्योंकि इससे पूर्व किसान जब ऋण लेते थे, तब सेठ-साहूकारों के चक्कर में उनकी जमीनें बिक जाया करता थीं। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से बिना ब्याज के किसानों को ऋण मिलने लगा है, उनकी चिंता दूर हुई है, वे खेती की ओर फिर से आकर्षित हुए हैं और अब वे अच्छी खेती करने लगे हैं। राज्य में अधिकांश ऐसे क्षेत्र हैं, जो वर्षा पर निर्भर है। वहां अच्छी वर्षा हो गई तो फसल अच्छी होगी और अच्छी वर्षा नहीं हो पाई तो फिर उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है, जिसके कारण बीज, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि यंत्र इत्यादि उनको को उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। लेकिन सरकार की विशेष छूट, खाद में सब्सिडी और कृषि यंत्रों में छूट के कारण आज किसान आधुनिक खेती करने के लिए

अग्रसर हो चुके हैं। इसी का परिणाम है कि किसान जब कभी बाजार में अपनी फसल उत्पादन को बेचने जाते थे, तब उनको अपने उत्पादन को औने-पौने दामों में बेचना पड़ता था और उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थीं। लेकिन वर्ष 2023 में मोदी जी की गारंटी को लेकर जब विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी, तब विभिन्न योजनाओं को लाकर किसानों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। जैसे कि प्रति क्विंटल 3100 रूपये की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में किसान अच्छी होली खेलें, सभी उत्सव के साथ होली त्योहार मनाएं। इसलिए होली त्यौहार के पूर्व एम.एस.पी. की बकाया राशि 10,324 करोड़ बिना किसी तकलीफ के उन्होंने किसानों के खाते में पहुँचाया। प्रदेश में 141 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी इस बात का द्योतक है कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में प्रमाणित बीज, खाद उपलब्ध कराया गया है। जैसे कि अभी वे कह रहे थे कि प्रदेश में यूरिया एवं डी.ए.पी. की शॉर्टेज थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा है। हमोर प्रदेश के किसानों ने मेहनत किया और उनको समय पर सरकार ने खाद, बीज उपलब्ध कराया है, जिसका परिणाम ही है कि हम 141 लाख मीट्रिक टन धान संग्रहित कर पाए हैं। यह आंकड़े इस बात का द्योतक है कि सरकार किसानों के हित में लगातार अपना काम करते आ रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के हित में जो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। वे यही सोच कर दे रहे हैं कि अन्नदाता किसान कभी तकलीफ में न रहे और उनके लिये 6000 रूपये प्रतिवर्ष 2000 रूपये 4 माह के हिसाब से जो दे रहे हैं, उससे उनको बड़ा लाभ हो रहा है । हमारे राज्य सरकार के द्वारा भी माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में जो 5 लाख भूमिहीन कृषि मजदूर है, उनको 10 हजार सालाना जो राशि दे रहे हैं, यह खेती के लिये जो कामगार लोग हैं, चाहे वह किसान हो या इस क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर हो, उनकी खुशहाली के लिये, उनके जीवन स्तर के लिये, योजनाओं के माध्यम से जो व्यवस्था दी जा रही है, यह निश्चित तौर पर सराहनीय है और हम इसके लिये धन्यवाद देते हैं और देते रहेंगे । कृषि उन्नति योजना के तहत इस वर्ष भी बड़ी राशि जो है वह आवंटित किया गया है और बजट में प्रावधान लाया गया है, जो 10 हजार करोड़ से भी अधिक है । इससे किसानों के जीवन में खुशहाली आ रही है । सिंचाई के लिये जो व्यवस्था चली आ रही है, उसमें भी और सुधार करते हुये चाहे वह लघुत्तम सिंचाई योजना हो, तालाब का निर्माण हो, जिस प्रकार से वर्ष 2024-2025 में 42 तालाब बने थे और वर्ष 2025-2026 में 70 तालाबों का प्रावधान था । इस वर्ष भी सभी प्रावधान रखे गये हैं । किसान समृद्धि योजना, नलकूप योजना जो है, उसमें जो किसानों को एस.टी.,एस.सी. के लिये 43 हजार और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 35 हजार छूट दिया जाता है और सामान्य को भी 25 हजार रूपये अनुदान का जो प्रावधान है, इससे काफी किसान लाभान्वित हो रहे हैं और शाकम्भरी योजना में आधा हार्स पॉवर से लेकर पांच हार्स पॉवर तक का पम्प जो प्राकृतिक जल स्त्रोतों के लिये उपलब्ध कराया जा रहा है, उसमें भी क्रय के लिये 75 प्रतिशत की छूट और 50 प्रतिशत की छूट जो है, यह दिया जा रहा है, जिससे निश्चित रूप से किसानों

को लाभ मिल रहा है एवं इसका परिणाम भी सामने दिख रहा है । सभापति महोदय, उसी प्रकार से फसल चक्र के लिये बार-बार यह आग्रह किया जा रहा है, ब्यास जी ने भी इस विषय को रखा है । रबी फसल का जितना विषय है, उसमें हम दलहन का, तिलहन का और अन्य प्रकार की जो कोदो, कुटकी, रागी है, इसका उपयोग करें । आज की तारीख में जो मिलेट्स बोलते हैं, श्री अन्न के नाम से मोदी जी ने सारी दुनिया के पटल पर रखा है, गांवों में पहले इसी कोदो, कुटकी, रागी का प्रयोग करते थे । हम लोग ऐसा समझते थे कि यह गरीबों का अन्न है, लेकिन आज वही कोदो, कुटकी, अब फाईव स्टॉर होटलों में और देश विदेशों में बड़े लोगों का पसंदीदा भोजन के रूप में सामने आ चुका है और इसमें भी किसानों को प्राथमिकता मिल रहा है । किसानों का उत्साह दोगुना हुआ है और किसी प्रकार से यह महसूस नहीं होता है कि हम छोटे हैं या बड़े हैं । सभापति महोदय, यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है और सभी को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिलते जा रहा है ।

सभापति महोदय, उद्यानिकी की बात है तो जब राज्य निर्माण हुआ था तो 2.2 लाख हेक्टेअर था और अब वह बढ़कर 8.51 लाख हेक्टेअर हो गया है यानी इस क्षेत्र में भी हम लोगों को अभूतपूर्व सफलता मिली है । अभी तक इस क्षेत्र में 4 गुना वृद्धि हुई है जो बहुत बड़ी उपलब्धि है । जहां तक उद्यानिकी के उत्पादन की बात है तो पहले 17.57 लाख मीट्रिक टन था, वह वर्ष 2024-225 के अनुसार 105.54 यानी की 6 गुना मीट्रिक टन में वृद्धि हुई है । यह उद्यानिकी के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता है...।

श्री रामकुमार यादव :- भैया, बढ़िया बोलत हव बोलव, खाली हे तो आप मन ला बोलनच हे, न किसान के भला हे न कुछु भला हे लेकिन एक ठन बात हे, ए मेर कोई मंत्री नई हे, सब मुसवा खोजे ला गे हे।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :- तोला नई दिखत हे का।

श्री रामकुमार यादव :- भई अब 14 झन में 2 झन हाबव।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- तैं हा कहां सुते रेहेस।

श्री रामकुमार यादव :- मैं सुते नई हो, मैं सब के करनी ला देखत हंव। अउ महू हा मुसवा खोजत रेहेव। (हंसी)

श्री कवासी लखमा :- कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुसवा खोजने की ड्यूटी दी गई है। इसलिए मुसवा खोजते रहते है।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय महोदय, विगत दो वर्षों में अनेक योजनाओं के माध्यम से 43,250 हेक्टेयर..।

श्री अनुज शर्मा :- ओला छेरी देख के भाग जथे ओ मुसवा ला का खोजही। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- तोला हमन छत्तीसगढ़ के हीरो समझे रेहेन, लेकिन जब ले भारतीय जनता पार्टी के चोला पहिने हो न, मोला अखरत हे, में तुंहर फिल्म ला देख पा रहेव, ओ पैसा ला वापस करिहा। (हंसी)

श्री अनुज शर्मा :- तैं फिल्म देखेस तेला वापस कर पहली। (हंसी)

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय सभापति महोदय, विगत दो वर्षों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 43,250 हेक्टेयर क्षेत्र में उद्यानिकी फसलों का क्षेत्र विस्तार किया गया है। वर्ष 26-27 में भी इन फसलों के विस्तार के लिए 36 करोड़ 45 लाख का प्रावधान किया गया है। ये उद्यानिकी के क्षेत्र में ये एक नई सफलता दिखेगी। उसी प्रकार से राज्य में फल एवं सब्जी की कृषि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं राज्य योजना के अंतर्गत क्रमश: 150 करोड़, 30 करोड़ और 111 करोड़ का बजट में प्रावधान लाया गया है। इससे कृषकों को 35 से 50 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है, ये उद्यानिकी के क्षेत्र में निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि सरकार के माध्यम से होगी। अभी डेयरी की विषय में चर्चा हमारे रामकुमार भाई कह रहे थे कि गौ पालन के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में अनेक योजनाएं अभी सरकार के द्वारा आ रही है। हमारे सामने बैठे हुए विपक्ष के नेतागण बार-बार गोठान की दुहाई देते हैं, इन लोग आज तक नहीं बता पाए पांच साल निकल गया, गोठान के लिए बजट कितना आया और किस प्रकार से किसानों के साथ धोखा हुआ ? गांव के सरपंच आज भी कर्ज में डूबे हुए हैं, कई लोगों की आत्महत्या करने की स्थिति है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- महोदय जी, आप गांव के सरपंच की बात करते हो अभी तक 15वें वित्त का पैसा तक नहीं दिए हो।

श्री मोतीलाल साहू :- वही बात हम कह रहे हैं कि सरपंच कर्ज में डूबा हुआ है, आज भी परेशान है बेचारे क्या करें। सरकार का दबाव था।

सभापति महोदय :- बार-बार टोका-टाकी न करें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, ढाई साल तक, ढाई साल तक परेशान हैं। महोदय जी, मैं थोड़ा सा परेशानी दूर कर रही थी कि उनको पैसा मिल जाता तो उनकी परेशानी दूर हो जाती।

सभापति महोदय :- चलिए ठीक है।

श्री मोतीलाल साहू :- सभापति महोदय, उसमें जो खाद बनाए, कंपोस्ट खाद के नाम से धूल और मिट्टी को किसानों को बेचा गया, आपके समय को लोग आज भी याद करते हैं आप उसकी चिंता न करें।

श्री भोलाराम साहू :- सभापति महोदय, वर्मी कंपोस्ट खाद इतना बढ़िया था, उत्पादन बढ़ा हुआ था, कोई धूल-कंकड़ नहीं था। आप किसी भी गौठान में देखेंगे। (व्यवधान)

श्री मोतीलाल साहू :- मैं भी किसान हूं।

सभापति महोदय :- आप लोग टोका-टाकी न करें। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप लोग डीएपी खाद नहीं दिए, वही वर्मी कंपोस्ट खाद काम आया है। (व्यवधान)

श्री भोलाराम साहू :- आज भी वर्मी कंपोस्ट की मांग कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मोतीलाल साहू :- सभापति महोदय, किसी भी किसान ने उस खाद का प्रयोग नहीं किया। मैं भी किसान हूं। आप लोग 300 रूपये प्रति बोरी के हिसाब से दे रहे थे। उसको लिए बगैर आप लोगों ने खाद नहीं दिया। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोग टोका-टाकी न करें। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- हमन 300 बोरा के ला 1200 रूपया में खरीदे हन। डीएपी के चार गुना ज्यादा कीमत में खरीदे हन। यूरिया के चार गुना ज्यादा कीमत रिहिस हे। (व्यवधान)

श्री भोलाराम साहू :- आपकी सरकार में न यूरिया मिला रहा था, न डीएपी मिल रहा था। सबसे बड़ी बात 265 रूपये के खाद को 1000, 1200 रूपये में ले रहे थे। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप लोंगों ने किसान को नहीं दिया। हम लोग तो कम से कम वादा करके डीएपी खाद दिए थे। 1300 रूपये सोसाइटी में था, उसको किसान लोग 2200 में लिए हैं। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- यूरिया के चार गुना ज्यादा कीमत और सब परेशान है पूरा किसान परेशान हे। आपमन का बात करथव। यहां पर ताली बजवात हो। अभी किसान परेशान हे। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- रामकुमार जी बैठिए।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, ठीक हे। लेकिन कतका असत्य ला सुनबो। ज्यादा असत्य बात होही त मैं भाग जहूं मैं नई राहव।

श्री मोतीलाल साहू :- सभापति महोदय, उसको आप लोगों ने ऐसा अनिवार्य किया कि उसके बगैर खाद नहीं दे रहे थे, पहले उसको लेंगे तभी आपको खाद मिलेगा। यह सिस्टम आप लोगों ने किया था। भाई, अगर अच्छा रहता तो किसान वैसी खरीदते, इसलिए नहीं चाहते थे, उसमें कोई गुणवत्ता नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई प्रमाणिकता नहीं थी, कोई मापदंड नहीं था।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, वर्मी कंपोस्ट खाद आया तो बहुत सारी बीमारी ऑटोमेटिक दूर हो गया, वर्मी कंपोस्ट खाद से कैंसर तक की बीमारी दूर हुई थी, आप लोग तो फिर से डीएपी-यूरिया ला दिए, वर्मी कंपोस्ट खाद को बंद ही करवा दिए।

श्री मोतीलाल साहू :- आप यह बताइए अनिवार्य क्यों किए थे ? अगर ऐसा था तो किसान स्वेच्छा से खरीदते लेकिन उसको ऐसा अनिवार्य किया गया कि इसको नहीं खरीदेंगे तब तक खाद नहीं दिया जाएगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अभी आप लोग तो नैनो को शामिल कर दिए थे, डीएपी खाद नहीं देंगे आप नैनो को लीजिए, आप लोग तो किसान भाइयों को मजबूर कर दिए थे ।

श्री रामकुमार यादव :- जबरदस्ती नैनो लेना ही पड़ेगा। आप लोग जबरदस्ती किए थे हम लोग नहीं किए थे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- नैनो लेना ही पड़ेगा। 12 इंच का पौधा होता है, उसके बाद डालते हैं। उसको आप लोग उस समय डलवा रहे थे।

सभापति महोदय :- आप लोग आपस में बात न करें।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय महोदय, जो मछली पालन का क्षेत्र है, इसमें भी रोजगार के साथ-साथ गांव के लोगों को विशेष तौर पर वर्ष 2026-27 में मछली पालन हेतु संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि 254 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान लाया गया है, जो बहुत ही सराहनीय कदम है। अधोसंरचना निर्माण के लिए 5 नवीन फिश हैचरी, 150 हेक्टेयर संवर्धन जल क्षेत्र, 1,000 हेक्टेयर में नवीन तालाब का निर्माण, 8 कोल्ड स्टोरेज, 750 बायो फ्लॉक पॉण्ड और 5 फिश फीड प्लांट, 2,300 केज अधोसंरचना का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। मैं समझता हूं कि इस बजट के माध्यम से इस क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य होने वाला है। साथ ही मत्स्य बीज उत्पादन के लिए वर्ष 2025-26 की तुलना में वर्ष 2026-27 में जो बजट राशि प्रावधानित है, वह 12.97 प्रतिशत वृद्धि के साथ 675 करोड़ रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिससे निश्चित तौर पर मछली पालन की दिशा में एक नये आयाम, नये अध्याय की शुरुआत होगी। माननीय महोदय, बहुत से हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमारे आदिवासी भाई-बहन रहते हैं। खासतौर पर बस्तर और सरगुजा में एक समय ऐसा था कि वह सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए थे। उनके पास बराबर शैक्षणिक पढ़ाई-लिखाई के लिए व्यवस्था नहीं थी और जब वह शहरों की तरफ देखा करते थे तो कहीं न कहीं उनके मन में अपने आप में एक कमजोरी या हीन भावनाएं पैदा होती थीं। लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने छात्रावासों एवं आश्रमों के संचालन के लिए जो प्रावधान किया है, इससे उनको आर्थिक व सामाजिक दृष्टिकोण से पढ़ाई-लिखाई में जो दिक्कतें आती थीं, उससे उनको बड़ी निजात मिली। 1,644 छात्रावास, 1,173 आश्रम यानी कुल 2,817 छात्रावास एवं आश्रम संचालित हैं, जिनमें 1,68,904 सीटें स्वीकृत हैं और इसमें बच्चे नि:शुल्क।

सभापति महोदय :- मोतीलाल साहू जी, अब आपको 20 मिनट हो गए हैं। थोड़ा जल्दी समाप्त करें।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य जिस प्रकार से छात्रावास की बात बता रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में ऐसे छात्रावास हैं, जहां पर ढंग से भोजन नहीं मिल पा रहा है। जिसके कारण से

वहां रहने वाले बच्चे कुपोषित हो रहे हैं और उनकी मौत हो रही है। माननीय सदस्य बता रहे हैं कि छात्रावास का बहुत अच्छा संचालन हो रहा है, लेकिन छात्रावास में रहने के लिए ढंग से ठिकाना भी नहीं है।

सभापति महोदय :- बाद में मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के साथ मैं कई दौरा कर चुका हूं। माननीय रामविचार जी बहुत संवेदनशील मंत्री हैं। मेरे क्षेत्र में भी ऐसे हॉस्टल हैं, जिनमें हमारा संयुक्त रूप से विजिट हुआ है। वह त्वरित कार्रवाई करते हैं और तुरंत निर्देश देते हैं और तुरंत उसका पालन भी होता है। अभी अपने जवाब में माननीय मंत्री जी उस विषय को रखेंगे। इस वर्ष 2026-27 के बजट में ऐसे छात्रावासों के लिए 430 करोड़ 31 लाख 57 हजार रुपये का प्रावधान आया है। निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य की समस्या का समाधान इससे हो जाएगा। इसी प्रकार से आश्रम मद के लिए 378 करोड़ 20 लाख 15 हजार रुपये का प्रावधान है। इस बार बच्चों के लिए, छात्रावास आश्रमों के लिए बड़ी बजट राशि का प्रावधान है। जवाहर उत्कर्ष योजना। माननीय महोदय, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कभी देखा करते थे कि शहरों में बड़ी और सर्वसुविधायुक्त शालाएं हैं और वहां की रख-रखाव व्यवस्था अच्छी है। उनको ऐसा लगता था कि उन स्कूलों में उनका जा पाना संभव नहीं होगा और वह वहां नहीं पढ़ पाएंगे तो सरकार ने ऐसा प्रावधान लाया कि हर साल छठवीं कक्षा में ऐसे विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश दिया जाए और प्रतिवर्ष 200 विद्यार्थी इसमें लाभान्वित होंगे। यह जवाहर उत्कर्ष योजना से उनके जीवन स्तर को और उनको भी विभिन्न क्षेत्रों में बराबर की भागीदारी, हिस्सेदारी मिलेगी। कम से कम उन्हें शिक्षा मिले और वे अच्छी संस्थाओं में जाकर पढ़ें, चाहे निजी संस्थाओं में या जिन शहरों में भी उनको जो पसंदीदा लगता है, वे वहां जाकर पढ़े। 200 बच्चे जो नीचे से आते हैं, आदिवासी अंचलों से आते हैं, वे 6वीं में प्रवेश लेकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। उनके लिए जवाहर उत्कर्ष योजना के लिए 14 करोड़ रुपए का प्रावधान इस साल बजट में रखा गया है।

सभापति महोदय, उसी प्रकार से सिविल सेवा परीक्षण प्रोत्साहन योजना की बात करूंगा। ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो प्रिलिम्स में पास हो जाते हैं और बाद में आगे पढ़ने के लिए उनको दिक्कतें आती हैं। ऐसे विद्यार्थी जो प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं, उनको आगे की मुख्य परीक्षा (अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा) के लिए एकमुश्त 1 लाख रूपये दिये जाते हैं। उसके लिए इस बजट में 23 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, वैसे ही मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना भी है, जिसमें ऐसे जो प्रयास हॉस्टल हैं। प्रयास हॉस्टल उनका नाम दिया गया है, इसमें ऐसे बच्चे जो अनुसूचित क्षेत्र से हैं या फिर अन्य क्षेत्र से हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, जिनको आगे पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाती और ऐसे विद्यार्थी जो होनहार हैं, उनको भी प्रयास हॉस्टल के माध्यम से अच्छी शिक्षा मिल सके, इसकी

व्यवस्था की गयी है। वहां रहने की, भोजन की और सब चीज़ की व्यवस्था उनके ही माध्यम से की जाती है और इसके लिए बजट में 58 करोड़ 44 लाख 96 हज़ार रूपये का प्रावधान किया गया है। आने वाले समय में यह बड़ा कारगर साबित होगा और इससे बच्चों का भविष्य निखरेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हमने मंत्री जी के साथ उन हॉस्टलों में विजिट किया था। उन हॉस्टलों में रहने वाले बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और आई.आई.टी. जैसी संस्थानों में गए हैं । इससे हमको लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के लिए सरकार द्वारा जो प्रयास और मेहनत की जा रही है, वह कारगर साबित हो रहा है।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री मोतीलाल साहू :- जी, जी ।

श्री रामकुमार यादव :- भैया, आप मन बढ़िया बोलत हवय, में हर टोकत नइ हव। लेकिन जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करत हे ते छत्तीसगढ़ियां मन ला छत्तीसगढ़ की कंपनी में जगह नइ देत हवय। आप मन पता कर लेबे। बाहर के व्यक्ति मन यहां आकर के नौकरी करही अउ छत्तीसगढ़ियां इंजीनियरिंग करके भी ओ हर गोबर सेतही। तुमन अभी यही व्यवस्था बनाये हन।

श्री मोतीलाल साहू :- सभापति महोदय, ऐसा नहीं है। हमारे बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में, देश में और विदेशों में भी छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हो रहा है। हमारे आदिवासी बच्चे भी स्वाभिमानपूर्वक अपना जीवनयापन कर रहे हैं और अच्छे क्षेत्रों में पहुंचकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। इसलिए अब आपको उस विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा विषय और भी आता है कि ज्यादातर बच्चों को विज्ञान और वाणिज्य संकाय में पढ़ने के लिए थोड़ी झिझक होती है, जिसके कारण उन अंचलों में जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में दिक्कतें पैदा होती है कि वहां विद्यार्थी नहीं मिलते और शिक्षक का पद भी रिक्त रह जाता है। जैसे दुर्ग और जगदलपुर में 500-500 सीटर विज्ञान और वाणिज्य का शिक्षण केंद्र है, उन बच्चों को भी अलग से शहरों में लाकर विज्ञान और वाणिज्य की शिक्षा दी जाएगी, इससे उनको जो झिझक होती थी, जो वे डरते थे कि गणित, विज्ञान ये सब कैसे पढ़ेंगे, तो ऐसी भी सोच करके जो यह प्रावधान लाए हैं, उसके लिए बजट में 4 करोड़ रूपये का प्रावधान है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सभी वर्गों का ख्याल रखा है। निश्चित तौर पर यह जो बजट है, उससे हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, हमारे एस.टी., एस.सी. बच्चों के भविष्य के लिए, मत्स्य पालन, पशुपालन और सभी क्षेत्र में हम चहुंमुखी विकास करेंगे। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, मैं इस अनुदान मांग का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री कवासी लखमा जी।

श्री रामकुमार यादव :- अब आप लोग बस्तर टाईगर को सुनिये।

श्री कवासी लखमा (कोंटा) :- माननीय सभापति महोदय, कृषि, अनुसूचित जाति, पशुपालन विभाग के मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों के बजट का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हम बस्तर से आते हैं, छत्तीसगढ़ आदिवासी लोंगो का छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ को बने हुए 25 साल हो गये, हम लोग पहले बहुत मांग करते थे कि आदिवासी मुख्यमंत्री हो। पहली बार हमारे दल से नहीं, उधर से आदिवासी मुख्यमंत्री बना, लेकिन इन ढाई सालों के कार्यकाल के बाद आदिवासी लोगों की इतनी दुर्गति कभी आजादी के पहले और बाद में नहीं हुई। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री सीनियर हैं, रामविचार नेताम जी वरिष्ठ मंत्री हैं और संसदीय कार्य मंत्री जी हैं।

श्री रामकुमार यादव :- इन्हीं को मुख्यमंत्री बनना था।

श्री कवासी लखमा :- जिसको मुख्यमंत्री बनाना है, वह लोग तय करें, वहां हमारा रोल तो है नहीं। इसलिए ये तीन लोग वरिष्ठ मंत्री होने से हम लोगों को उम्मीद थी, आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी कृषि मंत्री है, आदिवासी लोग सुरक्षित होंगे। लेकिन आज की तारीख में न किसान सुरक्षित हैं, न आदिवासी सुरक्षित है। उसका उदाहरण बताता हूं। हमारे सरगुजा जहां से हमारे माननीय मंत्री रामविचार नेताम जी आते हैं।

श्री लखेश्वर बघेल :- ये लोग गोठान को बंद कर दिये हैं।

श्री रामकुमार यादव :- बस मुसवा सुरक्षित है।

श्री कवासी लखमा :- वह जहां से आते हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, हम लोगों ने उनको गृह मंत्री, पंचायत मंत्री के रूप में भी देखा है और मुख्यमंत्री के रूप में देखने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा चूक गये। अभी अगर इस विभाग में ठीक से करेंगे तो उधर आ सकते हो, लेकिन इसी विभाग को संभाल नहीं पाओगे तो कहां से आओगे। अभी उम्मीद है, ढाई साल बचा है।

श्री रामविचार नेताम :- देखिये, आप लोगों के यहां क्या हुआ, उसको भी ख्याल करिये, क्या चल रहा था? जो आपके यहां चल रहा था, हमारे यहां नहीं चलने वाला है।

श्री कवासी लखमा :- अभी हम लोग बाहर बैठे थे, देख रहे थे। हमारे यहां की सदस्य ध्यानाकर्षण पढ़ रही थी। वह कम पढ़ी है, आप सब लोग उठकर बात कर रहे थे। हम उधर से देख रहे थे, क्या हम नहीं देखे हैं? यहां क्या चल रहा है, सरकार चल रही है या मुर्गाबाजार चल रहा है? वह पूरा वरिष्ठ लोग उठ-उठकर, वह मंत्री बैठा है, नया-नया मंत्री आपके बाजू में बैठा है, वह परेशान हो चुका है। वह अंदर जाकर बोलता है कि यह पुराना लोग क्या-क्या किये, वह सब मेरे ऊपर थोप रहे हैं। यहां हम लोग देख रहे थे, यहां मुर्गाबाजार चल रहा है। उधर टी.व्ही. है न।

श्री रामविचार नेताम :- दादी लग रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री जी, आपके स्वास्थ्य की विशेष चिंता करते हैं।

श्री कवासी लखमा :- हां, करते हैं।

श्री रामविचार नेताम :- करते हैं न?

श्री कवासी लखमा :- हां, करते हैं। लेकिन उन लोग खुश नहीं है तो क्या करेंगे? पुन्नूलाल जी, अमर अग्रवाल जी खुश नहीं हैं।

श्री रामविचार नेताम :- दवा, दारू की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं या नहीं?

श्री कवासी लखमा :- वह व्यवस्था हमको करनी है, वह कहां करेंगे? हमारे चन्द्राकर जी तो और दुखी हैं। मंत्री नहीं बनने के कारण राजेश मूणत जी तो आ नही रहे हैं। हमारे कांग्रेस से आये नये-नये अग्रवाल साहब को मंत्री बना दिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम लोग थोडी देर के लिये बाहर गये थे तो सब लोग स्वास्थ्य मंत्री जी को दबोच डाले थे।

श्री कवासी लखमा :- हम लोग रहने से बचा लेते। हम लोग बाहर थे, वह एक ही हो गये।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- दादी कोई नहीं दबोचा था, पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य के लिये चिंता कर रहे थे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- स्वास्थ्य की इतनी समस्या है। बहुत ज्यादा समस्या है कि आपके लोग आपको घेर रहे हैं।

श्री कवासी लखमा :- मैदान साफ होने के बाद आपको घेर लिये थे। यह पहली बार ऐसा हो रहा है। अगर मोदी जी होने न तो सबको निपटा देते। आपका मुख्यमंत्री सीधे हैं, उसका दुरूपयोग कर रहे हो।

श्री दिलीप लहरिया :- आप टेबलेट रखकर आया करेंगे। कोई गड़बड़ हो तो आपको ही खाना है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति जी, मैं यह भी बोल रहा था कि आपक सरगुजा में एक एस.डी.एम. एक आदिवासी को मरवाता है। ये रक्षक से भक्षक बन जाये तो फिर आदिवासी कैसे सुरक्षित रहेंगे। हिन्दुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है। आदिवासी लोंगो को एस.डी.ओ. मारेगा। वह बचाने का काम करेगा या मार डालेगा। आदिवासी कहां से सुरक्षित है ? माननीय सभापति महोदय, इसलिए छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोग, किसान पलायन कर रहे हैं। कल से यहां पर पूरे पेपर में एक खबर छाई हुई है ।

समय:

3.00 बजे

माननीय सभापति जी, हम लोग दुर्ग जिले में, यहां कृषि मंत्री हैं, किसान परेशान होने के कारण दूसरा पैदा कर रहे हैं, अफीम । यह अफीम कहां से आ गया भई ? हम लोग खेती करने वाले लोग हैं, छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है, हम लोगों ने यहां पर उसकी चर्चा की, बड़ी-बड़ी बातें की कि हम लोगों ने अंदर किया, यह किया । आपके विधानसभा में, आपके बलरामपुर में भी, यह विधानसभा चल रहा है,

वहां पर अफीम की खेती हो रही है, दुर्ग में भी भारतीय जनता पार्टी का नेता है और इधर भी पेपर में आ रहा है कि वह भी भारतीय जनता पार्टी वाले हैं । यह छत्तीसगढ़ को क्या हो गया है तो इसलिये इसको रोकने का काम सरकार का है । यहां पर अफीम, गांजा, डोडा यह होगा तो हमारा आदिवासी प्रदेश बर्बाद होगा इसलिये यह जो अफीम की खेती है ।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय सभापति महोदय, अपराधी की कोई जात नहीं होती है और इसलिये यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी या इस पार्टी का, इस तरह की बयानबाजी उचित नहीं है । जो भी दोषी है, उसके खिलाफ शासन ने सख्ती से कार्रवाई की है । आप भारतीय जनता पार्टी का तब कहते जब भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार के द्वारा किसी प्रकार से यदि उनका सहयोग किया जाता, रियायत दी जाती तब एक-बार आरोप लगाया जा सकता था लेकिन आप चाहे दुर्ग की बात करें या फिर बलरामपुर जिले के उस क्षेत्र की बात करें । जो घटना घटित हुई है, यहां के भोले-भाले लोगों को तो यह भी जानकारी नहीं है कि अफीम क्या है । दादी, आपने भी नहीं देखा होगा । हो सकता है कि आपके यहां होता होगा तो अलग बात है लेकिन मैं आज तक अफीम क्या होता है, मैं उसको देख नहीं पाया हूं । मैं यह फोटो निकाल-निकालकर देख रहा हूं कि किस तरह का है तो यह तो हम लोगों के लिये अजूबा है, अब यह हो गया तो इसी से हम लोग सबक लेते हुए कि भविष्य में इस तरह की कहीं पुनरावृत्ति न हो । इसको सुनश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय मंत्री जी, आज ही वहां के एक सरपंच का एक बयान आया है कि मैंने जनवरी में ही इसकी सूचना पुलिस को दे दी थी । जनवरी महीने में, उसका वीडियो आया है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी । अभी अचानक फिर कैसे कार्रवाई, यह समझ से परे है ।

श्री रामकुमार यादव :- किसके दबाव में वह पुलिस कार्रवाही नहीं कर रहा था, हम लोग यही तो कहना चाह रहे हैं भई ।

सभापति महोदय :- बैठिए । उनको बोलने दीजिये, लखमा जी सक्षम हैं ।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, किसी पार्टी का नाम नहीं लेना है तो फिर किरण देव जी को बोलो न कि उसको फिर पार्टी से क्यों निकाल दिये ? ताम्रकर को ? आपकी पार्टी का नहीं है तो फिर उसको क्यों निकाल दिया ? इसीलिये हम लोग जानते हैं कि वह पार्टी का आदमी है, हमने भी उसका चेहरा नहीं देखा है और न ही वह पार्टी का एम.एल.ए. है । ताम्रकर कौन है, हम नहीं जानते, अगर तुम्हारा बी.जे.पी. का अध्यक्ष उसको पार्टी से निकाला है तो वह बी.जे.पी. का है और इधर पेपर में आ रहा है तुम्हारे साईड में कुसमी, वह भी बी.जे.पी. का आदमी है, क्या है कि इन लोग सत्ता का दुरूपयोग कर रहे हैं । आप लोगों का संरक्षक है, हमारा आरोप है क्योंकि इन्हीं लोग क्यों कर रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? यहां गोंड़वाना भी है, कांग्रेस भी है, अन्य पार्टी के भी लोग हैं तो उनका

नाम क्यों नहीं आ रहा है ? यह सदन है, लोग जानें कि इसमें कौन संरक्षण दे रहा है, कौन लोग यह खेती कर रहे हैं, उनको रोकें ।

माननीय सभापति महोदय, यह कहते हैं कि हम लोग डबल इंजन की सरकार हैं । डबल इंजन की सरकार बहुत काम करेगा, छत्तीसगढ़ बहुत आगे होगा । यह छोटा सा राज्य है तो यहां पर खाद की दिक्कत नहीं होगी । मध्यप्रदेश में भी टी.वी. में, पेपर में देखो कि रात भर लाईन में आजादी के 50 साल बाद छत्तीसगढ़ में भी किसान खाद के लिये लाईन लगे । सेठ लोगों के पास जो 300 रूपये का है वह 12,00 रूपये में मिलेगा, 1500 में मिलेगा लेकिन सरकार के पास खाद नहीं है । हम लोग बड़े-बड़े गाय के नाम से, राम के नाम से राजनीति करने वाले लोग, भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गौठान बनवाया था, हम लोग खाद दे रहे थे ताकि वह धान के लिये उसका उपयोग करे लेकिन उसको भी बंद कर दिये ।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्यामबिहारी जायसवाल) :- दादी, उस समय गौठान में गाय और गोबर के नाम पर कितना घोटाला हुआ, आप उसको भी तो बताईये?

श्री कवासी लखमा :- आप बताईये, आपके पास पॉवर है, आप बताईये।

श्री रामकुमार यादव :- उस समय कोई घोटाला नहीं हुआ है। अब गायें सड़कों में घूम रही हैं।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, उस समय अच्छा काम हो रहा था। यह दुनिया जान रही थी कि यहां गोबर खरीदी हो रही थी और गोबर का खाद मिल रहा था। यहां लोग अण्डा बेच रहे थे और सब्जी उगा रहे थे। उसमें भी आप लोगों के पेट में दर्द हो गया कि यह कांग्रेस पार्टी का काम है इसलिए इसको बंद करिये। कोई भी अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा होती है। कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी और पी.वी. नरसिंह राव ने पंचायती राज लागू किया है। अब पूरी दुनिया चल रही है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बधाई दी है, प्रधानमंत्री सड़क योजना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी, हम आज भी तारीफ करते हैं कि उन्होंने बढ़िया काम किया है। अगर कांग्रेस पार्टी ने जंगल, जमीन का पट्टा दिया है यहां के आदिवासी लोगों को पट्टा मिला है या नहीं मिला है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने यहां पर जंगल जमीन का पट्टा देने का काम किया है, हमारी कांग्रेस पार्टी ने पंचायती राज लागू करने का काम, निराश्रित पंचायत का काम, पेंशन देने का काम, आश्रम खोलने का काम किया है। इसलिए यहां पर खेती करने वाले हैं। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो उस समय साहब एम.एल.ए. थे, आप तो नहीं थे, उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे कांग्रेस की सरकार में ही यहां धान खरीदी हुई। उस समय हम लोग माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के पास गये थे। दिल्ली में हम लोगों को चोर सरीखे अंदर किया गया था। तो कांग्रेस पार्टी ने धान खरीदी की शुरूआत की थी। इसलिए हम लोगों ने वायदा किया था कि पहली बार छत्तीसगढ़ में धान खरीदी करेंगे, कांग्रेस पार्टी के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा की। हम लोगों ने कहा था कि यहां हम किसानों से

20 क्विंटल धान खरीदेंगे तो माननीय अजय चन्द्राकर जी यह कहते थे कि 20 क्विंटल कहां से लाएंगे। जब बाद में मोटे वाले का ऊपर से डंडा पड़ा तो उन्होंने कहा। हम लोगों ने कहा कि हमने कहा कि हम किसानों से 21 क्विंटल धान खरीदेंगे तो 21 क्विंटल कहां से लाएंगे। अब हमारे बस्तर में 21 क्विंटल की जगह 13-10 क्विंटल धान की खरीदी हो रही है। मैंने उस दिन यह बात प्रश्न के माध्यम से पूछा था कि यहां कर्ज में डूबे लोग भटक रहे हैं, वह शादी नहीं कर पा रहे हैं और अपना घर नहीं बना पा रहे हैं तो इसलिए हमारे जीवन में खेती का महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे वह कलेक्टर हो, मंत्री हो या संत्री हो, चाहे पैसा वाला सेठ और साहूकार हो, वह अनाज नहीं खायेंगे तो वह नहीं जियेंगे। अगर गरीब आदमी मेहनत करता है तो बड़े लोग खाते हैं उसक बाद भी भेदभाव होता है, उसके बाद भी हड़ताल और डण्डे वाली स्थिति उत्पन्न होती है। मैं इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हमारे पहले वक्ता ने कृषि के बारे में बहुत बोला है। उन्होंने मछली पालन के बारे में बोला है, धान के बारे में बोला है । आज यहां पर मछली पालन की भी बहुत मांग है, यादव जी ठीक बोल रहे थे कि पहले गांवों में पंचायत को तालाब का टेण्डर मिलता था और वहां के मछुआरों को देते रहे । अब यहां रायपुर से आदेश हो रहा है। जो आर.एस.एस. के आदमी हों, ताकतवर बीजेपी के आदमी हों, वह तालाब का ठेका ले, गांव वाला मछली पकड़े और लेबर का काम करे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- दादी, एक बार मछली का कांटा कैसे फंसा था, उसको भी बताईये।

श्री कवासी लखमा :- वह आपके तालाब का नहीं है।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन लखमा दादी के कांटा मा मत फंसव। हमर लखमा दादी जी ला ज्यादा छेड़खानी मत करव।

श्री कवासी लखमा :- जो गांव के तालाब हैं ..।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय दादी, यह तो बताईये कि कहां फंसा था।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- महाराज जी, मछली के बारे में तैं मत बोल।

श्री रामकुमार यादव :- आजकल तो महाराज मन ही तो ज्यादा कुकरी बोकरा ला खावत हे।

श्री कवासी लखमा :- आप एकाध दिन आना मैं आपको बता दूंगा। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- महाराज मन ही तो ज्यादा कुकरी बोकरा ला खावत हे।

श्री सुशान्त शुक्ला :- दादी, वन पट्टे में मालिक मकबूजा क्या था, यह तो सदन को बता दीजिए।

श्री कवासी लखमा :- आप अलग से आ जाईयेगा, मैं आपको बता देता हूँ। मैं मछली पालन पर कह रहा था। छत्तीसगढ़ के लोग चाहे आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग के लोग हों, यह हमारा आदिवासी प्रदेश है 2-4 लोगों को छोड़कर, सब लोग करते हैं। इसलिए उनको भी बढ़ावा देना चाहिए। मैं खासकर ट्रायबल

आदमी हूँ। सरगुजा, बस्तर में ट्रायबल स्कूलों को भी शिक्षा विभाग में मर्ज कर दिया गया। कुछ आश्रम बचे हैं, उसकी क्या व्यवस्था है? इसे हम लोगों ने नहीं बनाया है, अभी पूर्व मुख्यमंत्री विधान सभा अध्यक्ष हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। डॉ. रमन सिंह जी ने बस्तर प्राधिकरण बनाया, उन्होंने सरगुजा प्राधिकरण बनाया, मध्य क्षेत्र प्राधिकरण बनाया। जब डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो आप भी एम.एल.ए. थे और आप भी वन मंत्री थे । मैं उस समय भी विधायक था । उस समय बस्तर में बस्तर विकास प्राधिकरण की मीटिंग होती थी, उस मीटिंग में मुख्य सचिव और अधिकारियों के साथ मिनी केबिनेट के जैसी बैठक होती थी । माननीय विष्णु देव साय जी मुख्यमंत्री बन गए, वे आदिवासी हैं, लेकिन इन ढाई सालों में बस्तर विकास प्राधिकरण की एक भी बैठक नहीं ले रहे हैं । यह आपकी पॉलिसी या हमारी पॉलिसी नहीं है । बस्तर प्राधिकरण और सरगुजा प्राधिकरण भारतीय जनता पार्टी की नीति है। उसकी बैठक तो हमारी सरकार ने भी की थी । कल साहू जी पिछड़े वर्ग प्राधिकरण की बात कर रहे थे । पिछड़े वर्ग के लोग भी बस्तर में रहते हैं, सरगुजा में भी रहते हैं । हमारी सरकार के समय में सभी क्षेत्रों में विकास के लिए पैसा देते थे, लेकिन आपने विकास कार्यों के लिए पैसा देना सीमित कर दिया कि सिर्फ 35 विधायकों के क्षेत्र में पैसा देते हो । क्या पिछड़े वर्ग के लोग आपको वोट नहीं देते ? वहां आपकी पार्टी के लोग नहीं हैं ? कौन से गांव में, कौन सी जगह में पिछड़े वर्ग के लोग नहीं हैं, कौन से गांव में आदिवासी नहीं हैं, सब जगह मिक्स रहते हैं । उसको भी आप लोगों ने बांट दिया कि इधर पिछड़ा वर्ग, इधर आदिवासी लोग हैं । बांटने का काम आरएसएस का ही है कि देश बांटो, समाज को तोड़ो, समाज-समाज को लड़ाओ, इसमें भी राजनीति करते हो । सरकार में पिछड़े वर्ग को पैसा दो, आदिवासी को पैसा मत हो, ऐसी सोच है । मीटिंग न सरगुजा में हो रही है, न बस्तर में हो रही है । मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, मुख्यमंत्री जी विधान सभा में कम उपस्थित रहते हैं । नेताम जी, आप उनके बराबर के मंत्री हैं, आप सरगुजा और बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक करवाईए । वहां पर देवगुड़ी की मांग है, सड़कों की मांग है, सी.सी. रोड़ जो अब तक मिलता रहा, उसे दें । उसके साथ-साथ परियोजना सलाहकार समिति में भारत सरकार से जो पैसा आता है ।

श्री लखेश्वर बघेल :- विधायकों को भी पैसा देने के लिए बोलिए न, हम लोगों को तो पैसा नहीं देते हैं ।

श्री कवासी लखमा :- हमारे उप नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के विधायकों ने कौन सी गलती की है, हम राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें चुना है । आप लोग बहुमत में हैं तो सरकार में हैं । हम लोग अल्पमत में हैं तो हम लोग विपक्ष में इधर बैठे हैं । उसमें जनता का क्या दोष है इसलिए सभी क्षेत्रों में बराबर पैसा देना चाहिए । जो परियोजना का मद है, परियोजना सलाहकार समिति है, हमारा अबुझमाड़ परियोजना अलग है, आदिवासी परियोजना अलग है । उसका भी राजनीतिकरण हुआ है । जिस पार्टी की सरकार है, उसी पार्टी का ही व्यक्ति उसका अध्यक्ष होता है ।

हम उसे ही मान लेंगे, आप ही के सरकार का व्यक्ति परियोजना सलाहकार समिति का अध्यक्ष बने, लेकिन उस क्षेत्र का विधायक उस समिति का सदस्य होता है। परियोजना में कहां आंगनबाड़ी बनाना है, कहां पुल-पुलिया बनाना है, आदिवासी कौन से गांव में दुखी है, कहां हॉस्पिटल बनाना है । परियोजना सलाहकार में दिल्ली से पैसा आता था, पर उसे भी बंद कर दिया गया । आपकी डबल इंजन की सरकार है। आप तो हमसे पहले से ही चुनाव जीत रहे हैं, उसमें भी 60/40 का रेश्यों कर दिया। ढाई साल में मीटिंग ही नहीं हुई है । अगर मीटिंग हुई है तो आप अपने जवाब में बताईएगा । इन ढाई सालों में सलाहकार समिति का गठन ही नहीं हुआ है। समिति का गठन करने के लिए समय ही नहीं है । आप ही लोग अध्यक्ष रहें, हमें उस समय में सिर्फ सदस्य बना दीजिए । आप लोग अफीम में ही मस्त हैं तो परियोजना भाड़ में जाये ।

सभापति महोदय, आप भी बस्तर से आते हैं । अबुझमाड़ आपके क्षेत्र से पास में है । अबुझमाड़ के लोग कपड़ा नहीं पहनते, उनको शिक्षा देना है । माननीय इंदिरा गांधी जी ने आदेश दिया था और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह जी ने अबुझमाड़ में विवेकानंद आश्रम बनाया था । उस विवेकानंद आश्रम में आप तो जाते ही होंगे । उस आश्रम जैसा आश्रम छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी नहीं है । इसलिए अबुझमाड़ के लोग आज डॉक्टर भी बन रहे हैं, पुलिस भी बन रहे हैं, बड़े-बड़े गुरूजी भी बन रहे हैं । अबुझमाड़ के आश्रम में खेती होती है, धान बेचते हैं, गाय पालते हैं, आम और केले का बगीचा है । वहां सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, पर उस आश्रम में सारे काम होते हैं । ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन आदिवासी का आश्रम और उस आश्रम में पानी आता है तो पानी टपकता है। वहां बच्चे बाथरूम के लिए जंगल में जाते हैं। वहां आश्रम में गद्दा नहीं है, वहां दरवाजा नहीं है। वहां बाथरूम नहीं है। जब हमारी सरकार आई उसके पहले सलवा जुडुम चला था। सभी जगहों के आश्रमों को कोन्टा के आश्रम को, जगरगुंडा के आश्रम को सुकमा लाये, जगदलपुर में लाये, बीजापुर के मुख्यालय में लाये। क्योंकि वहां नक्सली आते थे। लेकिन आपने तो अब नक्सली खत्म कर दिया है। अब वहां उस गांव में आश्रम बनाओ, नवा कोन्टा में आश्रम बनाओ, गोलापल्ली में आश्रम बनाओ। मैं आपको एकाध दिन लिखकर दूंगा, जो आश्रम कोन्टा से सौ किलोमीटर दूर है, वह दोरनापाल में है, नगर पंचायतों में है। क्या हमारा गांव ऐसे ही खाली रहेगा ? जब हमारी सरकार थी तब हम लोगों ने तय किया था, हम लोग कुछ बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन आज वह बिल्डिंग भी वैसे ही अधूरा है। आप बस्तर और सरगुजा के ट्राइबल विभाग देख रहे हो। आप एकाध बार बस्तर का दौरा तो करो। आप वहां एकाध आश्रम में जाकर देखो कि आश्रम की व्यवस्था कैसी है ? वहां पर आश्रमों में नीति थी कि बस्तर के आदिवासी आश्रमों में बच्चों को पढ़ाने के लिए आदिवासी गुरूजी होने चाहिए। लेकिन अभी बी.जे.पी. की सरकार आने के बाद वहां के आदिवासी गुरूजी को हटाकर आर.एस.एस. वाले को बैठा दिया गया है। वह हमारे आश्रम का अधीक्षक बन गया। वहां लड़ाई हो रहा है। आज पेपर में देखा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र

के पाकेला में एक अधीक्षक को हटाया गया है। उसने क्या किया ताकि वहां का अधीक्षक बदनाम हो और उसको हटाकर मुझे अधीक्षक बनाये, कहकर बच्चों को बेहोश कर दिया। सुकमा अस्पताल पास में था। वहां कांग्रेस का सरपंच था। वहां के बच्चों को, सौ बच्चों को उठवाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में जांच में आया कि वह पुराना अधीक्षक पंडित था। वह अभी जेल में है। इस तरह से आश्रम चल रहा है। वहां आपकी पार्टी के लोग कोई सब्जी की व्यवस्था कर रहा है, कोई दुकान की व्यवस्था कर रहा है, कोई अण्डे की व्यवस्था कर रहा है अधीक्षक वहां पड़ा हुआ है। वहां बच्चों के प्रति कोई रूचि नहीं है। वहां 50 साल के बाद आश्रम खुला है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- आपके लिए भी कुछ व्यवस्था कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ?

श्री कवासी लखमा :- आप एकाध दिन आकर पूछ लेना। आपकी सरकार है, एकाध बार फोन करके देखना।

श्री रामकुमार यादव :- एखर व्यवस्था सरकार भी नइ सकय।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी, आश्रम में पढ़ने वाले हमारे जो बच्चे हैं, प्रायवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा 100 नंबर प्राप्त कर रहा है यहां आश्रम में पढ़ने वाला बच्चा फेल हो रहा है। वहां सौ बच्चें हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं है। दिल्ली की डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने पोटा केबिन खोला था। वहां एक आश्रम में पांच सौ बच्चे रहते हैं। पांच सौ बच्चें कौन-कौन से जिले में रहते हैं ? बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा...।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- दादी, पोटा केबिन मनमोहन सिंह जी ने नहीं खोला था, डॉ. रमन सिंह जी के कार्यकाल में पोटा केबिन खुला था, उसको बताईये न।

श्री कवासी लखमा :- हां, डॉ. रमन सिंह की सरकार थी, लेकिन वह पैसा दिल्ली से आया था। दिल्ली का आदेश था।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- पोटा केबिन के शौचालय में सोने का मामला आया था।

श्री रामकुमार यादव :- दिल्ली के पइसा मा ओ समय तुमन होशियारी मारे रेहा। ओ हा दिल्ली के पइसा रहिस हे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं वहां गई थी, वहां देखी बच्चे शौचालय में सोते हैं। बच्चियां खुले में स्नान करती हैं। यह पोटा केबिन का हाल है।

सभापति महोदय :- लखमा जी, 23 मिनट हो गए हैं। जल्दी समाप्त करें।

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, 5 मिनट। अभी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, वह बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। आपके गृह मंत्री बार-बार बस्तर जाते हैं। वहां उन्होंने एक भी पोटा केबिन नहीं खोला है, वहां एक भी हास्टल नहीं खोला है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर बजट बढ़ा है तो हर जिले में 10-10 आश्रम खोल दो। अबूझमाड़, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर, कांकेर, सरगुजा में आश्रम

खोल दो। आप लोग 15 साल में 15 आश्रम नहीं खोले हैं। लेकिन वहां आर.एस.एस. वाले अधीक्षक को बैठा दिए। वह राजनीति कर रहा है।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति जी, वैसे तो मैं अपने जवाब में आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। लेकिन आपको यह दुरूस्त कर दूं कि पोटा केबिन से अच्छी व्यवस्था हमारी सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी की नेतृत्व वाली सरकार ने उन सभी क्षेत्रों में, जहां भवनविहीन छात्रावास और आश्रम थे, उनको शत-प्रतिशत बनाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है और हम बनवायेंगे, यह मैं जवाब में जानकारी दूंगा। (मेजों की थपाथपाहट)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, पोटा केबिन किनका है फिर? कहां से संचालित होता है?

श्री राम विचार नेताम :- पोटा केबिन की जब शुरुआत हुई, उस समय भी मैं मंत्री था। उस समय भी विभाग को चलाया हूं, देखा हूं। उस समय मैं उन क्षेत्रों में दूरस्थ अंचल में पोटा केबिन क्षेत्र में वहां जहां-जहां आश्रम छात्रावास बने, वहां भी विजिट किया हूं, गया हूं। बच्चों के साथ भोजन किया हूं और इसलिए उसमें उससे भी अच्छी व्यवस्था हम कैसे कर सकें, इसलिए उसकी पूरी व्यवस्था, पूरा टेंडर हमने किया है, उसकी जानकारी विस्तृत हम देंगे। इसलिए इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, पोटा केबिन आप बोल रहे हो, उससे अच्छी व्यवस्था करेंगे। आदरणीय सभापति महोदय जी, मोदी जी का ही तो है क्या? पोटा केबिन? केंद्र से ही तो है? आपकी ही सरकार है, दो इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है तो आप उसको क्यों छोड़ रहे हो? उसको क्यों अच्छा सुरक्षित नहीं कर रहे हो? वहां तो हमारे बच्चे ही पढ़ रहे हैं, सभापति महोदय जी, आदिवासी बच्चे पढ़ रहे हैं।

सभापति महोदय :- चलिए, लखमा जी समाप्त कीजिये ।

श्री कवासी लखमा :- मैं भी चाहता हूं। हम भी वही मांग करते हैं। अगर ढाई साल में एकाध भी आश्रम बनता तो अभी आपके भाषण में बोल देना। सुकमा जिला में यह आश्रम बना दिया हूं या बीजापुर में यह आश्रम बना दिया हूं। पूरे संभाग में ढाई साल में कहीं पत्थर भी लगा दिया तो बता दें। इतना भी गलत मत बोलिए भाई साहब। पत्थर भी नहीं लगाये हैं। आपका विधायक भी है, उनसे भी दंतेवाड़ा वाला को पूछ लेना। एक पत्थर भी नहीं लगाये। हम लोग बार-बार बोल रहे थे कि जिस गांव में सलवा जुडूम चल रहा था, वह शहर में आया है, जिला मुख्यालय में आया है। मैं रमन सिंह साहब को बधाई भी देता हूं कि वहां गुरुजी नहीं जा पाते थे, वहां बिजली नहीं रह पाता था, इसलिए शहर में लाया है। गांव वाले बोल रहे हैं कि हमारा आश्रम हमारे गांव में हो। हम लोग बनाना चालू किए थे। जगरगुंडा का आश्रम बना दिए हैं। जगरगुंडा में अस्पताल चालू किए हैं। तो इसी प्रकार जो-जो आश्रम है, जिस-जिस गांव में, ताड़मेटला हो, पामलूर हो, पामेड़ हो, गोलापल्ली हो, जगरगुंडा हो, वह आश्रम को वहीं ले जाए। यही तो

हम चाहते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलकर सभापति जी मेरा यही निवेदन है कि हमारी जो परियोजना का मद आता था, आदिवासी उपयोजना में उनका गठन जल्दी हो। हमारा जो बस्तर विकास प्राधिकरण है, सरगुजा विकास प्राधिकरण है, उसका फंड भी बढ़ा दिए हैं, हम उसके लिए भी बधाई देंगे। लेकिन हम लोगों को भी तो कुछ दे। हमारा घर बनाने के लिए, हमारा कपड़ा पहनने के लिए नहीं। उस क्षेत्र का पुल-पुलिया बने, वहां के लोगों के लिए आंगनबाड़ी बिल्डिंग बने, वहां की स्कूल बिल्डिंग बने, वहां सामाजिक भवन बने, वहां देवगुड़ी बने। हम देवगुड़ी बनाए हैं तो बचे वाले इस पैसा से दे। आपने मौका दिया और बोलने वाला था, लेकिन समय नहीं है। आप आदिवासी आदमी हो, वरिष्ठ आदमी हो, इसलिए अफीम का धंधा बंद करिए। ये अफीम-वफीम करना बंद करिए, आगे बच्चे लोगों को पढ़ाओ, आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। ऊपर वाला आशीर्वाद देगा। ये गलत धंधा में जो जा रहे हैं न, आपकी पार्टी के लोगों को आप संरक्षण दे रहे हो, उसको बंद करो। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- सुश्री लता उसेंडी जी।

सुश्री लता उसेंडी (कोण्डागांव) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राम विचार नेताम, कृषि मंत्री जी के विभागों की मांग संख्या 13, 14, 16, 33, 41, 42, 54, 68, 82 और 83 के अनुदान मांग के समर्थन में खड़ी हुई हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देती हूं, जिन्होंने इन दो सालों में छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में जो योजनाएं संचालित हो रही हैं, उसमें एक अनुकरणीय कार्य हम सबको देखने को मिला है। निश्चित तौर पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की हम बात करें तो हमारे जो किसान हैं, वे आर्थिक समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, पहले हम सब देखते थे कि जो छोटे किसान थे लघु सीमांत किसान, वे बेचारे अपने खेत में काम ही नहीं कर पाते थे। उनके पास न हल के लिए पैसे होते थे, न बीज के लिए पैसे होते थे और न अपने खेत में काम करने के लिए टाइम होता था। दूसरे के खेतों में काम करके या दूसरे अन्य काम करके जब उनके पास थोड़ा अर्थ हो जाता था तो उसके बाद वे बचे हुए टाइम में जब अपने खेतों की तरफ रुख करते थे तो उनके पास वह खेती का टाइम ही खत्म हो जाता था, लेकिन आज अगर खेती का रकबा बढ़ा है, जब किसानों की बात कही जाती है और जिस तरह से आज सरकार के सामने किसानों की पंजीकृत आंकड़े 58 हजार से अधिक आ रहे हैं, उसका श्रेय किसी को जाता है तो वह विष्णुदेव साय जी की सरकार को जाता है और माननीय रामविचार नेताम जी को जाता है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, यह कृषि प्रधान राज्य है। टिकाऊ खेती किसानों की आर्थिक समृद्धि का मूल आधार है। हमें वह दिन भी याद हैं, जब किसानों को अंतिम किस्त के लिए बाट जोहना पड़ता था कि कब हमारा अंतिम किस्त आएगा और उस अंतिम किस्त की राशि से हम अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अंतिम किस्त में कितने रुपये कट जाते थे, वे किसान साल भर हिसाब ही लगाते रहते थे। मैं माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई दूंगी कि उन्होंने होली के पहले

अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करके किसानों के घरों में पैसा पहुंचा कर त्यौहार मनाने के लिए उनकी चिंता को समाप्त किया। जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब-तब कोई भी त्यौहार हो या साल भर अपने खेत के मरम्मत की बात हो, अपने जीवन-यापन की बात हो, निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने अच्छी योजनाओं के माध्यम से इन संकटों से किसानों को निजात दिलायी है, उसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देती हूँ। माननीय सभापति महोदय, हम सब तेजी के साथ जैविक खेती की तरफ रुझान करने के लिए लोगों को कहते हैं और लोगों की इच्छा भी है कि हम जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ें। लेकिन कभी-कभी यह देखने को मिलता है। यहाँ पर जब जैविक खेती की भी बात आती है तो कई जिले हैं, जैसे गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर को पूर्ण जैविक जिला के रूप में भी घोषित किया गया है और वहाँ पर काम भी चल रहा है। लेकिन उनको और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूँगी कि लोग तेजी के साथ जिस फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर रहे हैं, जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति समाप्त होने की बात पर लगातार चिंतन-मंथन होती रहती है। उसको बेहतर करने का एक ही उपाय है, वह जैविक खेती का आधार है। इसलिए जैविक खेती के प्रति लोगों के अंदर रुझान आए और रुझान आने के साथ उनको प्रोत्साहित किया जाये। जैसा कि Geo-tag की बात की जाती है। दंतेवाड़ा में जो चावल होता है, उसको Geo-tag भी दिया गया है। लेकिन कई बार यह चिंतन होता है। हमारे कोंडागांव जिले का ही एक किसान है, जो केशकाल, विश्रामपुरी में निवासरत है। वह लंबे समय से जैविक खेती का काम कर रहा है, धान का उत्पादन कर रहा है। अभी हम लोगों ने कृषि विभाग की तरफ से सारे डिपार्टमेंट को लेकर एक Exhibition लगाया था और सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। उसमें भी उसने कैंप में अपना Demonstration के लिए लेकर आया था। उसका कहना था कि मैं 15 साल से लगातार काम कर रहा हूँ, लेकिन इस दिशा में और चिंतन करने की आवश्यकता है कि कैसे हम लोगों को और कोई अतिरिक्त लाभ या अतिरिक्त व्यवस्थाएं मिले, ताकि अन्य किसान भी उससे प्रभावित होकर उनका रुझान जैविक खेती की तरफ तेजी के साथ बढ़े। हमारा जो विधान सभा क्षेत्र है, वहां निश्चित तौर पर सिंचाई का जितना साधन होनी चाहिए, उतना साधन भी नहीं हैं। हालांकि, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंद्रावती बैराज के लिए सेंक्शन दिया है। कुछ-कुछ इलाके पर उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर हम मध्य छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहां पर थोड़ा सा एरिया में सिंचाई की व्यवस्था अधिक है, लेकिन अगर बहुत बड़ा पार्ट हम बस्तर, सरगुजा की तरफ देखते हैं और छत्तीसगढ़ के अन्य दूरस्थ अंचलों को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि वहां सिंचाई का प्रतिशत भी कम है। इसलिए सिंचाई की व्यवस्थाओं को अन्य डिपार्टमेंट के साथ क्लब करके कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके लिए हमारी सरकार के द्वारा पॉलिसी बनाई ही जा रही है, लेकिन उस पर और तेजी के साथ काम करने की आवश्यकता है। मैं इस बात को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ट्यूबवेल खनन के लिए सरकार के द्वारा जो सब्सिडी प्रदान किया जाता है, उसके लिए मैं

माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। लेकिन एक स्तर के बाद हम देखते हैं कि विद्युत विभाग और कृषि विभाग में बहुत प्रकरण लंबित पड़े हुए हैं। अगर मैं अपने ही जिले की बात करूँ तो 10,000 से ऊपर के प्रकरण लंबित पड़े हुए हैं, जो technical issue की वजह से या जो भी कारण हो, जिसके कारण से वह नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं चाहूँगी कि इन सब विषयों को भी अपनी मॉनिटरिंग में लें और मॉनिटरिंग में लेकर इन विषयों पर गंभीरता से डिस्कशन करते उन क्षेत्रों में भी अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिले, इसके लिए और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, हम उद्यानिकी की बात करते हैं तो मैं यह कहना चाहूँगी कि सभी जिले में इसकी नर्सरी हो और इसमें बेहतर काम भी हो रहा है । बीज उत्पादन का काम हो या नर्सरी तैयार करने का काम हो, किसानों को पौधा वितरण करने का काम हो, यह लगातार हो रहा है। लोग इसे कर रहे हैं और इसका प्रतिशत भी बढ़ रहा है । मैं इस पर माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगी कि आप इसका थोड़ा सा निरीक्षण करवाईयेगा । मैं अपने जिले की बात कह रही हूँ, बाकी जगहों की मुझे जानकारी नहीं है । उद्यानिकी का जो हमारा नर्सरी है, वहां पर एक भी पॉली हाऊस नहीं है, वहां नेट हाऊस नहीं है, मैं दो महीने पहले ही विजिट पर गई थी । ऐसा लग रहा था कि हमने 7-8 साल पहले पॉली हाऊस, पैक हाऊस किया है, यदि 10 साल के अंदर नया स्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ है तो उन क्षेत्रों में स्ट्रक्चर तैयार करने की आवश्यकता है । किसानों का रूझान फलदार वृक्ष और सब्जियों की तरफ बढ़ा है । इस तरफ भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, हालांकि आपके द्वारा लगातार इन क्षेत्रों में प्रयास किया जा रहा है और काम किया जा रहा है । मैं एक चीज और कहना चाहूँगी कि जब यांत्रिकी की बात आती है, किसान आवेदन लगाते हैं कि उन्हें कम कीमत में पलाऊ मिल जाये, अपने खेतों की मरम्मत के लिये उन्हें ट्रैक्टर मिल जाये, वहां पर भी उपकरणों की थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है । अभी एक किसान मेरे पास आया हुआ था, उनको उद्यानिकी विभाग से ही हल्दी मिला हुआ है और अभी अप्रैल में उसकी बुआई होनी है । उसने अपने खेत में यह लगाया है और उसके पहले खेत की मरम्मत जरूरी है । मैं सरकार को धन्यवाद करती हूँ कि हल्दी उत्पादन के लिये आप बीज उपलब्ध करा रहे हैं और कांट्रेक्ट दिलवा कर कंपनी से टाई-अप करा रहे हैं कि जब आपका उत्पादन होगा तो कंपनी ही डायरेक्ट परचेज करके ले जायेगी और मार्केट ढूँढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी, ऐसे उदाहरण भी प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं । जब यांत्रिकी विभाग से संपर्क किया तो जगदलपुर से पलाऊ मंगाना पड़ा । पलाऊ लगाने के बाद जब इनके पास ट्रैक्टर नहीं था तो बोला गया कि पहले ट्रैक्टर से जमीन तैयार करो, फिर हम आपको पलाऊ देंगे । यह छोटी-छोटी चीजें है जिसे ठीक कर देंगे तो मुझे लगता है कि जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें और बेहतर करने के लिये लोगों का रूझान बढ़ेगा तथा लोग आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे । सभापति महोदय, मार्केट में 1000-1200 रूपये घण्टे में पलाऊ और ट्रैक्टर वगैरह मिलता है, लेकिन आपके यहां 400-500 रूपये घण्टे में मिल जाता है, इसको बढ़ाने

की आवश्यकता है । दूसरी बात, जो कृषक हैं, वह सब्सीडी में अन्य उपकरण लेना चाहते हैं, जिसका टारगेट भी काफी कम है, इसे भी बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक लोग भी उससे लाभान्वित हो सके । सभापति महोदय, मैं एक आग्रह भी करूँगी कि हमारे यहां पूरे जिले में एक ही नर्सरी है, ब्लॉक में भी एक-एक नर्सरी के लिये प्रावधान कर दें, ताकि लोग उसके टच में रहे और उसका फायदा किसानों को मिले, जैसे माकड़ी है, फरसगांव है, केशकाल है, विश्रामपुरी है, यहां भी एक-एक नर्सरी के प्रावधान हेतु माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगी । सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगी कि मत्स्य के क्षेत्र में हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत डिटेल्स में बातचीत की है, अत: मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगी, लेकिन इतना जरूर कहूँगी कि कोण्डागांव में मत्स्य उत्पादन का, बीज उत्पादन का, एक बड़ा यूनिट है । वहां काफी बड़ी मात्रा में बीज अन्य जगहों पर भेजी जाती है । मैंने माननीय मंत्री जी से आग्रह भी किया था कि हमारे यहां एक मत्स्य कॉलेज खोला जाये । मेरी जानकारी के अनुसार पूरे प्रदेश में एक ही मत्स्य यूनिवर्सिटी के बारे में कहना चाहूँगी कि आपको यूनिवर्सिटी खोलने में दिक्कत भी आ रही हो तो हो सकता है कि इसके डिप्लोमा कोर्सेस अलग-अलग क्षेत्र पर जो यूनिवर्सिटी ऑलरेडी चल रहे हैं, वहां खुलवा दीजिए । अगर डिप्लोमा कोर्स चलेगा तो हमारे कुछ बच्चे हैं जो इसमें इंटरेस्ट लेते होंगे वे उस कोर्स को कंप्लीट करके उनको अपने खेतों पर मछली उत्पादन करने में भी आसानी होगा और टेक्निकल ज्ञान जब बढ़ता है तो उसका जो फायदा हम सबके सामने दिखता है, उसके विषय में हम सब जानते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि इस दिशा में विशेष प्रयास करके एक बार माननीय मंत्री जी विचार करेंगे।

माननीय मंत्री जी, एक कुक्कुट पालन, पशुपालन का भी विषय आया था। बहुत पहले कोंडागांव में एक कुक्कुट पालन का केंद्र था। वह किन्हीं कारणों से पता नहीं स्थल परिवर्तन का विषय आया था और कुक्कुट पालन वहां पर बंद कर दिया गया और नए स्थल पर वह स्टार्ट नहीं हो पाया। माननीय मंत्री जी अभी भी कोंडागांव के नाम से सेटअप दिखा रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि अपने अधिकारियों को निर्देशित करके उस यूनिट को वापस स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वहां पर 20-25 लाख रुपए मंथली इनकम आ रहा था। उस कुक्कुट पालन में आज से दस बारह साल पहले आ रहा था। आज अगर वह होता तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा फायदा हमारे किसान लोगों को होता। कुक्कुट पालन के क्षेत्र में भी हमारे लोगों को फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे छात्रावास स्कूलों की बातचीत बहुत आई, वह दिन भी याद है, पूर्व सरकार जब बैठी तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं थीं जिसमें भेदभाव का नजरिया देखने को मिला। दंतेवाड़ा में आस्था जो हमारी संस्था है जिसमें हजारों बच्चे पढ़कर आज आगे बढ़ रहे हैं, उसपर भी ध्यान नहीं दिया गया और उसकी क्वालिटी को भी समाप्त करने का प्रयास किया गया था। एक समय दंतेवाड़ा जिले में जो संस्था थी, उसमें लोग लाइन लगाए होते थे कि हमारे बच्चे का वहां पर एडमिशन

हो जाए । लेकिन धीरे-धीरे उसकी क्वालिटी डाउन हुई और लोग जाना ही पसंद नहीं करते थे, लेकिन अभी वापस हमारी सरकार बनने के बाद उसको बेहतर किया जा रहा है और वापस उस क्वालिटी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है।"

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि अभी 2026 तक नक्सलाइट मुक्त हमारा बस्तर हो रहा है। शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता के विषय में, बस्तर के विषय में आप सब जानते हैं। हमारे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खिलाड़ी मलखंभ के बच्चे, हमारे नारायणपुर के बच्चे आज विदेश में भी जाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। मैं तो ये कहूंगी कि जिन-जिन जिलों में क्रीड़ा परिसर नहीं है, वहां-वहां प्रयास करके कर दें, पर विशेष करके हमारे जिले में नहीं है तो मैं चाहूंगी कोंडागांव जिले में क्रीड़ा परिसर की स्थापना अगर आप करवा देंगे तो अच्छा होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि छात्रावासों में सीटों की संख्या कम है, हालांकि आप डिमांड के आधार पर 10% बढ़ोतरी करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी क्राइसेस है। उसपर चिंतन करके थोड़ा उन सीटों की संख्या को भी बढ़ाने की आवश्यकता है, ये मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है।

माननीय सभापति महोदय, एजुकेशन हब की बात आती है, चारों तरफ से अगर हम देखें तो हमारे इस कोंडागांव में भी एक एजुकेशन सिटी की मांग मैं आपसे करूंगी, उसका प्रावधान कर देंगे तो हमारे कोंडागांव जिले और अन्य जिले के बच्चे उसमें आ सकते हैं, उसका बेनिफिट हमारे यहां पर मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है, मैं ये कहना चाहूंगी कि कृषि विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, इन दोनों विभागों में अगर हम बजट की बात करते हैं तो मैं प्रशासकीय प्रतिवेदन में देख रही थी, राज्य पोषित जो बजट आवंटन है, इसमें 31 दिसंबर तक 79% का खर्च व्यय आपने किया है उसके लिए आपको बधाई। मुझे लगता है कि समाप्ति तक पिछला वर्ष 24-25 में हम देख रहे थे, 99% व्यय हुआ है, इस समय अभी दिसंबर तक ही 79% है, माननीय मंत्री जी को बधाई है । मैं आग्रह करूंगी कि जिन छोटी-छोटी चीजें हैं, जिन व्यवस्थाओं की बात हम सब लोगों ने की है, उन बातों को लेकर एक बेहतर व्यवस्था हमारे किसानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए करेंगे। मैं एक अंतिम बात कहना चाहूंगी, आपने दिल्ली में यूपीएससी के लिए कोचिंग सेंटर खोला है, हमारी सरकार को बधाई है, रमन सिंह जी के समय वो स्टार्ट हुआ था, माननीय मंत्री जी उस समय थे। एक स्टूडेंट से मुलाकात हुई थी, मुझे बहुत डिटेल नहीं पता लेकिन ये डेढ़ साल पहले की बात है। मैंने आपको मौखिक तौर पर इसकी जानकारी भी दी थी, उस स्टूडेंट का कहना था कि जो फीस कोचिंग के लिए गवर्नमेंट की तरफ से हमको मिलता है, वह हमको 10 महीने की मिलती है और यूपीएससी और पीएससी की कोचिंग जो होती है पूरा 12 महीने चलती है। तो हम सब लोगों के पास दो-तीन महीने का क्राइसिस आता है, जिसके कारण से हम लोगों को दिक्कत होती है। उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती है, इसलिए

इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अगर ऐसी कोई समस्या है उसको आप ठीक कर देंगे तो हमारे बच्चों के लिए सुविधा हो जाएगी। मैं माननीय मंत्री जी के बजट मांग का समर्थन करते हुए अपनी बात को विराम देती हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- श्रीमती अंबिका मरकाम।

श्रीमती अंबिका मरकाम (सिहावा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं कृषि, मछली पालन, पशुपालन, आदिम जाति कल्याण विभाग की अनुदान मांग संख्या क्रमश: 13, 14, 16, 33, 41, 42, 54, 68, 82, 83 के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। प्रदेश में किसानों को आत्मनिर्भर बनाये जाने, सिंचाई सुविधा का विस्तार किये जाने, किसान समृद्धि नलकूप योजना के तहत नलकूप खनन किये जाने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति संवर्ग के कृषकों के लिए 43,000 रूपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के कृषकों के लिए 35,000 रूपये एवं सामान्य वर्ग के कृषकों के लिए 25,000 रूपये के अनुदान का प्रावधान है। जिसमें अनुदान राशि में वर्ग हेतु 20,000 रूपये की वृद्धि की जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक धान का उत्पादन धमतरी जिला में होता है, परन्तु धमतरी जिले में अभी जो धान की खरीदी हुई, उसमें कृषकों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खासकर सिहावा विधान सभा क्षेत्र, जो कि अनुसूचित क्षेत्र है वहां किसानों को खरीफ व रबी सीजन में खाद-बीज उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। सिहावा विधान सभा में सोंढूर डेम है, जो नगरी ब्लॉक में स्थित है। यहां के पानी की सप्लाई महानगर अर्थात् रायपुर, भिलाई के उद्योगों हेतु की जाती है, किन्तु स्थानीय कृषकों को रबी की फसल हेतु सोंढूर डेम से जल संसाधन विभाग द्वारा पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जिससे कृषकों की आय में वृद्धि नहीं हो पा रही है। कृषि विभाग एवं जल संसाधन विभाग समन्वय बनाकर यदि सोंढूर डेम से कृषकों को द्विफसली हेतु पानी उपलब्ध कराए तो ग्रीष्म काल में धान के बदले दलहन-तिलहन और मक्के की फसल हेतु छत्तीसगढ़ शासन का लक्ष्य जो वर्ष 2025-26 में 3,985 हो रहा है, जिसमें दिनांक 31.12.2025 की स्थिति में 339 हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, घुमंतू जनजाति जो कि पारधी जनजाति है, उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर कृषि मंत्री जी के विभाग में मेरा एक ध्यानाकर्षण भी लगा था। माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब दिया था। मैं आपका ध्यानाकर्षण करना चाहूंगी कि चाहे वह पारधी जनजाति हो, चाहे भुंजिया जनजाति हो, मुझे उनके जाति प्रमाण पत्र की चिंता है। यदि उनका जाति प्रमाण पत्र सेन्ट्रल से बनता है तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, इसलिए आपको इस पर विशेष रूप से रुचि लेकर इनका जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए। यदि कहीं पर मात्रात्मक त्रुटि है तो उनको भी ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि उनको जो शासन से लाभ मिलना चाहिए, वह लाभ नहीं मिल पा रहा है। उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। माननीय मंत्री जी, यह महत्वपूर्ण विषय है। इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, वन क्षेत्रों के

संचालन के लिए सरकार की जो नीति बनी है, उसमें अनुसूचित क्षेत्रों में पांचवीं अनुसूची लागू है। अनुसूचित क्षेत्र में जो नीति बनी है, अनुसूचित क्षेत्रों में 5वीं अनुसूचि लागू है। अनुसूचित क्षेत्रों में जो नीति बनी है, जैसे रेत खनन होता है और मछलीपालन होता है तो क्या अनुसूचित क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है ? यदि उनको लाभ नहीं मिल रहा है तो उनको लाभ दिलाया जाये। क्या वे अपने अधिकारों से वंचित हो जा रहे हैं ? इसलिए उनको दिक्कतें हो जा रही है। माननीय मंत्री जी, चूंकि आप उसी अनुसूचित जाति से आते हैं और काफी सीनियर मंत्री हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। मैं कृषि विभाग के वर्ष 2025-26 के बजट में बताना चाहूंगी कि आपकी 15 प्रतिशत ही राशि खर्च हुई है और जितनी खर्च हुई है, वह आधी भी नहीं है। क्या आप 2 महीने में इतनी राशि खर्च कर पायेंगे ? यह चिंता का विषय है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगी कि आप इतनी राशि कैसे खर्च करेंगे ? क्या आप लोगों को खाद बीज दिला पायेंगे ? क्या किसानों को समय पर खाद बीज मिलेगा ? अभी अमेरिका इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, क्या खाद बीज उसकी भेंट चढ़ जायेगा ? आपने पैक हाऊस और ग्रीन मैट मशीन के लिए बजट में लक्ष्य रखा है कि नहीं रखा है ? यदि आपने लक्ष्य रखा है तो क्या आप लोगों को समय-सीमा में बाटेंगे ? जब हम लोग नर्सरी में पता करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपको केंद्र सरकार के द्वारा ग्रीन मैट नहीं मिला है। क्या आपने इसके लिए बजट रखा है ? यदि आपने बजट रखा है तो क्या आप समय-सीमा पर लक्ष्य पूरा करेंगे ? और यदि आप लक्ष्य पूरा करेंगे तो क्या आप किसानों को यह बाटेंगे ? उसी तरह डबरी तालाब खोदने के लिए आपने 25 प्रतिशत रखा है । पता नहीं आपने सिहावा विधान सभा में कितना लक्ष्य रखा है और आप कितना देंगे ? आपने 14 हजार करोड़ रूपये से अधिक का बजट दिया है लेकिन मात्र 2 हजार करोड़ रूपये खर्च किया है। क्या आप 2 महीने में इतनी राशि खर्च पायेंगे ? यह सोचने की बात है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का मछली पालन के क्षेत्र में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। आपकी जो नीति बनी है, उसका लाभ पहले तो मछुआ समिति के लोगों को मिलना चाहिए। यदि मछुआ समिति के लोग उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तब आप दूसरे लोगों को दीजिये क्योंकि मछुआ समिति के लोग वही व्यापार करते हैं। वह उनका व्यवसाय है। यदि आप लोग दूसरे लोगों को वह लाभ देंगे तो वह अपने व्यवसाय में पीछे हो जायेंगे। मछुआ समितियों को वास्तव में जो अधिकार मिलना चाहिए, वह अधिकार उनको नहीं मिल पा रहा है और आप दूसरे लोगों को व्यवसाय के लिए राशि दे रहे हैं।

माननीय मंत्री जी, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि पिछली कांग्रेस की सरकार में पशुपालन क्षेत्र में मोबाईल मेडिकल यूनिट चला था। लेकिन अभी आप लोगों ने गौठान बंद कर दिया है तो उससे पशु रोड पर मरे हुए पाये जाते हैं तो उन पशुओं के लिए क्या आप मोबाईल मेडिकल यूनिट चला रहे हैं या आपने उन्हें बंद कर दिया ? यदि जानवर मर जाते हैं तो उसकी सूचना

आप तक नहीं आ पायेगी तो आप उस पर कैसे कार्रवाई करेंगे ? इसको चालू करना चाहिए क्योंकि यह महत्वपूर्ण चीज है। उसी तरह मैं आपको बताना चाहूंगी कि 275 (1) में जो आदिवासी सब ट्राईबल प्लान, जो कि केंद्रीय सरकार की योजना है। अभी इसमें टेकाम जी का भी प्रश्न लगा था, वह बहुत अच्छा प्रश्न था। मैं उनको बधाई देना चाहूंगी क्योंकि हम सब ट्राईबल क्षेत्र से आते हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी क्योंकि वह अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पर कमार, पिछड़ी जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं और 275 (1) के सब प्लान में बहुत सारे क्षेत्र के विकास के कार्य होते हैं। लेकिन अभी दो सालों से हम देख रहे हैं कि यह ट्राईबल प्लान बंद हो चुका है और आपने इसके लिए किसी बजट का प्रावधान नहीं किया है। क्योंकि आपकी डबल इंजन की सरकार है, केन्द्र में भी और राज्य में भी आपकी सरकार है। इस ओर आपको ज्यादा से ज्यादा बजट लेने के लिये केन्द्र सरकार से बातचीत करनी चाहिए। जो ट्राइवल क्षेत्र हैं, उसमें विकास के काम हों। कहीं पर नाली, कहीं पर सी.सी. रोड बनाना है, कहीं पर पुलिया बनाना है। पहले हम लोगों ने बहुत सारे कार्य ट्राइवल सब प्लानों से किया था। तो ये बहुत चिंता का विषय है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 275(1) में ये बजट का प्रावधान है, इस बजट को करना चाहिए, यह मैं माननीय मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहूंगी। उसी तरह ट्राइवल क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय, प्रयास विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय मद में बहुत सारी राशियां आती हैं। ट्राइवल क्षेत्रों में आप लोगों ने जो छात्रावास खोला है, उसमें हमारे बच्चों को परेशानी न हो, इसके लिये राज्य मद में और केन्द्रीय मद में राशि आती है। एकलव्य विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय, प्रयास विद्यालय है, उसमें ज्यादा से ज्यादा सुविधा वहां के छात्रों को मिलनी चाहिए। क्योंकि आपके पास केन्द्रीय मद से भी और राज्य मद से भी डबल मद आना चाहिए। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि मेरे सिहावा विधान सभा में भी बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, जिसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। जहां पर भवनविहीन है, वहां पर भवन बनाया जाना चाहिए। जैसे मेरे क्षेत्र में बालक छात्रावास सियारीनाला, गुडकेल, बेलरबहरा है, यहां पर छात्रावास भवन विहीन है, यहां पर आप छात्रावास का निर्माण करें। उसी तरह नगरी में 50 सीटर बालिका छात्रावास है, उसको 100 सीटर करने का आपसे निवेदन करती हूं। क्योंकि हम लोगों के पास बार-बार फोन आता रहता है और हम लोगों के पास लोग मिलने के लिये आते हैं तो वहां पर 50 सीट तो ऐसे ही भर जाती है। इसको 100 सीटर बढ़ाने के लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि बालिका छात्रावास की सीट को बढ़ाया जाये। इसके पहले भी मैंने पत्र लिखा था कि इस बालिका छात्रावास की सीटों को बढ़ाया जाये। माननीय मंत्री जी, मैंने आपसे कृषि महाविद्यालय की भी मांग की थी। मेरे सिहावा महाविद्यालय क्षेत्र में एक भी कृषि महाविद्यालय नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। लेकिन अभी मुझे जानकारी मिली है कि आत्मानंद स्कूल में कृषि संकाय को बंद कर दिया गया है। माननीय मंत्री जी मैं आपके

माध्यम से ध्यान दिलाना चाहती हूं कि शिक्षा विभाग की ओर भी ध्यान दें। कृषि संकाय जो महत्वपूर्ण विभाग है, उन स्कूलों में कृषि संकाय को चालू किया जाये। उन स्कूलों में कृषि संकाय को क्यों बंद किया गया है, यह मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे पास ये जानकारी आई है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि कृषि संकाय भी चालू किया जाये और कृषि महाविद्यालय भी नगरी क्षेत्र में गट्टासिली में खोला जाये ताकि उस क्षेत्र के लोगों को कृषि के क्षेत्र में लाभ मिले, छात्रों को भी लाभ मिले, ट्राइवल क्षेत्र के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। यह मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं।

सभापति महोदय :- आपको 15 मिनट हो गये हैं, समाप्त कीजिए।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- मैंने मछलीपालन के क्षेत्र में बताया है। मछलीपालन के लिये मछुआ समिति के लोगों को देना चाहिए। मछलीपालन मेरे विधान सभा के सोंढूर डेम में आज तक रूका हुआ है , वहां पर मछली पालन के लिये आपको नीति बनाने की जरूरत है जिससे वहां पर जो समिति है वह वहां मछली पालन कर सके, वैसे भी वहां डेम की मछली चोरी हो जाती है, चूंकि वहां पर बड़ी-बड़ी मछलियां हैं उसको निकाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ कोर्ट की समस्या है या क्या है, मुझे नहीं पता लेकिन मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूं, चूंकि आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप चाहेंगे तो केंद्र से भी अनुमति होगी तो वह मिल सकती है और उसका निराकण होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, समूहों को रोजगार मिलेगा, जो मछली समूह है उनको रोजगार मिलेगा जिससे ज्यादा से ज्यादा उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं । मैंने आपसे बहुत सी बातें कही, एक तो मेरे क्षेत्र में आप गोडाऊन भी बना दीजिये और मण्डी बोर्ड से हम लोगों को कुछ धनराशि भी दिलायें और यह छात्रावास जो मैंने आपको कहा है, आप उन छात्रावासों को थोड़ा नोट कर लीजिये कि जहां-जहां भवनविहीन हैं वहां भवन बना दीजिये और जो 50 सीटर है, उसको 100 सीटर बना दीजिये । ऐसे ही ट्राईबल क्षेत्रों में समस्याएं रहती हैं । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद । माननीय सभापति महोदय, चाहे हम भारत की बात करें या फिर अपने छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें, हम यही मानते हैं कि छत्तीसगढ़ कृषक प्रधान और कृषि प्रधान राज्य रहा है । जब छत्तीसगढ़ राज्य मध्यप्रदेश से पृथक हुआ तो उस समय से लेकर आज तक की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे के रूप में ही हमेशा चाहे आम चर्चा हो या हम कहीं पर भी इस विषय की चर्चा करें । छत्तीसगढ़ का उदाहरण धान के कटोरे के रूप में दिया जाता है और शुरू से ही धान की पैदावार छत्तीसगढ़ में जो सबसे अधिक, सर्वाधिक संख्या में है तो यह कहा जाना भी स्वाभाविक है और बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में, उनके मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में और माननीय कृषि मंत्री जी

के निर्देशानुसार जिस तरीके से पिछले दो से ढ़ाई वर्षों में हमारे किसान समृद्ध हुए हैं, यह बहुत खुशी की बात है । लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनकी जो जीविका है, उसके साधन निश्चित तौर पर बढ़े हैं । कृषि की ओर लोगों का ध्यान भी बढ़ा है, पहले यह होता था कि गांव में रहने वाले किसान जो शायद बहुत ज्यादा पढ़े-लिखे न हों, यही माना जाता था कि किसान हैं मतलब वह पढ़े-लिखे नहीं हैं । गांव में रहते हैं, गांव में खेती करते हैं लेकिन अब उसका विषय बदल चुका है क्योंकि यहां से पढ़े-लिखे बच्चे जो बाहर भी हैं, जो कृषि क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, वह भी अपने गांव वापस जाकर के सरकार की बहुत सारी योजनाओं के साथ कृषि को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं निश्चित ही वह बहुत सराहनीय है और कहीं न कहीं सरकार की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि जो योजनाएं हैं उसका सीधा लाभ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को मिल रहा है ।

माननीय सभापति महोदय, अगर हम इसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण देखेंगे तो धान का जो समर्थन मूल्य है और धान की जो अंतर राशि है उन दोनों का पैसा किसानों के खाते में शीध्र-अतिशीघ्र और एकमुश्त हमारी सरकार ने अभी डाला है तो मैं माननीय विष्णुदेव साय जी को और हमारे आदरणीय मंत्री जी का मैं बहुत अभिनंदन करती हूं कि होली त्यौहार जो पूरे भारत में हम सभी के लिये होता है, छत्तीसगढ़ में बड़े धूमधाम से होली का त्यौहार कलर-गुलाल के साथ मनाया जाता है। इस बार हमारे किसानों को उचित समय पर उनके पसीने का, वह अपना खून खेतों में पसीने के रूप में जो बहाते हैं उनको उसकी राशि उचित समय पर मिली है तो इसके लिये भी मैं हमारे माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद भी व्यक्त करती हूं । 21 क्विंटल 3100 रूपये की दर से बिना किसी भेदभाव के सारे किसानों को मिला है जो धान की खेती करते हैं । हम कृषि उपकरण में अनुदान की बात करें, चाहे बीज की बात करें, चाहे आधुनिक खेती की बात करें । हर किसी में प्रॉपर बजट का प्रावधान किया गया है, हमें यह जो पुस्तक मिली है, जिसमें कृषि का बजट है उसमें सीधे दिखायी दे रहा है । इसके साथ ही चाहे हम पशुपालन की बात करें, चाहे मत्स्यपालन की बात करें, अलग-अलग क्षेत्रों में जिस तरीके से मछली पालन को बढ़ौत्तरी दी जा रही है उसकी हम बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में लगातार नये-नये आयाम हमारे कृषि के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है ।

माननीय सभापति महोदय, लेकिन इसके साथ-साथ कुछ चिंता का भी विषय है, वह चिंता का विषय यह है कि अधिकतर अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मैंने पहले भी अपनी बात में कहा कि हम छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं और चाहे सरकार कोई भी हो, धान को खरीदने का या किसी एक ही फसल को लगातार बोना और उसको सरकार के माध्यम से खरीदना मुझे लगता है कि थोड़ा सा चिंतनीय विषय है ।

समय
4.00 बजे

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगी कि हम फसल बदलने की ओर भी ध्यान दें। हम सिर्फ धान की खेती न करके, बाकी जो अरहर, दलहन, तिलहन की जो फसल आती है, उसमें भी मुझे लगता है कि सरकार के माध्यम से किसानों को थोड़ा सा प्रोत्साहन और थोड़ी सी जागरूकता जरूरी है। चूंकि हम सब यह जानते हैं कि अगर हम धान का फसल लगायेंगे और हमारे बेचने का समय आएगा तो हमारा धान तुरंत समर्थन मूल्य में उठ जाएगा। विष्णु देव जी की सरकार 7 दिन, 10 दिन के अंदर धान की अंतर राशि का पैसा मिल जाएगा। तो हमें एक आजीविका का साधन मिलेगा और शायद इसी कारण से लगातार जो धान का रकबा है विशेष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, लेकिन जिस क्षेत्र पंडरिया विधान सभा से मैं आती हूँ, जो कवर्धा जिले में आता है अगर मैं वहां की बात करूं और उसके साथ-साथ बालोद, अंबिकापुर और ऐसे 5 जिले हैं मैं 5 जिले तो नहीं कहूंगी, 5 ऐसे विधान सभा क्षेत्र हैं जहां पर धान, दहलन, तिलहन के अलावा भी बहुतायत मात्रा में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। हम यह मानकर चलते हैं कि छत्तीसगढ़ में कवर्धा, पंडरिया की बात आती है तो हम अपने जिले का गुड़, शक्कर की मिठास के रूप में उदाहरण देते हैं। लेकिन मैं अपने जिले की बात करूं या वहां से लगे हुए 4 अन्य जगहों की बात करूं जिसमें बालोद और अंबिकापुर भी शामिल है। आज जो हमारी शक्कर के कारखाने हैं वह कहीं न कहीं बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं और अगर आप उस क्षेत्र में जाएंगे तो आपको गेहूं, चने, धान के साथ-साथ बहुतायत मात्रा में लगभग 40 से 50 प्रतिशत गन्ने की खेती दिखायी देगी। गन्ने की खेती के साथ-साथ हर 10 से 15 किलोमीटर की दूरी गुड़ फैक्ट्रियां दिखायी देंगी। उसी जिले में जाएंगे तो वहां दो शक्कर कारखाना, भोरमदेव और पंडरिया का शक्कर कारखाना भी दिखायी देगा। लेकिन यह दु:ख की बात है कि इस वर्ष या मैं पिछले वर्ष की बात करूं हमारी शक्कर कारखाना, पिछले वर्ष हमने सहकारिता वर्ष के रूप में उत्साह के साथ मनाया है, लेकिन शक्कर कारखानों को थोड़ा सा नेगलिजेंस, खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैंने इस प्रशासनिक प्रतिवेदन में पूरा देखा और इसे पढ़ा और मुझे इसमें थोड़ी सी निराशा इस बात को लेकर हुई कि हम कवर्धा, बालोद या अंबिकापुर के जिस शक्कर कारखाने के मिठास की, गन्ने की बात करते हैं इस प्रतिवेदन में उसकी चर्चा कहीं नहीं हुई है। तो मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि अगर हम बाकी फसलों को चाहते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ उस नाम से भी जाना जाये, क्योंकि धान के साथ-साथ हम जो गन्ना लगाते हैं, हम जो गुड़ बेचते हैं मार्केट में उसका भी बहुत ज्यादा रेट है। तो हम यह चाहते हैं कि हमारे किसान समृद्ध हों तो मुझे यह लगता है कि इस विषय पर थोड़ा सा संज्ञान लेकर उनकी चिंता करनी चाहिए। क्योंकि आज हमने उनकी चिंता नहीं की तो आने वाले समय में जो हमारी 5 शक्कर के कारखाने हैं वह लगभग-लगभग बंद होने की स्थिति में आ

जाएंगे। मैं यह भी समझ रही हूँ कि आदरणीय मंत्री जी बाद में यह विषय चर्चा में आएगा कि केवल शक्कर के कारखाने की बात आती है, लेकिन मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वहां के किसानों को देखती हूँ कि वह गन्ना लगाने के लिए मेहनत करते हैं यदि एक बार आप गन्ने का पौधा लगायेंगे तो उसमें से लगभग 3 फसल ले सकते है, लेकिन उतनी ही मात्रा में उसकी देखरेख, पानी की जरूरत होती है, उस गन्ने की मोटाई, लंबाई कितनी है उसकी पूरी कैसे तार फेंसिंग करना है, उसमें बहुत सारी लागत आती है। उस लागत के बाद में जब वह फसल खड़े होकर तैयार होती है जब किसान खुश होते हैं कि अब मेरे पास मेरी फसल तैयार है मैं इसे शक्कर के कारखाने में जाकर बेचूंगा तो कहीं न कहीं वह थोड़ा सा प्राईवेट फैक्ट्री की ओर डायवर्ट हो जाते हैं। उसका कारण यह है कि जो प्राईवेट गुड फैक्ट्रियां हैं जो सैकड़ों की संख्या में है चाहे किसी को परमिशन हो या न हो, वह सेकेण्ड्री मैटर है, लेकिन आज हर विधान सभा में जहां शक्कर का कारखाना है वहां पर बड़ी मात्रा में गन्ने की फैक्ट्रियां लग चुकी हैं और बहुत अनाप-शनाप रेट है, वहां पर 500-600-700 से लेकर इतनी ज्यादा रेट में गन्ना खरीदा जा रहा है और हमारे किसान उनको देने के लिए मजबूर हैं क्योंकि वह उनको तत्काल पेमेण्ट करते हैं इसमें हमारी थोड़ी सी चूक यह होती है कि हमने जरूर शक्कर के कारखाने डाल दिये हैं, लेकिन उनके रखरखाव के लिए चाहे हम वित्त विभाग की बात करें, चाहे हम कृषि विभाग की बात करें, चाहे हम सहकारिता विभाग की बात करें। उसमें आज तक कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बहुत विनम्र निवेदन करती हूँ कि जिस तरीके से हमारे जो धनहा किसान हैं, जो किसान चना लगाते हैं उसी तरीके से हमारे गन्ना किसानों को प्राथमिकता देकर, उन पांचों शक्कर के कारखानों को संज्ञान में लिया जाये और इनको संज्ञान में लेकर, वर्किंग कैपिटल देने की मांग करती हूँ। जब तक किसी प्लांट को खास तौर पर जो हमारे सरकार प्लांट हैं, सहकारिता में जो आते हैं उन्हें वर्किंग कैपिटल नहीं मिलेगा, अगर हम सरकार से उनको अपने रूटिन खर्चे के लिए अगर हम सरकार से पैसा नहीं दिलवा पाएंगे तो उनका मेंटनेंस बहुत मुश्किल है । आज हम रिकव्हरी देते हैं, आज हम बोनस देते हैं, एक प्राईवेट फैक्ट्री से कहीं ज्यादा हम उनको पैसा देते हैं, लेकिन दिक्कत जो आती है, वह समय की आती है । हमारे किसान अगर दिवाली के समय अपना गन्ना बेचते हैं तो मुझे इस बात को बोलते हुए बहुत दुख होता है कि होली में उनको पैसा मिलता है। यह जो 6 महीने का अंतराल है, किसान सिर्फ अपनी खेती पर आधारित है चाहे वह कोई सी भी खेती करता हो और उसको 6 महीने में पैसा मिलेगा तो कहीं न कहीं वह नकारात्मक चीजें उनके परिवार में भी देखनी पड़ती है और सरकार के प्रति थोड़ी सी निगेटिविटी उनके मन में आती है । हम पेमेंट करते हैं, पर समय की जो बाध्यता है, वह थोड़ी सी कम हो जायेगी तो मुझे लगता है कि इसमें काफी प्रोत्साहन हमारे गन्ना किसानों को मिलेगा । मैं बार-बार निवेदन भी करती हूं कि ऐसे काफी शुगर फैक्ट्री हैं, जो लोन पर हैं । चाहे मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो जो फैक्ट्रियां लोन पर हैं तो हमारी सरकार किसी भी तरीके से उनको साफ्ट लोन देकर चाहे

मंडी बोर्ड से प्रोवीजन कराकर उनकी सहायता करे, इसके पहले कि वह बंद होने की कगार पर हों और हमारे जो बहुतायत मात्रा में पंडरिया, कवर्धा और बाकी जगहों पर लगभग 40 प्रतिशत जो गन्ने के किसान हैं, उनको बहुत बड़ी मार इससे पड़ने वाली है । सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, अगर हम बागवानी की बात करते हैं, बागवानी में भी आज हर क्षेत्र में आप देखेंगे कि सड़क के किनारे हों या हाईवे के किनारे हों, अधिकतर टमाटर और पपीता इन दोनों की खेती बहुतायत मात्रा में की जाती है । फसल बीमा योजना के लिए 820 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, यह बहुत बड़ी राशि है । मैं पपीता और टमाटर की बात कर रही हूं, अगर इनको किसी कारण से मौसम की मार झेलनी पड़ती है तो इनको बीमा राशि में कव्हर नहीं किया जाता है । सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन करूंगी कि बागवानी या उद्यानिकी को भी फसल बीमा योजना के तहत दर्जा दिया जाये कि उनका बीमा हो सके । अगर उससे किसानों को नुकसान हो रहा है तो उनको बीमा का उचित मुआवजा उनको मिल पाये । इसके अलावा चना या अन्य फसलों के लिए हमारे पास बीमा का जो प्रावधान है, निश्चित तौर पर उसका लाभ किसानों को मिलनी चाहिए । सरकार की योजना बहुत अच्छी है कि अगर किसानों की फसलों का नुकसान होता है तो उनको बीमा मिले, लेकिन दिक्कत यह आती है कि जिस तरीके से उसका सर्वे किया जाता है, वह ठीक से नहीं होता है । अगर फसल नुकसान मान लो दो एकड़ में हो रहा है तो पटवारी हो या अन्य व्यक्ति सर्वे करने जाते हैं, जब वे उसमें देखते हैं तो दो एकड़ को न करके सिर्फ ये करेंगे कि उनका 10 प्रतिशत नुकसान हुआ है, उनका 20 प्रतिशत नुकसान हुआ है । किसान लगातान उनके पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन वास्तव में फसल का जो नुकसान होता है, वह रिपोर्ट हम तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण थोड़ी सी निगेटिविटी उनके मन में आती है कि मेरे इतने फसल का नुकसान हुआ है, सरकार ने फसल बीमा योजना के तहत पैसे भी रखे हैं, लेकिन मुझे इसका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है ? मुझे लगता है कि इस विषय पर भी संज्ञान जरूर लेना चाहिए ।

माननीय सभापति महोदय, हम फसल चक्रीयकरण की बात करते हैं । लगातार अच्छी बीजों की बात करते हैं, लेकिन जब हम अच्छे बीज की बात करते हैं तो कहीं न कहीं बीजों में परिवर्तन होना चाहिए । आप लगातार एक ही बीज एक ही खेत में लगाएंगे तो उसकी पैदावार उतनी नहीं होती है, जो फसल चक्र परिवर्तन की बात करते हैं । नये बीज की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि उस ओर थोड़ा सा फोकस होना भी चाहिए, तब जाकर हमें फसलों की पैदावार ज्यादा अच्छे से मिलेगी। उसके अलावा मैं इस पुस्तिका में काफी सारे उदाहरण देख रही थी कि कृषि महाविद्यालय बहुत सारी संख्या में विभिन्न जिलों में खोले गए हैं । कवर्धा में भी कृषि महाविद्यालय है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर विद्यार्थियों की जो संख्या है, उसे देखते हुए कहीं न कहीं आज उस क्षेत्र में एक नये कृषि महाविद्यालय की मांग

लगातार उठ रही है । व्यक्तिगत तौर पर मैंने पहले भी निवेदन किया था और आज भी आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से मैं निवेदन करती हूं कि हमारे पण्डरिया विधान सभा क्षेत्र के रणवीरपुर में ही एक कृषि महाविद्यालय की घोषणा हो जाये या अपने बजट में शामिल कर लें तो मैं उनकी बहुत आभारी रहूंगी । इसके अलावा जिस तरीके से हमारी पहली जो भाजपा की सरकार थी, आदरणीय डॉ. रमन सिंह जी के कार्यकाल में 15 साल तक लगातार किसानों को समृद्ध करने का काम किया है, चाहे आदरणीय विष्णु देव जी की सरकार पिछले दो वर्षों में बहुत सारे नये-नये आयाम स्थापित किये हैं और जिस तरीके से जो बच्चे शहर से पढ़कर आते हैं, वे कहीं न कहीं अपनी खेती को लेकर, अपने फसलों को लेकर जिस तरीके से जागृत होते हैं तो कहीं न कहीं इसमें सरकार की योजनाओं की बहुत बड़ी भूमिका है । मैं बस यही आग्रह करूंगी कि काम बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन जो थोड़े से अछूते हुए क्षेत्र हैं, जिनमें थोड़ा फोकस करने से शायद और किसानों की आय बढ़ सकती है, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि उस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है । चूंकि मंत्री जी उस समय नहीं थे, मैं फिर से निवेदन करूंगा कि शुगर कारखाने के लिए साफ्ट लोन देने की कृपा करें और दूसरा, मैंने रणवीरपुर में कृषि महाविद्यालय के लिए जो मांग की है, उस ओर भी अपना ध्यान केन्द्रित करें। व्यक्तिगत तौर पर मैं और निवेदन पहले भी कर चुकी हूं, लेकिन आज यहां मुझे बोलने का अवसर आपने दिया है , मैं आपकी आभारी हूं और मुझे विश्वास है कि जो प्रशासकीय प्रतिवेदन आया, इसमें अगले बार फसल बीमा योजना में पपीता, टमाटर अन्य बागवानी फसल की जो बात की है, उसमें उसको शामिल करेंगे। क्योंक 820 करोड़ रूपये का बहुत बड़ा बजट है। सभापति महोदय, आप अपनी नजरें थोड़ी हमारे शुगर फैक्ट्रियों, मैं पूरे पांचों जगहों की बात कर रही हूं, अम्बिकापुर, बालोद, कवर्धा, पण्डरिया ये चारों-पांचों जगहों की बात कर रही हूं, उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बरसाये तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार इस फील्ड में और ज्यादा प्रूव कर पायेगी। मैं इन्हीं बातों के साथ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का बहुत अभिनन्दन करते हुए, कृषि मंत्री जी का धन्यवाद करते हुए, सभापति महोदय, आपका भी अभिनन्दन करते हुए कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, अपनी बातों को रखने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत अभिनन्दन करती हूं। धन्यवाद।

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डवी (भानुप्रतापपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं कृषि विभाग की मांग संख्या-13, 14, 16, 33 ,41, 42, 54, 68, 82 एवं 83 की अनुदान मांगों का विरोध करती हूं। चूंकि मुझे ज्यादा आकड़ें निकालना नहीं आता है। लेकिन मैं कृषि मंत्री जी के कृषि विभाग का प्रशासकीय प्रतिवेदन पढ़ी हूं। प्रतिवेदन को देखकर मुझे लगा कि मंत्री जी काफी अनुभवी और वरिष्ठ होने के साथ-साथ उदार भी हैं, परन्तु आपने प्रदेश के किसानों के लिए बजट खर्च करने में कंजूसी क्यों की है, यह आप अपने उत्तर में जरूर बताईयेगा। जो कुल पारित बजट था, उसका मात्र 15 से 20 प्रतिशत ही खर्च हुआ है। माननीय मंत्री जी, थोड़ा ध्यान दीजियेगा। आप और आपकी सरकार किसानों की हितैषी कैसे

मान रहे हैं ? वैसे आपको जनता समझने लगी है। जब आप खाद, बीज प्रदेश किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समय पर उपलब्ध नहीं करा पाये और साथ ही साथ मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के भानुप्रतातपुर के किसानों की पीड़ा और उम्मीदों के आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी तक पहुंचाना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय जी, हम सब छत्तीसगढ़ को कृषि प्रधान राज्य कहते हैं। पूरा भारत में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहां की अर्थव्यवस्था का आधार किसान हैं। लेकिन आज भी हमारे किसानों को खेती के लिए जो मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, जिनमें खाद, बीज और सिंचाई समय पर पर्याप्त मात्रा में उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही है। मैं विशेष रूप से अपने विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड चारामा, भानुप्रतापपुर और दुर्गकोंदल के किसानों की समस्याओं को इस सदन के सामने रखना चाहती हूं। उनकी पहली समस्या खाद और बीज की अनुपलब्धता का है। हर वर्ष बोआई के समय किसानों को खाद और बीज के लिए लंबी कतारों में खड़े होना पड़ता है। कई बार सहकारी समितियों में खाद समय पर नहीं पहुंचती है और किसान भाई मजबूर होकर बाजार में महंगे दामों पर खाद खरीदते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करती हूं कि इस बजट में विशेष प्रावधान करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में खाद बीज के लिए गोदाम या गोदामों की तीनों विकासखंडों में स्वीकृति प्रदान करें। दूसरा सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक और प्रमाणित बीज वहां उपलब्ध कराएं, जिससे बोआई के समय किसानों को किसी भी प्रकार से खाद बीज की कमी का सामना न करना पड़े। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के कई गांव आज भी सिंचाई के पर्याप्त साधनों से वंचित हैं और केवल बरसात पर निर्भर खेती होने के कारण किसानों की आय स्थिर नहीं हो पाती है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि इस बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र भानुप्रतापपुर के किसानों को सिंचाई पंप अधिक से अधिक संख्या में अनुदान पर उपलब्ध करवाएं और साथ ही छोटे और सीमांत किसानों के लिए बिजली और सोलर पंप योजना का विस्तार किया जाए तथा नलकूप और लघु सिंचाई योजनाओं को चारामा, भानुप्रतापपुर और दुर्गकोन्दल जैसे विकासखंडों में विशेष प्राथमिकता दी जाए।

समय :
4:16 बजे

(सभापति महोदय (श्री बघेल लखेश्वर) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय जी, जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है, वह पूर्ण रूप से आदिवासी किसानों का है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के जो अधिकांश छोटे, सीमांत और आदिवासी किसान हैं, इनके पास संसाधन सीमित है, इसलिए सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभ इन्हें मिलना चाहिए। इसलिए मैं मांग करती हूं कि कृषि यंत्रों पर अधिक अनुदान के साथ-साथ किसान प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन केंद्र प्रारंभ किए जाएं और फसल विविधीकरण

योजनाएं मेरे क्षेत्र में विशेष रूप से लागू किया जाए। माननीय मंत्री महोदय जी, किसान सिर्फ अनुदान नहीं चाहता, वह चाहता है कि उसकी मेहनत का सम्मान हो और उसकी खेती लाभकारी बने। यदि आपकी सरकार वास्तव में किसानों की आय बढ़ाना चाहती है तो इस बजट में खाद, बीज और सिंचाई की समस्याओं का स्थायी समाधान करना होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में इन किसानों की जो समस्याएं हैं, उनको गंभीरता से लेते हुए इसमें बजट का अवश्य प्रावधान करें। माननीय मंत्री जी, आप आदिवासी समाज से आते हैं और प्रदेश के आदिवासी समाज को आपसे बहुत उम्मीद थी। उनके मौलिक अधिकारों जल, जंगल, जमीन से बेदखल होने पर आप उनकी रक्षा करेंगे। पता नहीं आप किसके दबाव में हैं, किससे डरते हैं, यह मुझे मालूम नहीं, परन्तु आप समाज के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहे। प्रदेश की वन भूमि में निर्मित बांधों, नदियों और साथ ही खनिजों के उपयोग का पहला अधिकार वहां जो निवासरत हैं, उन लोगों का है, लेकिन उनके अधिकारों पर सरकार के संरक्षण में बाहरी लोगों का अतिक्रमण उसमें हो जाता है। चाहे वह नदियों से रेत निकालने में हो या बांधों या तालाबों में या जलाशयों में मछली पालन का हो, सभी में पैसे वाले लोगों का एकाधिकार रहता है। जंगलों में रहने वाले आदिवासी समाज आज भी अपनी आजीविका के लिए भटक रहे हैं। इसमें आप ध्यान देंगे और साथ ही चूंकि जो मेरा विधान सभा क्षेत्र भानुप्रतापपुर है, वह अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र है, किंतु विगत दो वर्षों में 275(1) के अंतर्गत बजट उपलब्ध नहीं कराए जाने से वहां अधोसंरचना का विकास प्रभावित हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में युक्त योजना के तहत जो बजट आया था, उसके बावजूद उस राशि को वहां व्यय नहीं की गई है। साथ ही केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि का वहां कोई उल्लेख भी नहीं है। क्या केन्द्र सरकार से वर्ष 2025 और 2026 में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के मद में कोई बजट प्राप्त नहीं हुआ है? माननीय मंत्री जी, हम सब ट्राइबल क्षेत्र से आते हैं। हम सबकी चिंता है, आपकी डबल इंजन की सरकार है, इसलिए केन्द्रीय बजट लाने के लिए आपको ध्यान देने की जरूरत है, जिससे अनुसूचित क्षेत्रों का विकास होगा। इसलिए आप केंद्र से बजट लेकर आइएगा। साथ ही जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है, वहां की महत्वपूर्ण पहचान हमारा आदिवासी समाज, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है। सरकार हमेशा आदिवासियों की विकास की बात करती है, लेकिन वास्तविक विकास का सबसे बड़ा माध्यम शिक्षा है। यदि हम सच में आदिवासी समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर आदिवासी बच्चा शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सके और उनको पढ़ाई के उचित वातावरण मिल सके। माननीय सभापति महोदय जी, मैं विशेष रूप से अपने विधान सभा क्षेत्र भानुप्रतापपुर के तीनों विकासखंड की स्थिति को इस सदन के सामने रखना चाहती हूँ। इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आदिवासी छात्र-छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आज भी वहां कई जगहों पर आश्रम शालाओं और छात्रावासों के भवन नहीं हैं और जो भी भवन हैं, वह भी जर्जर हालत में हैं। कई विद्यार्थियों को दूर-दराज के गांवों में पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है, लेकिन उनके रहने

के लिए उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज भी कई बच्चे छात्रावास की कमी के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह सिर्फ सुविधा का सवाल नहीं है, बल्कि यह आदिवासी समाज के भविष्य पर प्रश्न है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से इस बजट के माध्यम से विशेष मांग रखना चाहूँगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में चारामा के प्री-मैट्रिक छात्रावास, चारामा बालक छात्रावास पुरूटोला, भानुप्रतापपुर विकासखंड के प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास साल्हे, बालक छात्रावास तुड़गे, बालक आश्रम धनेली, बालक आश्रम घोटा, दुर्गुकोंदल विकासखंड के आदिवासी बालक छात्रावास हिंगलपुरी, जो भवन विहीन हैं, जिनके लिए भवन निर्माण की स्वीकृति और शासकीय आदिवासी बालिका आश्रम कोटेला, विकासखंड चारामा प्राथमिक से माध्यमिक में उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाए। इसके साथ मैं यह कहना चाहूँगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अधोसंरचना के विकास के लिए और निर्माण कार्यों के लिए बस्तर विकास प्राधिकरण मद से प्रतिवर्ष कम से कम 5 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाए, जिससे आदिवासी क्षेत्र और आदिवासी लोगों का सर्वांगीण विकास हो सके। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी दो सालों में हमको बस्तर विकास प्राधिकरण से कुछ भी पैसा नहीं मिला है। हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी, उस समय हमको बस्तर विकास प्राधिकरण से खूब सारी राशि मिली थी। इसलिए हम चाहते हैं कि हमको भी बस्तर विकास प्राधिकरण से पैसा मिले, इसके लिए आपको अवगत करा रही हूँ। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझको बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्रीमती गोमती साय। श्री धर्मजीत सिंह जी।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :-माननीय सभापति महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय आदिम जाति कल्याण मंत्री जी, पशुपालन मंत्री जी, मत्स्य पालन विभाग के मंत्री श्री रामविचार नेताम जी के विभागों के मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ । एक ऐसे मंत्री जो वर्षों से इस सदन में चुनाव जीतकर आ रहे हैं, जो स्वयं ही बहुत ही दूरस्थ आदिवासी अंचल से आदिवासी परिवार के बेटे हैं और जिन्हें राजनीति का लंबा अनुभव है । अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उन्होंने तकलीफ को बहुत नजदीक से देखा है । विभाग के काम उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से बहुत अच्छे हो रहे हैं, चूँकि एक जिम्मेदारी का विभाग है, प्रदेश में 80 प्रतिशत लोग खेती के माध्यम से अपना जीवन-यापन करते हैं, धान के फसल की पैदावार बढ़ाने के लिये, कृषि विभाग के द्वारा जो भी सुविधा किसानों को दी जा रही है, उसी का परिणाम है कि धान की खरीदी भी इस साल बहुत ही रिकार्ड स्तर पर हुई है । इंटरनेशनल मार्केट में यूक्रेन और रसिया के युद्ध के बाद जब यूरिया की कमी आई तब भी मंत्री जी के विभाग ने यूरिया और उसका विकल्प देने का काम किया और उसके कारण से हमारे किसानों का अहित नहीं हुआ और उनके भविष्य के लिये फसल अच्छी तरह से पैदा की गई । सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, वह बहुत अचछे इंसान है और तकलीफ को समझते हैं । पक्ष

के हों या विपक्ष के हों, जिसकी जो जरूरत है उसको प्राथमिकता देने में मंत्री जी बहुत ही निष्पक्ष रूप से काम करते हैं । अध्यक्ष महोदय, मैंने उनसे निवेदन किया था कि तखतपुर में एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज खोल दीजिए । मुझे बहुत उम्मीद नहीं थी कि यह कॉलेज खुलवा पाऊंगा, लेकिन माननीय मंत्री जी ने हार्टिकल्चर कॉलेज को सप्लीमेंट्री बजट में प्रावधान कराकर तखतपुर क्षेत्र के लिये एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपने दी है । आपने यह उपलब्धि मुझे सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं दी है, बल्कि उसके माध्यम से हम हार्टिकल्चर को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक कदम आगे बढ़ेंगे । मेरा आपसे निवेदन यह है कि यह हार्टिकल्चर कॉलेज की स्वीकृति बजट में तो मिल गई है, लेकिन इसके आगे का प्रोसेस आज जरूर कराईयेगा । आपके वाईस चांसलर को बोलकर उसके विभाग का सेट अप वगैरह फाईनेंस से होता है, उस दिशा में आप काम कराने के लिये दिशा-निर्देश देंगे । आप सिर्फ कालेज खुलवा दीजिए और अगले सत्र के लिये मैंने भवन का इंतजाम का करके रख दिया है, वह बहुत बढ़िया भवन है और उसमें वह कॉलेज होगा । आपके वाईस चांसलर का लैण्ड सिलेक्शन कमेटी जो होता है, अगर वह मुझे बतायेंगे तो मैं आपके लिये 20-25 या 30 एकड़ जो भी जमीन लगता है, मैंने उसका भी खोजबीन करा लिया है । मेरी दिली इच्छा है कि वह हार्टिकल्चर कॉलेज खुले । इसके साथ ही हमारे लोकल किसानों को मसाले की खेती, फल की खेती, फूल की खेती और ऐसे इकानॉमिक क्राप के लिये जिससे उनका जीवन-यापन अच्छा हो सकता है, हम उस दिशा में काम करें । मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे प्रस्ताव पर ख्याल किया है। वैसे भी मैं जब आपसे मिलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई बात कहूँगा तो उसे आप नहीं काटेंगे इसलिये पिक्चर की दो लकीर बोल देता हूँ -

तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है
तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है
अंधेरे से भी मिल रही रोशनी है

हम रोशनी ले लेते हैं, अंधेरे से भी रोशनी निकालते हैं और इसलिये रामविचार नेताम जैसे मंत्री जी की जरूरत होती है और आप यहां पर हैं । माननीय सभापति महोदय, प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के लिये आपने प्रावधान किया है, लेकिन इसमें मेरा छोटा सा आग्रह है कि आप एक बार थोड़ा दिखवा लीजिए कि कहां-कहां जो पुराने हॉस्टल्स हैं, टॉयलेट की बहुत मांग रहती है । बच्चियां मांग करती है, बच्चे मांग करते हैं , पुराना हो चुका है, वह काम का नहीं है, ठीक से सफाई नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। एक बार टॉयलेट को रिपेयर करवाकर उसमें पानी की व्यवस्था होनी चाहिए । आप अगर छोटे-छोटे सिंटेक्स के टंकी रखवाकर उनको अच्छे से पानी देंगे तो कपड़ा भी धो सकते हैं, नहाएंगे भी, उनको साफ-सुथरे वातावरण में टॉयलेट जाने के लिए मौका मिलेगा। आप अगर इसको एक बार एक मिशन के रूप में चला देंगे तो जो हमारी पुरानी चीजें, जो पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, उसको आप ठीक कर सकते हैं, इस दिशा में भी विचार करिएगा। छात्रावास के बच्चों को बहुत

तकलीफ होती है। किसी छात्रावास में 200, 150 सीट, तो बाकी बच्चे कहां जाए? मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक योजना लाई है, जिसमें आप बाहर में रहने वाले बच्चों को उनके खर्चे को हॉस्टल के एवज में जो सरकार की व्यवस्था है, उसमें आपने देने के लिए प्रयास किया है, उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं।

माननीय मंत्री जी, मैं आपके मंडी बोर्ड की भी बहुत तारीफ करना चाहता हूं। मंडी बोर्ड में बहुत दिनों बाद काम का अवसर मिला। कई अनेकों गांवों में जो छोटे-छोटे काम थे, उसके लिए आपके मंडी बोर्ड की तरफ से राशि दी गई। वह राशि धान खरीदी केंद्रों में चबूतरा निर्माण के लिए दी गई, किसान सदन के लिए दी गई, सीसी रोड के लिए दी गई, पीने के पानी के लिए ट्यूबवेल्स के लिए भी दी गई। यह काम अच्छा है और पहली बार नजर में दिख रहा है कि यह सब काम हो रहा है। क्योंकि पिछली बार आपकी सरकार में आप लोग यहां विराजमान थे, हम वहां बैठे थे, हम जब कागज लाकर दिए तो कचरे के डिब्बे में फेंक दिए गए, एक काम नहीं करा पाए। 15 साल, 20 साल के बाद पहली बार मंडी बोर्ड से पैसा मिला और लगा कि हम गांव के किसानों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। वह काम आपके मंडी बोर्ड ने किया है, बहुत अच्छा है। उसमें दो-तीन मंडी बोर्ड का गेट बनवा दीजिए। बहुत से जगह में मैं देखता हूं आपकी सुंदर तस्वीर लगी हुई है और उस क्षेत्र के विधायक की भी सुंदर तस्वीर लगी हुई है। हम भी तो बहुत सुंदर भले न हों, लेकिन इतने सुंदर तो हैं कि आपके संग हमारी भी फोटो लग जाए। हमारे यहां भी तीन गेट बनवा दीजिएगा और आपके संग हमारी फोटो भी लग जाए। मंडी बोर्ड का बहुत अच्छा गेट बनता है, बहुत बढ़िया है। आपने कुछ-कुछ काम मंडी बोर्ड में दिया है, करोड़ों रुपयों का काम दिया है। इसलिए उसके लिए धन्यवाद भी देना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने काम दिया है, हमारी मांग पर आप उसको स्वीकार करते हैं तो हमारा भी धर्म है कि हम आपको धन्यवाद दें। फिर मैंने एक लकीर में गाना गा ही दिया है– तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरे से भी मिल रही रोशनी है तो रोशनी मिलते जाएगी।

माननीय मंत्री जी, तखतपुर में कृषि विभाग का एक दफ्तर है। वह दफ्तर जीर्ण-शीर्ण हो गया है। एकाध कोई खाली जगह दिखा तो वहां पर किसी अधिकारी ने उसको तखतपुर से 17 किलोमीटर दूर भेज दिया था। मैंने बोला यह बिल्कुल गलत है, किसानों का मामला है, ब्लॉक हेडक्वार्टर में वह बिल्डिंग होना चाहिए। मैंने एक दूसरे तहसील वगैरह की बिल्डिंग को उनको दिलवाया है पर वह अस्थायी व्यवस्था है।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- कोई सब डिवीजन है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- सब-डिवीजन तो है नहीं, अगर सब-डिवीजन खोल देंगे तो अच्छा रहेगा लेकिन अभी जो कार्यालय है, कृषि विस्तार अधिकारी का कार्यालय है, तो उसके लिए कुछ राशि की व्यवस्था करा दीजिएगा, कोई बहुत ज्यादा पैसा लगना नहीं है, एकाध दो करोड़ रुपये में बन जाएगा।

उसको आप लोग नोट कर लें, आप तो नोट कर ही रहे हैं, जो भी नोट कर सकते हैं, उसको देखने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं मछली पालन के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। मछली पालन में उधर से ही अभी कुछ लोग बोल रहे थे, वह बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। मछली पालन का जो ठेके-वेके का नियम है, उसमें लफड़ा ज्यादा रहता है, वह किसी को भी बना दिए, वह मछुआरा समिति है, यह है, वह है और सब डिफॉल्ट हो जाते हैं। कोई ना तो पैसा पटाता और उसके लिए कोर्ट-कचहरी तक की लड़ाई लड़ते हैं। खैर, उसकी नीति तो आप जैसा भी बनाएंगे लेकिन जो बड़े डैम हैं, छत्तीसगढ़ में जो 10-20-25 बड़े डैम हैं, उसका टेंडर होता है। मछुआरा समिति के लोग उसको टेंडर डालकर लेते हैं। उसमें कई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार की मत्स्य पालन की एक नीति बनी हुई है, उस नियम में मैं आज किताब ले नहीं आ पाया, क्योंकि कल मैं आ नहीं पाया था तो मुझे मालूम नहीं था, आज आपके विभाग की चर्चा है। इसलिए मैंने कोई भी कागज नहीं पढ़ा है। मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। वह किताब मेरे पास है और उसमें लिखा हुआ है कि जो भी मछली पालन कमेटी किसी डेम का ठेका लेती है तो उसमें है कि अगर वह समिति अच्छे से काम कर रही है, अगर वह लोकल बाजार में मछली बेच रहा है, अगर वह लोगों को रोजगार दे रहा है, अगर उसकी किश्त का पेमेंट बिल्कुल सही है तो ऐसे मछुआरे समिति के टेंडर को 6 महीने पहले पुन: आवंटित करने के लिए कुछ शर्तों के साथ आपको अधिकार है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी कई मछुआ सहकारी समितियों को मैं जानता हूं। जहां मैं पहले विधायक था, उस क्षेत्र का आज विधायक नहीं हूं, लेकिन मैंने उनके काम को देखा है कि वह सरकार को करोड़ों रुपये समय पर पटाये हैं और लोकल लोगों को काम देते हैं, यहां लोकल में मछलियां बेचते हैं। यदि यह नियम है तो उनकी बातों को प्राथमिकता से रखकर उनके टेंडर को 10 प्रतिशत, 5 प्रतिशत का जो भी नियम होगा, उसके तहत उनका रिन्यूअल करने पर आप विचार जरूर करिएगा ताकि यदि वह अच्छे से काम कर रहे हैं तो आगे भी उनको अवसर मिले।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, धरम भैया, मैं आपकी बातों पर जा रहा हूं। उस प्रक्रिया में यह है कि यदि लगातार किसी समिति को लीज मिली हुई है और उनकी लीज नियमित रूप से पट रही है तो उसे फिर कैरी फॉरवर्ड करने का अधिकार शासन और प्रशासन को है। लेकिन कभी-कभी इसमें क्या होता है कि जब और कोई समिति बन जाती है तो स्थानीय अधिकारी अपने स्वयं के लाभ के लिए और निजी लाभ के लिए उन दोनों समूहों को लड़ाते हैं। मैं उदाहरण भी दे दूंगा। मेरे पास जानकारी है। मैं अभी आपको प्रमाण के साथ उदाहरण दूंगा, जो अभी जांजगीर में हो रहा है। ऐसा मत हो। जो बेचारे काम कर रहे हैं उनको उसका लाभ मिले। धरम भैया, मैं आपकी बातों का समर्थन करता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, मैं आपकी ही बात का समर्थन कर रहा हूं। अब उसमें कॉकटेल करने से तो कोई फायदा नहीं होगा। कॉकटेल का आनंद भी है, उसका उत्पात भी होता है। दो चीजें मिलाकर पियोगे तो कभी-कभी आदमी का दिमाग टेढ़ा हो जाता है इसलिए जो एक ही ब्रांड है उसको चलने दिया जाए। मंत्री जी, आप विचार करिएगा। आपके नियम में है। हम नियम भी बताएंगे। उनका आवेदन भी लगवाएंगे। विचार करना, फैसला करना और उनको अवसर देना आपके हाथ में है। उस पर आप जरूर विचार करेंगे। देवगुड़ी में भी आप पैसे देते हैं तो मंत्री जी, हमारे क्षेत्र में भी देवगुड़ी के लिए कुछ पैसे देने की कृपा करेंगे। चूंकि वह आदिवासी बाहुल्य विधान सभा नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे गांव हैं जहां आदिवासी समाज के लोग 70 प्रतिशत से भी ऊपर हैं तो उनके देवगुड़ी के लिए भी पैसे दीजिएगा। हम आपको लिस्ट दे देंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। यह जो धान की खेती गर्मी में चल रही है। मैं वहां बैठा था तो आज माननीय विधायक ब्यास जी की बात सुन रहा था। उन्होंने बहुत सही विषय उठाया था। विरोधी दल के विधायक हैं लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही चीज की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। यह धान की ग्रीष्मकालीन खेती के ऊपर रोक लगायी जानी चाहिए। मैं भी इसकी मांग कर रहा हूं। क्यों रोक लगानी चाहिए, उसका कारण दे रहा हूं। 1 किलो धान के लिए 200-300 लीटर पानी लगता है। हजारों एकड़ में लोग धान तो लगा देते हैं और ट्यूबवेल को मरो-जीयो चलाते हैं तो ट्यूबवेल के चलने के कारण वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता है और उसके बाद जब हम विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि, अधिकारी लोग जाते हैं तो गांव वाले बोलते हैं कि ट्यूबवेल खोदवा दो। मान लीजिए कि यदि मैं अपने फंड से भी ट्यूबवेल खोदवाना चाहूंगा तो चाहे जितना भी रुपया दूं, लेकिन मई-जून में ट्यूबवेल खोदने वाली इतनी बड़ी मशीन बनी नहीं है कि ट्यूबवेल खोदकर लोगों को पीने का पानी मिल सके, क्योंकि वाटर लेवल इतना नीचे तक पहुंच जाता है। इसी कारण मैं आपसे यह कह रहा हूं कि वाटर लेवल नीचे मत हो। हमारे किसानों को कोई और फसल लेने के लिए प्रेरित करिए। वह किसी और प्रकार की फसल ले, जिसमें पानी कम लगे, क्योंकि ग्रीष्मकालीन धान में बहुत पानी लगता है और उसमें पूरा प्रदेश खेती नहीं करता है, केवल कुछ लोग ही खेती करते हैं लेकिन उसके कारण पूरा पानी तबाह हो जाता है। आपको इस पर सख्ती लेना चाहिए। जनहित में जहां पब्लिक के पेयजल का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, वहां पर कुछ लोगों से विरोध लेने में भी कोई बुराई नहीं है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि आप इस पर जरूर विचार करेंगे।

माननीय मंत्री जी, गन्ना फैक्ट्री के बारे में श्रीमती भावना बोहरा जी ने प्रश्न उठाया था, वह बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं इस प्रदेश के पहले गन्ना फैक्ट्री निर्माण के समय भागीदार भी था और उसका साक्षी भी था। तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी की सरकार में 9 महीने के अंदर गन्ना फैक्ट्री के निर्माण के बारे में विचार भी हुआ और 9 महीने में वह गन्ना फैक्ट्री बनकर स्टार्ट हो गया और वह गन्ना फैक्ट्री आज भी वहां पर अच्छे तरीके से चल रहा है। उसके बाद डॉ. रमन सिंह साहब

आये तो उन्होंने सरगुजा और पंडरिया के गन्ना फैक्ट्री के बारे में निर्णय किया। गन्ना फैक्ट्री बनने से लोगों के बीच में संपन्नता आयी है। गन्ने की फसल कैश क्रॉप है, उससे संपन्नता आती है और उस संपन्नता के कारण हर घर में ट्रैक्टर, हर घर में मोटरसाइकिल और लोगों के चेहरे में चमक, सबकुछ दिखाई देता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके पास गन्ना फैक्ट्री के विषय में किसानों को सुविधा देने का जो प्रावधान है, वह सुविधा वहां तक लोगों के पास पहुंचे और उनके जो बोनस का पैसा है, वह उनको टाईम से मिल सके ताकि उनका गन्ने की खेती करने के लिए रूझान बना रहे । यदि यह रूझान बना रहेगा तो इस फसल को आगे बढ़ाने और फैक्ट्री का और भी विस्तार करने की योजना बनाने के लिए आपको विचार करना चाहिए। यदि कभी आप विचार करेंगे तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि तखतपुर विधान सभा क्षेत्र में भी शक्कर की फैक्ट्री खोलने के बारे में जरूर विचार करियेगा। यदि आप वह विचार करेंगे तो हमारा तखतपुर, पथरिया, बिल्हा, शकर्रा, बेलतरा ऐसे 3-4 विधान सभा के किसान गन्ने की फसल की तरफ प्रेरित होंगे और उससे उनकी आर्थिक संपन्नता आयेगी। वहां पर अनेक प्रकार की सब सुविधाएं भी हैं, वहां पर सिंचाई की भी सुविधा है। भैंसाझार परियोजना में ही 70 गांव तखतपुर विधान सभा के लिए और 30 गांव बिल्हा विधान सभा के लिए पल्लवित हो रहे हैं। हमको ऐसा काम करना है कि हमारे किसान भी पंजाब के किसान के समान एक फसली, दो फसली पैदावार करें। माननीय मंत्री जी, मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूं कि हमारे कोटा के पास हरियाणा के किसान लोग खेती करते हैं। आप जरा एक बार उनकी खेती देख लीजिए और उनकी खेती देखने के बाद आपको लगेगा कि अगर ऐसे ही हमारे सब किसान भी पैदावार बढ़ायेंगे तो हमारी छत्तीसगढ़ की आर्थिक संपन्नता बहुत बढ़ जायेगी। हमें कोशिश तो करनी चाहिए और हमें कोशिश इसलिए करनी चाहिए कि किसान का खेत खाली न रहे। यदि वह धान लगा लिया है तो धान के बाद भी 8 महीने रहता है, उसमें वह अच्छी फसल लगाकर आर्थिक रूप से संपन्न हो सकता है। आपका विभाग अच्छा काम कर रहा है। आपने खाद की भी अच्छी व्यवस्था की है। आपके अधिकारी और कर्मचारी भी वहां रहते हैं, उनकी तरफ से भी बीच-बीच में कार्यक्रम किये जाते हैं। आपकी मंडी की तरफ से भी अच्छी व्यवस्था दी जा रही है। अगर कोई कमी-बेशी हो तो यहां पर निश्चित रूप से आप भी बोल सकते हैं और हम भी बोल सकते हैं। कमी-बेशी को बोलना कोई मंत्री जी के खिलाफ बोलना नहीं है। हम आपसे ही फरियाद नहीं करेंगे तो हम किससे फरियाद करेंगे। यदि कोई तकलीफ हो रही है, कोई गड़बड़ी हो रही है या कुछ नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए आपसे ही बोलेंगे और आपसे बोलकर उस तकलीफ को दूर कराकर हम व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं। हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था ही कृषि पर आधारित है। हमारे प्रदेश के तीन करोड़ लोगों में से ढाई करोड़ लोग कृषि पर आधारित काम करते हैं इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। मुझे बहुत संतोष है यह एक बहुत ही अनुभवी और गरीबों के बीच में उनके जीवन में रहकर, देखकर, समझकर, चलने वाले मंत्री की तरफ से है। आप आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यक्रमों को भी

क्रियान्वित कर रहे हैं। आपका जो एकलव्य प्रोजेक्ट है, क्या शानदार प्रोजेक्ट है। अब करें क्या, अब हमारे यहां उतने नहीं हैं, नहीं तो हम एकलव्य के स्कूल को तखतपुर में भी खोलवाते। मैं जहां था, वहां खुला था। लोरमी में एकलव्य का स्कूल है। वह बहुत शानदार स्कूल है। वहां के किनारे से निकलो तो लगता है कि कोई बढ़िया सिटी के किनारे से निकल रहे हैं। क्या कांक्रीट रोड, क्या बढ़िया हॉस्टल, क्या बढ़िया स्कूल है, तो यह सब चीज की जा रही है, कोशिश हो रही है और उस कोशिश को आप आगे बढ़ाईयेगा। जहां जिसकी जो जरूरत हो, वहां आप जरूर करियेगा। हम तो उसके क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, लेकिन जो क्राइटेरिया में आते हैं, हमारी आदिवासी बच्चों को लिये करिये। दूसरी एक और बात कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, मैं समाप्त कर ही रहा हूं। मैं तो बिना कागज के बोल रहा हूं। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि यह जो बैगा, बिरहोर, पंडों जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं, इनके बच्चे भी आजकल पढ़ लिख लिये हैं। लेकिन मैं कोशिश किया था, मुंगेली में राहुल देव हमारे कलेक्टर थे, उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप इन बैगा बच्चों को टीचर के पद में नौकरी में रख दो। उन्होंने कोशिश करके उनको उन्हीं के गांव में सरकार की कुछ व्यवस्था थी, उनको वहीं के वहीं नौकरी दिया। अपने घर में रहो और वहीं पढ़ाओ, लिखाओ। उनका जीवन-स्तर भी सुधर गया, उनको अवसर भी मिल गया। मैं आपसे विचार करना चाहता हूं कि इतने बड़े छत्तीसगढ़ में जब पूरे आदिवासी अंचल के जहां पर बैगा, बिरहोर, पंडो आदि जाति के लोग रहते हैं, जो जरूरतमंद हैं और जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, अगर उनके पढ़े लिखे बच्चों को वहीं के वहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का काम दे देंगे तो उस परिवार का भला होगा और आपका नाम भी होगा। उसके माध्यम से हम दो-तीन प्रकार की बात कर सकते हैं। शिक्षा की व्यवस्था भी सुधर जायेगी, उनको पूछने वाले कोई है, ऐसा करके वो जानेंगे भी और हमको भी संतोष होगा कि सही मायने में जरूरतमंद आदमी को हमने एक व्यवस्था दी, एक सुविधा दी और उसी के माध्यम से हम उनकी सेवा कर सकते हैं। ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। इस पर भी जरूर विचार करियेगा। मेरे तखतपुर में एग्रीकल्चर कॉलेज का आफिस नहीं है। उसको इधर-उधर उधारी में लगाना पड़ रहा है। कोई यहां भगा देता है, कोई वहां भगा देता है। मैं लड़-झगड़कर उसको तखतपुर में रखवाया हूं। एक भवन बनवा दीजियेगा, ज्यादा पैसा लगता नहीं है। वह आप करा देंगे। और मैं मंडी के लिये बोला हूं। आपके संग मेरी फोटो नहीं लगी है। मेरी फोटो आज तक नहीं लगी। मैं कई एम.एल.ए. के क्षेत्र में जाता हूं तो देखता हूं कि मुस्कुराता हुआ नुरानी चेहरा सबका टंगा है। तो आप भी तो मंडी बोर्ड का बनवा दीजिए, हम उसी में लगवा लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय नेता जी, धर्मजीत जी तो हमारे उस जमाने के हीरो देवानंद होते थे। हमें तो साक्षात मनोज कुमार दिख रहे हैं। आपकी बात को कौन टाल सकता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- ठीक है, धन्यवाद साहब।

श्री रामविचार नेताम :- कोई नहीं टाल सकता। आपने गेट लगाने का जिक्र किया है तो तत्काल उसके दो गेट की स्वीकृति दे दी गई है।

श्री धर्मजीत सिंह :- बहुत-बहुत धन्यवाद साहब। अब मेरे को भी अच्छा लगेगा। मेरे को भी आते-जाते दौरा करते देखता हूं तो अभी तक दूसरे-दूसरे विधायकों के संग फोटो देखा था। इसीलिए मैंने मांग किया कि एक हमारी भी फोटो लग लाये और मंडी का नाम भी होगा और आप काम भी अच्छा कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मंत्री जी मैं तो आपके प्रेम में बोलने के लिये आया था, मैं कोई तैयारी किया नहीं था, मैं कोई कागज पढ़ा नहीं था। मेरी कल तबियत ठीक नहीं थी तो आ भी नहीं पाया था तो मुझे मालूम नहीं था कि आज ही आपके विभाग में चर्चा है। लेकिन आपके मोहब्बत में गिरफ्तार होकर हम यहां तक चले आये हैं। आपसे बात कर लिये। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं, आप खूब काम करिये, हम सब आपके साथ हैं। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने के लिये समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जनक ध्रुव (बिन्द्रानवागढ़) :- माननीय सभापति जी, मैं मांग संख्या 13, 14, 16, 33, 41, 42, 54, 68, 82 और 83 के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हूं। अपनी बात के शुरूआत के पहले कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री बड़ी-बड़ी सभा में बड़े-बड़े भाषण देते हैं, कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास । आज हम इस बजट में देखें तो वह चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे अनुसूचित जनजाति उपयोजना के क्षेत्र में हो, चाहे पशुपालन के क्षेत्र में हो, चाहे मछली पालन के क्षेत्र में हो किसी भी क्षेत्र में बजट में कुछ दिखायी नहीं दे रहा है, सीधा खाली-खाली दिख रहा है ।

माननीय सभापति महोदय, कृषि में हमारे सभी वरिष्ठ सदस्य अपनी-अपनी बात कह चुके हैं, मैं उसी बात पर ज्यादा और कुछ कहना नहीं चाहता हूं । मैं विशेषकर हमारे अनुसूचित जनजाति विभाग के हमारे बहुत ही वरिष्ठ माननीय मंत्री जी हैं, बहुत सुलझे हुए मंत्री जी हैं लेकिन बजट में सुलझ नहीं पाये हैं और इसी कारण मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग ट्राईबल की पॉपुलेशन है, जहां पर 32 प्रतिशत निवास करते हैं । चाहे सरगुजा हो, चाहे बस्तर हो, चाहे मध्य भाग में लगभग 29 विधानसभा क्षेत्र के अलावा ऐसे और भी कई विधानसभा हैं जहां पर बहुलता में आदिवासी वर्ग के लोग निवास करते हैं लगभग 46 ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में जनजाति की बहुलता है और ऐसे क्षेत्रों में जिस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए उस प्रकार की सुविधा अभी तक नहीं मिल पा रही है और अभी इनकी दो साल की सरकार चल रही है, पिछले 15 सालों में भी जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल पायी और आज मैं फिर से जो 275-एक का जो सब प्लान होता है वह पैसे का वितरण कहां होता है वह आज इस बजट में दिखायी नहीं दे रहा है ।

माननीय सभापति महोदय, यह बजट, केंद्रीय बजट, यह संचित बजट जो सुदूर अनुसूचित क्षेत्रों के लिये बजट आता है और यह बजट महज चंद चमचमाते हुए शहरों तक ही सीमित हो जाते हैं । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि यह सबप्लान 275-एक का जो बजट है, अनुसूचित क्षेत्र का जो बजट है तो अनुसूचित क्षेत्र में ही उसकी खपत होनी चाहिए । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछली बार भी हमारे माननीय सदस्य टेकाम जी ने इस मुद्दे को प्रश्नकाल में उठाया था और फिर से मैं इसी बात को इस बजट में अपनी बात कह रहा हूं कि चाहे वह सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे वह बिजली के क्षेत्र में हो, पानी के क्षेत्र में हो, चाहे छात्रावास के क्षेत्र में हो इस क्षेत्र में ध्यान देने की जरूरत है । माननीय सभापति महोदय, आज इसी सब-प्लान के अंतर्गत मैं बताना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा गरियाबंद जिले में बिन्द्रानवागढ़ पड़ता है यहां पिछले वर्ष 2024-25 के बजट में सबप्लान का बजट मात्र कागजों तक ही सीमित रह गया, 6 करोड़ का बजट आया लेकिन ऐसे दूरांचल क्षेत्र में जहां खर्च होना चाहिए, वह जमीन में, धरातल में खर्च नहीं हुआ बल्कि कागजों तक ही सीमित हो गया लेकिन आज पर्यन्त तक उन पर जो किये हुए ठेकेदार और अधिकारियों के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गयी । मैंने प्रश्नकाल में भी इस संबंध में अपनी बात रखी थी लेकिन वह प्रश्नकाल नहीं आ पाया ।

माननीय सभापति महोदय, मैं फिर से मछली पालन की बात करूं, चूंकि मछली पालन जो होता है, वह बड़े-बड़े बांधों में होता है और बांध ऐसे क्षेत्रों में बना है जो अनुसूचित क्षेत्र में होता है । चाहे मेरे विधानसभा के अंतर्गत सिकासेर बांध कहें, चाहे धमतरी क्षेत्र में सोंढूर की बात करें । चाहे मुंगेली जिले में खुडिया जलाशय की बात करें , चाहे धमतरी क्षेत्र में सौंदूर की बात करें, चाहे मुंगेली जिले में खुडिया जलाशय की बात करें, चाहे बिलासपुर जिले में खूंटाघाट की बात करें, अगर सभी क्षेत्रों में देखा जाये तो अनुसूचित क्षेत्रों में बड़े-बड़े बांध बने हुए हैं और उस क्षेत्र में जो मछली पालन का काम होता है, अनुसूचित क्षेत्रों में अन्य बड़े-बड़े ठेकेदारों के माध्यम से या मछुआरा समिति के माध्यम से होता है। जबकि वह क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र होता है, पांचवी अनुसूचित क्षेत्र का होता है वह पांचवी अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण से बांध में जो जल की जमीन है, वह ग्राम सभा के अंदर आता है। वह ग्राम सभा के अंदर आने के कारण ग्राम सभा के माध्यम से उसकी ठेकेदारी होनी चाहिए और वहां का नीलामी हो। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि यह भारत के संविधान में लिखित है कि अनुसूचित क्षेत्र में जो बना हुआ बांध है, वहां उस बांध का ठेका ग्राम सभा के माध्यम से मछली पालन के लिए होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से मैं पशु पालन की बात करूं तो जिस प्रकार से पशु पालन के लिए बजट लाया गया है, वह बजट में कहीं पर दिखायी नहीं दे रहा है। ट्रायबल क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार के बजट आता है, लेकिन वह बजट दिखावा साबित होता है और कागजों तक ही सीमित

रहता है। मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं या मैं आदिवासी अंचलों की बात करूं तो आज तक कई लोगों का चाहे बकरी पालन की बात हो, चाहे शूअर पालन की बात हो, चाहे मुर्गी पालन की बात हो, यह मात्र कागजों में दिखावा काम होता है और जो 275 (1) का पैसा होता है, सब प्लान का पैसा होता है, संचित धन की राशि का पैसा होता है वह मात्र और मात्र कागजों तक सीमित हो जाता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पूर्व में इस सरकार में 10 हजार शालाएं बंद हुई । आदिवासी क्षेत्रों के अधिकांश विद्यालय बंद हुए। जिसके कारण से उस क्षेत्र के बच्चे पढ़ने के लिए दूर-दूर भटकने के लिए मजबूर हो गये हैं। वह क्षेत्र ऐसा होते हैं जो दूरस्थ होते हैं जो वनांचल होते हैं, जो नदी-नालों से घिरे रहते हैं, ऐसे क्षेत्रों का स्कूल बंद हुआ है। मेरे क्षेत्र में भी ऐसे कई स्कूल हैं जहां बच्चे दूर-दूर पढ़ने के लिए जाने को मजबूर हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं बात करूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भर्ती नियम है और यह भर्ती नियम पूर्णलः बंद हो चुकी है। हमारे वरिष्ठ सदस्य माननीय धरम भईया बता रहे थे कि विशेष पिछड़ी जनजाति जो प्रदेश में 54 प्रकार की जनजातियां होती हैं उसमें विशेष पिछड़ी जनजाति जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, जिसमें कमार, भुजिया, पण्डो, बिंझवार, बैगा, बिहोर जो 12 प्रकार की विशेष पिछड़ी जनजातियां शामिल हैं, उन लोगों की भर्ती प्रक्रिया बंद हो गयी है। आज वह लोग दर-दर भटक रहे हैं वह आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। हमारी सरकार ने पिछली बार लगभग 500 भर्तियां की थी और आज इस सरकार में कोई भर्तियां नहीं हो रही हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इनकी भर्ती तुरंत होनी चाहिए। जिस प्रकार से यह लोग वायदा करके आये थे और इन्होंने आदिवासी के नाम पर मुख्यमंत्री बनाया और इस प्रदेश में आदिवासी एक मुंह देख रहे हैं उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है।

समय :-

5.00 बजे

माननीय सभापति महोदय, मैं फिर से आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि भर्ती नियम के साथ-साथ आदिवासियों की जो पदोन्नति होनी चाहिए, आज भी वह पदोन्नति रुकी हुई है। जब कि यह पदोन्नति, रोस्टर नियम में है, लेकिन यहां पर रोस्टर का पालन नहीं हो रहा है, रोस्टर नियम का फालो नहीं हो रहा है । पिछले दरवाजे से पदोन्नति हो रही है । इस ओर हमें चिंता करने की जरूरत है । इस ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि भर्ती नियम का भी पालन नहीं हो रहा है ।

सभापति महोदय :- अपने क्षेत्र का विषय रखिए ।

श्री जनक ध्रुव :- सभापति महोदय, कभी-कभी तो बोलने का मौका मिलता है और बोल रहा हूं तो दो मिनट का समय दीजिए । ट्राईवल विभाग की धरती आबा की बड़ी-बड़ी बात करते हैं कि यहां बना

दिए, ऐसा कर दिए । पर यह सिर्फ कागजों तक सीमित है । आज भी वनांचल क्षेत्र जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहां भी सड़कों का बुरा हाल है । कहीं पर रोड नहीं है, तो कहीं पर बिजली नहीं है, तो कहीं पर पानी नहीं है । मेरे क्षेत्र में ऐसे कई जगह हैं, जहां बरसात के दिनों में खाट में मरीजों को उठाकर 20-25 किलोमीटर लाते हैं, लेकिन ट्राईवल प्लान का जो पैसा है, 275 (1) का पैसा है, वह कागजों में ही सीमित हो रहा है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से फिर से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में छात्रावास का बुरा हाल है । जिस समय हम लोग रायपुर के छात्रावास पेंशन बाड़ा में पढ़ते थे, उसकी स्थिति अलग होती थी और आज उस छात्रावास की स्थिति दयनीय हो गई है । रायपुर शहर, जो प्रदेश की राजधानी है, वह प्रदेश का दर्पण है और मैं चाहूंगा कि रायपुर में जितने भी छात्रावास हैं, चाहे कालीबाड़ी का छात्रावास हो, चाहे पेंशनबाड़ा का छात्रावास हो, ऐसे 12 छात्रावास हैं, जहां पर एक से बढ़कर एक बच्चे पढ़ाई करके अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और आज आप उस जगह में जाकर देखेंगे तो उस छात्रावास को देखने वाला कोई नहीं है । मैं फिर से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि यहां मानीटरिंग करने की जरूरत है । छात्रावासों में क्या कमी है, प्रदेश में इसकी एक मानीटरिंग कमेटी होनी चाहिए ।

सभापति महोदय :- अपने क्षेत्र का विषय रखिए ।

श्री रामकुमार यादव :- भैया, आजतक छात्रावास में दारू पीए के अउ कुकरी खाये के अड्डा बना डरे हें । उहां जाबे तो कुकरी के पुदगा मिल थे और शीशी के बोतल के ढक्कन मिलथे ।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप बैठिए । जनक जी, समाप्त करें ।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग रखना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मेरे क्षेत्र में बिजली, पानी और विशेषकर छात्रावास की समस्या है, 100 सीटर छात्रावास के लिए मैं मांग पत्र माननीय मंत्री जी को दे दूंगा। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा समस्या है । भले बस्तर सुधर गया है, रामानुजगंज सुधर गया है, लेकिन राजधानी रायपुर से डेढ़ सौ किलोमीटर दूर मेरे क्षेत्र का बुरा हाल है, जहां बिजली की समस्या, जहां पानी की समस्या, जहां छात्रावास की समस्या है । और तो और जहां छात्रावास खुला था, वह भी बंद हो गया है । जब झलियामारी कांड हुआ तो ऐसे कुल्हाड़ीघाट में छात्रावास था, वह भी बंद हो गया है । वहां कमारभुंजिया प्रजाति के लोग पढ़ते थे, वह बच्चे आज पशु-पक्षी मारने में लग गए हैं । जहां छात्रावास बंद पड़ी है, उसको चालू करवा दें । ऐसे कई छात्रावास हैं, राजापड़ाव क्षेत्र जो उड़ीसा से लगा हुए क्षेत्र है, वहां के छात्रावास को बंद करा दिए है । मैं आपके माध्यम से फिर से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बस्तर सुधार रहे हैं, सरगुजा सुधार रहे हैं, लेकिन अविभाजित पूर्व रायपुर जिले का अविभाजित गरियाबंद जिले की तरफ भी ध्यान देंगे, ऐसा मैं कहना चाहता हूं । विशेषकर मैं आखिरी बार्डर का रहने वाला सदस्य हूं ।

श्री रोहित साहू :- सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि गरियाबंद जिले की कुछ समस्या है, मेरा ही जिला है । माननीय सदस्य छात्रावास की समस्या बता रहे हैं, उसमें आपके माध्यम से विशेष रूप से मेरा भी आग्रह है कि उस क्षेत्र में छात्र-छात्राओं के हित में आप गरियाबंद जिले को कोई अच्छी सौगात दे दें । वैसे तो आपने बहुत सारे सौगात दिए ही हैं, गरियाबंद जिले में भी 4-5 छात्रावास स्वीकृत किये हैं । हमारे विधायक जी की और कुछ मांग है, मैं भी उनके साथ आपसे आग्रह करता हूं । धन्यवाद ।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, अंत में रोजगार की बात है। आज वनांचल के जो बच्चें हैं, वे पढ़-लिखकर बेरोजगार हो रहे हैं। उनके लिए कोई रोजगार नहीं है और न ही उनके लिए कोई नौकरी है। इसलिए भर्ती नियम तत्काल लागू होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, इस आदिवासी राज्य में आदिवासी बच्चें बेरोजगार घूम रहे हैं। यह कितना दर्दनाक है। भर्ती नियम तत्काल लागू किया जाये, मैं ऐसा इस सदन से मांग करता हूं। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में विशेष प्रकार के वनोपज होते हैं। वन विभाग से संबंधित जो वनोपज होता है, चाहे चार हो, चिरौंजी हो, इमली हो, महुंआ हो, ऐसे अनेक प्रकार के वनोपज होते हैं, मैं उनके रखरखाव के लिए माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस योजना के अन्तर्गत कोई रोजगार खोले ताकि वहां के बेरोजगार लोगो को रोजगार मिल सके, वहां के लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके, वहां के लोगों को अच्छा पानी और बिजली मिल सके, ऐसी मेरी भावना है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं।

श्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम (पाली तानाखार) :- धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, मैं अनुदान मांग संख्या 13, 14, 16, 33, 41, 42, 54, 68, 82 एवं 83 की अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए सरकार का ध्यान किसानों की गंभीर समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

समय
5.07 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है और किसान हमारे देश और प्रदेश के अन्नदाता हैं। आज अन्नदाता की पीड़ा हमारे सत्ता पक्ष के साथी विपक्ष के साथी, सबने किसानों की पीड़ा पर खेद व्यक्त किया है, आपसे कुछ चर्चा की है। मैं भी अपने क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को लेकर इस सदन में अपनी बात रखना चाहता हूं। किसानों को समय पर खाद बीज नहीं मिल पा रहा है। जिस तरीके से हम खाद की बात करें, हमारी सरकार के द्वारा समितियों को खाद-बीज भेजा जाता है, परन्तु जिस तरीके से तानाखार क्षेत्र में समिति के अंदर खाद खाली नहीं हुआ था, खाद ट्रक में भरे ही रहे और खाद भरे के भरे ही खाद वापिस चला गया। कलेक्टर ने उस तत्काल संज्ञान

लिया, उसमें कार्यवाही हुई और प्रबंधक को निलंबित भी किया गया। किसान के खाद को उनके खातों में दर्ज कर दिया गया। आज वे किसान खाद के कर्जदार बन गये हैं। मैं तो चाहूंगा कि जिन किसानों के नाम से खाद को दर्ज किया गया है और किसानों को खाद नहीं मिला है, उनके ऋणों की माफी हो। यह मोरगा सोसायटी की बात है।

माननीय सभापति महोदय, समय पर कीटनाशक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। किसान मजबूरीवश बाजार से महंगी दरों पर खाद खरीदने को मजबूर है। यह सरकार किसानों की आय हर वर्ष दोगुनी करने की बात करती है। इस साल किसान अपने धान को नहीं बेच पाये। किसानों का रकबा सरेण्डर कराया गया। किसानों के घरों में छापा मारा गया। प्राकृतिक आपदाओं में फसल खराब होता है तो उनको मुआवजा कम मिलता है, उसमें माननीय सदस्यों ने भी बात रखी। वास्तव में किसानों की जितनी फसल खराब होती है एक एकड़, दो एकड़, उसका पूरा सर्वे नहीं होता। बहुत ही कम 1,000, 2,000, 5,000 मुआवजा बनाया जाता है तो किसानों की पीड़ा बहुत ही पीड़ादायक रहती है और किसान पूरे परिवार के साथ पूरी मेहनत करके फसल उगाता है तो उनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, पशुपालन की बात करें तो पशुपालन हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। किसानों की आय बढ़ाने में इसकी बड़ी भूमिका है, लेकिन प्रदेश में पशु औषधालयों की कमी है। पशु औषधालय बढ़ाए जाएं। पशु औषधालयों में डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टरों के जो खाली पद हैं, उसे भरा जाए। दवाइयों की कमी है, दवाइयों को भरा जाए। पशुपालकों को जो परेशानी होती है, उस परेशानी को देखते हुए उनके लिए गांव तक पशु चिकित्सालय की व्यवस्था हो। माननीय सभापति महोदय, किसानों के लिए व पशुपालकों के लिए मुर्गी कुक्कुट पालन है, बकरी पालन है, पशु सुअर पालन है, तमाम योजनाएं चल रही हैं, परन्तु आज भी जो मूल किसान है, वह वंचित हैं। कुछ स्मार्ट किसान हैं, कुछ अनुपस्थित किसान हैं, जिनको पता नहीं कि हमारी कितनी खेती है। स्मार्ट किसान जो कभी खेत नहीं गए, उन किसानों को लाभ मिल जाता है, परन्तु जो मूल किसान हैं, उन मूल किसानों को लाभ नहीं मिल पाता, इसकी हम पीड़ा माननीय मंत्री जी से व्यक्त कर रहे हैं। हमारे जो मूल किसान हैं, जो गांव में बसते हैं, उनको आपकी योजना का लाभ मिले, यह मैं निवेदन करता हूं। आपका नाम बहुत ही पवित्र नाम है माता-पिता को धन्यवाद कि राम के विचार के साथ आपका नाम रखे हैं। हम तो चाहते हैं कि पहले से विचार है तो विचार करने की आवश्यकता नहीं है। (हंसी) माननीय सभापति महोदय, आदिवासियों के विकास के लिए सरकार की बहुत सारी योजना है। बहुत सारी घोषणा करती है, परन्तु धरातल पर पहुंच नहीं पा रही है। आदिवासी क्षेत्रों की बात करें, जिस तरीके से माननीय सदस्यों ने आदिवासी उपयोजना की बात कही, आदिवासी उपयोजना भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत आदिवासियों के समग्र विकास के लिए भारत की संचित निधि से सरकार समग्र विकास की घोषणा करती है, समग्र विकास की योजना लाती है, परन्तु हालात देखें आज भी आदिवासी घरों तक

सड़कें नहीं पहुंचीं। आज भी आदिवासियों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। आज भी आदिवासी घरों तक बिजली की सुविधा नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी क्षेत्रों में आज जिस हालत में हैं, आज भी अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि तानाखार क्षेत्र अंतर्गत जो समग्र विकास की योजना है, आदिवासी उपयोजना की जो आज हम कहें कि वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2025 तक, 2025-26 में यदि हम देखें तो अरबों, खरबों रुपया इस योजना में राशि आई होगी। परन्तु आज भी आदिवासी क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ, इसकी पीड़ा है और आज भी आदिवासी क्षेत्रों में विकास नहीं होने की पीड़ा का दंश झेल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, छात्रावास-आश्रमों की हालत जर्जर है। जिस तरीके से छात्रावास-आश्रमों में आपने भी जिक्र किया कि टॉयलेट की जो जर्जर स्थिति है, पानी की कमी है, उस पर भी आपने माननीय मंत्री जी को संज्ञान में लाया । अभी-अभी सदन में आने से पहले मैं 5 तारीख को एक नया-नया छात्रावास भवन का निरीक्षण करने गया था। नया भवन है, टाइल्स उखड़ रहे हैं, टॉयलेट खराब है। एकदम नया है, अभी 15 तारीख को जब मेला हुआ, उसके पहले हैंडओवर कराया गया। तो जो भी छात्रावास बने, पूरी तरीके से बनने के बाद ही हैंडओवर करें, बच्चे परेशान न रहें। बच्चे आज परेशान हो रहे हैं। दूसरी शिकायत पोड़ी उपरोड़ा के एकलव्य विद्यालय की आई कि आज भी वहां पानी की व्यवस्था नहीं है। वहां के जो अधीक्षक हैं, वहां के जो व्यवस्थापक हैं, उनके द्वारा बाहर से टैंकर से पानी मंगवा कर बच्चों के पीने का, नहाने का और टॉयलेट के लिए व्यवस्था की जा रही थी। वहां के जो आदिवासी विभाग के अधिकारी हैं, मैंने उनसे निवेदन किया था कि वहां पर तत्काल बोर खनन किया जाए और उन बच्चों को पानी दिया जाए। माननीय मंत्री जी, आप एकलव्य विद्यालय, पोड़ी-उपरोड़ा को नोट कर लीजिये। माननीय मंत्री जी, आदिवासी उपयोजना के साथ-साथ मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आपकी जो जनजातीय उपयोजना की राशि आती है, वह पूरी पारदर्शिता के साथ खर्च हो। आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर दी जाएं। स्थानीय युवाओं को रोजगार और कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनजाति उपयोजना की पूरी राशि उसी क्षेत्र के विकास में खर्च हो और उसकी नियमित मॉनिटरिंग हो। माननीय सभापति महोदय, अगर हम कोरबा जिला के बांगो बांध की बात करें, जहां पर मिनीमाता के नाम से बांगो बांध बना है। उसका डिजाइन सिंचाई के लिए किया गया है, साथ ही साथ उसका डिजाइन बिजली उत्पादन के लिए किया गया है। उस बांगो बांध से वहां पर बिजली उत्पादन हो रही है, साथ ही साथ किसानों को पानी मिल रहा है, परंतु उस बांध का पानी-तानाखार विधान सभा क्षेत्र के किसानों को नहीं मिल रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पाली-तानाखार विधान सभा क्षेत्र के जो उस डेम से विस्थापित परिवार आसपास बसे हुए हैं, उद्वहन सिंचाई के माध्यम से उस डैम से उनको पानी दी जाए, जिससे किसानों की आय दुगनी होगी। आज वे लोग एकल फसली हैं और

विस्थापित का दंश झेल रहे हैं। साथ ही साथ बांध के भराव क्षेत्र के किनारे-किनारे जो रहवासी डेम से विस्थापित हुए हैं। उस डैम से करीब 56 गांव प्रभावित हैं, उन 56 गांवों में लगभग हर गांव में समिति बनी हुई है। उन समितियों के माध्यम से ही ठेकेदार मछली मारती है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो समिति बनी हुई है, उन समिति को ही वहां की मछली का ठेका दिया जाए। क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के साथ-साथ यदि हम बांगो डैम की मछली देखें, तो वहां की मछली बड़े पैमाने पर कोलकाता जाती है। कोलकाता को मछली का बड़ा बाजार माना जाता है। परंतु बांगो डैम की मछली भी कोलकाता जाती है, माननीय मंत्री जी। एक विशेष प्रजाति की मछली है, जो ट्रकों में भरकर के कोलकाता जाती है। इसलिए वहां पर एक मत्स्य महाविद्यालय भी खोलने का मैं आपसे निवेदन करता हूं। चूंकि आपने कृषि एक्वा पार्क की घोषणा कर ही दी है, वहां एक्वा पार्क तो बन ही रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि वहां मत्स्य महाविद्यालय भी खुल जाता तो हमारे क्षेत्र को एक बड़ी सौगात मिल जाती। साथ ही साथ क्रीड़ा परिसर की स्थापना होनी चाहिए। पाली-तानाखार विधान सभा क्षेत्र बीहड़ क्षेत्र है और वह पूरा का पूरा पाली-तानाखार क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है। माननीय सभापति महोदय, पाली-तानाखार क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ कुछ अनुसूचित जाति के भी छात्रावास बने हैं। माननीय मंत्री जी, हमारे पाली-तानाखार विधान सभा क्षेत्र में ज्यादा संख्या अनुसूचित जनजाति की है। पोड़ी, पसान, सिघिया में अनुसूचित जाति की कन्या छात्रावास बने हैं। बच्चों की दर्ज संख्या कम होने के कारण से वहां 50 सीटर छात्रावास है। उस छात्रावास में मुश्किल से 10 से 12 ही बच्चों की ही दर्ज संख्या होती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि उन छात्रावासों में आदिवासी बच्चों को भी भर्ती किया जाए, जिससे उस छात्रावास का लाभ वहां के अनुसूचित जाति के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति के बच्चों को भी पढ़ाई का लाभ मिल सके। साथ ही साथ देवगुड़ी की बात आई है। पूरे के पूरे पाली-तानाखार विधान सभा क्षेत्र पर जनजाति समाज के लोग निवास करते हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी कि वहां पाली-तानाखार विधान सभा क्षेत्र पर देवगुड़ी का के लिए आपकी जो योजना में है, उसका लाभ हमारे आदिवासी समाज को मिले। माननीय मंत्री जी, मैंने पहले ही कहा है कि आप बहुत उदार हैं और बहुत सीनियर हैं, आप सबकी पीड़ा को जानते हैं। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। यह पूरे किसानों की पीड़ा है, मेरी पीड़ा नहीं है। मैंने किसानों की पीड़ा को रखने का प्रयास किया है। माननीय मंत्री जी, अब मुझे पूरा भरोसा है कि आपके नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे नहीं होंगे। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करते हुए अपनी बातों को यहीं पर विराम करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्रीमती रायमुनी भगत जी । आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे ।

श्रीमती रायमुनी भगत (जशपुर) :- सम्माननीय सभापति महोदय, पांच मिनट में नहीं, बल्कि दो मिनट में बोल कर खत्म करूँगी ।

सभापति महोदय :- यह बहुत अच्छा है ।

श्रीमती रायमुनी भगत :- सभापति महोदय, मैं सम्माननीय कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी के मांग संख्या 13, 14, 16, 33, 41, 42, 54, 68, 82, 83 के समर्थन में बोलने के लिये खड़ी हुई हूँ । चूँकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, अत: अपने क्षेत्र की मांगों को रखकर अपनी बात को समाप्त करूँगी । सम्माननीय सभापति महोदय, मैं जिस विधान सभा से चुनकर आई हूँ, वह विधान सभा पूरा पठारी एरिया है । उस क्षेत्र में इतिहास गवाह है...।

<u>सदन की सूचना</u>

सभापति महोदय :- एक मिनट रूकिये । आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये । मैं समझता हूँ कि सभा इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

<u>वित्तीय वर्ष 2026 - 2027 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)</u>

श्रीमती रायमुनी भगत :- कोदो, कुटकी, रागी, मक्का के अलावा कुछ भी नहीं होता था । आज उस क्षेत्र में श्री अन्न के अलावा सब्जी की खेती बहुतायत में होती है । मेरे क्षेत्र के पंडरापाठ में एक कोल्ड स्टोरेज की बहुत आवश्यकता है, मैं समझती हूँ कि माननीय मंत्री महोदय हमारे क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज देंगे । बगीचा क्षेत्र में, जहां आपका भी जुड़ाव है, कृषि के अलावा पशुपालन एवं डेयरी विकास की वहां बहुत आवश्यकता है । पंडरापाठा में एक आधुनिक डेयरी विकास योजना का क्रियान्वयन हो तो इस क्षेत्र के किसान बहुत आगे बढ़ेंगे । सभापति महोदय, सिंचाई के क्षेत्र में भी यहां बहुत संभावनायें है, छुरिया नदी में बांध के निर्माण की बहुत आवश्यकता है । मैं केवल मांग को रखूँगी । मेरे मधुपपुर में कन्या छात्रावास की आवश्यकता है वह बहुत जीर्ण-शीर्ण हो गया है और वहां पहली से पांचवी तक की पहाड़ी कोरबा की बच्चियां रहती है, आदिम जाति कन्या छात्रावास है, वहां नये भवन की जरूरत है । यह मेरी मांग है कि जो कन्या छात्रावास है, 5 पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहां पर कन्या छात्रावास के सीटों में वृद्धि की जाये । यहां पर सब्जी उत्पादन की बहुतायत को देखते हुये सन्ना क्षेत्र का जो सब्जी है, यह यू.पी. बिहार, उड़ीसा, यहां तक भुवनेश्वर तक जाता है, वहां पर एक मंडी या बड़ा बाजार की स्थापना हो जाये । मैं बहुत ज्यादा मांग नहीं रखूँगी, डेयरी का तो मैंने कह दिया है । मैं सम्माननीय मंत्री महोदय जी को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे क्षेत्र में 10 धान खरीदी केन्द्र है, आपने 10 सहकारी केन्द्रों में 10 करोड़ रूपया दिये हैं और सभी काम चालू है, इसके लिये आपको पुन: बहुत-बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ ।

आने वाले समय में डेयरी मिसिंग थी, वह मेरे क्षेत्र में दे दीजिएगा । सभापति महोदय, मैं इतना कहकर अपनी बात समाप्त करती हूँ, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । बधाई ।

सभापति महोदय :- हो गया । आपकी बात आ गई । चन्द्राकर जी ।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, का हे रामकुमार पिछवा जाही, मंत्री जी सब ला बांट डरही ता बिचारा ह का मांगही । (हंसी)

श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, इधर भी राम है उधर भी राम है, पर उधर कुमार है और इधर विचार है।

श्री ललित चंद्राकर (दुर्ग ग्रामीण) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की सभी मांग संख्या का समर्थन करता हूं। कृषि मंत्री जी, हमारे दुर्ग जिला, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम में गए थे और आपने एक एग्रीकल्चर कॉलेज की घोषणा की थी। मैं चाहूंगा कि हमारे कृषि मंत्री जी वहां पर एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने की घोषणा करें और अनुमति दें ताकि एग्रीकल्चर कॉलेज शुरू हो सके और हमारे जिले को एक नई सौगात मिल सके। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री धरमलाल कौशिक जी।

श्री रामकुमार यादव :- नेताजी, आपमन ज्यादा असत्य बोलहू त मैं घर चल देहूं। तुंहर असत्य सुन के मोर पोटा कांप गेहे।

सभापति महोदय :- मै हा तोला टाइम देहूं न तैं बोल लेबे।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- अभी आप ला मंत्री जी से मांगना हे। ओखर सेती तैं हा चुपचाप बैठे रहा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे कृषि मंत्री जी द्वारा जो अनुदान मांगे रखी गई हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं और उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, एक समय था जब लोग खेती को छोड़कर प्रयास करते थे कि हम खेती के बजाय चपरासी की नौकरी कर लेंगे, लेकिन खेती नहीं करना है। अच्छे-अच्छे घर के बच्चे भी खेती छोड़ दिए थे, खेती बोझ हो गया था, ऐसा लगने लगा था। लेकिन आज मुझे कहने में यह प्रसन्नता हो रही है कि जिस प्रकार से विष्णु देव साय जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है, हमारे कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी बैठे हुए हैं, कृषि के लिए जो योजना बनाई गई और योजना बनाने के बाद, हमारे खेती को घाटे का धंधा कहा जाता था, आज लाभ के धंधा के रूप में परिवर्तित करने का काम किसी ने किया है तो हमारे रामविचार नेताम जी ने किया है, हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी ने किया है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, मैं तीन साल का रिकॉर्ड देख रहा था कि किसानों ने 437 लाख मीट्रिक टन धान की बिक्री की है। किसानों के खाते में 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपए राशि अंतरित की गई है। अभी मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र में गए थे, माननीय रामविचार नेताम जी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। प्रदेश

के किसानों के खाते में एक दिन में 10,324 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। आज जिस प्रकार से खेती के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, धान की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, आज पढ़ने-लिखने के बाद लोग नौकरी छोड़कर खेती की तरफ आकर्षित हुए हैं, एक समय उत्तम खेती मध्यम व्यापार कहा जाता था, आज वह परिभाषा फिर सिद्ध होने लगी है, बाकी दूसरे मापदंड पर आ गए हैं और सर्वोच्च मापदंड में हिंदुस्तान में हमारा प्रदेश है, हमारी खेती फिर शुरू हो गयी है, यह हमारी सरकार की उपलब्धि है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, हम दूसरे प्रदेशों के ऊपर बीज के लिए निर्भर रहते थे। यहां पर बीज के उत्पादन में, प्रसंस्करण में सरकार के द्वारा प्रोत्साहित की जा रही है, उनके लिए सब्सिडी दी जा रही है। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि धान के मामले में न केवल प्रदेश आत्मनिर्भर हुआ है, बल्कि हम दूसरे प्रदेशों को भी धान के बीज की सप्लाई कर रहे हैं। हम दलहन-तिलहन में भी काफी आगे बढ़े हैं। दलहन में भी हमारी स्थिति करीब-करीब बहुत अच्छी हो गई है। तिलहन में हमारी स्थिति अभी कुछ कमजोर है। लेकिन जिस प्रकार से अभी अवदान के रूप में धान के बदले में दूसरे अनाज दलहन और तिलहन के लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाने की योजना बनाई गई है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हम बीज के मामले में धान और गेहूं की फसल में आत्मनिर्भर हुए हैं, उसी प्रकार दलहन और तिलहन में भी बहुत जल्दी आत्मनिर्भरता को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार की योजना बनाई गई है कि निश्चित रूप से आज हमारे किसानों को पंपों के लिए, बिजली के बिल के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं। हमारे किसानों के लिए 300 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। उनको शून्य प्रतिशत ब्याज में ऋण मिल सके अर्थात् बिना ब्याज के ऋण मिल सके, इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। खेती और किसान को सम्मानजनक स्थान देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। आज लगातार कृषि की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। हम यह देख रहे हैं कि हमारी जो सब्जी की फसल है, पपीता है तो जो फल की खेती करने वाले कृषक हैं, उनके लिए अनुदान की राशि की व्यवस्था गई है। कृषि में स्प्रिंकलर तथा अन्य सुविधाओं के लिए राशि में सब्सिडी दी गई है। साथ ही पंप लेने के लिए सब्सिडी दी गई है तो निश्चित रूप से किसानों को एक बहुत बड़ी ताकत हमारी सरकार की ओर से मिल रही है। इसके लिए लगातार हमारे कृषि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा श्री अन्न योजना लागू की गई है। कभी यह कहा जाता था कि जो कोदो और कुटकी है, यह गरीबों का अन्न है, लेकिन आज आप बड़े-बड़े फाइव स्टार होटल में देख रहे हैं कि वहां पर उस अन्न की रेट निर्धारित की गई है और लोग बड़े चाव के साथ वहां पर उसको खा रहे हैं। जैसे-रागी, कोदो व कुटकी हैं। इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा योजना बनाई गई है। कृषक उन्नति योजना में इसको भी जोड़ने का काम किया गया है तो निश्चित रूप से किसानों को इससे भी बल मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, आज हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे ट्रायबल क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, हमारे कृषक हैं, उनको बीज उत्पादन करने में सब्सिडी

दी जा रही है। ऐसे क्षेत्र में उनको बढ़ावा देने के लिए काम किए जा रहे हैं तो न केवल मैदानी क्षेत्र में, बल्कि मैदानी क्षेत्र के साथ हमारे सरगुजा और बस्तर में जो धान या अन्य फसल की खेती कम करते थे, वहां भी इससे खेती को बढ़ावा मिल रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारा एक बहुत बड़ा आर्थिक स्रोत कृषि होने वाला है। यह हमको दिखाई दे रहा है। आज के इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि किस प्रकार से हम पाम ऑयल के रूप में खेती को कैसे बढ़ावा दे सकें। हम ऑयल का उत्पादन कैसे कर सके और उसके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है कि जो पाम ऑयल की खेती करना चाह रहे हैं, उनको भी अनुदान की सुविधा इस बार दी गई है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे प्रदेश में रकबा बढ़ेगा। हमारे जो ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर धान या अन्य फसल लेने में दिक्कत आती है तो पाम की खेती करने वाले हमारे ऐसे कृषकों को प्रोत्साहन मिलेगा। उससे पाम के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ के हमारे कृषक आकर्षित हो रहे हैं और इस बार बहुत सारे क्षेत्रों में मुझे देखने को मिला है कि कृषक पाम की खेती कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मंत्री जी खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए यहां पर छात्रावास की जो व्यवस्था कर रहे हैं, बच्चों के लिए पढ़ने की जो व्यवस्था कर रहे हैं। इस देश की आजादी में हमारे संघर्ष में जिनकी गाथा है और उस संघर्ष गाथा में यदि हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात करेंगे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, शहीद हुए हैं तो उसमें हमारे जनजाति समाज का योगदान कम नहीं है। उसमें एक बड़ा योगदान हमारे जनजाति समाज का है। (मेजों की थपथपाहट) उनकी जो संस्कृति है, उनके जो साहित्य हैं, वह कला से परिपूर्ण है। मैं ऐसा समझता हूं कि आप संपूर्ण छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में देखिए कि यदि राष्ट्रपति जी आएंगे, प्रधानमंत्री जी आएंगे तो यदि किसी कल्चर के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है तो हमारे ट्राईबल कल्चर के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से यह उनकी समृद्धशाली विरासत है।

श्री रामकुमार यादव :- नेता जी, हमन घलोक राउत नाचा करत हन।

श्री धरमलाल कौशिक :- अभी मंत्री जी हर आप मन बर बचा के रखे हे। बिल्कुल खत्म नहीं करे है।

श्री रामविचार नेताम :- आप मन एकाध बार नाच के दिखाबे तब तो पता चलही।

श्री रामकुमार यादव :- में हर नाचहू तो सब झन भाग जाही।

श्री रामविचार नेताम :- आप मन अपन ग्रुप ला ले करके एक दिन स्वागत करबे।

श्री रामकुमार यादव :- अभी मोला विधायक के रूप में रहन दो। में हर नाचा ला बाहर में करहूं।

श्री रामविचार नेताम :- धर्मजीत जी, जिस दिन घर से बढ़िया सज धज कर आयेंगे, उस दिन सम्मान में ड्रेस लगाकर खड़े रहना ।

श्री रामकुमार यादव :- ओ मन तो हमर हीरो हे। ओखर ड्रेस ला देखत हस।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी संग्रहालय का निर्माण किया गया है। उसका लोकार्पण हमारे मुख्यमंत्री, माननीय विष्णुदेव साय जी के द्वारा 14 मई, 2025 को किया गया है, जिसमें हमारे ट्राईबल कल्चर को दर्शाया गया है। मुझे इस बात को कहने में खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमत्री, नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा 01 नवंबर, 2025 को देश का पहला डिजिटल संग्रहालय शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक, जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का लोकार्पण किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) उसमें अलग-अलग गैलरी बनाई गई है। उस गैलरी के माध्यम से हमारे आदिवासी समाज की संस्कृति, उनकी कला, स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले हमारे जवान और हमारे उस समय के जो क्रांतिकारी हैं, ऐसे सब लोगों को वहां पर समाहित करने का प्रयास किया गया है। आज मुझे इस बात की खुशी होती है कि जो लोग बाहर से छत्तीसगढ़ में प्रवास में आते हैं और उस संग्रहालय को देखने के लिए जाते हैं तो देखने के बाद छत्तीसगढ़ की जो विरासत है, इस विरासत की जानकारी के प्रति गर्व महसूस करते हैं। इससे हमें गर्व की अनुभूति होती है।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही साथ हमारे जो शहीद वीर नारायण स्मारक एवं संग्रहालय के लिए 5.20 करोड़ रूपये की योजना बनायी गयी है। हम लोग जहां माथा टेकने के लिए जाते हैं, बाबा गुरू घासीदास की जन्म स्थली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा वहां का लगातार कायाकल्प हो रहा है। वहां के कायाकल्य, नवनिर्माण के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। बाबा गुरू घासीदास जी, जिन्होंने सत्य और अहिंसा का संदेश जिस भूमि से दिया है, आज वहां पर लोग नमन करने के लिए जाते हैं। वहां पर यात्री सुविधाओं का विकास हो सके, वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोक जाकर दर्शन कर सके और उसके साथ ही साथ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 200 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। हमारे सरगुजा का जो कल्चर, सरगुजा का ओलंपिक, सरगुजा के बाद बस्तर ओलंपिक को भी उसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है। माननीय सभापति महोदय, वहां आश्रम हैं, शालाएं हैं, जिससे हमारे जनजातीय बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। बीजापुर से लेकर दंतेवाड़ा और बलरामपुर तक जो कमियां रह गयी हैं, उन कमियों को भी उसमें दूर करने का प्रयास किया गया है ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। माननीय सभापति महोदय, जिन बच्चों को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध न हो, ऐसी जगहों पर मुख्यमंत्री शिक्षा योजना के अंतर्गत उनके लिए व्यवस्था की गयी है। मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग के माध्यम से वहां पर सुविधायुक्त आवासीय शैक्षणिक उपलब्ध कराने हेतु संभाग मुख्यालय में 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है। जिन बच्चों का छात्रावास में प्रवेश नहीं हुआ हो जिससे वे पढ़ने से वंचित न रह जाये उनके लिए नई योजना प्रारंभ की गयी है और इस नई योजना के माध्यम से उनको लाभ मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने नारायणपुर के अबूझमाड़ और सुकमा के जगरगुंडा को एजुकेशन सिटी के रूप

में बजट में शामिल किया है। ऐसे बहुत सारे आस-पास के क्षेत्रों में स्कूल बनेंगे, छात्रावास बनेंगे, प्राईमरी से लेकर हाईस्कूल तक के स्कूल बनेंगे, उसके लिए भी 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है। आई.टी.आई. की स्थापना की जायेगी। एक नई योजना हमारी सरकार में की गयी है, असिस्टेंट कॉम्पिटेटिव्ह एक्जामिनेशन, यह उसके तीन घटक बनाये गये हैं- उड़ान, शिखर और मंजिल। जिसके माध्यम से युवाओं को रोजगार प्राप्त हो और साथ ही नामचीन संस्थाओं में प्रवेश के लिये हम उनको कैसे तैयारी करा सकें, उसके लिये प्रावधान किये हैं। पहला उड़ान है जिसमें हमारे इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ के बच्चों को प्रशिक्षण प्राप्त हो सके और उनका चयन हो सके। दूसरा शिखर है, यू.पी.एस.सी. और सी.जी.पी.एस.पी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिये उनको प्रशिक्षण कराया जा सके, यह एक नई योजना बनाई गई है। तीसरा घटक मंजिल है, एस.एस.सी, रेलवे और बैंकिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाये ताकि उनका चयन हो सके। एक प्रकार से रोजागर से जुडे हुए विषय को लेकर बजट में जो प्रावधान किये गये हैं और इसी के साथ-साथ में अनेक प्रावधान किये गये हैं। निश्चित रूप से छात्रावास, आश्रम, शालाओं के संचालन हेतु 990 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे जो प्राधिकरण हैं, चाहे हम बस्तर प्राधिकरण, सरगुजा प्राधिकरण, मध्य प्राधिकरण की बात करें, जो 50 करोड़ रुपये का था, उसको अभी 75 करोड़ रुपये किया गया है। लेकिन माननीय मंत्री जी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम लोगों का जो क्षेत्र मैदानी एरिया है, वह एरिया न बस्तर प्राधिकरण, न सरगुजा प्राधिकरण, न मध्य प्राधिकरण में है। मेरे खुद की विधान सभा में 32 हजार जनजातीय समुदाय के वोटर लोग हैं। हमारे करीब 40-50 गांव हैं लेकिन आपके तीनों प्राधिकरण से उनको कोई राशि उपलब्ध नहीं हो रही है। आखिर वह कहां जायें? उनके गांव के विकास के लिये हम क्या पैमाना तय करें? मैं जब बैठक हुई थी तो उस बैठक में भी इस विषय को उठाया था और सभापति महोदय भी उस बैठक में उपस्थित थे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इन गावों को मध्य प्राधिकरण में जोड़िये। क्योंकि आपका सरगुजा प्राधिकरण अलग बना हुआ है, बस्तर प्राधिकरण अलग बना हुआ है। लेकिन मध्य प्राधिकरण में आप यदि मैदानी क्षेत्र के हमारे आदिवासी गावों को समाहित नहीं करेंगे, वह आपके लाभ से वंचित हो जायेंगे तो आपके प्राधिकरण का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए उसको शामिल कीजिए। उन गावों में आप मापदंड रख दीजिए।

श्री दिलीप लहरिया :- हमारे माननीय डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय मैं 2013 में विधायक था तो अनुसूचित जाति में, अन्य पिछड़ा वर्ग में, मध्य में तीनों प्राधिकरण में हम लोगों को पैसा मिलता था। इस साल ऐसा पहली बार नियम बना है एक प्राधिकरण से अनुसूचित जाति क्षेत्र में पैसा मिल रहा है, जैसे हमारे क्षेत्र में मिल रहा है। जो पिछड़ा वर्ग क्षेत्र हैं उनको एक प्राधिकरण से मिल रहा है, बाकी तीनों प्राधिकरण से नहीं मिल रहा है, जबकि उस समय हम लोगों को मिलता था। मैं खुद

ही बोल रहा हूं। मेरा यह कहना था कि इसमें थोड़ा ध्यान दिया जाये कि सभी प्राधिकरण में सभी विधायकों को मिले।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी, मध्य प्राधिकरण में इसको जोड़ करके 25 प्रतिशत से ऊपर उसको रख दीजिए और उन गावों को भी आप जोड़िये जिससे उनको लाभ मिल सके। माननीय मंत्री जी, आपने अनुसूचित जाति, जनजाति प्राधिकरण की राशि बढ़ाई है, लेकिन बहुत बड़ा एरिया पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण का है। उसकी राशि आपने नहीं बढ़ाई है। उसकी राशि आप बढ़ाईये ताकि उन क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिल सके। उन क्षेत्रों के लोगों का उसका लाभ आपके प्राधिकरण के माध्यम से मिलेगा। तो उसके लिए भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप उसकी राशि बढ़ायेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। माननीय मंत्री जी, विगत् हमारा 3 बजट हो गया है। मुंगेली क्षेत्र के और हमारे क्षेत्र के जनजातीय समुदाय के लोग लगातार आपसे मिल रहे हैं और छात्रावास की बात आपसे लगातार कर रहे हैं, लेकिन तीसरे बजट में भी वह शामिल नहीं हो पाया है। आप जब उसको अनुपूरक बजट लायेंगे तो नोट करके रखिये, आप जनभावना का सम्मान करें और जनभावना का सम्मान करके उस छात्रावास की मांग को बजट में जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ ही साथ मैं बोल रहा था कि हथनी में जो उद्यानिकी महाविद्यालय है, अभी उसके भवन का काम शुरू हो गया है । मैं आपको इसलिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी प्रयोगशाला के लिये आपने हमारे अलग-अलग प्रदेश के 5 केंद्रों के लिये राशि स्वीकृत की है । 100 एकड़ से ऊपर का क्षेत्र है, आप उसको और बढ़ा सकते हैं, अभी वह हमारी डिग्री है । आप भविष्य में उसको पी.जी. भी कर सकते हैं इसलिये हमने ड़ेढ़ सौ एकड़ जमीन को सुरक्षित रखा है और उसमें आप चाहे तो कृषि के अलग-अलग सेक्टर में हमारी जो विभिन्न इकाईयां होती हैं या हमारे जो विभिन्न संस्थान होते हैं, उसको भी प्रयास करके आप वहां लायेंगे तो आने वाले समय में वह हमारा एक बड़े हब के रूप में विकसित होगा । बिलासपुर से लगा हुआ क्षेत्र है और प्रॉपर बिलासपुर में उतनी जमीन नहीं है क्योंकि आपके आसपास का जो क्षेत्र है, आपको वही बढ़ाना है । मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आपने मण्डीके क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है कि जो मण्डी उजड़ गये थे, आपने उसको फिर से बसाने का काम दिया है क्योंकि हमारा धान खरीदी केंद्र वही है जहां-जहां हमारा मण्डी का है, हमारा उपकेंद्र है । वहां पर संसाधन, सुविधा के दृष्टिकोण से भी कुछ जगह हुआ है, हमारे सरगांव में जैसे नहीं हुआ है, मैं उसकी मांग कर लूंगा, प्रस्ताव भेज दूंगा, आप उसको भी करा देंगे और जहां-जहां हमारे गांव कटे हुए हैं, जहां से किसानों को अपने धान को मण्डी तक लाने में जो दिक्कत आ रही है उसके लिये आपने कुछ जगह किया है उसके लिये तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन कुछ जगह नहीं हुआ है तो आने वाले समय में उस पर आपकी निगाह रहे और आपकी कृपादृष्टि रहे, इसके साथ ही हमारे सहनाव ने खाता खुलवा दिया है, हमारे सभापति जी बैठे हुए हैं, जब बिलासपुर से निकलेंगे तो पहला तिफरा पड़ता है । तिफरा में आप लोगों की बढ़िया फोटो लगी हुई है, उसमें आप जोड़वा देंगे और

उसके साथ में हमारा जो बिल्हा है, बिल्हा में हमारा उपमंडी है, सरगांव हमारा उपमंडी है, पथरिया हमारा उपमंडी है ऐसी 3-4 जगहों में गेट बनवा देंगे तो अच्छा लगेगा ।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- बन गया है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- बन गया है, मोहले जी का भी न । मोहले जी बोल चुके हैं इसलिये मैं मोहले जी का बोल रहा हूं तो मोहले जी का भी ध्यान रखना है और हमारे जो बाकी सदस्य हैं उनका भी ध्यान रखना है तो उसको आप करवा देंगे । माननीय सभापति महोदय, वास्तविक में जो बजट है, मैं उसकी तारीफ इसलिये करता हूं कि एक तो बजट के अनुरूप आपको राशि दी गयी है । हमारे प्रदेश की जो रीढ़ की हड्डी है, वह खेती है और हमारे किसान हैं । किसान यदि खुशहाल है तो हमारा प्रदेश खुशहाल है, किसान समृद्ध है तो हमारा प्रदेश समृद्ध है और इसके लिये जिस प्रकार से आपने बजट के माध्यम से खेती को आगे बढ़ाने के लिये, किसानों को आगे बढ़ाने के लिये आपने जो प्रयास किया है निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान हमारा जो धान का कटोरा है और हमारा आगे विकसित होगा। आप लगातार काम करते रहिये, हम आपके साथ खड़े हुए हैं और मैं आपके पूर्ण अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये जो समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री दलेश्वर साहू ।

श्री दलेश्वर साहू :- धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- एक मिनट, आपको तो नहीं बोलना है आपने हाथ उठाया था ।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की मांग कर देता हूं ।

सभापति महोदय :- ठीक । पहले उनको बोलने दीजिये । संक्षिप्त में बोलना ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, बस मोर क्षेत्र के कुछ मांग रहिस हे, धन्यवाद । ऐखरे खातिर आप छत्तीसगढ़ के, मैं आप ला सेल्यूट करत हंओं। आप देवानंद जी हैं ।

माननीय सभापति महोदय, अगर माननीय मंत्री जी ला व्यक्तिगत कहा जाये ता मोर-तुंहर बहुत ही प्रिय हे लेकिन जब मैं ओला व्यक्तिगत से अलग भाजपा के रूप मा देखथओं तो साहब के कई ठन रूप हावय लेकिन मैं अपन जीवन में कुछ देखे हंओं, मैं जो करे हंओं, उही बात ला मैं कहना चाहत हंओं फिर मैं छोटे से मोर मांग करके अपन बात ला समाप्त करिहां । बस 5 मिनट लगही ।

माननीय सभापति महोदय, आज हमर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जाति प्रमाण-पत्र के तकलीफ है । जब मैं विधायक नइ रहेओं तो ये क्षेत्र में अऊ प्रदेश के कई ठन जिला में जइसे सवरा, पाव, पोबिया, खड़िया, मांझी, ऊरांव, धनवार, कोड़, कुड़ाकू, कोन ओमा खुद राऊत यादव भी अइसे बहुत जाति हे जेमन के मात्रा के त्रुटि है अऊ मात्रा के त्रुटि अइसे त्रुटि, ओमन पढ़े-लिखे नइ हें, अपन लईका ला लेके

जाके भर्ती करे बर अऊ कहत हे कौन पारा के हस ता कहत हे सवरा ता "स" में "आ" के मात्रा "सा" अऊ "रा" में आ के मात्रा "रा", यह अंग के मात्रा व, र, बिंदी कर दिस । अइसे प्रकार के ओखर त्रुटि है । स्वयं धांगड़ ता धांगड़ ला करिहा हिंदी मा अलग अऊ इंग्लिश में अलग अऊ दिल्ली से जो सूची आये हे तेमा अलग अऊ इहां अलग, इस प्रकार से बहुत सारा त्रुटि हे, आप मन कुछ त्रुटि ला सुधारे बन भेजे भी हो। ओमा राउत के भी हे, काबर राउत मन तो ठाकुर में आथे, इहां यादव हन, सेन्ट्रल में जावत हन तो कुछ लगत नइ हे। ए सब त्रुटि ला विशेषकर के, खाली अतिकिच नो हरे कि हमन धान ले लेन, हमन बीजा दे देन, मोर फोटो ला अइसे लगा दिहा, फिर कोनो कहात हे कि हम लोग इतना डी.ए.पी. दिये हैं अइसे लगत हे कि खेत ला बेच कर दे हे। सरकार के पइसा हे, तुमन बइठे हो, तुमन ला काम करे के मौका मिले हे, आप मन बढ़िया काम करव। लेकिन सबसे मूलभूत आवश्यकता जाति प्रमाण पत्र के होथे। कभी जाकर के पूछेव हो कि तोर लइका के जाति प्रमाण पत्र काबर नइ बनत हे। आज देश ला आजाद होय 75 साल होगे हे अगर हमर 75 साल के आजादी के बाद भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनत हे, एमें मैं खुद भी शामिल हावंव, मैं आपेच ला नहीं कहात हौं, हमला सोचना अउ चिंतन करे के विषय हे। माननीय सभापति महोदय, कोनो के जाति प्रमाण पत्र बन गे हे, लेकिन ओ मन के जमीन नइ हे, ओ मन भूमिहीन व्यक्ति हे, आजकल नियम बने हे कि 5 पीढ़ी के मिसल लेकर आओ तब जाति प्रमाण पत्र बनही। अउ कहां ले मिसल बनही जेकर कुछ नइ हे। मैं स्वयं हों, ए सदन हा मोर बर भगवान के मंदिर ले ऊपर हे, जब मैं विधायक के फार्म भरेंव तो मोर गांव में सब मिलकर के अनुमोदन करिन कि ए राउत पारा के हे, यादव हे, काबर कि मोर जमीन नइ रिहिस हे, मोर रिकॉर्ड नइ हे तो अइसे व्यक्ति मन के जाति प्रमाण पत्र नइ बनए, आपके अधिकारी मन सुनत हे, इहां से एक ठन पत्र जारी हो कि काखरो कोई मिसल, जमीन जायदाद नइ हे, ओ जंगल, गांव में रहिथे ता ओला आम सभा से अनुमोदन करए अउ ओखरे आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनाये अगर कोई तहसीलदार, एस.डी.एम. ओकर बावजूद नहीं बनाथे तो ओला दण्ड दिया जाये। ए इहां से साफ-साफ जारी होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं एक ठन खाद अउ बीज के विषय में कहना चाहत हौं। हम देखे हन जेन खाद ला हमन 250 रूपये में लेवन ओला किसान मन 1200 रूपये में जाकर खरीदे हे।

श्री आशाराम नेताम :- रामकुमार तोर करा खेत नइ हे तो तोला खातू से का मतलब हे।

श्री रामकुमार यादव :- आशाराम जी, अब अइसे हे मैं तो अडानी अंबानी के घलोक बात करथौं, मोर करा कंपनी नइ हे ता नहीं करहूँ।

सभापति महोदय :- आप अपनी बात खत्म करिये। मैं आपको समय दे रहा हूँ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपन बात ला खत्म करत हौं। खाद, हम सब ला ए बात के चिंतन करना चाहिए कि किसान आथे-जाथे, सरकार आथे-जाथे, लेकिन आज हम सब ला सोच के लिए, चिंतन करे के लिए बइठे हन। हम सब मिलजुल के ए बात के चिंतन

करबो कि सही में किसान ला किसी प्रकार के खाद बीज के तकलीफ नइ होना चाहिए। हम बीज के ला देखथन। हमन बीज ला बोथन अउ ओ बीज जागबे नइ करए, फौंरा जाए रहिथे अब ओ गरीब आदमी कहां जाये, ओ हा अपन आवेदन कोन ला देवए, ए बात के हमन ला कड़ी करना चाहिए कि अगर कोई आदमी गलत बीज देवत हे तो ओखर प्रावधान होना चाहिए, ओला जेल भेजना चाहिए अउ ओकर पूरा प्रमाण पत्र निरस्त करना चाहिए। अइसे कठोर कानून बनना चाहिए। बीज में तो लाखों के पइसा कमाथे। हमर किसान वहींच के वहींच पड़े हे। मोर क्षेत्र के कुछ मांग कर देथंव ओकर बाद अपन बात ला समाप्त करहूं। आप मण्डी में बहुत पइसा देथौ, आप मन महूं ला जरूर कुछ दे रहेव। लेकिन ए ऊंट के मुंह में जीरा के बरोबर हे। चन्द्रपुर क्षेत्र अइसे हे कि उहां मण्डी ज्यादा हे हमर क्षेत्र के किसान मन ज्यादा खेती करथे। उहां से टैक्स भी ज्यादा बनथे, लेकिन जब पइसा दे के बारी आथे तो चन्द्रपुर ला ही क्यों, आपसे मोर निवेदन हे कि आप बड़े दिल करके छाप में मत जईहां, कहां पर जरूरत हे, चूंकि अगर भूखा पेट ला खान दिहा तो ओ हा धन्यवाद् दिही । अगर आप रोड के ऊपर रोड बनाहौ तो ओ मे धन्यवाद नहीं देवए। मोर क्षेत्र चिखला हे, उहां किसान मन चिखला में धान बेचे बर जाथे। अगर उहां रोड बनही ता आप ला धन्यवाद् दिही एखर खातिर थोड़ा पइसा ज्यादा दे दिहा। खुद मोर जमगहन गांव हे, जे गांव में में जनम ले हाववं, साहब मोरो तो थोड़ा मान सम्मान बढ़ा दिहा। ओ गांव में छात्रावास नइ हे। कम से कम आज विधायक हन, कल का रहिबो, परसों का होबो ए ला कोन जानत हे। कम से कम याद तो रखही कि राम कुमार यादव गरीब आदमी विधायक बनिस तो अपन गांव में एक ठन छात्रावास खोले रिहिस हे। अतका कन तो बनथे। जे गांव में मेहा जनम ले हौं। मोर इहां एक ठन छात्रावास के मांग करथौं। आप मोला बोले के मौका देव, एखर बर आप ला बहुत-बहुत धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- आपने गांव का नाम भी नहीं बताया।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, मोर गांव के नाम जमगहन हे। बिना मात्रा के गांव हे। आज तक मोर गांव में मात्रा नइ हे। मोर ददा के अइसे नाव के आज तक धरती में नइ हे।

श्री रामविचार नेताम :- बाकी तो ठीक है। लेकिन महिला बाल विकास विभाग के योजना के फायदा कब लेबे तें?

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय जी मोला बोल दिही तिही दिन ले लिहौं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप ओकर डेढ़हा रहहू चाचा ।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-13 कृषि, मांग संख्या-14 पशुपालन, मांग संख्या-16 मछलीपालन, मांग संख्या-33 आदिमजाति, मांग संख्या-41 अनुसूचित जनजाति पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

सभापति महोदय, आप आसंदी में बइठथौ तो बोले के नजरिया ला बदले ला पड़थे । जो अध्यक्ष की गरिमा है । धार्मिक विचारधारा के दृष्टिकोण से देखा जाये तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में

एक कलयुग का वर्णन लिखे हुए हैं । कलयुग के वर्णन में राजा कैसे होगा, प्रजा कैसे होगी, उस कलयुग में हजारों साल पहले लिखा हुआ अगर अभी देखने का अवसर मिलता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी की याद जरूर आते हैं । उन्होंने कलयुग में अधिकारी कैसे होंगे, कर्मचारी कैसे होंगे, नेता कैसे होंगे, किसान कैसे होगा, किस स्वरूप में होगा, उस युग का प्रभाव अब दिखने लगा है । इसी प्रकार हमारे लक्ष्मण मस्तुरिया भी शानदार गीत लिखकर चले गए । वे राजकुमार कॉलेज में प्रोफेसर थे । मैं दो उदाहरण देते हुए अपनी बात रखूंगा । एक तो मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कहा कि उन्होंने कलयुग का वर्णन किया । दूसरा, आंखी बीच लहू के बिजली, उन्होंने व्यंग्य लिखा था -

"आंखी बीच लहू के बिजली, अउ आंखी बर जाही रे ।
सच बात कहि दूहूं तो ये सदन जर जाही रे ।
लबरा धरे ईमान के झंडा, कोलिहा बाघ के भेस मा ।
गदहा कतको रंग, रंग ले, का कपिला बन जाही रे ।
सच बात कहि दूहूं तो ये बस्ती जर जाहि रे ।

मैं तो विपक्ष में हूं तो मैं बोलूंगा ही । आप पिछले समय बोलते थे कि आप कटु वचन बोलते हो, पर यह कटु वचन नहीं है, ये व्यंग्य है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह रखा है, मेरे बोलने से नहीं होगा । जो कलयुग में राजा होंगे, प्रजा होंगे, किसान होंगे ।

सभापति महोदय :- आप बोलिए न, उधर से तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। आप उधर बाडी लेंग्वेज में मत जाईए । वहां से कोई कुछ नहीं बोल रहा है, आप अपनी बात बोलिए ।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, जहां तक मैं सोचता हूं कि कृषि विभाग बहुत लंबा विभाग है, छोटी-छोटी बहुत सारी योजनाएं हैं । अगर मैं मंत्री जी से पूछूंगा कि आपके तीन साल का कार्यकाल बचा हुआ है, कृषि विभाग की योजनाओं का नाम बता देंगे तो यह संभव नहीं है, वे मौखिक रूप से नहीं बता पाएंगे । क्योंकि बहुत जटिल योजना है चाहे उद्यानिकी में हो, चाहे कृषि में हो, चाहे आदिमजाति विभाग का हो, चाहे मछली पालन विभाग की बात हो, बहुत छोटी-छोटी योजनाएं हैं । अगर उस योजना तक पहुंचना है तो एक महान विचारक कहता है कि आपको सबसे पहले अगर अपने विभाग को अच्छा चलाना होगा, अगर कहीं आमूलचूल परिवर्तन करना होगा तो आपको सबसे पहले सम्पर्क करना पड़ेगा । अगर आपका सम्पर्क है तो साथ-साथ में आपको संवाद करना पड़ेगा । अगर संवाद कर लेते हो तो आपको सामंजस्य बनाना पड़ेगा । अगर सामंजस्य कर लेते हो तो आपको कम से कम समन्वय बनाना पड़ेगा । इस परिभाषा को आपको जीवन में उतारना पड़ेगा । उसके बाद सकारात्मक सोच के साथ आपको विभाग को चलाना पड़ेगा । यह सूत्र है, बिना सूत्र के विभाग को धरातल पर आप अच्छे आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकते । मैं आपको 5 सूत्र दे रहा हूं । आखिरी में हमको सकारात्मक सोचकर चलना पड़ेगा । जिस गद्दी पर आप बैठे हैं और आप तो बहुत वरिष्ठ हैं । आपको अनुभव बहुत

अच्छा है, पॉजीटिव सोच है, नो डाऊट, हमारे सभापति महोदय ने आपकी तारीफ की है, मैं भी मानता हूं, आपकी तारीफ मैं भी कर सकता हूं और करूंगा और तारीख करता भी हूं । लेकिन जब तक आप सूत्र से नहीं चलेंगे तब तक आपको अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। मैं इसका कुछ खुलासा भी करूंगा। सच के बात बोल देहूं तो ये बस्ती जर जाही रे। मैं आपको सदन में सच बताने की कोशिश भी करूंगा। क्योंकि विपक्ष आईना है। यदि मैं आपकी जगह होता तो हर चीज में चर्चा कराने की कोशिश करता, लेकिन आप लोग तो अग्राह्य कर देते हो। निश्चित रूप से आप चर्चा कराते तो छोटी-छोटी चीजों का अनुभव प्राप्त होता। अगर एक गिलास में पानी है और वह आधा भरा हुआ है। अगर हम किसी से पूछते तो कोई कह सकता है कि आधा भरा हुआ या आधा बचा हुआ है। यह सोचने का तरीका है। यह तो बोलने का तरीका है कि आप अपने विभाग को किस ढंग से चलाना चाहते हैं, यह आपके ऊपर है।

सभापति महोदय, मैं कुछ बात रखना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में अनुसूचति जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लोग विरासत से जीवन यापन कर रहे हैं। उनकी अलग-अलग संस्कृति और अलग-अलग परम्पराएं अलग-अलग रीति-रिवाज प्रचलित है, जिसका दायित्व आपके हाथों में है। अगर किसी पिता के यहां जवान शादी योग्य बेटी है हम उनको चुनने के लिए 3 वर देते हैं, जिसमें एक खेती-किसानी करने वाला, दूसरा बिजनेस करने वाला तीसरा नौकरी करने वाला, भले ही वह चपरासी का नौकरी क्यों न करता हो। यदि आप उस शादी योग्य बेटी को पूछो कि बेटी आप किसके साथ शादी करना चाहते हो, यदि आप बेटी के बाप को पूछो कि आप अपनी बेटी के लिए किसे वर बनाना चाहोगे ? अगर बेटी बोल देगी कि मैं किसान के घर जाऊंगी। जब तक बेटी और बेटी का बाप किसान को बेटी देना प्रारंभ कर देंगे, यदि एक बार में कह दे कि इस किसान को वर बना लूंगी या उनके साथ शादी करने के लिए तैयार हूं तो यह संभव नहीं है। भले ही आप कोशिश कर रहे हो, आप विभाग चला रहे हो, बजट लाने का प्रयास कर रहे हो, परन्तु संभव नहीं है। मैं तब सफल मानूंगा जब किसान को नाखून काटने के लिए समय मिले, किसान को समय पर दाढ़ी बनाने के लिए समय मिले। आज आप उनकी हालत को जाकर देखिये। अगर सरकार उनका धान खरीदना एक बार बंद कर दे तो उनकी क्या स्थिति होगी ? आप जब तक आमूलचूल परिवर्तन करके उनकी दिशा नहीं बदलेंगे, तब तक यह संभव नहीं है।

सभापति महोदय, चूंकि यह कृषि का बजट है। आपके पास अनुसूचित जनजाति विभाग का प्रभार है, पशुपालन विभाग का प्रभार है। इसलिए मेरा बोलने का एक प्रयास है। सभापति महोदय, एक दारू बनाने वाले के बंगले को देखिये, यदि हम दारू नहीं पीयेंगे तो भी हम जी सकते हैं। आप दारू बनाने वाले के बंगले को जाकर देखो और उस बंगल में रहने वालों की सुविधाओं को देखो। एक गुड़ाखू बनाने वाले के बंगले को देखो, हम गुड़ाखू नहीं करेंगे तो भी हमारा जीवन-यापन चल सकता है, परन्तु गुड़ाखू बनाने वाले के घर की रौनक को देखो। एक मोटर सायकल चलाने वाले के घर को देखो, यदि हम मोटर सायकल नहीं चलायेंगे तो भी हम अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन आप उनके

घर को जाकर देखो, जिसके बगैर हमारा जीवन सप्ताह भर जी जाये तो बहुत बड़ी बात है, जो अन्न पैदा करने वाला है, बिना उसके हमारा जीवन समाप्त हो जायेगा, जो हमारा जीवन चलाने वाले अन्नदाता हैं, उनके घर को जाकर देखो, उनके रहन-सहन को देखो कि कितना अंतर है ? इस जिम्मेदारी को कैसे निभाना है ? मैं तो पैदायशी गौटिया के घर पैदा हुआ हूं। मेरे पिता जी परम्परागत धान की खेती करते थे। आज भी छत्तीसगढ़ में जगदलपुर या अन्य जगह में देखोगे तो गुजराती भाई लोग हाईटेक किसानी करते हैं। उन लोग ढूंढते हैं कहीं भी 50 एकड़ जमीन, 200 एकड़ जमीन कहां है, वह खरीद लेंगे। और एक 200 एकड़ वाले घर में पैदा होने वाले जो गौटिया परिवार के बच्चे हैं, अच्छे किसान मण्डल गौटिया के बेटे का पूरा जीवन गुजर जाता है। वह 50 एकड़ जमीन खरीद पाये तो बहुत बड़ी बात है। तो हम लोगों ने सोचा कि यह गुजराती भाई 5 एकड़ में अच्छी फसल करता है और 200 एकड़ 150 एकड़ जमीन की बात करते हैं, तो हम लोग थोड़ा विचार किए, क्यों न इसी के रास्ते पर हम लोगों को करना चाहिए। हमने उस रास्ते को अपनाने का प्रयास किया। हमने पिताजी को कहा कि पिताजी हम लोग भी हाई-टेक किसानी करेंगे। वाह, कैसे कर लोगे? उन लोग पढ़ लिखकर आए हैं, उन लोगों को सबका ज्ञान है और हम 18,000, 20,000 से 25,000 खेती करने वाले को तुम 1.5 लाख, 2 लाख रुपए के खर्चे की बात करते हो। अगर हम शिमला मिर्च की खेती करेंगे तो हमको एक एकड़ में 1.5 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा। अगर हम थोड़ी सी भी टमाटर की खेती करेंगे तो 1.5 से पौने दो लाख रुपए उसका इन्वेस्टमेंट है। तुम 15,000-20,000 रुपए खर्चा करने वाले, सीधा-सीधा तुम इसमें उतरना चाहते हो, कैसे बनेगा? उनका भी सोचना ठीक था। तो हमने कहा पिताजी एक बार मौका तो दो, आशीर्वाद तो दो। जहां चाह है, वहां राह है। कोशिश करेंगे गुजराती भाई के घर में जाकर उनको देखेंगे कि क्या होगा करके। सभापति जी, तो बहुत मेहनत लगा, नो डाउट। हम लोग चंदा इकट्ठा करते थे। एक डिसीस पर एक इजराइल से साइंटिस्ट बुलाते थे और 1 लाख रुपया का हम लोग बेबीलोन होटल में उसको किराए में लेते थे, कुछ हमारे हमारे वर्ग के लोग, मतलब उसमें गुजराती भाई कुछ लोग शामिल होते थे, पर हम लोग अपने किसान जैसे हम लोग लोधी, तेली, कुर्मी ऐसे लोग इकट्ठा करके साइंटिस्ट को बुलाते थे और एक-एक डिसीस पर हम लोग उस पर विश्लेषण करते कि सर ये हमको कौन-कौन से ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है, जिससे हम 1.5 लाख रुपया खर्चा करने पर हम वापसी कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को समझना पड़ेगा। आपको पी.एच. को समझना पड़ेगा। आपको मौसम के temperature को समझना पड़ेगा। ये तीन-चार चीजों को आप समझ जाओगे और खाद मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा। आप जब इन चीजों को समझ जाओगे तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका दो साल में रौनक नहीं बदलेगा तो हम यहां इजराइल से आना छोड़ देंगे। वे इंग्लिश में बात करते थे, हम लोग उसको कन्वर्ट करते थे साहब जी। तो इस चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। आज हमारे पास कृषि महाविद्यालय है। कृषि महाविद्यालय का रंग ढंग देखोगे तो अब बेचारे कुछ सरकारी

तंत्र सरकारी नियमावली में फंसे रहते हैं। हमारे भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, पर मैं चाहता हूं कि और कुछ आमूलचूल बहुत अच्छे से और सिस्टम को वहां किया जा सकता है। आप किसी प्राइवेट फार्म को जाकर देखिए और आपके गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर के जो फार्म हैं, जो आपके डिपार्टमेंट का है, उसमें बहुत अंतर है। सभापति महोदय, मुझे कृषि मंत्री से बहुत उम्मीद है और बहुत पॉजिटिविटी के आदमी हैं नो डाउट। आप तारीफ कर रहे थे, हम भी तारीफ करते हैं, पर मैंने कहा कि आप कुछ संपर्क नहीं करोगे, आप संपर्क के साथ अच्छे लोगों के साथ में संवाद नहीं करोगे । चूंकि मैं तो विपक्ष का आदमी हूं, मैं तो कांग्रेस का हूं, मैं तो बुलाया था कि आप शादी में आइएगा साहब, तो निश्चित रूप से देखना और मेरे नहीं, जितने भी मेरे विधान सभा में हैं, उनके घर में जाकर देखिए, उनके घर में रहन-सहन देखिए और किस ढंग से जीवन में हमारे लोगों में परिवर्तन आया है। एक नहीं कई उदाहरण दूंगा, साहब। मेरे कहने का मतलब है कि आप एक अच्छी सोच के हैं, आप किस ढंग से कृषि विभाग को आपका दो साल तीन साल निकल गए हैं, आप मेहनत भी करते हैं, साहब जी। हाई-टेक किसान और एक थोड़ा सा अच्छा विचारधारा के किसान जो अच्छा काम करना चाहते हैं, वे अन्य बैंक से जुड़े हुए हैं। स्टेट बैंक से, देना बैंक से, A.I.C.C.C. बैंक से और अन्य बैंक से। आपके छोटे तबके के किसान हैं, वे सहकारिता बैंक से जुड़े हुए हैं। आप सिर्फ खाद उन्हीं को देते हो। सहकारी समिति में जो शेयर होल्डर हैं, उन्हीं को आप खाद देते हैं। बाकी किसान क्या करेंगे? मेरे जैसे किसान क्या करेंगे साहब? मुझे व्यापारी के पास जाना पड़ता है। वे जिस रेट पर बेचें, उस रेट में हमको खरीदना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे किसान हैं, जो हाई-टेक के रूप में भी हैं, अच्छी खेती करने वाले जो किसान हैं, अच्छी पैदावार करने वाले किसान सोसाइटी से हटके तो उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है। सभापति महोदय, तो क्या उनके लिए खाद का व्यवस्था है? आपके भारत सरकार ने F.P.O. तैयार किया मतलब आपका ही गाइडलाइन है कि F.P.O. को तैयार करोगे तो निश्चित रूप से एक क्लस्टर पर खेती करोगे , उस क्लस्टर को हम बहुत महत्व भी देंगे और उस फसल का उत्पादन को अच्छा दाम भी मिलेगा। उसको चाहे जहां बेचना चाहते है। उसका नियमावली बहुत है। इतना मोटा रामायण जैसे उसका नियमावली है, सभापति महोदय।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- खत्म कर दीजिये। बहुत लंबी चर्चा हो गई है।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, मुझे आदेश है। वह मेरे बड़े भैया जी हैं, इसलिए मुझे उनका आदेश का पालन करना पड़ेगा। लेकिन मैं आखिरी में एक चीज बोलूँगा। मैं तो बहुत तैयारी करके आया था कि बजट के विरूद्ध आपने कितने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाया है? आपने कितनी सारी चीजों को लैप्स कर दिया है? चूँकि अब मुझे आदेश का पालन करना पड़ेगा, परंतु मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि पिछले कांग्रेस शासनकाल में मैंने आदरणीय भूपेश बघेल जी को कहा था कि मुझे प्लांट एनालिसिस के लैब की जरूरत है। उस समय उसको बजट में शामिल भी किया गया था, उसका भवन भी बन गया। जैसे ही उसका भवन बना, फिर सरकार हमारी चली गई। आपने इसी सभा में कहा था कि हम परीक्षण

करवायेंगे। हमने आपको पत्र भी लिखा, तब आपने डिपार्टमेंट को पत्र लिखा है कि इनको परीक्षण करने के बाद इसकी स्वीकृति दी जाये। ज्यादा कुछ नहीं है। आप बजट में तो नहीं ला पाए हैं, इसलिए कम से कम आप मंडी बोर्ड को निर्देशित करिये। आपका विभाग तैयार भी है, लेकिन कुछ दो चार इंस्ट्रूमेंट है, उसको आपका डिपार्टमेंट कैसे खरीदेगा? भवन बना हुआ है, उस भवन के लिए सिर्फ दो-ढाई करोड़ रुपये की आवश्यकता है। उस भवन का उपयोग भी हो जाएगा। चूँकि जब तक प्लांट एनालिसिस के लैब में इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा..।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति जी, माननीय दलेश्वर जी के यहाँ शादी का निमंत्रण हम सबको प्राप्त हुआ था। अब किन्हीं कारणवश हम लोग शादी में नहीं जा पाए थे, लेकिन उस रास्ते में जब भी मेरा उधर जाना हुआ है। जब मैं माता जी का दर्शन करने जाऊँगा, तब मैं जरूर आपके भी यहाँ आऊँगा। आप जो फार्म बता रहे हैं, मैं उसका भी विजिट करूँगा। आप जिस स्थान के बारे में चिंता व्यक्त कर रहे हैं, मैं वहाँ भी जाऊंगा और सुनिश्चित करूंगा। आपकी जो भावना है, वह आम किसानों की भावना है, उससे जुड़ी हुई है। इसलिए निश्चित ही हम लोग उसको मंजिल तक पहुँचाएँगे।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय मंत्री जी, आपने इतना कह दिया। इसलिए मैं हृदय से आपका आभार करूँगा। भवन बनने के बाद अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा है। चूंकि पिछले सदन में आपने बोला भी था और आपने डिपार्टमेंट को पत्र भी लिखा था। इसलिए उम्मीद के साथ इतना कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। लेकिन आपने सभा में जो आश्वासन दिया है, उसका निश्चित रूप से पालन होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, इन्हीं भावनाओं के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार मानते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- वैसे आज आपका भाषण बहुत ही शानदार था। (मेजों की थपथपाहट) माननीय मंत्री जी।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, मेरा भी एक विषय था। मैं जिस समाज या समुदाय से आता हूँ। इसलिए कम से कम मछली पालन विभाग में मुझे बोलने दीजिए।

सभापति महोदय :- अब दो मिनट आप भी बोल लीजिए। लेकिन अब थोड़ा शॉर्ट में बोलिएगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। 6 घंटा हो गये हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जी-जी। आप सब एक-एक घंटा बोले हैं तो कम से कम मैं 5 मिनट तो बोलूंगा ही।

सभापति महोदय :- हाँ। शॉर्ट मतलब क्या? खड़े होकर बैठ के थोड़ी जायेंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, इसके बाद समाप्त किया जाना चाहिए। बहुत हो गया है।

सभापति महोदय :- इसके बाद मंत्री जी का जवाब आ जाये।

डॉ. चरणदास महंत :- उसके बाद आज की सभा समाप्त कर दिया जाये तो ठीक रहेगा क्योंकि कोई भी बैठने को तैयार नहीं हैं।

सभापति महोदय :- जी। मंत्री जी, एक मिनट। 5 मिनट में उनका भाषण हो जाए।

श्री रामविचार नेताम :- जी।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) : माननीय सभापति महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी के विभागों से संबंधित अनुदान मांग संख्या 13, 14, 16, 33, 41, 42, 54, 68, 82 एवं 83 का विरोध करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। लेकिन हम देखते हैं कि आज भी किसानों की स्थिति जस की तस है। चाहे मत्स्य कृषक को कहें या फिर धान उपजाने वाले हमारे अन्नदाता को कहें। मैं मूलतः उस परिवार, उस समाज से आता हूँ, जहाँ संघर्ष के बाद एक परिवार का संचालन होता है। निकल जाते हैं हम लोग डहारक, बोरम, बाड़ी खवैया। माननीय सभापति महोदय, हम लोग ऐसे समुदाय और ऐसे समाज से आते हैं, जो रिस्क लेते हैं। डहारक के बोरा म बाढ़ी खवइया अन । नदिया म तरिया में नइ जानन कि कतका गहरा रहिथे । फिर भी विश्वास के साथ जाली धर के जाथन, परिवार बर जीविका के संचालन के उद्येश्य लेके जाथन। पूर्व के सरकार म मछली पालन ला कृषि के दर्जा मिलिस । एखर बर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ला बहुत-बहुत धन्यवाद । मछली नीति घलो बनिस, कोनो भी चीज बनाबे ता सब्बो बराबर बन जाय अइसे नइ हे । मैं कृषि मंत्री जी से आग्रह करहूँ कि जेन मछली पालन नीति बने हे वोमा अइसे लगथे कि परिवर्तन करे जाय त जरूर विचार करहू। मछुआरा समाज जेन व्यवसाय करथे, जेन धंधा करथे, जेन उपज करथे, मछरी के उत्पादन तो हो जाथे, लेकिन वोला बेचे बर पर्याप्त बाजार के व्यवस्था नइ ए । न कोल्ड स्टोरेज हे, न कोई संसाधन हे, न पर्याप्त बाजार मिलय । जेन मछुआरा मन मार्केट बनाय हे, तेने भर हे । शासन के कोनो प्रकार के सुविधा नइ मि पाय । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ले निवेदन करहूँ कि जिला में जहां-जहां मछली के प्रमुख रूप से व्यापार होथे, जहां बड़े-बड़े मार्केट हे, वहां कम से कम कोल्ड स्टोरेज के व्यवस्था करे जाय ताकि मछुआरा समाज ला वोखर लाभ मिल सकय । सभापति महोदय, एक बड़े बात कहना चाहूँ कि जेन राज्य अलंकरन मछली के व्यवसाय करइया मन ला मिलथे । वो राज्य अलंकरन व्यापारी मन ला मिलथे । अइसे नइ हे कि मछली के व्यवसाय पर्टिकूलर निषाद समाज ही करथे, बहुत अकन समाज एमा आगे आ गे हे, लेकिन ये योजना काखर बन बने हे मछुआरा बर । अऊ अलंकरन कोन ला मिलथे, व्यापारी मन ला । ऐमे परिवर्तन होना चाही । जब आदिवासी समाज के बिरसा मुंडा पुरस्कार दे जाथे त काला मिलथे, आदिवासी समाज ला मिलथे । गुरू घासीदास जी सम्मान मिलथे त वोखर समाज ला मिलथे, लेकिन यही जो व्यवसाय है तेखर पुरस्कार कोनो व्यापारी ला मिलथे, ठीक हे व्यापार करय हम वोखर विरोध नइ करथन । मत्स्य पालन हमर पुरखौती धंधा ए तव वो समाज

ला घलो बढ़ावा मिले, छोटे-छोटे पोखर में धंधा करथे, अब तो कुछ किसान मन बड़े होगे हे । सजोर होगे हे, कहीं तरिया में अऊ कहीं बांध म व्यवसाय करथे । वोमन ला प्रोत्साहन करे बर, वोमन ला बढ़ाय बर राज्य अलंकरण पुरस्कार मिलथे वोहा मछुआरा समाज ला मिलही त निश्चित ही वोमन प्रोत्साहित होही । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करहूँ कि अगर पुरस्कार के राशि दिये जाये त वोहा मछुआरा समाज के भाई-बहिन मन ला मिले, जेन मछुआरा समाज के नेतृत्व करथे । साथ ही मत्स्य बीज संचयन के बात भी होवत रहिसे । मैं कहात रेहेंव की जतका भी शासन के योजना के समान है, जैसे बरफ हे, आईस बॉक्स हे, साइकिल मिलथे, मोटर साइकिल मिलथे, फोर व्हीलर मिलथे, जाल मिलथे, लेकिन अभी बहुत अकन अइसे सोसायटी हे, जेन मन मछुआरा के नाम से पंजीयन कराथे अऊ दूसर मन ला लाभ मिलथे । जौन लाभ मिलना चाही वह नइ मिलय । वोला चिन्हांकित करे के जरूरत हे ताकि वोखर लाभ मछुआरा समाज के भाई-बहिनी मन ला मिल सके । समाज ला जेन मछुआ आवास योजना मिलथे, तेन हा अभी धरातल में देखथन कुछ मन ला जानकारी हे तेखर सती ले पाथे, एखर हमन पूरा प्रदेश में जनजागरूकता के माध्यम से अभियान चलान ताकि मछुआरा समाज के जतका...।

सभापति महोदय :- थोड़ा जल्दी निपटाईये ना ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, छोटे-छोटे बात हे, अभी जेन बड़े-बड़े डेम के बात होइस हे, अभी बांगो डेम के बारे में माननीय सदस्य तुलेश्वर जी ह बोलिस हे, मैं ए चाहथंव कि एक्वा पार्क के जो स्थापना होत हे, वो जतका विस्थापित हे, वोमन ला कम से कम लाभ मिलय, वामन ला रोजगार मिलय, आपके माध्यम से निवेदन करहूँ । मत्स्य वानिकी महाविद्यालय में मछुआरा समाज के बच्चा मन ला 5 प्रतिशत आरक्षण मिलथे, वोमा सीट ला बढ़ा देहू काबर कि हमर समाज के लइका मन बहुत पढ़े लिखे हे अऊ बहुत मन पढ़ना भी चाहथे । आरक्षन के जो सीमा हे, जेन 5 प्रतिशत हे, वोला कम से कम 20 प्रतिशत कर दुहू ताकि लोग लइका मन जाके जीविकापार्जन बर पढ़ाई के व्यवस्था कर सकय । उद्यानिकी महाविद्यालय जेन मोर क्षेत्र म हे भवन बन गे हे, सबो हो गे हे, भूमि पूजन नइ हो पाय हे, आप बोले हव कि एखर बाद करहूँ, लेकिन ओखर बाऊंड्री वॉल नइ ए, अब हमन कालेज ला चालू कर देहन, चलथे लेकिन बिना बाऊंड्री वॉल के संभव नइ ए कि अच्छा से हो सकय । लोकार्पन में जरूर एक व्यवस्था कर दुहू । माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे दू मिनट लुहूं, मछुआरा समाज के जेन विसंगति हे, जेन आदिम जाति कल्याण विभाग के अनुसंधान केंद्र से होथे, एक बात लगातार बार-बार हमन वही बात ला करथन, चाहे ओला अशासकीय संकल्प के माध्यम से या आपके अनुसंधान केंद्र के माध्यम से लगातार हमर समाज के जनप्रतिनिधि मन जा के मिलथे, जेन आरक्षण मछुआरा समाज ला माझी के अंतर्गत, अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में रखे के बात लगातार आपके बीच भी आए हे। हमन लगातार कहात हन कि समाज और संविधान में 1950 में एक व्यवस्था मिले रिहिस।

सभापति महोदय :- आप समाप्त करिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, बस मैं वही बात ल बता भर देना चाहत हौं कि जेन आरक्षण के व्यवस्था के संबंध में शासन से लगातार हमन बात करथन लेकिन विधानसभा में, लोकसभा में ये बात रखथे कि हमन ओ व्यवस्था में रहेन। लेकिन कैसे और कौन कारण से वो परिधि से बाहर होइन? हमला कम से कम वो समाज जेन आरक्षण के लगातार बात करथे तो आरक्षण के जेन सुविधा है अनुसूचित जनजाति ओकर लाभ मिले । माननीय सभापति महोदय, अब ओ लक्षण के बात करही, अब कते लक्षण दिखही? अब कोनो आदिवासी ला अब कबे पाना ला बांध के, पतई बांध के ते आबे तब तोला आदिवासी मानबो, त अइसे हो नई सकय। अब तो सब पढ़-लिख ले है, जींस पहिनत हे, टी-शर्ट पहिनत हे, सबो पहिनत हे। अब ओ लक्षण के बात कही तो टीआरआई विभाग ला भेज दे और जेन मन ए अनुसूचित जनजाति के बारे में जेन मन दुनिया भर के बात लगा के तामझाम लगा के जेन मन काखरो अधिकार ला रोके के काम करथे ओकर खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए जेन लक्षण के बात करथे। मैं तो अतका कहूं कि जेन पूरा प्रदेश में अतका समाज, अतका संख्या में लगभग 25,000 मछुआरा समाज हे, जेन मन केवल सरकार के फैसला के बाट जोहत हे। हमन बात लगातार केंद्रीय स्तर पे भी रखथन, राज्य स्तर पे भी रखथन तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूं कि जेन आरक्षण के लाभ हे, जेन निषाद समाज, मछुआरा समाज ला मिलना चाहिए, केंवट, कहार, धीवर, कल्लाह, मल्लाह, एमन जेन मांग करथे, कम से कम ओकर अधिकार पूर्वक ओला अनुसूचित जनजाति के जेन पहिली रिहिस हे, हमन ए शामिल करे के बात नई कहत हन, जेन अधिकार रिहिस हे वो अधिकार ओला मिलना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूं। माननीय सभापति महोदय, मोला बोले के समय दे हो तेखर बर बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- सभापति महोदय, धन्यवाद। आज कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन विभाग, साथ ही साथ आदिम जाति कल्याण विभाग, अनुसूचित जनजाति विभाग से संबंधित इस मांग के संबंध में आज माननीय सदस्यों के द्वारा और आपके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए और जहां जरूरत हुई वहां लोगों ने आईना भी दिखाया।

सभापति महोदय, हमारे पक्ष के वरिष्ठ नेता और इस सदन के सबसे वरिष्ठ नेता माननीय पुन्नूलाल मोहले जी, ब्यास कश्यप जी, आदरणीय द्वारिकाधीश जी बीच-बीच में कुछ सुझाव दिए, आदरणीय मोतीलाल साहू जी और बड़े संघर्षशील और हमारे बस्तर के वरिष्ठ नेता हम टाइगर कहते हैं, माननीय कवासी लखमा जी, आदरणीय लता उसेंडी जी, अंबिका मरकाम जी, आदरणीय भावना बोहरा जी, श्रीमती सावित्री मंडावी जी, आदरणीय सभापति जी आप स्वयं, श्री जनक ध्रुव जी, श्री रोहित साहू जी ने भी आपके ही समर्थन में खड़े हो गए, श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम जी, आप इसी तरह से बोलते रहिये कहां चले गए, श्रीमती रायमुनी भगत जी, ललित चंद्राकर जी, सभापति तालिका में वरिष्ठ हमारे

आदरणीय धरमलाल कौशिक जी, रामकुमार यादव जी, कभी भी कोई भी बोले आपका नाम तो हर डिबेट में शामिल हो ही जाता है। (हंसी) आप तो स्थाई हैं ही और हमारे कृषि क्षेत्र में बड़े ही विद्वान सदस्य, जिनकी बात हम सब सुनना चाहते हैं और आपके अनुभव का लाभ इस प्रदेश को मिलता रहे, ऐसी अपेक्षा भी रहती है। आदरणीय दलेश्वर जी स्वयं एक बहुत प्रगतिशील किसान हैं। जिन्होंने अपनी क्षमता, विवेक के आधार पर कृषि को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मेरी भी दिली इच्छा है कि मैं वहां तक जाऊं।

श्री दलेश्वर साहू :- आदरणीय मंत्री जी, आपका स्वागत रहेगा।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय कुंवर सिंह निषाद जी और सभी माननीय सदस्यों ने बड़े सारगर्भित तरीके से अपने विषय को रखा और विषय के साथ-साथ उनकी अपनी दिनचर्या और उनका एक लंबा अनुभव है क्योंकि अंततः हम लोग तो किसान के बेटे व बेटियां हैं। हम वहीं से चलकर आए हैं। आज जिस प्रकार से खेती-किसानी में जो प्रगति हुई है वह आज से 25-30 साल पहले मैदानी क्षेत्रों में तो कल्पना मात्र थी। आज से 25-30-40 साल पहले गांव में किसान और खासकर जो ट्राइबल क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में बस्तर और सरगुजा वाले जो धान पैदा करते थे, उस धान को पैदा करके वह इसलिए रखते थे कि जो आपके यहां और हमारे यहां अच्छे मेहमान आते थे, उनको खिलाने के लिए। अब परिवर्तन हुआ है और इस समय बहुत सारी प्रगति हुई है। तब हमारा छत्तीसगढ़ खेती-किसानी में इतना प्रगतिशील नहीं था, लेकिन यहां के मेहनतकश किसान, मजदूर, नौजवान, आम जनों की मेहनत व परिश्रम से जिस प्रकार से देश के बाकी प्रगतिशील प्रदेश हैं, उनसे हम आज यह कह सकते हैं कि उनसे हम पीछे नहीं हैं बल्कि हम आगे दिखाई देते हैं। एक जमाना ऐसा था कि हम सब्जी आयात करते थे। एक जमाना ऐसा भी था कि हम गेहूं आयात करते थे, दाल आयात करते थे, सब्जियों के साथ-साथ अन्य चीजें भी आयात करते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गयी हैं। यह बदलने का श्रेय अगर किसी को है तो यहां के मेहनतकश किसान भाइयों को है और यह उनकी देन है, आप जैसे और हम सबकी देन है कि आज हम बाकी प्रदेशों में उनकी जो जरूरतें हैं उसको पूरा कर रहे हैं। सब्जी हो गयी, फल की खेती हो गई। फल हमारे यहां से बाहर जा रहे हैं। यहां की सब्जियां बाहर भेज रहे हैं। यहां मछली उत्पादन करके हम दूसरे प्रदेश में भेज रहे हैं। मत्स्य के क्षेत्र में हमारा प्रदेश देश में पांचवें स्थान में आ गया है। हम इतनी बीज का उत्पादन कर रहे हैं कि पांचवें नंबर में आ गये हैं। इसी प्रकार से हम प्रगति करते रहे। आप जैसे लोगों, जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। मोटिवेशन मिलता है तो निश्चित ही हम यह कह सकते हैं कि वहां तक हम पहुंच सकते हैं और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था तो निर्माण के बाद हम लोगों ने इस वर्ष ही रजत जयंती वर्ष मनाया। इस रजत जयंती वर्ष का हमारा यह पहला ही सत्र है और बजट भाषण में हम यहां पर पहुंचे हैं। रजत जयंती वर्ष में छत्तीसगढ़ बनने के बाद हम सबको आशावादी होना चाहिए। हम निराशावादी नहीं है। इसलिए आशा का

द्वीप जलाईये और निराशा से निकलिये। हम लोगों ने जो ऊचाइयां हासिल की है और हम जहां पहुंचं हैं और छत्तीसगढ को जहां पहुंचाया है, उसमें हमारे यहां की सम्माननीय जनता जनार्दन, यहां के किसान भाई और आमजनों का योगदान है। हम सभी जनप्रतिनिधियों का तो योगदान तो है ही, हमारी अग्रणी भूमिका है और अग्रणी भूमिका रहनी भी चाहिए। हम लोगों ने देखा है कि मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद बहुत सारी जो कमियां थीं, उनको इन्हीं 25 सालों में हम लोगों ने पूरा किया है। हम लोगों ने देखा है कि बस्तर हो या सरगुजा अंचल हो, उन क्षेत्रों के लोग दाने-दाने के लिए मोहताज होते थे। यदि थोड़ी भी असमय बारिश हो जाती थी तो खेती प्रभावित होती थी। वहां के लोग मजदूरी पर डिपेंट होते थे। मजदूरी में उन्हें क्या मिलता था ? हम सरगुजा, जशपुर के लोगों को मालूम है कि मजदूरी में हमें एक पैसे की जगह में अनाज मिलता था और जो संपन्न परिवार होता था, वह अनाज देता था। उस अनाज को परिष्कृत करने के बाद उसका उपयोग करते थे, उसको उसकी भाषा में परिष्कृत बोलेंगे। हम लोग गांव देहात की बात करें तो ढेकी, जाता, चक्की से उसे खुद या उस परिवार के लोग परिष्कृत कर लेते थे और उससे उसकी जीविका चलती थी। एक वह जमाना था और एक जमाना आज आ गया कि आज किसी परिवार में कोई ढेकी, चौका, जाता नहीं चलाता। किसी घर की बेटी ब्याह होकर किसी के घर में जाती है और यदि वह गरीब घर की है तो भी उसका स्वाभिमान होता है, यदि उसे 5 किलो गेहूं की पिसाई करना हुआ तो भी वह उसे चक्की में या मिल में भेज देती है। उसको अगर 20 किलो धान को कूट के चावल बनाना हुआ तो वह ढेकी में नहीं करती है, वह बाहर भेजती है। यह बदलता हुई तस्वीर है। यह चेंज आया है। हम कितने आत्मनिर्भर हुए हैं। उस दृश्य से हम देखें।

सभापति महोदय, हम लोगों ने इस विधान सभा का उद्घाटन किया है और इस ऐतिहासिक बेला में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आये थे। उन्होंने विधान सभा को क्या बोला ? उन्होंने विधान सभा को लोकतंत्र का मंदिर कहते हुए विरासत और विकास बोला, उन्होंने इसकी बहुत चिंता की थी। माननीय अध्यक्ष जी ने इस बारे में भी भूमिका डाली कि हमारा प्रदेश कृषि बाहुल्य प्रदेश है। यहां की 70-80 प्रतिशत निर्भरता कृषि पर है। हम उसको आधार बनाकर चल रहे हैं। उसको कभी भी, कोई भी, किसी की भी सरकार बने, इस विधान सभा में जो तस्वीर लगी है, कोई भी स्पीकर बने, इस तस्वीर को कैसे हटा सकता है ? यह तो हमारी आत्मा में बसने वाली है। यहां की खेती किसानी हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है। हम जब नजरें उठाकर देखते हैं तो हमें धान की बाली दिखाई देती है। हम धान से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे छत्तीसगढ़ का मूल भाव खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, उस जड़ से मिला हुआ है। हम वहां से चल रहे हैं। हमारी सरकार की योजना जो भी है, हम कर सकते हैं, मुझे मालूम है। हमारे सामने बैठे हुए प्रतिपक्ष का धर्म होता है कि वह सत्ता पक्ष से सवाल करें। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। हम पक्ष-विपक्ष में जब अपनी बात रखते हैं तो आपस में कितने ही अच्छे दोस्त हो, कितने अच्छे मित्र हो, कितने अच्छे भाई हो लेकिन जब हम विपक्ष में बैठते हैं तो हमें विपक्ष का धर्म निभाना होता है।

अच्छे होकर भी हमें आंखें गुरेरना पड़ती है। कभी-कभी कड़वी बातें भी सुननी पड़ती है और सुननी ही पड़ती है और पक्ष को भी इसे सुनने की क्षमता होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि ये हमारा एक तरह से गहना है। उसको स्वीकारना चाहिए, उस हिसाब से लेना चाहिए। हम कभी उधर आयेंगे तो हम आपको सुनायेंगे। हालांकि ये अभी कभी चांस मिलने वाला नहीं है। जिस तरह से हम चल रहे हैं।

श्री कवासी लखमा :- माननीय मंत्री जी, सभापति जी, आप भी होंगे, मेरे को याद आ रहा है। बाबा और मंत्री जी पकड़ा-पकडी हो रहे थे। हम लोग रोके हैं। वह समय अभी नहीं होगा।

श्री रामविचार नेताम :- नहीं, ये सब आपके समय में हो सकता है। आपके समय का जो नजारा हुआ, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिये अच्छी बात नहीं रही। उसको कोई नहीं अच्छा कह सकता। हम यहां सदस्य सदन में चुनकर आते हैं, पक्ष विपक्ष अपनी जगह है। वह जनता की जिम्मेदारी है कि कौन, किसको कहां बैठाये। हमें प्रदेश की जनता ने यहां इस ओर बैठाया है तो हमारा ये मूल धर्म अलग है। आप वहां बैठे हैं, आपका धर्म है। लेकिन सबकी सोच एक ही इस प्रदेश की बेहतरी करने की, प्रदेश की सेवा करने की है। हम लाखों-लाख लोगों से चुनकर आते हैं, उनके प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी है और जवाबदेही भी है। हम उसको लेकर के चलते हैं। सभापति महोदय, मुझे मालूम है कि हम वो पंछी नहीं जो बारिश के डर से घोसलें ढूढें। आप कुछ भी करिये, कुभ भी धमकाईये, कुछ भी आप अपनी आवाज उठाईये, कुछ भी संकेत दीजिए, उसी से मिला हुआ मैं बोल रहा हूं-

हम वो पंछी नहीं जो बारिश के डर से घोसलें ढूढें

हम वो बाज हैं जो बादलों के ऊपर उड़ना जानते हैं। (मेजों की थपथपाहट)

हम इसी से तय करते हैं। आप उधर में हैं, आप करिये। सभापति महोदय, हम परिस्थितियां अपने अनुकूल करना जानते हैं और हम इसी क्राइसेस में भी, आपने देखा देश में जब पूरी दुनिया तबाह हो रही थी, उस समय क्राइसेस में भी छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने अच्छे भाव से आगे ले गये। सभापति महोदय, हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश जनजातीय प्रदेश है और इस जनजातीय प्रदेश में सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का इस सदन में आना और सदन के पहले इस प्रदेश का गौरव यहां जो हमारे महापुरूषों का ट्राइवल म्यूजियम, संग्रहालय बना, उस संग्रहालय का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों से उद्घाटन भी होता है। इसको दूर तक आप सोचिये। ये संग्रहालय में हमारे देश ही नहीं, बल्कि प्रदेश के जनजातीय समाज ने देश की आजादी की लड़ाईयां लड़ीं, अपने धर्म, संस्कृति के लिये अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उन लोगों को इतिहास में जगह नहीं मिली। आज अगर जगह मिली है तो भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिया है। (मेजों की थपथपाहट) हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी सोच और उस कल्पना को साकार करने का काम किया है तो आदरणीय विष्णु देव के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। उसे हम दे रहे हैं। इसीलिए कह

रहे हैं कि हम विरासत को ठीक करेंगे और हम उस विरासत से सीख लेते हुए हम उस आधार पर विकास भी करेंगे। इसलिए इस बार जो बजट लाया गया है।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, मेरे को एक शायरी याद आ रही है :-

सब कुछ तालियों से पा लिये,

न तुम बहले, न हम बहले,

बताओ किसे बहला लिये।

सभापति महोदय :- ठीक है।

(Ones more की आवाज आने पर)

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, मैं फिर से बोल रहा हूं कि - सब कुछ तालियों से पा लिये, सब कुछ तालियों से पा लिये, न तुम बहले, न हम बहले, बताओ किसे बहला लिये ?

सभापति महोदय :- हो गया, चलिये ।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, ऐसा है भई । ऐसा बोलते हैं कि -

तु इधर-उधर की बात न कर

बता तेरा कारवां किसने लूटा । (वाह-वाह की आवाज)

तो इसलिये आप तो वह देखिये । क्या है, कैसे हैं फिर आगे बढिये ।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय मंत्री जी, दो मिनट । माननीय साथी जनजाति समाज से आते हैं - धुंध भी होगी, कोहरा भी छायेगा, पिछली 5 वर्षीय सरकार में धुंध भी थी और कोहरा भी था । धुंध भी होगी और कोहरा भी छायेगा, सूरज को फिर भी कोई रोक नहीं पायेगा, कोई रोक नहीं पायेगा और यह सुशासन का सूरज है। जो उग गया है, अब छत्तीसगढ़ को हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे, इसके आधार पर हम काम कर रहे हैं ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- उसी सूरज के प्रकाश से आप लोग अफीम की खेती पूरे प्रदेश में छा रहे हैं । (हंसी)

श्री सुशांत शुक्ला :- आपने 5 साल में क्या-क्या खेती की है वह तो मालूम है।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) :- रेडी टू ईट ला काबर दे दे रहेस, तेला बता तो तें हर ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अभी तक एनाउंस करे के बाद दे काबर नइ पाय हा, तेहू ला बता देवा ।

श्री रामकुमार यादव :- तुंहर सूरज के रोशनी हा मूसवा ला खोज नइ पात हे ।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, और किसी को कोई शायरी बोलना हो ।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय सभापति महोदय, मेरा सदस्य से निवेदन है कि बार-बार मूसवा को बहुत याद करते हैं, मैंने कल भी बोला था कि मेरे विधानसभा गांव के बाजू का ही है, आओ तो मिलकर खोजेंगे कि मूसवा कहां है । आप आते ही नहीं हैं, यहीं से मूसवा ।

श्री विक्रम मण्डावी :- आप रामकुमार जी को लेकर जाईये ।

श्रीमती भावना बोहरा :- हां, अभी सदन के बाद लेकर जाउंगी । यहां से मूसवा खोजते हैं ।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, रामकुमार जी मुआवजा वाले मूसवा हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- मैं शायर तो नहीं ।

सभापति महोदय :- बैठिए । देखिये, मंत्री जी के भाषण को डिसकंटीन्यू नहीं करना है, बहुत फ्लो में बोल रहे हैं, बढ़िया है । मंत्री जी ।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, केवल एक । आपके लिये सादर समर्पित है । ईश्क के दरिया में जब आ जायेगा, ईश्क के दरिया में जब आ जायेगा, दिल गमों से खुद उभरता जायेगा और माननीय मंत्री जी के लिये- और तोड़ देगा, यह हदों को एक दिन, बहते पानी को जो रोका जायेगा । (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- चलिये, मंत्री जी ।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ को हमने बनाया और हम ही संवारेंगे । यह भाव आज पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में और जनता के मन में है और इसीलिये आज हमें इस पक्ष में बैठाया है, प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिये और इसलिये आप देख लीजिये कि जितने भी बड़े काम हुए, इस प्रदेश में जितने भी ऐतिहासिक अगर आज इतिहास लिखा जायेगा तो जितने भी परिवर्तनकारी निर्णय हुए हैं वह निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुए हैं। आप देख लीजिये कोई भी, इस चीज को क्यों नहीं देखते ? आपको मौका मिला, जनता ने 5 साल के लिये आपको मौका दिया । आपने क्या किया ? एक भी कोई बता दीजिये कि हमने यह मील का पत्थर का काम किया । हमने, हमारी सरकार ने इतने बड़े-बड़े काम किये, उन सभी विभागों के बारे में माननीय वित्तमंत्री जी ने पूरा डाटा रखा । इस बार जो बजट आया है, यह संकल्प का बजट है । हम सब लोग संकल्प से ही सिद्धि की प्राप्ति करने वाले हैं । (मेजों की थपथपाहट) हम लोगों ने जो-जो संकल्पना की है उस संकल्प को हम निश्चित तौर पर सिद्धि प्राप्त करेंगे लेकिन मैं प्रतिपक्ष के साथियों से यह कहना चाहूंगा कि यह संकल्प कोई 1-2 साल में पूरा होने वाला नहीं है, यह कम से कम ऐसे-ऐसे बड़े संकल्प हैं कि हमें 2-4 बार तो इधर लगातार बैठना ही पड़ेगा । (मेजों की थपथपाहट) अच्छा, अब यह बताईये कि हमने जो भवन शुरू किया था । बहन जी, आप बताईये । आप वहां बोल रही थीं कि हमारी सड़कें खराब हैं, एक हमारे आदरणीय विक्रम भाई बोल रहे थे कि इनकी सड़क 10-15 साल से नहीं बनी, 10-15 से

नहीं बना तो क्या 5 साल हम दोषी थे ? आपने 5 साल उसका पूरा डायमीटर ही खराब कर दिया, एलाइनमेंट ही खराब कर दिया ।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, गढबो छत्तीसगढ़ के नाम से छत्तीसगढ़ बोरबो का अभियान चला रखा था।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, अब इस तरह से मैं ट्रायबल के बारे में एक-एक बात बताऊंगा और आदरणीय कवासी जी, विक्रम जी भी और बाकी सभी लोग सुनकर जाईएगा। रामकुमार जी मैं आपको भी बताऊंगा कि सावित्री दीदी, आप लोग सुनकर जाईएगा। मैं आप ला भी सुनाहूं। यहां जितने छात्रावास की स्वीकृति हुई है, हम जितना बना रहे हैं मैं उसके बारे में बताऊंगा, मैं अभी कृषि से शुरू कर रहा हूँ। मैं यह बोल रहा था कि हम सब देखें। कृषि का बजट और बाकी प्रदेश के बजट की शुरूआत हुई थी तो पूरे प्रदेश का बजट लगभग 5 हजार करोड़ रूपये था, यह सभी विभागों का था और आज हमारे प्रदेश का बजट कितना है, 1 लाख 72 हजार करोड़ रूपये है। आप यह सोच सकते हैं कि मतलब 35-40 प्रतिशत की वृद्धि है। अगर यह क्षमता है तो आदरणीय विष्णु देव जी की सरकार में यह क्षमता है। (मेजों की थपथपाहट) उसका उपयोग हम लोगों ने जमीन पर दिखाया है, किया है। इसीलिए इस बार का बजट खुशी का आया। अगर वर्ष 2023-2024 में हमारी सरकार बनने के बाद देखेंगे तो वर्ष 2023-2024 में 9 हजार 535 करोड़ रूपये है, उसे हमने वर्ष 2024-2025 में कृषि का 12 हजार 752 करोड़ रूपये का बजट लाया। (मेजों की थपथपाहट) इसी प्रकार से इस बार 12 हजार 800 करोड़ रूपये का बजट लाया है। इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है यह किसानों के हित में है। हमारे प्रदेश के अन्नदाता किसानों के हित में हैं। मैंने इसलिए जिक्र किया कि हमारी जो मूल सोच है यहां के किसान भाईयों के प्रति है, यहां के वनवासी समाज के प्रति है, यहां के सर्वहारा वर्ग के प्रति है, उसकी चिंता करते हुए, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नवजवान, बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें उनकी चिंता करने वाली सरकार है। हम ऐसे ही लफाजी में बात करने वाले नहीं हैं। हम एक-एक चीज का कमीटमेंट के साथ काम करने वाले लोग में से हैं इसलिए हमने कृषि उन्नति योजना लायी। यह योजना लाकर, हमने अभी 3100 रूपये के हिसाब से लोगों की धान खरीदी करनी शुरू की। अब इसके बाद हम उसकी वृद्धि और भी कर रहे हैं जो वर्ष 2025-2026 के अलावा अन्य दलहन, तिलहन जो फसल लेंगे उसमें कोदो, कुटकी, रागी, मक्का, कपास फसल हेतु ऐसे क्षेत्र का विस्तार करने के लिए भी 10 हजार रूपये प्रति एकड़ अदान सहायता देने का भी हमारा कमीटमेंट है। (मेजों की थपथपाहट) हम यह कर रहे हैं। हमारे आदरणीय व्यास जी बात कर रहे थे मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक सकारात्मक सुझाव दिया। भाई साहब, इस प्रदेश में पक्ष और विपक्ष तो बाद में होता है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि यहां की जमीन के अंदर जो हमारा जल है, इसका आज संकट न पैदा हो। जैसे-जैसे गर्मी आ रही हैं तो लोग अभी आप जिक्र कर रहे थे कि हम जगह-जगह जाते हैं तो सबसे पहले लोग ट्यूबवेल की मांग करते हैं एक हमारे क्षेत्र में एक

ट्यूबवेल लगवा दीजिए। अगर धरती के अंदर पानी रहेगा, पर्याप्त रहेगा तब तो आप करेंगे। आपने इसलिए सुझाव दिया था कि गर्मी के दिनों में ट्यूबवेल से खेती करने पर प्रतिबंध हो, खासकर धान की उपज लेने के लिए प्रतिबंधित करना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि यह सकारात्मक सुझाव है और इसको लेकर निश्चित ही सदन में चर्चा हो और हम इस बारे में बात करें। हमें दलहन की चिंता है ...।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, इसी विषय पर कहना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी आपको धन्यवाद् कि आपने इस विषय पर प्रकाश डाला है। मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में इस सदन में उसकी चर्चा सर्वानुमति से हो और अच्छे निर्णय लिये जाएं ताकि छत्तीसगढ़ के किसान लाभ उठायें। अभी आपने कहा है कि 10 हजार का दलहन, तिलहन पर आदान सामग्री दे रहे हैं, पर आप एक बात को देखिएगा कि अभी वर्तमान में कृषि समृद्धि योजना में जब आंकड़े देखते हैं तो एक एकड़ में 16 हजार रूपए आदान सामग्री मिलती है । मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार उसमें 10 हजार रूपए की राशि बढ़ा दें तो हमारे प्रदेश के किसान दलहन-तिलहन की ओर जाएंगे ।

सभापति महोदय :- ऐसा नहीं चलेगा न । ब्यास जी, आप बैठिए । अगर हर कोई खड़े हो-होकर प्रश्न करेगा तो मंत्री जी जवाब नहीं दे पाएंगे । अभी दो विभाग और लिए जाएंगे । इसलिए मंत्री जी, आप बोलिए ।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, हमारी सरकार बनने के बाद कृषि उन्नति योजना के तहत हमने कृषि उन्नत योजना अंतर्गत अब तक प्रदेश के कृषकों को उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए, उनकी खुशहाली के लिए 33578 करोड़ रूपए आदान सहायता का भुगतान किया गया और इसे सीधे उनके खाते में दिए गए । इस योजना में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में 10 हजार करोड़ का और प्रावधान किया गया है । आज किसानों के हित में हमारी सरकार ने इस प्रकार से काम करना शुरू किया है, निश्चित ही उससे किसान को प्रोत्साहन मिला है । हम ये कह सकते हैं कि धान के रकबे के बेतहाशा वृद्धि हुई है । स्वाभाविक है कि धान लाभ का फसल हो गया। पहले इसको लाभ की खेती नहीं मानी जाती थी, लेकिन अब ये लाभ की खेती हो गई । इस प्रकार से आज धान का रकबा बढ़ा है तो पूरे प्रदेश में धान की उपज भी बढ़ी है, बम्फर फसल हो रही है । ईश्वर की भी कृपा है कि इस बार अच्छी बारिश हुई, उसके पहले भी अच्छी बारिश हुई थी और बम्फर फसल हो रही है । बम्फर फसल होने से निश्चित ही किसान समृद्ध हो रहे हैं, वहीं उन क्षेत्रों में कृषि का रकबा भी काफी बढ़ा है । इसके लिए एक और चिंता हो रही है । हम सब इस सदन में हैं तो हम सबकी भी चिंता है कि धान पर ही हम आश्रित रहेंगे तो हम सिर्फ धान पैदा करते रहेंगे । कहीं ऐसा न हो जाये कि कभी मौसम की मार हो जाये, किसी समय बारिश की समस्या आ जाये । अगर हम धान पर ही आश्रित रहेंगे तो आगे चलकर उसका बहुत नुकसान भी हो सकता है । इसलिए लोगों का सुझाव था, आपका भी सुझाव था कि इसमें कुछ न कुछ चेंज आना चाहिए । धान की फसलों के अलावा बाकी फसलों को प्रमोट करने के लिए भी हमने बजट में

प्रावधान किया है, उसके लिए हम दलहन को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, जिस प्रकार से भारत सरकार चिंतित है। जिस प्रकार से आज विदेशों से दाल को आयात करना पड़ता है । हमारे यहां इतनी शक्ति है, छत्तीसगढ़ में इतनी क्षमता है कि हम उतना उत्पादन को बढ़ा सकते हैं । हम दलहन के साथ-साथ तिलहन का भी रकबा बढ़ा सकते हैं । उस दिशा में हम लोगों ने बहुत सारी स्कीमें ली हैं । आज आदरणीय धरम कौशिक जी ने भी बताया कि एक समय ऐसा था कि हम दूसरी जगह से बीज आयात करते थे, लेकिन आज छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर हुआ है । (मेजों की थपथपाहट) कुछ ऐसे भी अनाज हैं, जिसका बीज हम दूसरे प्रदेश को निर्यात कर रहे हैं । धीरे-धीरे लगातार क्रमश: हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए जब भी संसाधन की जरूरत होती है, हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के संसाधन तो सीमित हैं । जितने माननीय सदस्य हैं, उसमें से कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि हमारे क्षेत्र में घोषणा हो जाये, मेरे क्षेत्र में अमुख चीज बन जाये, लेकिन सीमित संसाधन में ही हमें बहुत कुछ काम करना है, बहुत कुछ जरूरतें हैं, उसको भी पूरा करना है इसलिए हम इस दिशा में बीज का उत्पादन कैसे करें, उसमें हमारी क्षमता कैसे बढ़ सके और बीज के साथ-साथ एक अच्छे किस्म के बीज , किसान के भरोसे की हो, जिसको अच्छा बीज माने, वह अमानक न हो, एक प्रमाणित बीज कैसे हो, यह एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। हमारे जो बीज उत्पादक किसान हैं, वह इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से खाद्य पोषण सुरक्षा योजना के तहत हम मोटा आनाज को प्रमोट कर रहे हैं। इसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्रीअन्न का दर्जा दिया है। इसको बढ़ावा देने के लिए खासकर हमारे बस्तर का अंचल है, सुदूर अंचल है, सरगुजा का अंचल है या फिर मैदानी क्षेत्रों में जहां अच्छा मोटा अनाज पैदा हो सकता है, उसके लिए भी एक अलग से स्कीम चलाकर हम यहां पर काम कर रहे हैं। हम राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन अन्तर्गत 2025-26 में उन्नत प्रदर्शित कृषकों के खेतों में 17,273 हैक्टेयर में फसल प्रदर्शन आयोजित कर उन्नत तकनीक का विस्तार किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में यह होता है कि जब हम प्रदर्शनी करते हैं तो बाकी किसानों को वहां आकर देखने, सीखने और समझने का एक अवसर मिलता है। इसलिए इसको बढ़ावा देने के लिए लगातार इस योजना को आगे ला रहे हैं।

सभापति महोदय, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजनान्तर्गत कृषकों को फसल प्रदर्शन और उन्नत तकनीक का फसल प्रदर्शन आयोजित करने एवं अन्य गतिविधियों के प्रचार प्रसार हेतु भी 347 प्रशिक्षण आयोजित किए गए। इसी प्रकार से इस प्रशिक्षण को और आगे बढ़ा सकें, इस का लाभ हमारे प्रदेश कि किसानों को मिल सके, इसके लिए 2026-27 के बजट में 90 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, आत्मनिर्भर दलहन मिशन 6 वर्षीय केन्द्रीय कार्यक्रम है, वर्ष 2025-26 से लेकर 2030-31 तक भारत को दाल की आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए उन्नत बीजों, कटाई उपरांत बुनियादी ढांचे और सुनिश्चित खरीदी के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करना है। इसके लिए भी बीज उत्पादन का लक्ष्य है। हमें उसे भी हासिल करना है, जिससे हमारे किसान आत्मनिर्भर हो सकें। इसके लिए अभी एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का कार्यशाला मध्यप्रदेश के सिहोर में आयोजित हुआ, जिसमें माननीय कृषि मंत्री जी और देश भर के राज्यों के कृषि मंत्रियों को आमंत्रित करके, खासकर हमारे छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र के साथ-साथ सुदूर अंचल में धान का एक फसलीय रकबा है, एक फसल लेने के बाद दूसरा फसल नहीं ले पाते हैं, ऐसे जो ड्राइ क्षेत्र है, ऐसे ड्राइ क्षेत्र में कैसे दलहन की खेती को बढ़ा सकें, मसूर की खेती ले सकते हैं, वहां पर तिवरा का फसल ले सकते हैं, वहां पर चना का फसल ले सकते हैं, उसको बढ़ाने के लिए और अच्छे किस्मों को ईजाद किया जा रहा है। हमारे भारत सरकार का पूसा केन्द्र है, वहां से पूरी रिसर्च टीम इस बारे में जानकारी शेयर कर रहे है। हम लोग उसके आधार पर चाहते हैं कि इन क्षेत्रों में खाली पड़त जमीनें पड़ी रहती हैं, जो एक फसलीय है, उसको दूसरा फसल वाला क्षेत्र कैसे बना सकें, काम कर रहे हैं। क्योंकि इसमें कम पानी की जरूरत होती है और उससे अच्छी आमदनी भी होगी। इसको बढ़ावा देने के लिए मैं आग्रह करूंगा कि हम इसे एक अभियान के बतौर लें और इसको आगे बढ़ायें।

समय :

7:00 बजे

सभापति महोदय, जैविक खेती के बारे में भी एक स्कीम है। हम जैविक खेती की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। इसको आगे बढ़ाने के लिए भी हमारे सरकार के समय में तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय डॉ. रमन सिंह की सरकार के समय हम लोगों ने सन् 2013 से लेकर जैविक खेती मिशन प्रारंभ किया था। इसके तहत गरियाबंद, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, दन्तेवाड़ा को पूर्ण जैविक जिला तथा शेष 22 जिलों के एक-एक विकासखंड को पूर्ण जैविक विकासखंड घोषित किया गया और मैं समझता हूं कि इसी प्रकार से योजना प्रारंभ से वर्ष 2023-24 से जैविक खेती मिशन अंतर्गत 39,950 किसानों के 15,980 हेक्टेयर रकबा का जैविक प्रमाणीकरण किया गया। तो एक बड़ा लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं । वर्ष 2025-26 में द्वितीय वर्ष में लेकर द्वितीय वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी हमने इसे और बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बजट प्रावधान भी 15 करोड़ रूपये हमें मिला है। परंपरागत खेती के लिए भी इस बार का जो बजट है, उसमें 15 करोड़ रूपये इसके लिए भी बजट है, जिसके तहत जैविक खेती को हम बढ़ावा दे सकें। परंपरागत हमारी जो खेती-किसानी होती थी, उसे हम पुनर्जीवित कैसे कर सकें और धरती की, जमीन की जो उर्वरा शक्ति है, उसे बनाए रखने के लिए हमारी जैविक खेती के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों का हम बेहतर कैसे क्रियान्वयन उपयोग कर सकें, इसके लिए भी विभाग की योजना है।

नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट में एक बड़ा प्रावधान किया गया है, वर्ष 2026-27 के बजट में इसके लिए भी 40 करोड़ का प्रावधान है। कृषि विभाग में तो इतनी सारी योजनाएं हैं। आज आदरणीय दलेश्वर जी ने बताया कि इतनी स्कीम, इतनी योजनाएं हैं कि सही बात है कि हमारी कोई मंत्री भी सीधे एक बार में नहीं बता सकता कि इतनी स्कीम और योजनाएं हैं। इन योजनाओं के तहत अलग-अलग सेक्टरों में काम हो रहा है। अब यह है कि जब हम इस सदन में चर्चा करते हैं तो इस चर्चा के माध्यम से बहुत सारी जानकारी हमारे माननीय सदस्यों को, बाकी सदस्यों को भी हो जाती है और बहुत सारी जो कमियां हैं, उन कमियों की ओर भी आप जब ध्यान आकर्षित करते हैं तो हमें उसे सुधारने का भी अवसर मिलता है। सभापति महोदय, इसी प्रकार से फसल बीमा योजना में भी इस बार जो योजना है, उसमें 800 करोड़ रूपये का प्रावधान मिला है। लघु धान्य प्रोत्साहन योजना के लिए जिसे बताया कि श्रीअन्न का दर्जा दिया गया है, उसके लिए भी हम एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उस लक्ष्य को हम हासिल निश्चित तौर पर करेंगे। जैसे कि बताया कि अभी खरीफ मौसम के फसल अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली तथा रबी मौसम की मुख्य फसलें हैं चना, मसूर, सरसों फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्रीय उपार्जन एजेंसी नाफेड के माध्यम से एवं एन.सी.सी.एफ. के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था की गयी है। मैं सदन में आप सबको यह अवगत कराना चाहूंगा कि इस बार जो हमारे यहां खास कर सरसों की खरीदी है, अरहर, मूंग और उड़द, दलहन का है, इसके लिए भी खरीदी की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार की जो संस्था है, उसके माध्यम से खरीदी का भी हम लोगों ने केंद्र बनाया है। निश्चित तौर पर जो हमारा एम.एस.पी. है, उसके आधार पर ही खरीदी निर्धारित की गयी है। मैं समझता हूं कि इससे निश्चित ही हमारे प्रदेश के किसानों को सही कीमत पर अपना उपज बेचने का एक अवसर मिलेगा और हम यह चाहते हैं कि इसको कैसे और प्रमोट किया जा सके। सभापति महोदय, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भी इसमें हम आगे काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ का बजट प्रावधान किए हैं। जहां तक आदरणीय भावना बोहरा जी का जो मामला था, उन्होंने शुगर फैक्ट्री के लिए चिंता जाहिर की । शुगर फैक्ट्री के लिए मैं समझता हूं कि उनकी जितनी चिंता है, चूंकि सहकारिता विभाग एक समय मेरे पास रहा है, तो प्रदेश में जितनी शुगर फैक्ट्री थीं, उन सभी शुगर फैक्ट्री का मैंने विज़िट किया था। वहां के लोगों से मिला था। मैं बालोद भी गया था । बालोद का पता नहीं कैसे किन परिस्थितियों में बालोद में स्थापना हुआ, स्थापना वर्ष से ही लगातार वहां कभी चला नहीं। 100 दिन भी नहीं चल पाया। तो आपके यहां भी गया, मैं देखा हूं। तो सभापति महोदय हमने आपके यहां के लिए...।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, एक शुगर फैक्ट्री है, उसका भी निजीकरण होने जा रहा है। आप लोग किसान को उसका बोनस दे ही नहीं रहे हैं, इसलिए किसान लोग गन्ने की पैदावारी कर ही नहीं रहे हैं।

श्री रामविचार नेताम :- अब चलाइये ना। आप चलाकर देखिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम चलाएँगे, लेकिन आप थोड़ा-सा बोनस तो दीजिये, तभी तो किसान गन्ने की खेती करेंगे। सभापति महोदय, मेरा एक विशेष निवेदन है।

सभापति महोदय :- आपकी बात आ गई है।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा गन्ना उत्पादन के प्रोत्साहन करने हेतु 355 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ना क्रय किया जा रहा है। कृषकों द्वारा उत्पादित गन्ने पर भारत सरकार द्वारा गन्ना पेराई वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित एफ.आर.पी. 315.10 रुपये प्रति क्विंटल के भुगतान उपरांत 30,986 कृषकों को शेष अंतर की राशि 2,762 लाख गन्ना प्रोत्साहन के रूप में प्रदाय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजनांतर्गत राशि 60 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। भावना बोहरा जी, आपने गन्ना का प्रश्न उठाया है, इसके लिए भी अभी मंडी बोर्ड से आपके ही प्रस्ताव पर हमने राशि जारी की है। आपने प्रस्ताव रखा था, तब मैं कहीं बाहर भी था। आपने वहीं से फोन किया कि हमें यह राशि आज स्वीकृत करानी ही है। आपके एक फोन पर सीधे वह राशि स्वीकृत हुई थी। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, इसी प्रकार से लौह पुरुष सरदार पटेल सहकारी शक्कर कारखाना को भी मंडी बोर्ड से 15 करोड़ का पूँजी निवेश किया गया। लौह पुरुष सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया को 20 करोड़ की राशि दी गयी है, जिसको 3 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर दिया गया है। इसी प्रकार आपके कहने से ही हम लोगों ने शक्कर कारखाना पंडरिया में उनके भू-धारकों को शक्कर भी दिया है। उन किसानों को जो शेयर धारक हैं, उनको भी शक्कर देने के लिए 33 लाख रूपये का व्यवस्था हुआ है। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, कवर्धा के लिए 8 करोड़ पूँजी निवेश हुआ। इसी प्रकार से शेयरधारकों को शक्कर हेतु 1.18 करोड़ का भुगतान किया गया। हमने भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना शेयरधारकों को 66 लाख का शक्कर देने का एक स्कीम बनाया है। उनकी भावना थी, किसानों की इच्छा थी। अब आपके यहां तो कुछ हो रही नहीं रहा है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय मंत्री जी सभापति, बालोद में भी कुछ घोषणा कर दीजिए।

श्रीमती भावना बोहरा :- आदरणीय सभापति महोदय, निश्चित ही आपके माध्यम से मैं आदरणीय मंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे एक फोन पर राशि की स्वीकृत दी थी। वे जहाँ थे, वे बाहर थे। वे छत्तीसगढ़ में नहीं थे, शायद भारत से भी बाहर थे। कुछ ऐसा विषय था। लेकिन मेरे फोन पर किसानों की समस्या को देखते हुए उन्होंने वहीं बैठकर तुरंत दस्तखत करके फंड रिलीज कराया। बस

मेरी चिंता का विषय एक ही था कि मेरे request सरकार पैसे दे रही है। लेकिन जो समय का अंतराल है, उसमें मेरा निवेदन है कि वह अंतराल कम हो जाए। होली का दिवाली न हो जाए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- मंत्री जी सबकी बात का जवाब दे रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, उनका फोन से काम हुआ है तो मेरा ऑफलाइन ही कर दें।

सभापति महोदय :- वह आपकी बात सुन लिए हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप फोन पर किए हैं तो मेरा ऑफलाइन कर दीजिए।

सभापति महोदय :- सुनिए ना, संगीता जी। मंत्री जी सबकी बातों का जवाब दे रहे हैं, उनको पहले बोलने का मौका तो दीजिए।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, मैं कहीं बाहर नहीं था, मैं प्रदेश के अंदर ही था। (हंसी) मैं बहुत कम ही बाहर जाता हूं। सभापति महोदय, अभी आदरणीय विष्णु देव साय जी की सरकार है। यह सरकार किसानों की हितैषी वाली सरकार है। किसानों के लिए जो भी करना होगा, उसमें हमारी सरकार पीछे नहीं रहेगी। (मेजों की थपथपाहट) आदरणीय भावना बोहरा जी को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आपकी चिंता वाजिब है और आप जितना संघर्ष कर रही है, आप उन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों की चिन्ता करती हैं, मैं समझता हूँ कि उन लाखों-लाख किसानों का आशीर्वाद सदैव आपको मिलता रहेगा ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति जी, महु करथंव । मोरो बर आर्शीवाद मांग दे हव ।

श्री रामविचार नेताम :- तैं संरचनात्मक काम ला देख । तैं ज्यादा एती-वोती हाथ पैर झन मार । निस्वार्थ भाव से काम कर । सभापति महोदय, मैं सेल्यूट करता हूँ ।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति जी, जब हमारे कृषि मंत्री जी भाषण दे रहे हैं, उपलब्धियों को बता रहे हैं, भावना जी मेज थपथपा रही थी । संगीता जी को अपने क्षेत्र में कुछ कराना है तो मेज तो थपथपाना पड़ेगा ।

सभापति महोदय :- वह तो अभी तक बताई नहीं थी ना । अभी वह बताई है तो मंत्री जी सोचेंगे ।

श्री प्रबोध मिंज :- आप भी भावनाओं का ख्याल रखें ।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, प्रदेश भर में खासकर गन्ना उत्पादक जो किसान है, उन सब की चिन्ता हमारी विष्णु देव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है और हम आगे करेंगे । हम उसके लिये भी आदरणीय हमारे सहकारिता मंत्री हैं, आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी हैं, हम लोगों का गुफ्तगू होते रहता है । हम लोग कुछ न कुछ बात करते रहते हैं कि इनके लिये कुछ करना है ।

आदरणीय सभापति महोदय, मैंने इसमें बताया है कि उनकी चिन्ता वाजिब है और हमारी सरकार उच्च स्तरीय बैठक भी करेगी और एक सकारात्मक निर्णय हम उसमें लेने वाले हैं । मैं समझता हूँ कि हमारे डिप्टी सी.एम. अरूण साव साहब हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं । हम इस प्रदेश की बेहतरी करने के लिये लगे हुये हैं । छत्तीसगढ़ में हमारे जितने शुगर फैक्ट्री हैं, वह हमारी धरोहर है और इसे चुनौती के साथ बनाया गया है । मैं उसमें विस्तार में तो नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मालूम था कि कितना चुनौतीपूर्ण काम है और उसको आगे तक ले जाना है । सरगुजा में जो चुनौती थी, हम लोगों ने उसे पूरा किया है । आगे दर्द है कि उसको कैसे अच्छे सोचकर आगे ले जाया जाये । सभापति महोदय, कृषि यंत्रीकरण भी हमारे पास है । आप लोगों ने उसके बारे में भी सुझाव दिया है । कुछ चर्चायें की है । हमारा जो बजट है, उसमें कृषि यंत्रीकरण सबमिशन योजना अंतर्गत 66 करोड़ का बजट प्रावधान रखे हैं । स्वायल हेल्थ में एक बड़ा अचीवमेंट करने का हमारा लक्ष्य है और हम उसे भी पाना चाहते हैं । हमने उसके लिये 15 करोड़ का प्रावधान किया है जिससे कि हमारे प्रदेश में जितने भी किसानों का स्वायल टेस्टिंग का काम अधूरा है, हम उसको कैसे पूरा कर सकें । इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश का एक गौरव है, एक जमाना था कि एक ही कृषि विश्वविद्यालय हुआ करता था । मध्यप्रदेश के समय में एक विश्वविद्यालय था, जो जबलपुर के नाम से जाना जाता था, वह जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय है । अब राज्य अलग होने के बाद यह जो विश्वविद्यालय बना है, जिस प्रकार से यहां उपलब्धियां हासिल हुई है, जो फैकल्टीस यहां पर आये हैं, यहां हमारे पढ़े हुये तमाम साइंटिस्ट अन्य क्षेत्रों में काफी उपलब्धियां हासिल की है । फसलों के नई-नई प्रजातियों में भी काम किया है और कृषि उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में यहां तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हमारे किसान आत्मनिर्भर कैसे हो, इनका जो उत्पादन है, उसका लाभ कैसे सही मिल सके, इस दिशा में कैसे उनको डबल लाभ हो सके। उनको दोहरा लाभ देने के लिए स्वाभाविक है कि उनको अच्छा बीज मिले, अच्छे बीज के साथ-साथ अच्छे तकनीकी ज्ञान मिले, तभी जाकर हम उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की सोच पर ड्रॉप मोर क्रॉप है । मतलब कम और टपक विधि, हम इसको और कैसे प्रमोट कर सकें, आम लोगों तक इसको विस्तारित कर सकें। बहुत सारे लक्ष्य के लिए हमारे आदरणीय लता जी ने चिंता जाहिर की, बाकी सदस्यों ने भी चिंता जाहिर की कि आज हम कम पानी में कैसे अधिक उपज ले सकें, इसके बारे में हर कोई चिंता करता है। लेकिन इसके लिए स्वाभाविक है कि हम ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट करें। उस दिशा में हमारी सरकार काफी मदद कर रही है, हम सहयोग कर रहे हैं और इसके लिए भी हमारी योजना है। यूनिवर्सिटी के माध्यम से अभी एक और शुरुआत की है, मैं उसकी जानकारी देना चाहूंगा।

श्री दलेश्वर साहू :- मंत्री जी, अभी कम पानी में अच्छी खेती कर सकें, एक बार हमारे विधायक लोगों को कम से कम चार-पांच-सात लोगों को इजराइल घूमाकर ला दीजिए। आपके पास बजट भी है तो कम से कम लगेगा खेती किसानी की दिशा में काम हो रहा है।

श्री रामविचार नेताम :- निश्चित ही, आप तय कर लीजिए।

श्री सुशांत शुक्ला :- अभी तो बम फटत हे। (हंसी)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- इजराइल से वापस नइ आबे बबा, वहां कहां जाथस। (व्यवधान)

श्री दलेश्वर साहू :- आप सही मायने में...। (व्यवधान)

श्री रामविचार नेताम :- हम भेजेंगे। अगर आप अभी इजराइल जाने के इच्छुक हैं तो मैं भिजवा सकता हूं। (हंसी) आप इजराइल जाना चाहोगे या ईरान जाना चाहोगे?

श्री कवासी लखमा :- दोनों जगह।

श्री रामविचार नेताम :- ईरान भी है।

श्री रामकुमार यादव :- मंत्री जी, ए ह दोनों जगह ले बच के आ जही।

श्री रामविचार नेताम :- अच्छा तैं कहां जाबे भाई ?

श्री सुशांत शुक्ला :- भैया उनको अफगानिस्तान भेजिए। (हंसी)

सभापति महोदय :- उन्होंने एक सुझाव दिया है, मंत्री जी उस पर विचार करेंगे, उचित समय पर भेजा जाएगा। (हंसी)

श्री रामविचार नेताम :- लेकिन वह तभी भेजा जाएगा जब सभापति जी उसमें जाएंगे। (हंसी)

सभापति महोदय :- अभी वहां कोई नहीं जाएगा, बम बारूद चल रहा है।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, मैंने बताया कि हम लोगों ने एक अच्छी शुरुआत की है। हमें छत्तीसगढ़ में 6 करोड़ का बजट प्राप्त हुआ है जो नाभिकीय ऊर्जा का कृषि में उपयोग कैसे कर सकें, उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में स्थापना की जा रही है। आदरणीय दलेश्वर जी, आपकी इस बारे में काफी गहरी रुचि भी रही है। मैं समझता हूं, प्रदेश में इसका काफी लाभ मिलेगा। हमने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वैज्ञानिकों एवं छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थाओं में शोध के लिए भी भेजने की स्वीकृति दी है। उसके लिए भी योजना है, बाकी विदेश के साथ भी, विदेश के अन्य हमारे जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं, खास करके एग्रीकल्चर के रिसर्च में जो लोग लगे हैं, उनके साथ हम MOU कर रहे हैं, यहां के बच्चे पढ़ने के लिए वहां जाएंगे और वहां के बच्चे यहां आएंगे तो निश्चित ही इसकी उपलब्धियां भी मिलेंगी, इसकी प्रस्थिति मिलेगी, इसलिए हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, आप जानते ही हैं, प्रदेश के छुईखदान में पान की खेती की जाती है, उसको बढ़ावा देने के लिए भी हमने इस बार टेकओवर किया है,

उसके लिए भी बजट में प्रावधान किया है। साथ ही साथ नवीन योजना कार्य के लिए कुछ अलग-अलग सेक्टरों में, खासकर उप संचालक कृषि कार्यालय जांजगीर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, कोरिया, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में कार्यालय भवन हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

वर्तमान में हम लोग चेक डैम निर्माण के लिए भी कुछ बजट प्रावधान कर रहे हैं। सभापति महोदय, ये कृषि से संबंधित काम तो है ही, इसके अलावा हमारे पास अन्य विभाग में अगर पशुपालन की बात करें तो पशुपालन में भी, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने देखा कि छत्तीसगढ़ में हमारा दूध का जो क्षेत्र है, दूध का उत्पादन है, उसमें हम उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, जितनी हमारे प्रदेश की जरूरत है। निश्चित ही आज यदि हम ग्रामीण आजीविका के साथ पशुधन को जोड़ दें तो मैं समझता हूं कि इसका विस्तार होगा और छत्तीसगढ़ की समृद्धि बढ़ेगी। आप सबको मालूम है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कल्पना पशुपालन, पशुधन पर टिकी हुई है। बकरी पालन, मुर्गी पालन, सूकर पालन को लेकर हमारे क्षेत्र में ग्रामीण आजीविका चला करती थी तथा जो समृद्धियां होती थीं, वह इसके माध्यम से होती थीं। लेकिन वर्तमान समय में धीरे-धीरे हमारा लगाव एक तरह से उससे कम होते गया। अभी आदरणीय द्वारिकाधीश यादव जी नहीं हैं, लेकिन उनका भी चिंता थी कि आखिर यह जो गाय रोड किनारे आ रही हैं, इसके लिए क्या उपाय है? उन्होंने सुझाव दिया कि वहां पर बाड़ा बना दिया जाए। भैया, बाड़ा बनाकर क्या करोगे? आपके पास चारा कहां है? यदि आप पशु पाल भी रहे हैं तो चारे की क्या व्यवस्था है? आप चारा नहीं दे रहे हैं और ऊपर से उम्मीद करते हैं कि हमें दूध मिले। यह एक बहुत ही संवेदनशील समस्या है। मैं इसको काफी संवेदना के साथ देखता हूं। हम दूध की उम्मीद तो करते हैं, लेकिन गौ माता की पेट कैसे भरे, यह नहीं सोचते हैं। आज उसका रकबा कम होते गया। एक जमाना था कि चरनोई के लिए गांव में जमीनें सुरक्षित होती थीं। 5 प्रतिशत जोत सीमा होती थी। उस जोत सीमा का जितना था, उतना चरनोई की जमीनें होती थीं। वहां गोचर की जमीनें होती थीं। आज जमीन कहां गयी? आज जमीन समाप्त हो गयी। आज गाय कहां जाए? हम पाल भी लेंगे तो गाय सिर्फ दूध दे तो गौ माता होती है, बाकी इसके बाद वह गाय कहां जा रही है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस संवेदनशील समस्या को समझ पाते हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही संवेदना वाला विषय है। इसको लेकर हम सब अभी आगे बढ़ें। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने काफी संवेदनशीलता दिखाते हुए हमारी जरूरतों को कैसे पूरा किया जा सके, इसके लिए हमारी सरकार आदरणीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में काम कर रही है। उनके पास यह मंत्रालय था और उनके समय इस बात को तय किया गया कि हमारे यहां हम दूध के उत्पादन को कम से कम कैसे बढ़ा सकें। हमारे यहां की जितनी जरूरतें हैं, उनको कैसे पूरी कर सकें। इसको देखते हुए आज हम लोगों ने NDDB के साथ MOU किया। NDDB अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर रहा है। यदि हम बस्तर से लेकर सरगुजा,

जशपुर से लेकर बाकी अंचल, राजनांदगांव से लेकर रायगढ़ तक की बात करें तो उन क्षेत्रों में भी दूध का उत्पादन कैसे बढ़ा सकें, इसके लिए जरूरी है कि उसकी अच्छी किस्म हो। अच्छे किस्म के जानवर दुधारू पशु आएं। दुधारू पशु का हमारे यहां उत्पादन नहीं है तो हमने NDDB को अधिकृत किया है। वह हमको लाकर दे रहे हैं और जगह-जगह आपूर्ति कर रहे हैं। सबसे पहले जनजाति समाज को दे रहे हैं और चारे की भी व्यवस्था की जा रही है। चारे के साथ-साथ चिलिंग प्लांट कहां पर होगा, दूध उत्पादन के लिए मिल्किंग सेंटर कहां पर रहेगा, कलेक्शन सेंटर कहां पर बनेगा, कितने सेंटर बनने चाहिए, ये सब काम पूरी तरह से को-ऑपरेटिव समितियों के माध्यम से हम करना चाह रहे हैं और मैं समझता हूं कि इसका एक सकारात्मक परिणाम आ रहा है। आप सभी का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मिला तो साल-दो साल में इसका रिजल्ट आपको दिखाई देने लगेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि यदि आप सिर्फ सकारात्मक नजरिये से देखकर आगे काम करेंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि पशु रात व दिन में रोड में रहते हैं और इसके कारण एक्सीडेंट होते हैं।

श्री रामविचार नेताम :- मैं उस पर बात कर रहा हूं। आप मुझे बात तो करने दीजिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं उसी मुद्दे पर आ रही हूं। एक्सीडेंट से हमारे रायपुर और इस एरिया में एक हजार मौतें हुई हैं तो उसके लिए आप कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि रोड में पशु न रहें। इसके लिए भी कुछ व्यवस्था कर दी जाए।

सभापति महोदय :- ठीक है।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, यदि आप पशुधन की ओर देखे।

श्री धरमलाल कौशिक :- संगीता जी, आप जिस बात का उल्लेख कर रही है ना। आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में कांजीहौस की प्रथा थी। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने और जब से नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी आया तब से प्रदेश में अराजकता की स्थिति निर्मित हो गयी। उसके बाद आवारा पशुओं के साथ किसान भी अपने पशुओं को घरों में बांधना बंद कर दिये थे। इसी से अराजकता की स्थिति आयी है। संगीता जी, आप भी पूरे 5 साल रही हैं, उस समय आपको याद नहीं आया ? अब आपको याद आ रहा है। वास्तव में यदि अराजकता की स्थिति किसी ने लाया है तो वह आप लोगों ने लाया है। दुर्गति आप लोगों के कारण हो रही है।

श्री रामकुमार यादव :- 3 लाख एकड़.. (व्यवधान) गौठान के नाम से 3 लाख एकड़।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं मानती हूं कि हमारे शासन काल में अराजकता फैली तो आप उसे व्यवस्थित कर दीजिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, यह व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। यह व्यवस्था दे ना। इनकी सरकार को आये ढाई साल हो गये और इन्होंने अभी तक क्या व्यवस्था दी है, यह बतायें?

सभापति महोदय :- यह आरोप प्रत्यारोप मत लगाईये। आप बैठिये ना। आप चार बार बोल चुकी हैं। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, यह अभी बता दे कि एक भी गौठान चालू है तो मैं उनके साथ जाने को तैयार हूं।

सभापति महोदय :- यह कोई प्रश्नकाल नहीं चल रहा हैं। आप बैठिये।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- 3 लाख एकड़ में कै ठन गाय ला बांधे हे, बताबे ?

सभापति महोदय :- मंत्री जी, आप भी बैठिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- श्याम भैया, गौठान में बहुत गाय रहती थी लेकिन आपकी व्यवस्था ने पूरे छत्तीसगढ़ के पशुधन को खराब किया है और बड़ी-बड़ी बात करते हैं। गोवर्धन की बात करते हैं, गौठान की बात करते हैं, गौ संवर्धन की बात करते हैं। बता दें किसी गौठान में (व्यवधान)

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- एको ठन गाय कभू नइ रिहीस। केवल अउ केवल गोबर और गाय (व्यवधान) भ्रष्टाचार करे रिहीस। गाय मन तीन-तीन क्विंटल गोबर करे रिहीस। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप मंत्री जी को बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे ? (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- कांजीहौस की व्यवस्था को पूरा समाप्त करके आपने चौपट किया है।

सभापति महोदय :- आप बैठिये। यह कोई तरीका नहीं है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, यदि यह आरोप ही लगाते जायेंगे तो कैसे बात बनेगी।

सभापति महोदय :- आप बैठिये ना।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप अपनी नाकामी छिपाने के लिए यह सब बोलते है। इन लोगों ने 15 सालों में क्या किया ? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मंत्री जी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप बैठिये ना।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- एकाध गौठान को बनाकर बता दें। केवल अपनी गौशाला चलाते थे, जहां हजारों गायें मरती थी और अपने लोगों को पैसा देकर उपकृत करते थे।

श्री रोहित साहू :- आपके गौठान में मात्र कांग्रेसी कार्यकर्ता ही नजर आते थे।

सभापति महोदय :- आप मंत्री जी को जवाब देने दीजिये। आप भी बैठिये। (व्यवधान) मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप सुनिये। बीच-बीच में बोलने की जरूरत नहीं है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, मंत्री जी जवाब दे लेकिन उधर से बातें होती है और आरोप लगता है तो हमें भी बोलना पड़ता है।

सभापति महोदय :- दोनो तरफ से बीच-बीच में उठकर मंत्री जी को बोलने नहीं दे रहे हैं ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, आप उधर से मत बोलने दीजिये। वे मत बोले तो हम लोग भी नहीं बोलेंगे।

सभापति महोदय :- मैं किसी को बोलने के लिए एलाउ नहीं करूंगा। अब आप लोग सुनिये मंत्री जी भाषण देंगे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सही बात मा का तकलीफ होत हे तुमन ला ?

सभापति महोदय :- मंत्री जी, आप भाषण दीजिये।

श्री रामविचार नेताम :- इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैंने तो कुछ नहीं बोला।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- उधर से बातें आती है, उसमें हम लोग बोलते है।

श्री रामविचार नेताम :- आप मन अब बैठ के सुन न।

सभापति महोदय :- हो गया। मैंने सबको बोल दिया। अब शांत रहियेगा।

श्री रामविचार नेताम :- कोई नहीं बोलेगा भाई ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, आपके लिए और इस सरकार के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा :

"बदलते वक्त से इंसान को घबराना कैसा
कल किसी और का था, आज किसी और का है"

सभापति महोदय :- आपने शायराना अंदाज में बोला तो अच्छा लगा, फायराना अंदाज में बोल रहे थे तो मैं थोड़ा रोक रहा था।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, हम पशुधन की चिंता कर रहे हैं, पशुधन के बारे में बात कर रहे हैं। यदि हम 2001 से बात करें तो इस विभाग का बजट कितना था ? आप सुन लीजिये, इस विभाग का बजट 18 करोड़ रूपये था। इस बात में थोड़ा ध्यान दीजिये। आप रिकॉर्ड को थोड़ा देखिये। 2001 में 18 करोड़ रूपये, 2003 में 65 करोड़ रूपये, 2023-24 में 642 करोड़ रूपये, 2025-26 में 748 करोड़ रूपये और इस बार जो बजट है, वह बढ़कर 815 करोड़ रूपये का है। (मेजों की थपथपाहट) हम इस संवेदना के साथ काम कर रहे हैं। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, सभी की चिंता करने वाली सरकार है। इसलिए हमने इसके लिए व्यवस्था की है। अब हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी बगल में बैठ गए हैं। ये बैठ गए हैं तो आप समझ लीजिये कि हमें क्या करना है। सभापति महोदय, हमने आज पशु संवर्धन से लेकर नवीन योजनाओं में राज्य स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए भी व्यवस्था की हैं। हमने मॉडल लैब के लिए भी व्यवस्था की है। पशु चिकित्सालयों में आंतरिक पशु रोग

वार्ड की स्थापना के लिए भी व्यवस्था की है। इसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। इसके लिए भी एक वार्ड बनाया जायेगा, जहां-जहां कैजुअल्टी होती हैं, उसके लिए अलग से सर्वसुविधायुक्त वार्ड बनाये जायेंगे। पशु संवर्धन के लिए एक समग्र योजना के लिए भी हमें 8 करोड़ रूपये की राशि मिली है। हमने एक नवीन बकरी पालन प्रक्षेत्र बनाया है। हम अलग-अलग वनवासी क्षेत्रों में, सरगुजा के अंचल के बाकी जगहों में और एमसीबी में बना रहे हैं । हमारे आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके यहां बहुत पुराने समय से चला करता था। वहां बकरीपालन का केन्द्र था, लेकिन वह किन्हीं कारणों से बंद हो गया था। उसके लिये भी साढ़े 5 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान हुआ है। इसके साथ-साथ में नवीन पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला की अलग-अलग यूनिट के लिये भी बजट में व्यवस्था किये हैं, चाहे सारंगढ़, बिलाईगढ़, मोहला मानपुर चौकी, खैरागढ़ में इस प्रकार से यहां के लिये भी व्यवस्था किये हैं। विकासखंड स्तर पर पशु चिकित्सालयों के जिला स्तरीय पशु चिकित्सालय में उन्नयन के लिये भी 17 स्थानों में उन्नयन किया गया है। हरा-चारा विकास एक बड़ी चुनौती वाला काम था। इसके लिये योजना नहीं बनती थी, इसके लिये इसमें साढ़े 7 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया है। मिल्क चिलिंग प्लाण्ट के लिये 50 लाख रुपये, सुकर वितरण के लिये 5 करोड़ रुपये, बकरी वितरण के लिये, हम अलग-अलग बकरियों का वितरण करके वनवासी क्षेत्रों में वहां की उनकी आजीविका के साथ जोड़ना चाहते हैं, उनको बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिये भी बजट में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। खास करके धमतरी, कुरूद में पशु चिकित्सालय परिसर में वहां के लिये चिकित्सा भवन, आवास का है, इसके लिये भी बजट में व्यवस्था किये हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें भी बहुत सारी व्यवस्था के लिये हमने बजट में प्रावधान किया है। पशुधन के साथ हमारा एक महत्वपूर्ण मत्स्य पालन का विभाग है। मत्स्य पालन के बारे में आदरणीय कवासी लखमा जी को अच्छी जानकारी है।

श्री केदार कश्यप :- कांटा फंस गया था।

श्री रामविचार नेताम :- अब पता नहीं कैसे फंसा था। कौन सी मछली थी? सभापति महोदय, इसमें हम यह कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में हम लोगों ने काफी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल किया है। छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य पालन के क्षेत्र में निरंतर विकास और प्रगति की ओर अग्रसर हैं। मछलीपालन कम लागत एवं कम समय में कृषि के सहायक व्यवसाय के रूप में ग्रामीण अंचलों में अत्यंत ही लोकप्रिय है जो हर जिले, हर कस्बा तक फैला हुआ है।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, मैं आपसे ही कह रहा हूं। थोड़ा समय का ख्याल रखियेगा।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, अब समय का ख्याल ही है। अभी तो कृषि से संबंधित विभाग है और सबसे प्रदेश की जो जरूरत है, अभी आदिवासी बाहुल्य वाला विभाग में आया नहीं हूं जो हर कोई उसी को सुनना चाह रहा है। मुझे मालूम है कि बाकी लोग जितने हैं, सब लोग उसके बारे

में सुनना चाहते हैं। लेकिन ये मत्स्य पालन के बारे में भी सुनना चाहते हैं। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि..।

श्री कवासी लखमा :- सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने मेरे को रोककर रखा है। मैं उसी को सुनने के लिये आया हूं।

श्री रामविचार नेताम :- मैं बता रहा हूं। मैं उसमें आने वाला हूं। आपको ट्राइवल का बताऊंगा आप लोगों ने जितने छात्रावास के बारे में प्रश्न किया है, वह सबकी मैं जानकारी दूंगा। सभापति महोदय, मत्स्य बीज के बारे में बता रहा था राज्य मत्स्य बीज आपूर्ति क्षेत्र में आत्मनिर्भर जो भारत है, उसमें अंतरदेशीय मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में हम पूरे देश में छठवां से पांचवां स्थान पर आये हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि यहां ये क्षमता है, इसको पाया जा सकता है। इसके लिए भी हम लोगों ने उनकी ट्रेनिंग से लेकर के, मत्स्य तालाबो के निर्माण से लेकर के, बाकी में भी हम लोग हेचरी निर्माण से लेकर के हेचरी में और कैसे वृद्धि की जा सके, इसके लिये भी अन्य सर्कुलर में आदरणीय हमारे कुंवर सिंह निषाद जी ने बहुत चिंता व्यक्त की। चूंकि आप उस समाज को बिलांग करते हैं, निश्चित ही आपकी चिंता वाजिब है। आपने इस बारे में जो चिंता जाहिर की है, जरूर ही हम उसमें क्या हो सकता है, हम बेहतर प्रयास करेंगे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय मंत्री जी, आपके पावर में है, आप उसको कर सकते हैं।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, खास करके तालाबों की जो लीज का मामला है, बाकी इसमें मत्स्य पालन के नियम हैं। वह तो आपके समय में भी बना था। आप लोगों ने कुछ नहीं किया और हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप कर दो। अरे भई, अगर आप नाउम्मीद हो गये, स्वाभाविक है कि आपको हमसे उम्मीद है तो उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे। हम काम करेंगे, आप चिंता मत करिये। हम लोग बेहतर दिशा में आगे बढ़कर के काम करना चाह रहे हैं। वर्ष 2025-26 में राज्य का मत्स्य बीज उत्पादन 583 करोड़ से बढ़कर, माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2026-27 में 585 करोड़ स्टेंडफ्राई हो गया, इतना-इतना मत्स्य का हम लोग बीज उत्पादन कर रहे हैं और राज्य के मत्स्य पालकों की मांग अनुरूप उत्तम गुणवत्ता वाले मत्स्य बीज आपूर्ति के साथ-साथ पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, केरला एवं गोवा । मत्स्य बीज की आपूर्ति की जा रही है, सुन लीजिये । हम सबको गर्व होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का पानी और यहां की जवानी, यहां के बल पर हम बाकी प्रदेशों में भी आपूर्ति कर रहे हैं और इसी प्रकार से हम इधर बैठते रहे, इसी प्रकार से हमारी सरकार 10-20 साल चलती रही तो हम विदेश तक भी यहां की मछली भेजेंगे । (मेजों की थपथपाहट) चिंता मत करिये ।

माननीय सभापति महोदय, हमने मत्स्य उत्पादन में बता दिया । इसके साथ-साथ मछुआ दुर्घटना के लिये भी स्कीम है, योजना है । स्वयं की भूमि में तालाब बनाने के लिये भी स्कीम है ।

इसके लिये भी इसी में योजना है, चूंकि समय की मर्यादा है, मैं इसमें बहुत ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूं । जलाशयों एवं खदानों में केज कल्चर के माध्यम से हमारा मत्स्य का उत्पादन हो रहा है । हम लोग एक और जोर दे रहे हैं कि माईनिंग से जो काफी गड्ढ़े हो जाते हैं, काफी तालाब हो जाते हैं, जलमग्न होता है, वहां भी केज कल्चर से हम मत्स्य का उत्पादन कर रहे हैं और इसके साथ-साथ में टूरिज्म को भी जोड़ रहे हैं । उसके साथ जायें, इस प्रकार से हो रहा है । हमारे आदरणीय संसदीय कार्यमंत्री जी के यहां भी कुछ हम सोच रहे हैं कि वहां भी मत्स्य पालन का क्षेत्र बढ़ाया जाये तो उस ओर हम लोगों का ध्यान है । इस बार मत्स्य पालन के लिये जो बजट प्रावधान किया गया है उसमें वर्ष 2025-26 में राज्य आयोजना में 5086 लाख था जिसमें कि 5081 लाख प्रावधान किया गया ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- मेरे विधानसभा में ।

श्री रामविचार नेताम :- नहीं, टोटल हमारे स्टेट का है । इसी प्रकार से हमारा कुल मत्स्य पालन का अलग-अलग मांग शीर्ष के आधार पर अगर हम देखें तो इसमें ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने का भी है इसके लिये भी हमने प्रावधान किया है । इसके साथ ही साथ पॉलिटेक्निक राजपुर धमधा, जिला दुर्ग के भवन निर्माण के लिये और बाकी छात्रावास निर्माण के लिये 3 करोड़ रूपये की वहां व्यवस्था की गयी है, वह बजट में प्रावधान है । इसी प्रकार से हम पॉलिटेक्निक राजपुर धमधा, दुर्ग, बस क्रय हेतु उसके लिये भी राशि की व्यवस्था की है । सरगुजा संभाग में मत्स्य पालन प्रचार-प्रसार योजना एवं झींगा पालन, झींगा पालन के लिये भी 280 लाख का इसमें कुल मिलाकर के इन योजनाओं के तहत् 660 लाख का प्रावधान किया गया है । इस प्रकार से मत्स्य में भी अगर हम देखें तो वर्ष 2026-2027 में हमारा जो बजट प्रावधान है वह आयोजना में 4594 लाख इस प्रकार से इतनी राशि का हमने इसके तहत् प्रावधान किया है ।

माननीय सभापति महोदय, यदि हम इसमें कुल देखें तो मत्स्य पालन में पूरे प्रदेश में अलग-अलग और भी नयी स्कीम जैसे कि कोरबा में भी हम निर्माण कर रहे हैं, बड़ा वहां पर हमारा आयोजन हो रहा है, बड़ी स्वीकृति दी गयी है । मैं समझता हूं कि उसका काम काफी तेजी से बढ़ेगा तो प्रदेश के लिये एक बड़ी सौगात उसमें मिलने वाली है । हम उसे भारत सरकार के सहयोग से बना रहे हैं और वहां एक्वेरियम बन रहा है तो निश्चित ही प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात जो मिली है इसके लिए हम केन्द्र सरकार के आभारी हैं कि हमें कोरबा में इसके साथ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक अवसर प्राप्त होगा। हमारे पास जो एक विभाग है उसमें ट्रायबल है। यहां ट्रायबल के बारे में लोगों का तरह-तरह का आरोप-प्रत्यारोप हो रहा था, मैं उसी के बारे में सबसे पहले जानकारी दे दूं । आपकी जो सिंहावा के बारे में चिंता थी वहां सिंहावा के बारे में बताया गया और बाकी जगह में आदरणीय हमारे कवासी और बाकी सदस्यों ने भी चिंता व्यक्त की, माननीय जनक ध्रुव ने बताया कि वहां छात्रावास, आश्रम बिल्डिंग जर्जर हालत में है, वहां बन नहीं पा रहा है तो मैं आपको यह बता देना चाहूंगा कि वर्ष 2024-2025 और

वर्ष 2025-2026 में 167 आश्रम छात्रावास का नवीन भवन बनने की स्वीकृति दी गयी है। वहां पर बनना शुरू हो गया है, जिसमें कि दो जो है, बाकी 167 आश्रम छात्रावास का निर्माण चालू हो गये हैं, उस 167 आश्रम छात्रावास का टेण्डर हो गया है, जिसमें 2 निविदा स्तर पर हैं, इस प्रकार से हमारी यह योजना है। इसी प्रकार से जो धरती आबा जो भारत सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, कवासी लखमा जी, आपसे कुछ बोलना चाह रहे हैं।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, आप 167 आश्रम छात्रावास बना रहे हैं तो एकाध जगह सुकमा में भी बता दीजिए कि वहां पर हो रहा है।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको पूरा ही बताने वाला हूँ। अभी मैं ट्रायबल में शुरूआत कर रहा हूँ। उद्यानिकी का भी था, हमारे पास उद्यानिकी विभाग भी है। उसके तहत हम कृषकों की आय की वृद्धि बढ़ाने के लिए उनका उत्पादन कैसे बढ़े, फल, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती और भी मसालों की खेती के साथ-साथ में हमारे पास बांस मिशन भी है और अन्य मसालों की खेती के लिए भी है। इसी प्रकार एकीकृत बागवानी मिशन के तहत हम हाईटेक नर्सरी बनाते हैं जो लता जी ने चिंता जाहिर की है। हम लोगों ने इसमें हाई टेक नर्सरी के लिए भी कुछ योजनाएं स्वीकृत की हैं और कृषि सिंचाई योजना भी है, जिसके तहत सिंचाई और जल संरक्षण के लिए काम करते हैं। यहां सिंचाई की क्षमता का कैसे विस्तार किया जाये और उसे कैसे बढ़ाया जा सके इसके लिए इसमें 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। एकीकृत बागवानी मिशन के लिए भी 150 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। फसल कटाई के पश्चात् उसके प्रबंधन की व्यवस्था करना, टिशू कल्चर को बढ़ान, टिशू नर्सरी, हाई टेक नर्सरी, हम इस तरह से इन नर्सरियों का कैसे उन्नयन कर सकें और उनको कैसे हाई टेक बनाया जा सके, इसके लिए भी इस बार 150 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो होता है उसके तहत फल, फूल, सब्जी, मसालें इसका विस्तार करने की स्कीम है जिसके तहत अलग-अलग सेक्टरों में आप सबको मालूम है कि हम क्षेत्र की अलग-अलग जलवायु है बस्तर अंचल के कुछ क्षेत्र की जलवायु अलग है, कुछ सुदूर अंचल रायगढ़, जशपुर का अलग है। बाकी हमारे बस्तर के नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा का हो गया। इन क्षेत्रों में कलस्टर में अच्छा उत्पादन हो सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए, हम कर रहे हैं। इसमें जैसे कि पॉम आईल की हमारी एक बहुत बड़ी चुनौती है। देश की आज आईल, खाद्य तेलों की जितनी जरूरत है, हमारे पास उतना उत्पादन नहीं हो रहा है। जबकि यह संभावना है। यहीं पर हम तेलंगाना को देखें, हम आंध्रा को देखें कि इन प्रदेशों में जो पाम आईल है उसकी खेती को बढ़ावा मिला है। वहां पर बहुत बड़े स्केल में हो रहा है। हमारे इन क्षेत्रों में लगा हुआ इनको भी हम आगे बढ़ावा देने के लिए हमने इसमें विशेष प्रावधान किया है। महोदय, इसके लिए जरूरी है कि जब हमारे इन क्षेत्रों में पामआईल का रकबा बढ़ेगा तो निश्चित है कि यहां के किसानों की आय में वृद्धि होगी, वहीं पर हमारे देश में खाद्य तेलों की जो

जरूरत है, उसके लिए हम विदेशों पर निर्भर रहते हैं, हमारी जो निर्भरता है, उससे हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे ।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से राष्ट्रीय बांस मिशन को भी बढ़ाने के लिए 8 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, इसके क्षेत्र विस्तार करने के लिए भी किया है। इसी प्रकार से सुगंधित फसलों के लिए भी किया है, नवीन बजट के रूप में हाईटेक नर्सरी उन्नयन के लिए भी प्लक टाईप नर्सरी है, नर्सरी यूनिट स्थापना, सेन्टर आफ एक्सीलेंस है, फ्लोरीकल्चर के हब के रूप में हम कैसे बढ़ावा दे सकें, खासकर जो मंदिर वाले क्षेत्र हैं, जैसे महामाया जी का मंदिर है, दंतेश्वरी माता का मंदिर है, बम्लेश्वरी माता का मंदिर है । इस प्रकार से हमारे प्रदेश के जो बड़े तीर्थ स्थल हैं, वहां पर फूलों की जरूरत पड़ती है । उन क्षेत्रों में ही कलस्टर बनाकर फूल का उत्पादन करें । जो वहां की जरूरत है, उसकी आपूर्ति वहीं हो जाये । बाकी वहां किसान जो पैदा करेंगे, उनकी आय में वृद्धि हो सकती है, इसके लिए भी हम योजना बनाकर काम कर रहे हैं । सेन्टर आफ एक्सीलेंस के लिए हम नवा रायपुर में इंडो-डस्टक सहयोग से हम हाईटेक खेती का प्रशिक्षण देने के लिए भी आगे बढ़कर काम करना चाह रहे हैं । आदरणीय दलेश्वर जी चिंता व्यक्त कर रहे थे । हम निश्चित ही हम एक दिन आपके साथ बैठेंगे ।

सभापति महोदय, गन्ना उत्पादक, अभी कहां गई हैं, उनको बुला लीजिए, मैं अभी बताता हूं । (श्रीमती बोहरा की ओर इशारा करते हुए) गन्ना उत्पादक जितने भी किसान यहां पर बैठे हैं, खासकर जनप्रतिनिधि बैठे हैं, उनके साथ मैं इसी सत्र में यहां बैठूंगा और उनकी जो-जो जरूरतें हैं, जो-जो सुझाव है, उन सुझावों को सुनकर हम गन्ने का उत्पादन इस प्रदेश में कैसे बढ़ा सकें, ऐसा सोचकर हम एक योजना बनाएंगे। ऐसा सोचकर हम फ्लोरीकल्चर में हम काम कर रहे हैं । इसके लिए फ्लोरीकल्चर हब के रूप में जैसा मैंने बताया कि यहां हम काम कर रहे हैं, इसके लिए 6 करोड़ रूपए का प्रावधान है और इसे 1600 हेक्टेयर में करने का हमारा विचार है । नवीन मद के रूप में अनेक छात्रावास और बाकी भवन हैं, कॉलेज हैं, उसके लिए भी स्वीकृतियां मिल रही हैं, वह सब काम हम कर रहे हैं ।

माननीय सभापति महोदय, अगर हम पोटा केबिन के बारे में बात करें तो पोटा केबिन की जगह पर हम एक सुसज्जित भवन, छात्रावास आश्रम भवन बना रहे हैं और 2025-26 में धरती आबा जनजाति उस अभियान के तहत जितने भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में छात्रावास और आश्रम भवन हैं, उन सबको हम सुसज्जित करेंगे, अच्छा बनाएंगे । जहां का लेट-बाथ अगर ठीक नहीं है, उसको अभियान चलाकर उसे भी पूरा करने का हमने संकल्प लिया है । आदरणीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है । जिस योजना के तहत हमारी धरती आबा जो जनजाति विकास योजना है, इस योजना के तहत अनेकानेक 17 विभाग मिलकर पूरे देश भर में अलग-अलग राज्य हैं, उन राज्यों में काम हो रहे हैं । उसी के तहत हमारे प्रदेश के 6691 ग्राम को चयनित करके वहां पर डेव्हपलमेंट का एक वृहद कार्य योजना बनाकर हम काम कर रहे हैं । हमने 169

छात्रावास बताया, इसी प्रकार से 186 छात्रावास जितने बचे हुए हैं, भवन विहीन और खराब हालत में हैं, वहां 186 छात्रावास हैं, कुल मिलाकर 355 भवनविहीन छात्रावास आश्रम को पूरा करने का संकल्प हमने लिया है और उसे पूरा करेंगे । उसके टेण्डर की प्रक्रिया चल रही है । उसे पूरा करने वाले हैं ।

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, सुकमा में दो जगह के आश्रम, छात्रावास का नाम तो बता दीजिए ।

श्री केदार कश्यप :- उसी में पूरा है, उसको पढ़िए न ।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने मुझे छेड़ दिया है, मैं कुछ बोलूंगा।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, एक ऐसा छत्तीसगढ़ जहां विकास की रोशनी जंगलो और पहाड़ों के उस अंतिम घर तक पहुंचे, जहां आज भी आदिवासी समाज अपनी संस्कृति और परम्पराओं के साथ जीवन जी रहा है। उनकी चिंता, उनकी सुरक्षा, उनका सरंक्षण, उनका विकास यह सब हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। जनजातीय समाज, छत्तीसगढ़ की एक पहचान है। जनजातीय संस्कृति छत्तीसगढ़ की आत्मा है। जनजातीय विकास ही छत्तीसगढ़ की असली प्रगति है। हम इसको ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। हम उन्हें केवल मुख्यधारा में ही नहीं ला रहे हैं, बल्कि हम उन्हें सम्मान, शिक्षा और रोजगार, आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन दे रहे हैं, ऐसा सोचकर हमारी सरकार काम कर रही है।

सभापति महोदय, हमारे यहां जो प्रिमिटिव टाईब्स हैं, जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया, बिरहोर, इनके समग्र विकास के लिए भी हमारी सरकार ने एक वृहद योजना बनाई है। उनके लिए पक्के मकान, उनके सड़क, मोबाइल मेडिकल यूनिट, छात्रावास, पाइप लाईन से जल आपूर्ति, आंगनबाड़ी बंधन केन्द्र, बहुउद्देशीय सेवा केन्द्र, बिजली पानी, सौर उर्जा, मोबाइल टावर, कौशल विकास, इस तरह से एक योजना बनाकर हम उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। हम उन्हें बाकी लोगों की बराबरी में लाना चाहते हैं, ऐसा सोचकर हमारी सरकार काम कर रही है। इसलिए हमारी सरकार ने इन क्षेत्रों में हर घर में बिजली, हर घर में जो सुविधाएं हैं, हम कैसे उन तक विस्तार कर सकें, ऐसा सोचकर हम लगातार काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, जहां तक इंजीनयरिंग से लेकर मेडिकल, बहुत सारी योजनाओं पर बात हुई है। हमारी सरकार बीजापुर में 600 सीटर 'प्रयास' आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया है। (मेजों की थपथपाहट) अब तो ताली बजा सकते हैं। बीजापुर और आपके क्षेत्र में क्या विशेष अन्तर है ? इसी प्रकार से कोरबा में प्रिमिटिव आवासीय विद्यालय, नये छात्रावास की स्थापना, इंजीनयरिंग कालेज 'उड़ान' इंजीनयरिंग, मेडिकल और विधि प्रवेश के लिए एक बड़ी सोच लेकर हमारे वित्तमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना की स्वीकृति दी है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस उड़ान के माध्यम से, इसके साथ ही साथ 'शिखर' के माध्यम से यू.पी.एस.सी. और सी.जी.पी.एस.सी., 'मंजिल' के

माध्यम से एस.एस.सी., बैंकिंग, रेल्वे की परीक्षाओं में क्वालीफाइ कर सके, इसके लिए 16 करोड़ रूपये ऊपर की राशि दी गई है।

सभापति महोदय, अगर हम इसी तरीके से बात करें तो हमारी सरकार केवल विकास ही नहीं बल्कि जनजातीय संस्कृति के सरंक्षण के लिए, इनके संवर्द्धन के लिए रायपुर में जनजातीय संग्रहालय वीर नारायण सिंह स्मारक जनजातीय स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों का संग्रहालय, विश्वस्तरीय मापदण्ड के आधार पर बनाया है। मैं समझता हूं इसको देखकर बाकी राज्य के लोग, वहां की बेटियां आकर देख रही हैं कि छत्तीसगढ़ ने जो उपलब्धि हासिल की है, छत्तीसगढ़ में जो स्मारक बना है, मैं समझता हूं कि बाकी राज्यों को भी बनाना चाहिए। सुकमा के बारे में बता देना चाहूंगा कि गादीरास सुकमा आपके क्षेत्र में है। (मेजों की थपथपाहट) कोटलापाल आपके क्षेत्र में है, यहां 50 सीटर एस.टी. बालक छात्रावास की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।

श्री कवासी लखमा :- अभी बना नहीं है।

श्री रामविचार नेताम :- बना रहे हैं, बना देंगे। इसी प्रकार से बीजापुर में 5 सौ सीटर नवीन प्रयास, गादीरास सुकमा में 5 सौ सीटर जनजातीय छात्रावास की स्वीकृति दी गयी है, नवीन छात्रावास के भवन की स्वीकृति दी है और इसी प्रकार से जनजातीय बालक छात्रावास केरलापाल, सुनो केरलापाल, माड़ीसरई, मनेंद्रगढ़।

श्री केदार कश्यप :- बाद में उनको लिस्ट उपलब्ध करा दीजिएगा।

श्री राम विचार नेताम :- इसी प्रकार से इन्होंने इसके बारे में प्रश्न उठाए, कोरबा के बारे में बात किया, विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में और कमारी के बारे में, बलरामपुर जिला कुरंधा, कवर्धा, राजपुर इन क्षेत्रों में भी काम करने का सालेवारा, ये सब जो है...।

श्री केदार कश्यप :- पानी पी लीजिए। माननीय मंत्री जी और कितना समय लेंगे? और भी विभाग हैं। आप दो घंटा बोल चुके हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- कवासी दादा, पानी पी-पी के धो रहे हैं।

श्री राम विचार नेताम :- सभापति महोदय, इस प्रकार से हमें प्रदेश में जो जनजातीय समाज के लिए या बाकी समाज के लिए जो हमारी सरकार जिस प्रकार से एक प्रामाणिक तरीके से हम जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आप सपने में भी सोचे नहीं होंगे, आज हमारी सरकार वह काम कर रही है। किसने सोचा था कि बस्तर जब एक समय जलता था, एक समय वह हमारा टापू बना हुआ था, जहां नक्सलियों का आतंक गूंजा करता था। आज हमारी सरकार और आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्णय हुआ कि देश भर में हमारे जो आतंकवादी और नक्सलवादी हैं, इनका हम सफाया किए बगैर उन प्रदेशों का विकास नहीं कर सकते और उसे प्रामाणिकता के साथ हमारी सरकार ने उसे पूरा किया है। उन क्षेत्रों से नक्सलियों का सफाया ही नहीं किया, बल्कि वहां के लोगों को

एक नई रोशनी देने का काम किया है। विकास की रोशनी के साथ-साथ में तमाम सारे वहां डेवलपमेंट की नई-नई आज जो संभावना बनी है, आज एक से एक संस्था वहां पर आ रहे हैं। रोड है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसके साथ-साथ में आज एक से एक रोजगार के अवसर वहां पर पैदा हो रहे हैं। सभापति महोदय, इन सबको लेते हुए इन क्षेत्रों में हम लोगों ने एक बेहतर काम किया है और इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हमारी सरकार आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की जो हम 2047 की कल्पना करते हैं कि 2047 में देश विकसित भारत होगा, तो विकसित भारत की दिशा में छत्तीसगढ़ भी विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए ये तीन करोड़ यहां की जनता का हम उनका आशीर्वाद लेते हुए हम यहां की बेहतरी के लिए काम कर रहे है और पूरी कमिटमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं और इसलिए मैं आप सब, आज जितने सदन के माननीय सदस्य हैं, उन सबके विचार को मैंने सुना है। बहुत सारे लोगों का हम जवाब नहीं दे पाए हैं, लेकिन हम जवाब जैसा भी होगा, हम आपका जवाब भेजेंगे। मैं खास करके आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबके प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका अभिवादन। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, अब मैं यही निवेदन करूंगा कि हमारे विभाग से संबंधित जो मांग है, उस मांग को आप बड़े मन से, बड़ा मन करते हुए इसे सर्वानुमति से स्वीकृति करिए, पास करिए और छत्तीसगढ़ के विकास के मॉडल के रास्ते में ले जाने का रास्ता प्रशस्त करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या -13, 14, 16, 33, 41, 42, 54, 68, 82 एवं 83 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किए जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

समय :
8.00 बजे

सभापति महोदय :- अब, मैं मांगों पर मत लूंगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 13 कृषि के लिए- सात हजार पचहत्तर करोड़, नब्बे लाख छप्पन हज़ार रुपये,

मांग संख्या - 14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय के लिए - छः सौ छप्पन करोड़, बारह लाख, उनचास हजार रूपये,

मांग संख्या - 16 मछली पालन के लिए - एक सौ दस करोड़, सड़सठ लाख, तीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 33 आदिम जाति कल्याण के लिए- एक सौ सन्तावन करोड़, पांच लाख, अन्ठावन हजार रूपये,

मांग संख्या - 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिये- उनतालीस हजार पांच सौ अड़सठ करोड़, अठारह लाख, बीस हजार रुपये,

मांग संख्या - 42 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल के लिये- एक हजार पांच सौ छियानबे करोड़, नवासी लाख रुपये,

मांग संख्या - 54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय के लिये- चार सौ सैंतालीस करोड़, तीस लाख रुपये,

मांग संख्या - 68 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन के लिये- दो सौ पन्द्रह करोड, उनहत्तर लाख, उन्नीस हजार रुपये,

मांग संख्या - 82 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिये- चार सौ तिरपन करोड़, इक्यानबे लाख अड़सठ हजार रुपये तथा

मांग संख्या - 83 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये- दो सौ छप्पन करोड़, चौबीस लाख, अड़सठ हजार रुपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(2) मांग संख्या - 6 वित्त विभाग से संबंधित व्यय

मांग संख्या - 7 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय

मांग संख्या - 21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय

मांग संख्या - 31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावि व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 6 वित्त विभाग से संबंधित व्यय के लिए- नौ हजार छः सौ तीस करोड़, तीस लाख, बीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 7 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय के लिए- पांच सौ दस करोड़, बयासी लाख, सत्तर हजार रूपये,

मांग संख्या - 21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय के लिए- एक हजार दौ सौ सैंतालीस करोड़ तथा

मांग संख्या - 31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय के लिए- बयासी करोड़, उनचास लाख, साठ हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या-6

वित्त विभाग से संबंधित व्यय

1.	श्री कवासी लखमा	1
2.	श्रीमती शेषराज हरवंश	1

मांग संख्या-7

वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय

1.	श्रीमती शेषराज हरवंश	2

मांग संख्या-21

आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय

1.	श्री कवासी लखमा	1
2.	श्रीमती शेषराज हरवंश	2
3.	श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह	2

मांग संख्या-31

योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय

निरंक

सभापति महोदय :- उपस्थिति सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी।

सभापति महोदय :- माननीय कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम के विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा में लगभग 8 घण्टे का समय लगा है । आज ही माननीय वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी तथा श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने महिला एवं बाल विकास मंत्री के विभागों से संबंधित अनुदान की मांगों पर चर्चा पूर्ण कराई जायेगी । मैं सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे पास जिन वक्ताओं के नाम प्राप्त हुये हैं, केवल उन्हीं माननीय सदस्यों को अपने विचार रखने की अनुमति दी जायेगी। सभा की कार्यवाही को संचालित करने में आपकी सहयोग की अपेक्षा है । श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- धन्यवाद, सभापति महोदय । जैसा कि आपने बताया है कि समय भी बहुत हो गया है और विभाग भी बचे हैं, मैं अपनी बातें थोड़ा संक्षिप्त में रखना चाहूँगा । आज जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुये हैं, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में और मांग संख्या 6, 7, 21, 31 के विरोध में अपनी बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूँ । आदरणीय सभापति महोदय, जब हम इन विभागों को देखें तो इसमें वित्त विभाग, योजना आर्थिकी एवं सांख्यिकी, 20 सूत्रीय क्रियान्वयन, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण है । यह विभाग ऐसे हैं, जिनकी धुरी हर विभाग से जुड़ी होती है । यदि काम आवंटित होता है तो भी वित्त विभाग, उसकी स्वीकृति एक राशि के ऊपर लेनी होती है, तो भी वित्त विभाग, अगर किसी का क्रियान्वयन करना होता है, आयोग अगर बीच में आता है तो जितने घोषणा पत्र में चीजें आती है, उसके लिये संबंधित विभागों को योजना बनाने का, उसके बारे में बाकी चीजें प्रकाशित करने का, पॉलिसी सबसे इंपार्टेंटली बनाने का, इन सारे विभागों का एक ज्वाईंट जिम्मेदारी बीच में रहती है । एक निर्णय इन विभागों से होते हैं और जो उसके ऐसेस्ट्स है वह करीब-करीब सभी को जाता है । इसका पहला उदाहरण हमने देखा है, इकानॉमिक्स मेरा इंट्रेस्ट जरूर रहा है, लेकिन जब बजट को इतनी अच्छी तरह नहीं समझता था तो जो बजट में आ गई यानी शायद वह तुरंत बननी चालू हो जायेगी । जब सरकार बदलती है तो पुराने काम रोक भी दिये जाते हैं, यह बाद में पता चला । हमारे ऐसे कई कार्य रूके, हमारे कई कार्य ऐसे आगे बढ़े, मैं इस पर आरोप और प्रत्यारोप पर नहीं जाना चाहूँगा । वित्त विभाग में एक बार चर्चा हो चुकी है, मैंने अपनी बात उस पर रखी थी । सभापति महोदय, मैं आपके अनुमति से पॉलिसी मैटर पर बोलना चाहूँगा । अगर हम योजना, आर्थिक सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय क्रियान्वयन की बात करें तो मंत्री जी इस बात को मानेंगे कि लगभग जितने बड़े विभाग हैं, उसका सारा

इन्फर्मेशन से लेकर जितना उनको सुझाव देना है, क्रियान्वयन है, इससे रिलेटेड आ जाता है । यह एक ऐसा विभाग है, जो सबके ऊपर नजर रखता है, चाहे वह पंचायत ग्रामीण विकास हो, नगरीय प्रशासन हो, उर्जा से लेकर लोक निर्माण लगभग 10 प्रमुख विभाग हमारे प्रदेश के हैं, वह इनके साथ काम करते हैं ।

समय :

8:07 बजे **(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए)**

सभापति महोदय, अगर हम कार्यक्रमों की बात करें तो मनरेगा से लेकर खाद तक, आवास तक, ओव्हरऑल स्टेट पालिसी जो पूरे स्टेट के लिये हम बनाना चाहते हैं, किस तरह बजट बनेगा, हम किस दिशा और दशा की ओर स्टेट को ले जाना चाहते हैं, उसमें इनका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहता है । सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण कार्य के साथ-साथ मैं इनकी कार्य आवंटित कार्यसूची भी देख रहा था । उसमें एक बात आई कि संपूर्ण राज्य के लिये विभिन्न जिलों तथा क्षेत्रों के लिये, सेक्टरों में विकास का दर निर्धारित करना है । यह बिल्कुल अच्छी बात है, हमें करनी भी चाहिये । समीक्षा भी करनी चाहिये कि हमारा कितना कार्य हुआ है और हम कितना आगे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या क्रियान्वयन करने में हम क्षेत्रवार किसी को नीचे और ऊपर तो नहीं रख रहे हैं ? क्या हमारी गति एक है कि नहीं है, इसके बारे में भी हमें सोचकर विचार करना होगा । आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि चूँकि बात पूरे बजट की है, लेकिन कहीं न कहीं मंत्री जी मैं जांजगीर में Concentrate हो जाता हूं । आप वहां कलेक्टर भी रहे, प्रभारी मंत्री भी रहे, लेकिन जितना ध्यान और प्यार आपकी ओर से हम लोगों को मिलना था, वह नहीं मिल पाया। आज ढाई साल हो गए हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में कम से कम वह हमें मिले। चूंकि ये खाद्य से भी है और पॉलिसी मैटर्स पर भी है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। जब मैंने यहां पर धान खरीदी की बात की थी, बिल्कुल धान खरीदी 3100 रूपये में हुई है। यहां स्थगन के माध्यम से और बाकी माध्यम से जो बातें आ रही थीं, वह ये आ रही थीं कि बहुत लोग छूट गए। हम इस बात पर झगड़ा नहीं कर रहे थे कि इनका धान बिका, उनका धान नहीं बिका और फर्जी बिक गया। उनका तो बिका लेकिन अंतिम छोर का कुछ व्यक्ति छूट गया था। आखिर वह क्यों छूटा, हमने एक-एक दाना क्यों नहीं खरीदा ? इसकी एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है और हम सबकी बनती है। क्योंकि यदि हमने उनसे वादा किया है, अगर किसान परेशान है, हमने यहां पर धान की बालियां लगा रखी हैं लेकिन अगर हम धान खरीदने में असमर्थ हैं तो ये सारे विभागों की, हमारी सरकार की, पक्ष और विपक्ष की, सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। मैंने एक बार जब यहां पर बात कही तो मुझे एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि आप गलत बात कर रहे हैं, मैंने लिखित तौर पर उनको बाई पोस्ट पहुंचवाई है, आदरणीय मंत्री जी को वह जानकारी है। हमारे यहां एक किसान टॉवर पर चढ़ गया था, आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था,

हमारे यहां एक किसान ने जहर पी लिया, वह मेरे विधानसभा का मामला था, एक सोसाइटी में किसान हिल ही नहीं रहे थे जब तक उनका धान न बिके, अल्टीमेटली उनके ऊपर FIR दर्ज की गई। ये पॉलिसी मैटर्स हैं जिसको हमको देखना होगा। आदरणीय सभापति महोदय, इस विधानसभा सत्र में जब हम लोग नए आए तो हम लोग पहली बार के सदस्य हैं । इस विभाग को लेकर बहुत जानकारियां हमारे पास नहीं थीं। लेकिन जब इस विधानसभा के इस सत्र में हम लोग आए तो एक अचंभित चीज हम लोगों के सामने आई। किसी के द्वारा ये कहा गया कि विभाग डिसाइड करेगा प्राथमिकताएं क्या हैं ? आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये काम AC में बैठे अधिकारी नहीं कर पाएंगे, प्राथमिकताएं तय करने का सुझाव आपको जनप्रतिनिधि से लेना पड़ेगा। मैं आपको अपने यहां का एक उदाहरण दे देता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, हमारे यहां 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नो एंट्री होती है। उसके बाद आप अकलतरा नगर में खड़े नहीं हो सकते हैं, ट्रकें इतनी तेज चलती हैं और उतना ही धुएं का गुबार होता है। पिछले महीने तीन ट्रक आपस में भिड़ गए और ड्राइवर और हेल्पर अंदर जिंदा जलकर खत्म हो गए। ये बाईपास हमारा पिछले बजट में भी स्वीकृत था, आदरणीय मंत्री जी इस बजट में भी स्वीकृत है लेकिन अभी तक उसकी स्वीकृति नहीं मिली है। इसकी प्राथमिकता हम बताएंगे कि इसकी वजह से वहां पर हम कितना नुकसान झेल रहे हैं । सिर्फ यही नहीं, बाकी सारी योजनाओं में क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, इस पर मंत्री जी आपसे निवेदन है कि हम लोगों के भी सुझाव लें, क्योंकि जब जानें जा रही हैं, किसान परेशान हैं तो हमें इसके बारे में सोचना होगा। निर्वाचन क्षेत्र योजना भी इसी के माध्यम से, इस योजना विभाग के माध्यम से आती है। 4 करोड़ रूपये लगभग है जिसमें 1 करोड़ प्रभारी मंत्री जी के माध्यम से मिलता है। अब चूंकि हम लोग विपक्ष के हैं तो हम लोग तो उससे वंचित हो जाते हैं, बाकी लोगों को मिल जाता है। लेकिन जैसे कि छोटी-छोटी बात होती है, SOR बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, मुझे लगता है कि इस बात से पक्ष के हमारे विधायक महोदय लोग भी इससे सहमत होंगे कि इसमें थोड़ी बढ़ोत्तरी की जाए, ताकि कन्वर्जेंस में और बाकी चीजों में लेकर हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम अपनी विधान सभा क्षेत्र में करा सकें।

आदरणीय सभापति महोदय, अर्थव्यवस्था संबंधी कार्य और उससे जितने डेटा हैं, वे इस विभाग द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के भी डेटा इनके द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। लेकिन कहीं न कहीं मैं देख रहा था कि नेशनल एवरेज और हमारा स्टेट एवरेज मंत्री जी इसमें थोड़ी सी डिस्पैरिटी है। इसमें यदि एक डेटा और आए कि हमारा रूरल कितना इनकम है, हमारा सेमी-अर्बन का कितना इनकम है, हमारा अर्बन का कितना इनकम है। मेरे ख्याल से सेमी-अर्बन और अर्बन को अब मिला दिया गया है। लेकिन रूरल और अर्बन के इनकम जब तक अलग आंकड़ों में हम सामने नहीं लाएंगे, तब तक हमें प्रदेश की वास्तविक स्थिति नहीं पता लग सकती है। सभापित महोदय, मैं आपके

माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि इस डेटा को भी आप बाहर लाएं ताकि हमें एक एक्स-रे पता लग सके कि हमारी फाइनेंशियल स्थिति, हमारी प्रति व्यक्ति आय आखिर कितनी है। मैं बोलना चाहता था लेकिन चूंकि समय कम है और ये हमारे स्टेट का इशू नहीं है। मंत्री जी अब तो हम GSDP का बेस ईयर चेंज कर रहे हैं, उससे काफी चीजें चेंज होंगी। इसको कैल्कुलेट करने में हम Proportion Denton Method भी लाने वाले हैं । लेकिन चूंकि यह सेंट्रल का विषय है। इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। मैं आगे आता हूं, इन विभागों के अंतर्गत ही हमारा नीति आयोग भी काम करता है। मैंने एक प्रश्न लगाया था कि यह विजन डॉक्यूमेंट बनाने में कितने पैसे खर्च हुए? तो जवाब आया था कि इसको सेंट्रल की एजेंसी निक्सी को दिया गया था और करीब साढ़े 9 करोड़ रुपए इसका खर्चा आया था। मंत्री जी यह बात कह सकते हैं कि जब हम लोगों ने विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा बुलाई थी तो आप लोग उस दिन विधान सभा में नहीं आए थे, लेकिन उसका एक कारण है। अगर हम इस विजन डॉक्यूमेंट को हम पूरा पढ़ें तो मुझे यह कहने में अतिश्योक्ति नहीं लगती कि ऐसा लगता है कि कोई essay writing competition था। ऐसा इसलिए, क्योंकि उसमें स्कॉलर्स का उल्लेख, उसमें कहीं न कहीं हम लोग बात करते हैं कि वह दीर्घकालिक होगा, एक लॉन्ग टर्म हमारे गोल्स होंगे, लेकिन उसमें क्लियेरिटी नहीं है। आप उस डॉक्यूमेंट में इरिगेशन कम करने की बात कर रहे हैं। जब धान की बाली बनाकर हम इस धान के कटोरे स्वरूप जगह में बैठे हैं तो हम उतने दिन बाद अपने आपको क्या सिर्फ इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में डालना चाहते हैं? आखिर हमारे इरिगेशन का क्या होगा? सिर्फ माइनिंग और अर्बनाइजेशन से बात नहीं बनेगी। हमें कांक्रीट एक प्लान बनाना पड़ेगा कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा लघु वनोपज कहां जाएगा? यहां पर आजकल बार-बार बस्तर की बात होती है। बहुत अच्छी बात है कि वहां पर नक्सली कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। इस बात का हम सब लोग स्वागत करते हैं। लेकिन बस्तर का ब्लूप्रिंट क्या होगा? सिर्फ यह कह देना कि वहां का युवा वहां पर चलाएगा, लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। वहां का ब्लूप्रिंट क्या होगा? आखिर वहां कितना खनन होगा, हम कितना ग्रीन बेल्ट मेंटेन करेंगे? इसका ब्लूप्रिंट सामने आना चाहिए, हर उस युवा के सामने आना चाहिए जो इस बारे में सोचता है, जो बस्तर को समझता है और जो छत्तीसगढ़ को समझता है। इस आयोग का दायित्व जन घोषणा के क्रियान्वयन के लिए भी सुझाव देना है। जब सुझाव देना है तो शायद हम 34,000 शिक्षकों की भर्ती का सुझाव भूल गए। इस बजट में कैलेंडर बनाकर 1 लाख और 2 लाख की नौकरी का सुझाव हम भूल गए। किसान की आय दुगुनी करने का सुझाव हम भूल गए। 15 लाख का सुझाव हम भूल गए, सोसाइटी में किसान के पैसे आहरण करने की व्यवस्था देने वाले थे, शायद हम उसका सुझाव भूल गए। एक-एक दाना धान खरीदा जाएगा, शायद हम इसका भी सुझाव भूल गए। मैं बार-बार एक बात कहता हूं। मंत्री जी आप कलेक्टर भी रहे हैं, आपको प्रशासनिक अनुभव भी है, आप मंत्री भी हैं, आप पढ़े-लिखे हैं। आप इस बात को समझें कि नीचे की कई ऐसी सच्चाइयां हैं जो अधिकारी

आपसे छुपाएंगे और वह जनप्रतिनिधि चाहे वह एक सरपंच हो या विधायक हो, यही आपके सामने उसको लाकर रखेंगे और अपने लोगों के लिए लड़ेंगे। इससे ही एक बेहतर प्रशासन, एक बेहतर बजट और एक बेहतर पॉलिसी की ओर हम लोग जा सकते हैं। आदरणीय सभापति महोदय, चूंकि समय कम है। मैं वाणिज्यिक पंजीयन कर की भी बात कर लेता हूं। मैं आपका इसमें संरक्षण चाहूंगा। मैं विषयांतर नहीं हो रहा हूं, लेकिन हमारी जो राजस्व की टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, यह जीती-जागती हिस्ट्री है। हम लोग एक-दूसरे को मजाक में कहते हैं कि अउ गौटिया, ते कब आए? एहा राजा साहब हे का? एहा मालगुजार हे का? मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसकी इतनी खूबसूरत हिस्ट्री है। आदरणीय मंत्री जी, मैं सी.यू. विल्स को पढ़ रहा था। कैसे टैक्स कलेक्टिंग हमारे रतनपुर राज में 1 से 5 गांव में गौटिया, 12 में बरहो में दाऊ और उसके ऊपर दीवान और राजा का सिस्टम हमने लैंड रेवेन्यू का यहां पर बनाकर रखा था। मराठों के आने के बाद थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन हुआ कि उसमें हम लोगों ने मालगुजारी और उसके बाद जरीब और इसका सिस्टम डाल दिया। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने डिजिटलाइजेशन, इंटीग्रेशन, स्वतः नामांतरण, डिजी लॉकर की सुविधा मुहैया कराई है। मंत्री जी, इसके लिए आप बधाई के पात्र इसलिए हैं क्योंकि यह समय की मांग है। शायद एक समय ऐसा था जब इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था, इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, इतना हमारे ऊपर भार नहीं था, लेकिन जब आपने किया है तो अच्छा काम किया है। मैं उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। बीच में यह मामला सामने आया था कि कांग्रेस की सरकार में जो 30 प्रतिशत की छूट थी, उसको तुरंत हटा दिया गया और उसके बाद बेहद वृद्धि कर दी। कहीं 300 प्रतिशत, 400 प्रतिशत, 500 प्रतिशत तक की वृद्धि हम लोगों ने कर दी। जगह-जगह से आवाजें उठीं। आदरणीय अध्यक्ष जी को भी यह बात कही गई, मंत्री जी को इससे अवगत कराया गया और उसके बाद फिर से वे दरें चेंज हुईं। आदरणीय मंत्री जी, यदि मैं हमारे जिले की बात कर लूं तो हमें यह समझना होगा कि मिसल बंदोबस्त के बाद जब हम लोग चकबंदी में आये, जब 54 में रिनंबरिंग हुई और उसके बाद हमारी चकबंदी हुई। पूरे छत्तीसगढ़ में कई गांव हैं और जांजगीर-चांपा में बिल्कुल ऐसी कई जगहें हैं, जहां पर चकबंदी नहीं हो पाई है। हमारे यहां एक बलौदा क्षेत्र है, जहां चकबंदी नहीं हुई है। आपने जो रेशियो रखा है कि हम सिंचित और असिंचित जमीन को इतना गुना बढ़ा देते हैं, जिन गांवों में चकबंदी नहीं हुई है, हमें उन गांवों को भी देखना होगा। जहां चकबंदी हुई है, उनके पास रास्ता है लेकिन बाकी जगह सिर्फ खार के खेत हैं। जो खार के खेत है आखिर आप उसमें सेम रेशियों में दर कैसे बढ़ा सकते हैं। हमें इस बारे में पुनर्विचार करना होगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपने जहां बढ़ाया है, वहां गलत किया है या सही किया है। लेकिन जब गांव का क्राईटेरिया अलग है और मैं बार-बार यह कहता हूं कि जब मैंने अपने यहां के कुछ अधिकारियों को यह बात बताई कि हमारे यहां चकबंदी नहीं हुई है, वहां पर एक मर्डर हो गया था तो उनको इस बारे में पता ही नहीं था और वह अचंभित थे कि चकबंदी कैसे नहीं हो सकती है। हमें इस बारे में सोचना होगा। मैं

बार-बार एक सोशल इंपैक्ट की बात करता हूं। हमारी सरकार ने भी इस बारे में यू-टर्न लिया है। जब हम सोशल इंपैक्ट की बात करते हैं तो हमारे कई ऐसे लैंड एक्वीजिशन है, ऐसी सड़कें हैं, ऐसी योजनाएं हैं, जिनका डी.पी.आर. बनकर आया था और मैंने बजट भाषण में बोलते समय इस बात के लिए आदरणीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि आप ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स जिनमें डी.पी.आर. बनकर आये हुए हैं, उनको आप त्वरित दिखवाये कि उसमें कितना अंतर आया है। सभापति महोदय, इसको बढ़ा देना एक आसान बात है लेकिन उसका इंपैक्ट एक गरीब किसान पर क्या आता है, हमें यह भी देखना होगा। आज यदि हम 7-8 कि.मी. की आबादी के अंदर आते हैं तो हमें केपिटल गेन टैक्स देना होता है। किसान अपनी जमीन बहुत मजबूरी में बेचता है। जब किसान अपनी जमीन मजबूरी में बेचता है और जब वह केपिटल गेन टैक्स देता है। वह किसी शादी के लिए अपनी जमीन बेच रहा है तो यह कहना आसान है कि आप दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लीजिये। सभापति महोदय, हमारे मंत्री जी भी उस ग्रामीण परिवेश को समझते हैं कि जब बेटी की शादी होती है या इस तरह की कोई बात होती है तो जब वह अपनी जमीन बेचता है तो उस इंसान की केपिटल गेन टैक्स देने में हालत खराब हो जाती है। हमें इस मुद्दे को भी ध्यान में रखना होगा। सभापति महोदय, एक दिन जब यह बात हो रही थी तो यह बात भी हुई कि अब हम लोग डायवर्टेड प्लॉट्स को भी हेक्टेयर में कैल्कुलेट करेंगे, इस पर भी हमको पुनर्विचार की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि कई जगहों पर इसका गलत इस्तेमाल भी किया गया है। सरकार किसी भी हो इसका गलत इस्तेमाल किया गया है। यदि गलत किया गया है तो इसकी जांच होनी चाहिए और उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें क्या हम एक समय-सीमा तय नहीं कर सकते हैं कि इस समय तक यदि आप डायवर्ट करा चुके हैं, इतने साल से आपका डायवर्टेड लैंड है तो उसके लिए हम कुछ अलग तरीके से कॉम्पनसेशन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं ? क्योंकि डायवर्टेड प्लाट ऐसे हैं, जो किसान लोग बहुत समय से उपयोग कर रहे हैं। इसके बारे में हमें एक नीति के बारे में बात करनी चाहिए। सभापति महोदय, जब कर की बात होती है तो हमारी ऑटोमेटिकली जी.एस.टी. की बात आ जाती है। मैं मंत्री जी का प्रतिवेदन पढ़ रहा था। 01.01.2025 से 31.12.2025 तक जो विभिन्न फर्मों में कार्रवाई हुई, उससे हमारे पास करीब-करीब 212 करोड़ रूपये आये। मैंने अपने विधान सभा प्रश्न में भी पूछा था और मैं आज भी पूछ रहा हूं कि पैसा आ गया वह तो ठीक है लेकिन हमने कितनी जगहों पर छापे मारे ? यह बातें बहुत बार आती है कि जी.एस.टी. की टीम गई लेकिन उनको क्या मिला, आज तक यह किसी को पता नहीं लग पाया है। वहीं अगर ई-वे बिल की बात करें तो उसमें आपने संख्या दी हुई है कि हमने कितनी गाड़ियों पर कितना चालान किया और हमारे पास 24 करोड़ रूपये की राशि आ गई। क्यों नहीं नंबर ऑफ रेड्स को भी दिया जाये ? ताकि यह जानकारी सबके सामने हो कि कितनी जगह रेड हुई और उसमें क्या-क्या हुआ । सभापति महोदय, मैं हमेशा यह बात कहता हूं इसलिए मैं यह रिपीट नहीं करना चाहूंगा कि जब हम Unrealistic figure and target रखते हैं तो कहीं न कहीं हमें एक Tax terrorism

का शिकार होना पड़ता है। अम्बिकापुर उसका एक उदाहरण था, जहां पर व्यापारियों ने अपनी चाबी लाकर सौंप दी थी कि अब जो करना है आप कर लें। हमें व्यापारियों की यह स्थिति भी नहीं लानी है। अगर हम टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो टैक्स का ऐसा कलेक्शन होना चाहिए कि उससे लोगों को परेशानी न हो। अभी जी.एस.टी. 2.0 के बाद बड़ी-बड़ी होर्डिंग्स लग रही थी। उन बड़ी-बड़ी होर्डिंग्स में बचत का भी उल्लेख था कि ट्रैक्टर पर इतनी बचत हो गयी, इसमें इतनी बचत हो गयी, तो चलिये आपने यह तो माना कि आप ज्यादा टैक्स ले रहे थे। कैस्केडिंग टैक्स आपने रिड्यूस कर दिया है, अब टैक्स पर टैक्स नहीं लग रहा है। यदि यही नीति पहले अपनाई जाती तो शायद..।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज, ओइ ला छत्तीसगढ़ म कहथे दू थप्पड़ दे के संवार देय।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- ये हा यू-टर्न अइसने करथे। पहल जमीन के रेट ला बढ़ाथे, फेर ओइमा विज्ञापन छपवाथे कि रेट वापस लेने के लिये बहुत-बहुत बधाई। और यही लगभग इस जी.एस.टी. में भी हुआ। माननीय मंत्री जी, मैं एक मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं हमेशा इसके बारे में बोलता हूं लेकिन आज उस डायरेक्शन में न बोलकर एक सीधे शब्दों में कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत सारे हिन्दुस्तान के इकानॉमिस्ट और यूरोप के इकानॉमिस्ट ये लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं और अब इस कांक्रीट नजीते पर पहुंच रहे हैं कि हम जब अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं, मैं दुरूपयोग भी नहीं कह रहा हूं, जब हम उपयोग करते हैं। जैसे हमने कोयला, सोना, हीरा है, जो भी हमारे संसाधन हैं। जब हम इनको निकालते हैं तो हम इसको अपने जी.डी.पी. में एड करते हैं। अब हम अगर लॉजिकली सोचें कि इसमें बनाने में हमारा योगदान क्या रहा है। ये तो वहां खनिज संपदा हमेशा से थी। आज हम उसको अलग-अलग माध्यम से खोदकर निकाल रहे हैं और लोगों को बेच रहे हैं। कारखाने और ये उससे चल रहे हैं। इसमें हमें एक नामिनल रेंट काटने की आवश्यकता है जो हमारे जी.एस.डी.पी. में कम जो जाये ताकि हमें पता लगे कि हमने जितने संसाधनों का दोहन किया है, आखिर उसकी वेल्यू क्या आ रही है? ये नामिनल वेल्यू हमे निकालने की आवश्यकता है। आप ग्रीन बजट लेकर आये हैं, उसके लिये आपको बधाई देता हूं लेकिन हमें ग्रीन जी.डी.पी. की आवश्यकता है। अगर हम छत्तीसगढ़ 44 प्रतिशत ग्रीन कवर के हैं तो हमें ग्रीन बजट नहीं, ग्रीन जी.डी.पी. की आवश्यकता है। इसके बारे में हमें काम करना चाहिए और संयुक्त रूप से काम क करना चाहिए तभी हम सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट के माडल पर जा सकते हैं। हमें अपनी इनकम सिर्फ जी.एस.टी. और इंडस्ट्रीलाईजेशन या हम जो बात करते हैं कि 19 हजार करोड़ रुपये माइनिंग से हमारा टैक्स आ जायेगा, हमें इससे आगे भी सोचना होगा। हमें ग्रीन इकानामी की ओर भी जाना होगा। चूंकि अब वरिष्ठ सदस्य यहां पर नहीं हैं तो मैं उस बात को ज्यादा नहीं खोलूंगा। लेकिन बार-बार बात घोटालों की होती रहती है जिसमें शराब घोटाले की बात सामने आ जाती है। जी.एस.टी. का नुकसान तो उसमें भी हुआ होगा। जितने हमारे होलमार्क पकड़े गये, जितने लोगों ने उसको टैक्सेस नहीं पटाये होंगे तो उसमें बहुत सारी रिकवरी की भी कार्यवाई

होनी चाहिए होगी। आज तक रिकवरी के लिये कितने नोटिसेस गये? कितने केसेस हुए? कितनी रिकवरी की डिमांड नोटिस गई? आखिर इसमें बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी की योजना का माखौल उड़ाया जाता है। लेकिन आप माने या न मानें, उस समय का आप ग्रीन कवर देख लें, उस समय ग्रीन कवर बढ़ा था। हमारे तालाब, नल, जितनी नहर थी, जितने नाले थे, कई रिजनवेट हुए थे और आपका विजन डॉम्यूमेंट भी उनको रिजनवेट करने की बात करता है। अगर यह योजना गलत थी तो आज की योजना सही कैसे हो गई? हम पेशा कानून की बात करें। मै बहुत शार्ट में बोलूंगा। हमारे बहुत सारे आदिवासी भाई यहां पर हैं, सरगुजा और बस्तर मध्य में भी हैं। पेशा कानून को हमें और सशक्त करने की आवश्यकता है। क्योंकि कई जगह जहां पर आदिवासी भाईयों का दोहन हो रहा है, संविधान में दिया हुआ अधिकार है, जिस पर हम लोगों को बात करनी चाहिए। गृह निर्माण मंडल में आपक अटल विहार योजना है। माननीय मंत्री जी मैं विनियोग में जरूर बोलूंगा लेकिन आपका विभाग ऐसा है कि उसमें पालिसी मेटर्स तो सारे आपके हाथ में ही आ जाते हैं। अटल विहार योजना के लिये आपने एक नियम बनाया है कि 60 प्रतिशत पंजीयन होने के बाद ही हम प्रोजेक्ट को लांच करेंगे। इसको शायद रीथिंग करने की आवश्यकता है, कुछ कम करने की आवश्यकता है। क्योकि जितने नये प्रोजेक्ट आपने लांच किये हैं जिसमें मेरे यहां अकलतरा भी है। अभी तक वहां पर बुकिंग उतनी नहीं हो पाई है और न काम शुरू हो पाया है। तो शायद एक लंबा समय लग जायेगा कि हमारे यहां वह काम शुरू नहीं हो पायेगा। सभापति महोदय, पर्यावरण एक ऐसा विभाग है, मैं शार्ट में ही बोल रहा हूं। आपका एक पर्यावरण ऐसा विभाग है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि उसकी धुरी सबसे मिली हुई है। चाहे आपको कालोनी बनानी हो, चाहे आपको राइस मिल लगानी हो, इंडस्ट्री लगानी हो, आपको कुछ भी करना हो तो पर्यावरण विभाग जरूर कहीं न कहीं से एक आपका तार उनसे जुड़ा रहता है। लेकिन इसमें एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, क्योंकि जो पहले पर्यावरण का विभाग था, उनकी उतनी जरूरत एन.ओ.सी. की नहीं थी। लेकिन आज जितनी ज्यादा उनकी मांग है, जितना उनको स्ट्रीक्ट होना चाहिए, जितना उनको नीचे तक जाकर मानीटर करना चाहिए, उनके पास अमला नहीं है, अगर हम कम्प्लेन करते हैं कि यह यहां पर पर्यावरण के रूप में गलत हुआ है या कुछ गलत है वही विभाग अपनी जांच करता है । हमें और अमले चाहिए जो नीचे में रहकर, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग शिकायत करते हैं और बहुत सारे विधायक साथी भी करते हैं लेकिन जब तक यह अमला वहां पर पहुंचता है तब तक उस समय उस चीज को वह लाग ठीक कर चुके होते हैं ।

माननीय सभापति महोदय, यह एक बहुत गंभीर विषय है और मैं यह जानता हूं कि आप संवेदनशील हैं, आप इस विषय पर ध्यान देंगे । हमारे यहां कई बार पॉल्यूशन के कई ऐसे हम लोग शिकायत करते हैं जिसको एकाध-दो दिन भी अगर उन लोगों को मिल जाता है तो उसको तुरंत सुधार लेते हैं और पुराना जितना होता है उसकी लीपापोती कर दी जाती है । हमें प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा

देना है लेकिन पर्यावरण के लिये सबसे ज्यादा हमें अपने आपको कमिट करना होगा क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक जंगल, धान का हमारा एक खूबसूरत प्रदेश है । माननीय मंत्री जी जब भाषण प्रस्तुत कर रहे थे तो पुस्तिका में, चूंकि मैंने उसको बहुत ध्यान से पढ़ा । पर्यावरण के लिये कि हम लोग ग्रीन जी.डी.पी. या ग्रीन बजट या ग्रीन स्टेट की तरफ कैसे जायेंगे, Ecotourism का वहां पर एक बहुत छोटा सा क्लॉज था लेकिन इसको एक व्यापक स्तर पर कैसे करेंगे, इसकी कहीं न कहीं कोई बात इसमें होती हुई नहीं दिख रही है । माननीय सभापति महोदय, रायपुर का ए.क्यू.आई. काफी ऊपर पहुंच गया है, खतरनाक लेवल पर । जो Very Poor की श्रेणी में आता है, मैं दिनांक 20 नवम्बर की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें रायपुर, भिलाई, कोरबा की हवा सांस लेने लायक नहीं बतायी गयी है । हम लोग जब प्रदूषण के इस तय मानक को देखते हैं तो इसमें एन.जी.टी. भी चिंता कर चुका है कि हमारे जितने शहर हैं, उसमें आखिर हम लोग किस तरह की सांस ले रहे हैं । माननीय मंत्री जी, मेरा एक सुझाव है कि हमें समय रहते रायपुर-भिलाई में G.R.A.P. Graded Response Action Plan की तर्ज पर, माननीय मंत्री जी, मैं आपका इस पर ध्यान चाहूंगा । समय रहते हमें G.R.A.P. Graded Response Action Plan की तौर पर यहां भी आप कुछ करें कि जितने इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं और जितने बड़े शहर हैं, हम यहां पर कम से कम सांस तो ले पायें । जहां पर हमारा ए.क्यू.आई. का ग्रेड बिल्कुल सही हो । मुझसे पहले कई सदस्यों ने जो सवाल लगाये थे, यह लगभग हर कॉलोनी, हर शहर, हर जगह इसकी मांग आजकल आ रही है । अगर आज मैं पुराने छत्तीसगढ़ की ओर देखूं तो हमारे यहां एक पेठू और तालाब का कांसेप्ट है । जितना पानी गांव का आता है वह पेठू में जाता है और वहां से फिल्टर होकर वह तालाब में जाता है लेकिन अब धीरे-धीरे कब्जा होने की वजह से वह पूरा कांसेप्ट हमारा खत्म होते जा रहा है । जो एच.टी.पी. की बात हो रही थी, आदरणीय राजेश मूणत जी ने भी बात की, आदरणीय सोनी जी ने भी बात की और सभी लोग इस बात को उठाते हैं और यह सभी की बात है कि क्या हमारे एच.टी.पी. इतने सक्षम हैं कि वह पूरा जितना मल शहर का निकल रहा है, हम उसके माध्यम से उसको लेकर जा रहे हैं । हमें इसके बारे में पर्यावरण विभाग को एक कंपलीट जांच रिपोर्ट हर शहर की कितना जा रहा है इसको रिन्यू करने की आवश्यकता है और दूसरे विभागों से जैसा मैंने कहा कि आपकी दूरी हर विभाग की है । हमें यह जरूरत है कि हर विभाग में हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं कि हर इंसान को हम कम से कम स्वच्छ पानी पीने का दे सकें, इसके बारे में हमें बात करनी होगी । शहरों के अंदर कई उद्योग संचालित हैं । पर्यावरण विभाग को उसके बारे में भी सोचना होगा क्योंकि पहले जो गांव थे, अब वह शहर हो गये हैं और जो छोटे शहर थे, वह बड़े शहर हो गये हैं । वहां पर यदि बहुत पुराने उद्योग संचालित हो रहे हैं तो उनके पास न तो वह केपेसिटी है, न उनके पास प्रदूषण कंट्रोल करने के लिये वह चीजें हैं जिनसे वह इनको कंट्रोल करके इस जगह को वह कर सकते हैं तो क्या हम उनको बाहर शिफ्ट करेंगे, क्या करेंगे ? इसके बारे में एक कांक्रीट पॉलिसी, एक कांक्रीट प्लान होने की आवश्यकता है ।

आदरणीय महोदय, जांजगीर जिले के आप प्रभारी मंत्री हैं । राखड़ और कोयला से हम लगातार परेशान थे, मैंने इसी सदन में आपसे निवेदन किया था कि एक मनरेगा से खोदा हुआ तालाब जिस पर मनरेगा से पचरी बनी ।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- राघवेन्द्र जी, आप इतना लंबा बोलेंगे फिर उसका जवाब उतना ही लंबा देंगे तो फिर ग्यारह-बारह बज जायेंगे ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- महोदय, जब वक्ता कम कर दिये हैं तो कम से कम बोलने तो दीजिये ।

श्री रामकुमार यादव :- ओतका-ओतका पइसा लिहा, तुमन बोले नइ देत हावा।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आप मेरा डिसाईड नहीं करेंगे, मैं उनसे पूछकर टाईम डिसाईड करूंगा । इसकी चिंता छोड़ दीजिये ।

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति मेहरबान हैं ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- और सभापति को छोड़कर मैं किसी की भी नहीं सुनता हूं ।

श्री रामकुमार यादव :- टाईम इज मनी ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आप ही ने हमें कहा था कि वह जो मनरेगा से तालाब खुदा, जिसमें पचरी बनी और उसे राखड़ से पाट दिया गया, उस पर आप 6 महीने के भीतर कार्यवाही करेंगे, यह आपका आश्वासन था। आज भी वह तालाब राखड़ से ही पटा हुआ है और उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अब जी राम जी हो गया है भगवान राम सबका कल्याण करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिये।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय महोदय जी, धन्यवाद्। आप जी राम जी बोल रहे हैं, लेकिन उस तालाब का फिरहाल जय राम जी हो गया है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, ओ में के राखड़ ला भभूत समझ के ए मन ला दे दिहा, चूपरा दिहा।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, कोई बहाने से राम जी तो है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, राम जी तो हमेशा हैं। राम जी पर कौन सवाल कर रहा है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- आपने बोला कि जय राम जी हो गया।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, वह तालाब तो जय राम जी हो गया। मैं उसमें फिर से कह रहा हूँ कि वह तालाब जय राम जी हो गया। आप अच्छा काम करिये तो जी राम जी है, नहीं तो तो जय राम जी है।

श्री धर्मजीत सिंह :- रामकुमार राम के खिलाफ मत बोले कर, तोर नामे रामकुमार हे।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं राम भी हौं अउ कुमार भी हौं, मैं कृष्ण भगवान भी हौं। सबके करनी ला मोर त्रिनेत्र से देखत हंव।

श्री धर्मजीत सिंह :- थोड़ा सबके बारे में अच्छा सोचे कर।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अभी माननीय चन्द्राकर जी नइ हे ते त्रिनेत्र में कोन ला देखत हस।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं जल्दी खत्म करूंगा। मैं केवल 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। आदरणीय मंत्री जी, मैं शार्ट में अपनी बातें रख देता हूँ। हमारे यहां जांजगीर-चांपा जिले में और बाकी जितना नदी से लगा हुआ एरिया है वहां पर लगतार अवैध रेत की, हमारे सारे सदस्य आवाज उठाते हैं। महोदय यह माईनिंग में आएगा, लेकिन वहां भी आपका पर्यावरण है। आप पर्यावरण और 20 सूत्रीय से बचकर नहीं जा सकते हैं। चाहे आप जो भी कर लें। मैंने अभी का प्रतिवेदन पढ़ा कि उसमें सारे विभाग आ जाते हैं। इसके बारे में हम लोगों को सोचने और करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक विषय के लिए आपकी अनुमति चाहूंगा। हम लोग जब स्टेट जी.एस.टी. की बात कर रहे हैं तो जब कैश केयरिंग इफैक्ट चला गया है तो आपकी जी.एस.टी. थोड़ी सी कम है। मैंने जो बात पहले कही है वह मैं एक लाईन में दोहराना चाहता हूँ कि आपका जो बजट estimate है और रिवाईज estimate है, स्टेट जी.एस.टी. था। अगर आप जनवरी तक का फिगर देखें तो वह काफी कम है। अगला आप ऐसा estimate बिल्कुल न रखें, जिससे हम लोगों को यह तकलीफ हो कि वहां पर बहुत ज्यादा tax terrorism की बात सामने आये। आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री जी, हमारे यहां बजट के बारे में बात कर रहे हैं ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, जो बंद पड़ी हुई हैं वह इसलिए बंद पड़ी हुई है कि उसकी प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिली है। मैं ज्यादा समय न लेकर अपने क्षेत्र की कुछ सीधी बातें कह देता हूँ। हमारा प्रदेश एक पर्यटन और sustainable डेवलपमेंट का मॉडल हो सकता है। इसमें एन.आर.डी.ए., कमल विहार, हाऊसिंग बोर्ड की बातें थीं लेकिन अभी समय कम है। मैंने आपसे समय लिया है तो मैं उसी में खत्म करने की कोशिश करता हूँ। हमारे यहां नदी, पहाड़, मैदान हैं हमारा एक बड़ा खूबसूरत सा स्टेट है, हमारे पास हैवन है, लेकिन हम उसके हिसाब से ग्रीन बजट तो ले आया, लेकिन अब हमें अपनी नीतियों को ग्रीन स्टेट की तरफ मूव करने की आवश्यकता है। आज विलिजेस टूरिज्म का हमारे यहां बहुत बड़ी संभावना है। हम उसके लिए भी आगे चल सकते हैं। हमें अपनी नीतियां ऐसी ही रखनी होंगी ताकि हम आगे जाकर इसके बारे में बात कर सकें। वित्त मंत्री जी अंत में विभागों की चर्चा हो, जब बजट की चर्चा हो हर बार तुंहर विभाग में बोले बर मोला खड़े कर दे जाथे। मैं बोलथव भी। बाकी बाहर जाथन ता पूछथे कि कुछु मिलिस का तो आज तक तो कुछ नइ पाये

हन। कम से कम ए पेत आप ला अनुरोध करत हंव कि काबर कि कल मोर प्रश्न भी लगे हे लम्बा डैक्स के भी मामला हे। हमर अकलतरा बाईपास और बलोदा बाईपास में कम से कम प्रशासकीय स्वीकृति दे देवा। जो हमर बलोदा नैला सड़क हे ओ मे रोज दुर्घटना से आदमी अउ जानवर मरत हे। आपसे निवेदन है कि आप उसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान दें। चूंकि आपका ही विभाग है। हमारे यहां कर्मचारियों के जो आवास हैं उनकी बड़ी मांग है इसमें तो आपका 50 प्रतिशत नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर आप आवास बना दें तो जो कर्मचारी बाहर घूम रहे हैं कम से कम उनका भला हो जाएगा। मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि:-

सिर्फ आंकड़ों से प्रदेश महान नहीं होता
सोच से इतिहास लिखा जाता है
छत्तीसगढ़ की पहचान सिर्फ खदानों से नहीं,
उनके जंगलों की हरियाली से भी है
अगर सच में प्रदेश को आगे बढ़ाना है

तो संकल्प लीजिए कि जंगल बचेगा, विरासत सजेगी और पर्यटन का नया भविष्य रचेगा। ऐसा छत्तीसगढ़ बनाईये जहां प्रकृति भी मुस्कुराये और इतिहास भी गर्व करे और दुनिया कहे कि यही है भारत का असली पर्यटन द्वारा, हमारा छत्तीसगढ़। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के यशस्वी वित्त मंत्री और इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने, संचालित करने, व्यवस्थित करने वाले बहुत ही काबिल वित्त मंत्री जी के सभी विभागों की मांगों का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

अभी हमारे विपक्ष के बहुत ही विद्वान सदस्य राघवेन्द्र सिंह जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, मैं उनके भाषण को बहुत ध्यान से सुनता हूं । वे तथ्यात्मक बात करते हैं, उनके भाषण से ही उनकी विद्वता झलकती भी है । आप हमारे वित्त मंत्री जी की योग्यता और उनकी सक्षमता पर प्रश्नचिह्न मत लगाईए । आपकी बातों से ऐसा लग रहा था-

''मुझ में कमियां तो लोग ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे
मुझ में कमियां तो लोग ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे
उन्हें भगवान चाहिए था और मैं इंसान निकला'' । (मेजों की थपथपाहट)

आप भगवान खोज रहे हैं, पर वे तो हैं इंसान ।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, मैं भी थोड़ा सा बोलना चाहता हूं, बहुत समय हो गया ।

''मान मिले, सम्मान मिले, मान मिले सम्मान मिले ।

सुख सम्पत्ति का वरदान मिले ।

मान मिले सम्मान मिले, सुख सम्पत्ति का वरदान मिले ।

कदम-कदम पर सफलता मिले, हमारे वित्त मंत्री जी के लिए

लेकिन सदियों तक अफीम ऐसा पर्यावरण का आपको पहचान न मिले'', ये मेरा आपसे निवेदन है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सुनिए फिर ।

''करीब जाने से चलता है शक्सियत का पता ।

करीब जाने से चलता है शक्सियत का पता ।

जमीं से चांद जरा सा दिखाई देता है ।

जमीं से चांद बिल्कुल थोड़ा सा दिखाई देता है'' । (मेजों की थपथपाहट) हमारे वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ की माटी में, एक गांव में पैदा हुए, वे वित्त मंत्री जिसकी मा ने उनको आशीर्वाद दिया, पढ़ाया, लिखाया । वे वित्त मंत्री जिन्होंने महानदी के पानी को पीया और अपने दम पर पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे सिफारिशी डिप्टी कलेक्टर नहीं, बल्कि यूपीएससी का कलेक्टर, आई.ए.एस. निर्वाचित हुए । वे शान-ओ-शौकत की जिंदगी में रह सकते थे । आई.ए.एस. तो 60 साल के राजा बनते हैं, उस राजा की नौकरी को छोड़कर जनता के दर्द को समझकर हमारे बीच में सेवा करने आये । मुझे इस बात का गर्व है कि इस प्रदेश में जब 5 साल पहले आपकी सरकार थी तो जिस शराब के व्यापार में असंवैधानिक सत्ता का केन्द्र चलाते हुए 5 हजार करोड़ आप राजस्व लाते थे, उस राजस्व को इस ईमानदार वित्त मंत्री ने 12 हजार करोड़ पहुंचाया । (मेजों की थपथपाहट) पहले वह 5 हजार, 7 हजार करोड़ कहां जाता था, उसको न कोई पूछने वाला था, न कोई बोलने वाला था, न किसी में पूछने की हिम्मत थी । अगर आप कुछ कहना चाहें तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप 1 हजार ज्यादा बढ़ाके कई देस, वो ह 11 हजार करोड़ कहात रिहीस हे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं 1 हजार घटाकर बोल देता हूं । 5 हजार करोड़ की आय 10 हजार करोड़ कर दिए । अब तो आप खुश है ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- हम तो हमेशा खुश रहेंगे । छत्तीसगढ़ के विकास में खुश ही रहेंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं । जीएसटी का जो टैक्स वसूली है, ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री के कारण ही इस प्रदेश में अच्छे से हो रहा है । इनके अधिकारी भी बहुत ईमानदार हैं । मैं आपको एक चीज बता देता हूं । व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता देता हूं कि यहां पर बैठे हुए कोई भी लोग जीएसटी की चोरी की सिफारिश करने के पहले हिचकते हैं क्योंकि इस विभाग का मंत्री ओ.पी. चौधरी है । (मेजों की थपथपाहट) इसलिए नहीं बोलते । राजनीति में हैं तो सिफारिश तो

करनी पड़ती है । राजनीति में हैं तो अच्छे और बुरे सबके लिए बोलना पड़ता है, लेकिन कभी-कभी कोई ऐसा व्यक्ति रहता है , जिसके सामने नहीं बोल सकते, उसमें से एक ओ.पी. चौधरी हैं। इसीलिए जी.एस.टी. से राजस्व की आमदनी छत्तीसगढ़ को हो रही है। एक प्रदेश का मुखिया, एक घर का मुखिया क्या होता है ? राघवेन्द्र जी, मैं वित्त के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं। मैं यहीं, इसी जगह में बोल चुका हूं। यह आकड़ा-वाकड़ा, खर्च और क्या-क्या होता है, मैं बहुत नहीं जानता। बजट पेश होने के बाद मैं अपने अधिकारियों को बुलवाता हूं। बोलता हूं कि भईया इसमें चिन्ह लगा, मेरा कौन-कौन सा काम हुआ है और उसको पढ़ता हूं। दुनिया भर के जो संसदीय शब्द हैं, वह मुझे कुछ मालूम नहीं है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं। एक अच्छा प्रदेश, एक अच्छा घर, एक अच्छा परिवार वही होता है, उसका मुखिया अपनी आमदनी को बढ़ाकर उसका समन्वित रूप से संतुलित रूप से खर्च कर सके तब घर अच्छा चलता है। अगर कमाई है और खाली ऐशो आराम में उड़ा रहे हो तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे ? अगर कमाई है और ठीक से खाना नहीं ला पा रहे हो तो घर का क्या होगा ? तो एक कमाई सुरक्षा के साथ लाओ और उसको संतुलित रूप से विकास में बांटो। यही हमारे वित्त मंत्री जी ने किया है। मुझे तो इस बात का गर्व है और मैं इस बात का साक्षी भी हूं कि इसी विधान सभा में, इसी विधान सभा मतलब इस भवन की बात नहीं कह रहा हूं, जब छत्तीसगढ़ की विधान सभा का पहला बजटा 5 हजार करोड़ रूपये के आसपास का पेश हुआ, तो मैं उस वक्त सदन का सदस्य था। मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री और तत्कालीन विपक्ष के कई साथी यहां उपस्थित हैं, उनके साथ बैठकर उस बजट में भागीदारी किया था। आज 26 साल बाद यहां पर 1 लाख 72 हजार करोड़ रूपये का बजट पेश हुआ है तो यह इस बात का प्रतीक है कि हमारी सरकार विकास की रफ्तार को तेज करना चाहती है। (मेजों की थपथपाहट) हमारी सरकार चाहती है कि गांव, गरीब और किसानों का भला हो। हमारी सरकार चाहती है कि अच्छी-अच्छी सड़कें बनें, हमारी सरकार चाहती है कि हमारा शहर रायपुर भी राजधानी के कैटेगरी में आये, हमारी सरकार चाहती है कि जैसे लुटियन्स जोन दिल्ली में है, उसी तरह से हमारे रीजनल कैपिटल एरिया का भी डेवलपमेंट हो। तो उसके लिए काम करना पड़ता है। काम करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा लाने के लिए राजस्व बढ़ाना पड़ता है। राजस्व बढ़ाने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति होना चाहिए। दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ-साथ ईमानदारी और ईमानदार प्रयास होना चाहिए, जो कि हमारे वित्त मंत्री जी कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपको एक-दो बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा कि इनकी तरफ से क्या-क्या काम हुए हैं। राजधानी के समेकित विकास और अधोसरंचना निर्माण को नई दिशा देने का काम माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। राजधानी क्षेत्र के संतुलित योजनाबद्ध विकास के लिए स्टेट कैपिटल रीजन अथारिटी के माध्यम से महत्वपूर्ण पहल हो रही है। इसके अन्तर्गत राजधानी क्षेत्र में आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से मेट्रो सेवा के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार करने हेतु 10 करोड़ रूपये का प्रावधान है। आपको पढ़ने में बहुत

सरल लगा होगा। 10 करोड़ रूपये तो है। 1 लाख 72 हजार करोड़ के बजट में 10 करोड़ का कोई प्रावधान हो गया तो यह आपको कोई आकर्षित करने वाला बजट प्रावधान तो नहीं है। आप इसके पीछे की मंशा समझिये। जब इन्दौर, भोपाल, नागपुर, बैंगलोर, दिल्ली में मेट्रो की सर्विस शुरू हो रही है तो हमारे वित्त मंत्री जी तथा श्री विष्णुदेव साय जी ने इस बात का प्रयास तो किया कि यहां पर भी मेट्रो के बारे में विचार किया। उसके लिए पहल शुरू की। माननीय सभापति महोदय, एक ही दिन में कोई चीज नहीं बनती है। एक चिड़िया को भी घोसला बनाने के लिए तिनका-तिनका उठाकर लाना पड़ता है तब एक सुन्दर घोसला बनता है और वह जो घोंसला बनता है, वह बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल घोंसला होता है, उसको देख कर अगर आप बनाना भी चाहोगे तो नहीं बना सकते। (मेजों की थपथपाहट) लेकिन उसको बनाने के लिए उसकी नियत, उसकी मेहनत, उसका प्रयास, ये सब चीज उसको बनाने में लगता है और ये मेट्रो सर्विसेज की नींव जब भी मेट्रो बनेगा, तो ओ.पी. चौधरी साहब, हमारे वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी आप हमेशा याद किए जाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज को जब कोई बनाने के लिए पहल करता है, उसको हमेशा याद रखना चाहिए और याद रखे जाते भी हैं। आप सिर्फ यही नहीं कर रहे हैं। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और विकास के लिए भी आप प्रतिबद्ध हैं, हमारी सरकार। इसी क्रम में सिरपुर विशेष क्षेत्र विशेष प्राधिकरण के माध्यम से सिरपुर गए हैं? बहुत से लोग तो गए भी नहीं होंगे, जाना चाहिए। सिरपुर बहुत ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्व का विषय है, हमारी श्रद्धा का केंद्र बिंदु है। उसके विकास के लिए 36 करोड़ रुपया का प्रावधान माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। (मेजों की थपथपाहट) इस राशि के माध्यम से वहां पर कोई सिर्फ धर्मशाला नहीं बनाया जाएगा जैसा कि धार्मिक क्षेत्रों में कुछ होता है तो आदमी को धारणा होती है कि धर्मशाला बना देंगे। ऐसा नहीं है। संग्रहालय बनेगा, ध्यान केंद्र बनेगा, पर्यटन और संरचना बनेगी, महानदी के तट का विकास होगा, विभिन्न नागरिक सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा, जिससे सिरपुर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर एक स्थान दें ताकि हमारा छत्तीसगढ़ पूरी दुनिया में अट्रैक्ट हो और यहां पर टूरिस्ट आएं और हमारे छत्तीसगढ़ की इकॉनामी ठीक हो। यह है वित्त मंत्रालय का यह काम, माननीय मंत्री जी का। सारनाथ गए हैं? इतने ही बड़ा है सिरपुर के जैसा वहां पर है ईंटे का भगवान बुद्ध का। पर करोड़ों लोग आते हैं, फॉरेनर लोग आते हैं, होटलों में जगह नहीं मिलती है। तो यहां पर भी वह सब व्यवस्था करेंगे और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम आप जो कर रहे हैं, वह बहुत ही सराहनीय है। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने विकास के कामों के लिए पैसा दिया, विभिन्न विभागों को पैसा दिया, विभिन्न मंत्रालयों को पैसा दिया, लेकिन जो उनके पास है, दूरदर्शी वित्तीय प्रबंधन का परिचय देते हुए छत्तीसगढ़ पेंशन निधि की स्थापना की है। वह हमारे सीनियर सिटीजन जो अपनी जिंदगी के सुनहरे वर्ष प्रदेश की सेवा में बिताए हैं और जब वे रिटायर होते हैं तो उनको कितनी तकलीफ होती है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब उनका पेंशन डिसाइड नहीं होता, जब उनका पेंशन क्लियर नहीं होता, तो वह बुजुर्ग

कोई मेरा बाप होगा, कोई आपका भाई होगा, कोई और किसी का रिश्तेदार होगा। छत्तीसगढ़ के सीनियर सिटीजन को तकलीफ न हो उसके लिए पेंशन निधि अधिनियम, 2025 भी बनाया गया है। इस निधि में 1,121 करोड़ रुपया का निवेश किया जा चुका है और अगले साल के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का पहला प्रदेश है, जिसने भविष्य के पेंशन दायित्वों के लिए ऐसी पृथक और परमानेंट अरेंजमेंट किया है, स्थायी व्यवस्था की है। यह होता है सोच, यह होता है किसी के दर्द को समझना, यह होता है अपने सीनियर सिटीजन लोगों के प्रति सम्मान। शासकीय सेवकों और पेंशनरों के प्रति संवेदनशीलता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं इस सरकार के नजरिये को, इस बजट में पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण जैसे सेवानिवृत्त लाभों के लिए कुल 9000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। जनवरी 2024 से अब तक 21,938 अधिकार पत्र जारी किए जा चुके हैं, साथ ही पेंशनर पोर्टल का भी विकास किया गया है। कभी कोई पेंशनर के बारे में नहीं सोचता, वे घूमते रहे, चक्कर काटते रहे, कई तो बिना पेंशन पाए मर जाते हैं, लेकिन यह सरकार जब उनकी सेवाओं को याद करके उनके बुढ़ापे के समय में भी उनका लाठी का सहारा बनना चाहती है, वह हैं वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी जी। सभापति महोदय, जी.एस.टी. विभाग राज्य का मुख्य राजस्व संग्रहण कर्ता विभाग है। अब सरकार चलाना है तो टैक्स तो लेना पड़ेगा। जब हम रोज मांग करते हैं कि पुल बना दो, पुलिया बना दो, हवाई अड्डा बना दो, नाइट लैंडिंग करा दो तो टैक्स दिए बिना हमारी मांगें कहाँ से पूरी होंगी? राज्य के स्वयं के कुल कर राजस्व में जी.एस.टी. विभाग का योगदान 50% है। मुझे बहुत खुशी है कि जी.एस.टी. के लोग उन हर जगहों पर जा रहे हैं, जहाँ पर कर चोरी की संभावना है या कर चोरी में, मैं कर चोरी तो नहीं कहूंगा, लेकिन कर कम-ज्यादा करने की जो प्रवृत्ति है, उसको रोकने का काम जी.एस.टी. विभाग के लोग कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभाग का बजट प्रावधान 24,000 करोड़ रुपये रखा गया है। यह सरकार की दूरदर्शिता को बताती है। चूंकि जी.एस.टी. विभाग हमको 50% राजस्व देता है, इसलिए आठ संभागीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर में संचालित थे, जिसमें रायपुर में तीन और बिलासपुर में दो संभागीय कार्यालय थे। जिसे युक्तियुक्तकरण करके बिलासपुर में संचालित दो संभागीय कार्यालयों में से एक संभागीय कार्यालय को रायगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया है। रायगढ़ भी बहुत बड़ा बिजनेस हब है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल हब है। हमारी सरकार विकास के कामों के साथ-साथ उन छोटे-छोटे व्यापारियों का भी ख्याल कर रही है, जो अपना रोजी-रोटी चलाते हैं। उनके लिए छोटी-छोटी वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की गयी है। उनके ऊपर 25,000 रुपये तक का जो फाइन-वाइन था, उसको माफ कर दिया गया है। 62,000 प्रकरणों का निराकरण करके हमने छोटे व्यापारियों को सरकार के कानून-कायदे के भय, नोटिस और पेशी से मुक्ति दिलाने का काम किया है। यह नियमों का सरलीकरण है। माननीय सभापति महोदय, लगभग 80 किलोमीटर में नवा रायपुर अटल नगर को आने वाले 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है। इस अटल नगर को बनवाने में डॉ. रमन

सिंह साहब ने काम किया और अब श्री विष्णु देव साय जी, श्री ओ.पी. चौधरी जी के नेतृत्व में इसको आधुनिक शहरी नियोजन दिलाने का काम कर रहे हैं। आज नवा रायपुर अटल नगर तेजी से निवेश और रोजगार का केंद्र बन रहा है। आप लोगों में से यहां कोई नहीं है? भाभी जी, मैं आपको ही बोलता हूं। (माननीय सदस्या, श्रीमती अनिला भेंडिया की ओर इशारा करते हुए) (हंसी) उधर कुछ बोलना होगा तो मैं आपको ही बोल दूंगा। क्योंकि यहां आपसे वरिष्ठ कोई नहीं दिख रहे हैं। यहां आप ही हैं और आप मंत्री भी रही हैं। एक समय ऐसा भी था, जब नया रायपुर विकास प्राधिकरण पर 1,345 करोड़ रूपये का कर्जा था। यह कर्जा आपके समय में था। वर्ष 2020 में इसे एन.पी.ए. घोषित करना पड़ा था, लेकिन दृढ़ इच्छाशक्ति, सही नीति और मज़बूत नेतृत्व के बल पर आज हमने इन विषम परिस्थितियों को बदल दिया है। सेक्टर-22 में विकसित हो रहा फार्मास्युटिकल पार्क लगभग 12,000 करोड़ रूपये के निवेश को आकर्षित करेगा, जिसमें हज़ारों युवाओं को रोज़गार मिलेगा। इसके साथ ही साथ आई.टी. और इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर में पहले ही 2,000 से अधिक रोज़गार सृजित हो चुके हैं। आने वाले समय में 32,000 से अधिक रोज़गार के अवसर मिलेंगे। हम बेरोज़गारों की भी चिंता कर रहे हैं। हम चिंता कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का बच्चा पढ़-लिखकर के इन आधुनिक व्यवस्थाओं के तहत रोज़गार पाए और अपना रोज़गार करके दूसरों को भी रोज़गार दे। नवा रायपुर अटल नगर के लिए बजट में 400 करोड़ रूपये का महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। माननीय वित्त मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि 442 करोड़ 3229 संपत्तियां यहां बिक्री-विक्री नहीं हुई थी, जिसमें 1410 संपत्तियां और 210 करोड़ का विक्रय हमारी सरकार ने किया है । आपके जमाने में डंप पड़ा हुआ था । 27 जिले में 3078 प्रोजेक्ट लांच किये जा रहे हैं । माननीय वित्त मंत्री जी, आप गृह निर्माण मंडल की गुणवत्ता का जरूर ख्याल रखियेगा, वह गरीबों का आशियाना है, गरीबों के लिये सहारा है, हर कोई चाहता है कि उनको हाऊसिंग का घर मिल जाये क्योंकि उसके पास वित्तीय भार नहीं आ पाता है । मैं एक मांग करना चाहता हूँ वित्त मंत्री महोदय, इस विधान सभा के अंदर वर्ष 2003 और वर्ष 2008 में डॉ.रमन सिंह साहब ने सभी विधायकों को हाऊसिंग बोर्ड का एक-एक घर बनवा कर दिया था । हमारे विधायक है और मैं नहीं जानता हूँ कि कौन कितनी बार विधायक बनेगा, मैं यह भी नहीं जानता कि यहां किसका कितना बड़ा घर है या नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूरत कहना चाहता हूँ कि एक विधायक को, जो नये विधायक हैं पहली बार जीत कर आये हैं, जिनको पहले यह नहीं मिला है, ऐसे लोगों के लिये हाऊसिंग बोर्ड की एक कॉलोनी उसी पैटर्न पर बनवाकर इन सब विधायकों को दिया जाना चाहिये ताकि यह लोग भी राजधानी में रहकर जनता की सेवा कर सकें और यहां से उनको रूखसत न होना पड़े । अगर आज हम उनको घर बनवाकर नहीं देंगे तो अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर दुर्भाग्यवश, संयोगवश, अगर चुनाव जीतकर नहीं आ पायेंगे तो यहां रहने के लिये भी उनको बहुत तकलीफ हो जायेगी । एक विधायक के मान और सम्मान की चिंता जरूर होना चाहिये । उस दिशा में कोशिश करियेगा, प्रयास करियेगा ।

हम यह बिल्कुल नहीं बोलते हैं कि नियम के विरूद्ध जाकर आप बात करें । हम यह बिल्कुल नहीं बोलते हैं कि सरकार के सारे पैसे से उनको घर दिया जाये, लेकिन सरकार के तरफ से थोड़ी भी रियायत देकर हम अपने विधायकों को भी एक कमरा दे सकते हैं तो यह आपके लिये अविस्मरणीय पल होगा। जब मैं यहां बैठकर डॉ.रमन सिंह जी को याद कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से आने वाले कल में आपको भी लोग याद करके अपनी मांग करेंगे । हम लोग भी राजनीति में है, हम लोगों को भी कई लोगों को कॉलोनी के लिये, आफिस के लिये, सामुदायिक भवन के लिये, जगह देना पड़ता है और देते हैं, बनवाते हैं । हमारे हर विधायकों का इतना बनता है कि आप इनका जरूर ख्याल करियेगा । (मेजों की थपथपाहट) माननीय वित्त मंत्री जी, मैं तखतपुर में एक गृह निर्माण मंडल कॉलोनी की मांग करता हूँ । मैं उसके लिये 5 एकड़ से ज्यादा जगह भी देख लिया हूँ, सिलेक्ट करा लिया हूँ, आपके अफसर अगर एक आवेदन देंगे तो जमीन मिल जायेगी । वहां पर एक हाऊसिंग का कॉलोनी बना दीजिए तो वह अच्छा रहेगा । पर्यावरण की रक्षा के लिये आप कड़े नियम उठाते भी हैं । यह रेत-वेत, मुरूम-गिट्टी, इसमें थोड़ा चोरी-चकारी ज्यादा बढ़ गया है, इसका थोड़ा डण्डा मारकर ठीक कराईये । आप ही करा दीजिए, यह आपका विभाग हो या न हो ।

श्री रामकुमार यादव :- हमर चौधरी साहब हा सदन में बोले रहिसे कि पी.एम.आवास वाला मन ला फ्री म रेता देबो । गरीब आदमी मन बर घोषणा करे हे तौनो हो जाये ।

श्री सुशांत शुक्ला :- एलओपी का स्टैंडिंग आर्डर है, नहीं बोलना है ।

सभापति महोदय :- चौधरी साहब के वोहा रेत वाले विभागे नोहे । यह तो मैं बोल रहा हूँ उनको कि आप दमदारी से इनको भी ठीक कर दीजिएगा । अवैध प्लॉटिंग का काम बहुत चल रहा है । टी.एन.सी. क्लियर है, जिसको देखो वहीं चूना मारकर बनाते रहते हैं, आप थोड़ा कड़ाई से पेश आईये और आप उसमें कड़ी कार्यवाही कराईये । आपने बीच में बोला था तो कुछ कार्रवाई हुई थी, लेकिन बाद में फिर उनके आगे में तो बड़ा मुश्किल है। पर आप जरूर देखेंगे क्योंकि आपके ऊपर हम सबको बहुत भरोसा है। रामकुमार जी सुनिए, अब आप ही को बताऊंगा।

सुबह होने पर सूरज नहीं निकलता

सुबह होने पर सूरज नहीं निकलता

सूरज निकलने पर सुबह होती है। (मेजों की थपथपाहट)

इसलिए यह सरकार इस प्रदेश में सूरज के रूप में निकल चुकी है। अब सुबह हो गया, 6 बज गया तो सुबह हो गया ऐसा नहीं है, सूरज जब निकलेगा तभी सुबह होती है और यह सूरज हमारा निकला हुआ है। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य कितना समय लेंगे?

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, 1 मिनट, 1 मिनट। मैं आखिरी में वित्त मंत्री जी के नेक नीति के बारे में बोलना चाहता हूं, बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने खुद तकलीफ देखा है, मौका मिला है तो अच्छा काम करना चाह रहे हैं, मौका मिला है, वह पढ़े लिखे हैं बहुत दूर का फॉरेन से भी कांसेप्ट ले आते हैं और बहुत जानकार हैं। GYAN, GATI और अब संकल्प। आपके पास ज्ञान भी है, गति भी है और अगर संकल्प नहीं है तो आप जीवन में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते, उसके बाद दुर्गति हो सकती है लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत शानदार बजट पेश किया है, अपने विभाग के सभी पक्षों को छुआ है, वह बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैं आपको दो शब्द बोलकर अपनी बात खत्म करता हूं।

मेरा किरदार मेरी इंसानियत के दायरे में है,
मेरा किरदार मेरी इंसानियत के दायरे में है,
दिल दुखाने वालों का दिल दुखाना, मुझे आज भी नहीं आता।
दिल दुखाने वालों का दिल दुखाना मुझे आज भी नहीं आता। (मेजों की थपथपाहट)

ऐसे माय डियर ओ.पी. चौधरी साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का हम स्वागत करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। चूंकि एक-एक लोग को बोलना था इसलिए मैंने बोला। साहब, मेरे को आंकड़े-वांकड़े आता नहीं, आप लोगों का यह क्या-क्या होता है वह मैं कुछ ज्यादा जानता नहीं, मैं दिल से बोलता हूं, काम ठीक हो रहा है, वह लगता है, अगर आपको ठंडी लग रही है और कंबल मिल जाए तो गरम का अहसास होगा, अगर गर्मी लग रही है और एसी की हवा मिल जाए तो ठंडी लगेगी, यही अहसास जिंदगी में रहता है और यही अहसास हकीकत है, बाकी सब आंकड़ेबाजी में मैं उलझना-फंसना पसंद नहीं करता। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी के विभाग का समर्थन करते हुए उनसे आग्रह करूंगा कि वह इसी तरह से आगे बढ़ें और प्रदेश के गरीब लोगों की सेवा करके उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, एक दिन आप लोग कवि सम्मेलन रख लीजिए। इस सदन में बहुत कवि लोग हैं। (हंसी) हम लोगों को भी सुनने का अवसर मिलेगा।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- नहीं सुनने का नहीं आपको भी सुनाना पड़ेगा। (हंसी)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- बिल्कुल, आप समय देंगे तो सुनाएंगे।

श्री रामविचार नेताम :- बिल्कुल।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं, वित्त मंत्री जी खड़े हो गए उनको बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय वित्त मंत्री जी, आपने इसी सदन में कहा था कि जो रजिस्ट्री शुल्क है, उस पर कमी की जाएगी और दो दिन में आदेश हो जाएगा तो मैंने कहा भी था कि मैं भैया आपके नाम से पटाखा भी फोड़ूंगा। मंत्री जी, मुख्यालय को छोड़ दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों का कम हुआ है शहरी क्षेत्र वाले क्या अन्याय किए हैं, मैं चाहूंगा कि कृपा करके आप इसके लिए भी चिंता करते।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- मैं जरूर बोलूंगा। सम्माननीय सभापति महोदय, हमारे दोनों पक्षों से इस चर्चा में भाग लेने वाले आदरणीय सदस्य राघवेंद्र जी और हमारे वरिष्ठ सदस्य सम्माननीय धर्मजीत जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, चूंकि आप मुझे इस सदन में कई बार बोलने का अवसर देंगे।

उप मुख्यमंत्री (श्री अरूण साव) :- माननीय सभापति जी, वित्त मंत्री जी का भाषण सुनने के लिए राघवेन्द्र जी अब पहुंचे हैं। मैं यही चाह रहा था कि वह आये और जवाब सुने। आपने जो बात कही है, उसका मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- उप मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल, मैं सुनने ही आया हूं। एक कप चाय पिए बर चल दे रहे हव। बिहनिया ले बइठे हो तो भूख लगत रीहिस हे। (हंसी)

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, मुझे मालूम था कि राघवेंद्र जी जरूर आएंगे। हमारे दोनों सम्माननीय सदस्यों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और हमारी अनिला दीदी कवि सम्मेलन के बारे में बोल रही थी तो मैं भी शुरुआत एक कविता से ही कर देता हूं। (हंसी)

रास्ता रोकने वालों, तुम्हें मालूम नहीं,
तुमने पैगाम दिया है, मुझे चलने के लिए। (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- हमन तोला नइ रोकन गा। तोला अच्छा से चल कहात हन। हमन तोला रोकत नहीं हन।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सड़क ला दे देबे भैया, बाकी तोला नहीं रोकन। (हंसी)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- कुछु कहीं देवत हुए जाबे तो हमन तोला नहीं रोकन।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सम्माननीय सभापति महोदय, मुझे पूरा विस्तार से बोलने तथा जवाब देने का तो विनियोग में भी अवसर प्राप्त होगा तो मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही आज विभाग की दृष्टि से बात रख देता हूं और हमारे सम्माननीय राघवेंद्र जी और सम्माननीय धर्मजीत जी ने जो बातें कही हैं, उसको मैं संक्षिप्त में एड्रेस करने का प्रयास करूंगा और समय की मर्यादा को देखते हुए संक्षेप में ही आज अपना वक्तव्य समाप्त करने की कोशिश करूंगा। मैं सबसे पहले उन बिंदुओं का ही जिक्र करूंगा, जो कुछ विशेष काम इन दो सालों में हुए हैं। जो प्रदेश की जनता के हित के लिए, सभी लोगों के हित के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काफी अच्छी चीजें हुई हैं, उनका विशेष रूप से जिक्र करूंगा और इन विभागों से संबंधित जो बड़ी समस्याएं रही हैं, जो बड़े कंसर्न रहे हैं, उनको हमने एड्रेस करने का कैसे प्रयास किया है और आगे की हमारी क्या कोशिश रहेगी, उसको भी मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। हाउसिंग बोर्ड की दृष्टि से जब हम लोगों की सरकार आई और हमको हाउसिंग बोर्ड का प्रभार मिला तो वहां पर 700 करोड़ रूपये से अधिक के कर्ज तले हाउसिंग बोर्ड दबा हुआ था। वह कर्ज कोई बोर्ड के कारण नहीं हुआ था, बल्कि जो सरकारी आवास निर्माण किये गये थे, उसके लिए लोन लिया गया था।

उस कर्ज तले वह दबा हुआ था। हाउसिंग बोर्ड ऐसी संस्था है जिसमें सरकार के बजट का उपयोग नहीं किया जाता। वह अपना खुद प्रोजेक्ट करती है और प्रोजेक्ट से जो पैसे निकलते हैं, उसी से अपने कर्मचारियों को सैलरी देती है और सस्टेन मॉडल पर चलाना उसका काम रहता है। आर.डी.ए., हाउसिंग बोर्ड, एन.आर.डी.ए., ये सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो सरकार से डायरेक्ट बजट नहीं लेती हैं, कम लेती हैं। उनको अपने आप से चलाना रहता है। हाउसिंग बोर्ड 700 करोड़ रूपये के कर्ज तले दबा हुआ था। उसको मैं आपके माध्यम से सदन और सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता और मीडिया के साथियों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि वह कर्ज मुक्त हो गया है। हमारी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में मैं उसे रखना चाहूंगा। (मेजों की थपथपाहट) हाउसिंग बोर्ड की जो दूसरी समस्या होती थी कि बिना विक्रय हुए, बिना बिके हुए जर्जर हुए घर, यह हाउसिंग बोर्ड की एक पहचान बन गई थी। जैसे हमारे आदरणीय धर्मजीत जी भी बोल रहे थे कि एक इमेज वाली बात थी और जो मीडिल क्लास के लोग, लोअर मिडिल क्लास के लोग उन घरों को लेते हैं तो उनको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मैं दोनों बिंदुओं को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। हमने जो पिछले दो सालों में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया है, उसे मैं व्यक्त करना चाहूंगा। एक तो बिकता नहीं था, उसको बेचने के लिए हमने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम कैबिनेट में प्रस्ताव लाया और हमारे पूरे कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी और हमने इसको लॉन्च किया। 442 करोड़ रूपये की 3,200 परिसंपत्तियां ऐसी थीं, जो विक्रीत नहीं हुई थीं। ऐसी परिसंपत्ति थी, जिसको ओ.टी.एस. लाकर हमने एड्रेस करने का प्रयास किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओ.टी.एस.-2 के तहत 1,410 संपत्तियां 210 करोड़ रुपये की लगभग आधे जो 10-10 साल, 15-15 साल, 17-17 साल से बिके नहीं थे, ऐसे आवास को ओ.टी.एस. स्कीम के माध्यम से बेचने का काम किया गया है। जिससे प्रदेश की एक संपदा जो जर्जर होती हुई पड़ी थी, उसको एड्रेस करने का प्रयास किया गया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा होता क्यों था? इसको सदन को जानना चाहिए और सम्माननीय राघवेंद्र जी ने भी एक विषय उठाया है कि यह बुकिंग वाला सिस्टम क्या हुआ है और क्यों हुआ है? मैं उसको भी बताना चाहूंगा। क्या होता था कि कई बार सप्लाई ड्रिवन प्रोजेक्ट हो जाते हैं। किसी को कुछ अपना पर्सनल इंट्रेस्ट हो और वही उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा दे, ऐसा भी कई जगह कुछ केस में हो जाता है। मुझे इस सदन में इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है। इसलिए हमारी कोशिश यह थी कि हम एक ऐसी पॉलिसी लाये जो Demand driven हो। ऐसी जगह में ही प्रोजेक्ट्स हो, जहां पर डिमांड हो और डिमांड होने पर वह तत्काल बिक्री हो जाये और बिक्री करके कोई घर में बस जाता है, तब वह मेंटेन रहता है। यदि वह मकान बिकता नहीं है और 5, 10, 15, 20 सालों तक पड़ा रहता है तो निश्चित रूप से वह जर्जर हो जायेगा और उस कॉलोनी की गति को दुर्गति होने से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए एक बड़े रिफॉर्म के तहत हाऊसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट्स लाने के सिस्टम को हमारी सरकार ने डिमांड आधारित किया और उसी के तहत जो प्रावधान किया गया है कि यदि किसी भी

जगह में तीन माह में तीस प्रतिशत बुकिंग हो जाये या यदि 15 दिनों में कुल 60 प्रतिशत की बुकिंग भी हो जाये तब हम उसमें टेंडर करते हैं, नहीं तो हम टेंडर नहीं करते हैं। हमने हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन दो सालों में यह पॉलिसी अपनाई की है। जबर्दस्ती बनाने के लिए कोई कंस्ट्रक्शन न करें, जहां पर डिमांड हो, वहां पर कंस्ट्रक्शन हो, यह हमने कोशिश की है, यह पॉलिसी अपनाई है ताकि कोई कॉलोनी अनावश्यक बनकर खराब होती न पड़ी रहे। हम इस पॉलिसी के साथ काम कर रहे हैं। राघवेन्द्र जी ने कहा है कि जिस जगह पर 60 प्रतिशत बुकिंग नहीं हो पा रही है, उनके क्षेत्र के आस-पास कोई प्रोजेक्ट आया है। मैं उनको कहना चाहूंगा कि तीन माह के भीतर यदि 30 प्रतिशत की भी बुकिंग हो जाती है तो भी हम टेंडर लगाकर आगे का काम बढ़ा सकते हैं लेकिन यदि 3 माह के भीतर 30 प्रतिशत भी बुकिंग नहीं हो पा रही है तो हमको सोचना चाहिए कि वहां डिमांड नहीं है। वहां पर यदि 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत बुकिंग में बना भी देंगे तो कॉलोनी को काफी नुकसान हो सकता है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मंत्री जी, धन्यवाद। आपने Exactly वही कहा जो हम लोग चाह भी रहे थे कि जहां पर जगह का चयन हो, वह डिमांड बेस हो न कि नेता के Recommendation बेस। Thank you for saying that.

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, निश्चित रूप से। मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि सम्माननीय सदस्य राघवेन्द्र जी कहते हैं कि इस जगह पर हाऊसिंग बोर्ड की कॉलोनी लॉंच होनी चाहिए तो हम उस जगह पर 100 प्रतिशत लॉंच करेंगे। सभापति महोदय, आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से मैं उनको आवश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि वहां पर 3 महीने के भीतर 30 प्रतिशत या 15 दिन या 1 महीने के भीतर 60 प्रतिशत भी बुकिंग हो जाती है तो हम तुरंत टेंडर भी करवा देंगे। (मेजों की थपथपाहट) इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। दूसरा, इसी विषय पर आदरणीय धर्मजीत जी ने भी कहा था कि तखतपुर में हाऊसिंग कॉलोनी बनाना चाहिए। मैं सभी सम्माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि अभी हमने हमारी सरकार आने के बाद आवास मेला लगाया और बहुत व्यापक स्तर पर हाऊसिंग के काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमने शंकर नगर में आवास मेला लगाया था, जिसमें हमारे सभी सम्माननीय, वरिष्ठ सदस्य आये भी थे। वहां हमारे पुरंदर जी, सुनील जी, सब लोग आये थे और बहुत ही सफल आवास मेला का आयोजन हुआ है। इसमें केवल रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में ही हाऊसिंग बोर्ड आवास बनायेगा, ऐसी नीति के साथ काम नहीं किया जा रहा है। ऐसी जगह जहां पर हाऊसिंग बोर्ड की कॉलोनी बनाने की जरूरत हो, जहां पर लोगों को उससे फायदा हो, वैसी हर जगह पर कॉलोनी बनाने का काम किया जायेगा। मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इसमें 3 हजार करोड़ रूपये से ऊपर के प्रोजेक्ट लॉंच हुए हैं, जिसमें 78 नवीन प्रोजेक्ट्स लॉंच हुए हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय वित्त मंत्री जी, मैं आपको एक बात बोलना भूल गया था। अब आप जवाब दे रहे हैं तो मुझे याद आया। आपने जैसे रायपुर में ऑटो एक्सपो का मेला लगाया था, इस बार वैसा ही बिलासपुर में लगवा दीजियेगा।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, हमने उसी केबिनेट मीटिंग में इस बारे में कहा था। इसमें सभी सदस्यों की मंशा थी और मैं सम्माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि वे जिस भी संभाग मुख्यालय या जहां पर यह मेला लगाना चाहे, वहां पर जो हम परिवहन शुल्क में छूट देते हैं, उसी छूट के साथ हम दूसरी जगहों पर भी कर देंगे। जहां पर आदरणीय धर्मजीत जी कह रहे हैं या दुर्ग में या बिलासपुर में, जहां पर चाहे वहां पर किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।

सभापति महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि 3 हजार करोड़ रूपये से अधिक के प्रोजेक्ट लॉंच हुए हैं और वे 33 जिलों में से 27 जिलों में लॉंच हुए हैं। दूर-दराज के जिले, बस्तर क्षेत्र के जिले, उन पर भी हमने काम करना शुरू किया है क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां भी होती है कि बस्तर और सरगुजा के दूरस्थ अंचलों में यदि कोई व्यक्ति वहां जाकर रहना चाहता है, यदि कोई कर्मचारी अधिकारी रहना चाहता है, यदि कोई किराये का पैसा देकर रहना चाहता है तो भी ठीक तरह का पक्का मकान उपलब्ध नहीं रहता है। इस तरह के कारणों से हम 33 जिलों में से 27 जिलों में यह प्रोजेक्ट लॉंच कर चुके हैं और बहुत जल्द हमारी कोशिश है कि सभी 33 के 33 जिलों मे कम से कम एक दो हाऊसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट लॉंच हो। यहां पर सभी सम्माननीय सदस्य है, यदि जो भी चाहेंगे कि उनके क्षेत्र में प्रोजेक्ट लॉंच होना चाहिए तो वे हमको अवगत कराये, हम निश्चित रूप से सकारात्मक प्रयास करेंगे और पॉलिसी के तहत हाऊसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट को आगे बढ़ायेंगे। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। सभापति महोदय, मैं दूसरी चीज बताना चाहूंगा कि सिरपुर विशेष क्षेत्र प्राधिकरण ये भी एक अथारिटी बनाई गई है ताकि सिरपुर को भी एक नई पहचान, एक नई ऊंचाई देते हुए उसको एक नेशनल, इंटरनेशनल सेंटर के रूप में स्थापित किया जा सके और उस प्राधिकरण के माध्यम से वहां पर तेजी से काम करने की कोशिश प्लानिंग लेवल पर है और इस बजट में भी उसके लिये 36 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट प्राइवेट इनवेस्टमेंट को भी प्रमोट करके उसको अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जायेगा। सभापति महोदय, पर्यावरण पर दो-तीन बिन्दुओं को मैं आपके माध्यम से सदन में रखना चाहूंगा। एक चीज की सबकी बड़ी चिंता रहती है कि फ्लाईएश का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, सभी सम्माननीय सदस्यों का उसमें एक कंसर्न रहता है और हमारे इस सदन के हर सत्र में सैकड़ों सवाल फ्लाईएश के बारे में आते हैं। तो उसके लिये हमारी सरकार बनने के बाद जब हमने विभाग का चार्ज लिया है, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण काम किये हैं, वह आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं। 1 अगस्त 2024 को पहली बार एक नया एस.ओ.पी. अपग्रेडेड वे में फ्लाईएश ट्रांसपोर्टेशन के लिये निकाला गया है। हमने उसको डिफाइन किया है, कई क्राइटेरिया तय किये हैं कि कैसे उसको ट्रांसपोर्टेशन

करना है, किस तरह की गाड़ी, किस तरह से ढकना है और कई तरह के वायलेशन की भी शिकायत आती है, मैं इससे कोई इंकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां पर भी उनको लगता है, हम कठोर कार्रवाई करते रहेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप पिछले वर्षों के डेटा की भी तुलना करें तो पहले जितनी कार्रवाईयां होती थीं, उससे कई गुना ज्यादा कार्रवाईयां इन वर्षों में हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सभापति महोदय, क्योंकि ये ऐसी चीजे हैं जिसमें हमको लगातार कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है और जहां पर भी इस तरह के इशु होते हैं तो नये एस.ओ.पी. हमने अगस्त 2024 में बनाया है और उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से ये मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं। सभापति महोदय, दूसरी चीज रहती है कि फ्लाईएश डिस्पोजल का कहीं पर का परमीशन है और कहीं पर छोड़ के चला गया। इस तरह की शिकायत बहुत कामन तरीके से आती हैं। हमारे पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य इस बात को अलग-अलग फोरम में लाते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार आने के बाद, पिछले बार मैं सदन में भी बोला था कि जी.पी.एस. और जियो टैगिंग की व्यवस्था हम लागू करेंगे। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि 1 मई 2025 से जियो टैगिंग और जी.पी.एस. के सिस्टम को फ्लाईएश ट्रांसपोर्टेशन करने वाली गाड़ियों में लागू कर दिया गया है और उसकी पूरी मानीटरिंगअ आनलाईन पोर्टल के माध्यम से की जा रही है जिसमें अभी तक 1 लाख 44 हजार 291 ट्रिप का मानीटरिंग किया गया है। कहीं पर भी अभी भी कुछ भी शिकायत आती है, कुछ भी इस तरह की स्थितियां होती हैं तो अवगत करायें, उस पर हम जरूर कठोर कार्रवाई करेंगे। पिछले सालों के डेटा को, इस साल के डेटा को देखेंगे तो साफ तौर पर दिखाई देगा कि बहुत ज्यादा कार्रवाईयां की जा रही हैं और आगे भी हम करते रहेंगे।

सभापति महोदय, तीसरा प्वाईंट में प्रदूषण की दृष्टि से आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूंगा कि जो सी.जी. निगरानी पोर्टल है, सी.जी. निगरानी पोर्टल से पहले फ्लाईएश के बारे में मैं एक और बिन्दु बताना चाहूंगा। पहले होता था कि दूसरे राज्यों के भी फ्लाईएश को डंपिंग करने की अनुमति हमारे छत्तीसगढ़ में भी मिल जाती थी। दूसरे राज्य में फ्लाईएश जनरेट होता था, उसको अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ में डिस्पोज किया जाता था। विशेष करके के पिछली सरकार के समय में ऐसा होता रहा है। मैं उसमें कहना चाहूंगा कि उसमें कोई आरोप-प्रत्यारोप या राजनीतिक करने की बात नहीं कर रहा हूं। हमने जो पालिसी स्वत: एडाप्ट की है, बिना किसी के कहे, बिना किसी प्रकार की बात के हमने स्वयं विभाग की ओर से एक मोरल एथिक्स रखते हुए जो पालिसी तय की है कि हम किसी दूसरे राज्य द्वारा जनित फ्लाईएश को हमारे राज्य में नहीं लेंगे, कोई भी परमीशन नहीं देंगे। ये हमने अपने लेवल पर पालिसी बनाकर इसके तहत काम कर रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) ये पालिसी के साथ हम लोग पूरा चल रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, वायु प्रदूषण की दृष्टि से सी.जी. निगरानी एक पोर्टल बनाये हैं।

वायु प्रदूषण होता है। अभी रायपुर के A.Q.I. के बारे में बहुत सारी बातें राघवेन्द्र जी बात रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं यहां पर कलेक्टर के रूप में 2016-2018 के बीच में काम करता था तो यहां का A.Q.I. का लेवल बहुत ऊपर चला गया था। अभी की तुलना में भी भी कई गुना ऊपर ज्यादा चला गया था। उसके ठीक करने के लिये multidimensional strategy पर काम करना पड़ता है। किसी भी शहर के A.Q.I. को कंट्रोल करना, एयर क्वालिटी को इंप्रूव करना है तो उसमें multidimensional way मे काम करना पड़ता है। industrial pollution एक होता है उसके लिये हमने सी.जी. निगरानी पोर्टल के माध्यम जो किया है । वह भी मैं आपको बताउंगा, उसके अलावा हमने जो स्टेप्स लिया था, PUC Pollution Under Control का जो गाड़ियों का Certificate होता है वह पहले कई सालों से हमारे छत्तीसगढ़ में जांच होना ही बंद हो गया था, उसको उस समय हमने लागू करने का काम, उस समय के डॉ. रमन सिंह जी की सरकार के समय में उन्होंने निर्णय लिया कि इसको लागू किया जाये, बतौर कलेक्टर हमने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी तो उस समय जब PUC की जांच कराने के लिये हम लोगों ने चालू किया तो देखा कि हर सड़क पर आधा-आधा किलोमीटर का जाम लग गया क्योंकि हमारे रायपुर में PUC जांच करने वाली मशीनें ही नहीं थीं, सेंटर ही नहीं थे । 100 से आधा सेंटरों की जरूरत थी और बड़ी मुश्किल से उस समय 7-8 सेंटर चलते थे । माननीय सभापति महोदय, मैं उसके लिये उस समय की सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा और यह बताना चाहूंगा कि सरकार का पूरा कमिटमेंट था उसके कारण नये PUC सेंटर लागू करने के लिए हम सब लोगों ने ऑटोमोबाईल डीलर्स की बैठक की और जो पेट्रोल पंप हैं और ऑटोमोबाइल के जो सेंटर्स हैं जहां पर गाड़ियों के Showroom हैं वहां पर PUC सेंटर बनाने का का किया गया और आज उसी तरीके से यह काम आगे बढ़ता है । (मेजों की थपथपाहट) हम सब गाड़ियों के PUC कंट्रोल के Certificate को बढ़ावा देते हैं । यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्टेप है ।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा जब एक Air Quality Index को कंट्रोल करने की बात की जाती है तो Vehicular pollution बहुत महत्वपूर्ण होता है और उस दृष्टिकोण से जाम नहीं लगना बहुत महत्वपूर्ण होता है । हमारे रायपुर में पहले चाहे Express Highway की बात हो, Express Way की बात हो, Atal Express Way जो सीधा एयरपोर्ट को रेल्वे स्टेशन से जोड़ता है या केनाल रोड की बात हो । केनाल रोड के माध्यम से रायपुर के सभी शहरों को जो बाईपास होता है उन सब Alternative Roads का निर्माण किया गया । फ्लाई ओवर्स का निर्माण किया गया। रेल्वे ओवरब्रिजेस का निर्माण किया गया ताकि गाड़ियों का जाम न लगे और Traffic न बढ़े तो pollution कंट्रोल में रहे इस तरह के Multi dimensional स्टेप भी उठाये गये ।

श्री सुनील सोनी :- मंत्री जी, एक मिनट । मेरा एक लाईन का है । आज भी हम अपने छत के ऊपर में जाते हैं तो पांव काले हो जाते हैं तो आज यह जो है इसका प्रमुख कारण थोड़ा सा मैं यह समझ

रहा हूं कि जो Industry है, वह केवल रायपुर के अंदर में सेंट्रलाईज हो गयी । उसका विकेन्द्रीकरण नहीं हुआ, अन्य संभागों में या जिलों में नहीं पहुंची । इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया है कि आज भी आप जाएंगे, आप देखिए, खुद देखिए छत में जाएंगे तो आपके पांव काले हो जायेंगे तो आपने इन इंडस्ट्रियों के लिये क्या किया ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, मैं इसके लिये विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा कि Air Quality Index को कंट्रोल करने की दृष्टि से Industrial Pollution को कैसे कंट्रोल करने की दिशा में हमने इन दो सालों में जो महत्वपूर्ण स्टेप लिया है । वह मैं बताना चाहूंगा कि हमने इस नए Portal को Launch किया है, नई Technology को Launch किया है और इसका जो नाम है, इसमें जो Technology है वो कंटीन्यूस Ambient Air Quality monitoring System बोला जाता है । अगर मैं आम भाषा में सिंपल फंडा बताना चाहूं तो यह है कि क्या होता है कि जो Industry की चिमनी होती है, बड़ी वाली Industry जो ज्यादा Pollution करने वाली उन लोग क्या करते हैं । पहले क्या होता था कि उस चिमनी से जो एबमिशन हो रहा है कॉर्बन मोनोऑक्साईड का, सल्फर डाईऑक्साईड का, जिस भी गैस का एबमिशन हो रहा है, पहले वह data उनके सर्वर में जाता था और उनके सर्वर से data पर्यावरण बोर्ड लेता था जिसके कारण से data में बहुत Manipulation होता था । मुझे सदन को यह अवगत कराते मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमने यह जो सी.जी.निगरानी पोर्टल लाया है और Continuous Ambient air Quality Monitoring System स्टेबलिश किया है इसमें हम अपना Instrument उनके चिमनी में स्टेबलिश कर रहे हैं और उससे data सीधे हमारे सर्वर में आ रहा है जिससे data को कोई Manipulate नहीं कर पाएगा । यह अभी हमने लागू किया है और इस संदर्भ में जो ज्यादा हजाडस Industry थे उनको पहले चरण में लिया गया है । 124 बड़े इंडस्ट्रीज को छत्तीसगढ़ के बड़े स्तर के और 17 प्रकार के जो बड़े प्रदूषण करते हैं उनके संबंध में और इनमें अब डॉयरेक्ट जो data आ रहा है उसमें जो Permissible limit है कोई भी gas को emit करने का, उसको जैसे ही वॉयलेशन हो रहा है तो तत्काल नोटिस देने का और तत्काल कार्रवाई करने का काम विभाग ने चालू किया है पिछले कुछ महीनों से, इसका कुछ सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से आएगा और आने वाले समय में, मैं सम्माननीय सदन को, हमारे माननीय सदस्य सुनील सोनी जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसके दायरे को आने वाले समय में हम और बढ़ायेंगे तो इससे निश्चित रूप से Manipulation कम होगा और यह जो ई.एस.पी. होता है । ई.एस.पी. जो होता है प्रॉस्पिरेटर होता है, उसको बिजली की बचत करने के लिये रात में जनरली बंद कर दिया जाता है और उस समय यह मिशन बनता रहता है। उनके डेटा से पहले विभाग लेता था। इसलिये उसमें manipulation हो जाता था। अब इस टेक्नालॉजी के कारण यह काम नहीं हो पाएगा। मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सदन को अवगत करना चाहूंगा।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मंत्री जी, क्या आपने यह नया पैटर्न कोरबा में ट्राई किया है या अगली बार करेंगे।

श्री ओ.पी. चौधरी:-सर, वास्तव में एक लेवल के जो टोटल 124 इंडस्ट्री हैं, उसमें किया है तो निश्चित रूप से कोरबा के कई होंगे। यह मैं आपको बताऊंगा और आने वाले समय में हम इसका दायरा और बढ़ायेंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मंत्री जी, मैं यह चाहता हूँ कि जहां-जहां पर इंडस्ट्री से परेशान लोग हैं। उनकी आप लिस्ट दे दीजिए कि यह कहां-कहां पर भेजा है।

श्री ओ.पी. चौधरी:- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको 100 प्रतिशत दूंगा। हमने जो 124 किया है, हम आपको भी उसकी लिस्ट अवगत करवा देंगे। हमारे रायगढ़ में भी मैंने सबसे पहले लगवाया है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय मंत्री जी, इसकी कोई डेड लाईन है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मंत्री जी, आप जरूर रायगढ़ के मंत्री हैं आपको सबसे पहले लगाने का हक है तो हम लोग दूसरे-तीसरे नंबर पर तो आएंगे ही।

श्री ओ.पी. चौधरी:- सर, नहीं। एक ही साथ किया था। आपके यहां भी लगे हैं। कोरबा-जांजगीर में भी लगा है रायपुर में सिलतरा, उरला में भी लगे हैं, लेकिन पहले चरण में बड़ी इंडस्ट्रीज को लिया गया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय वित्त मंत्री जी, आप बालोद में भी करवा दूहू।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, बालोद में देखना पड़ेगा।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय मंत्री जी, हमने इसकी कोई डेड लाईन रखी है क्या कि हम सारी इंडस्ट्रीज और स्मॉल इंडस्ट्रीज में भी कब तक लगा देंगे।

श्री ओ.पी. चौधरी:- नहीं-नहीं। इसमें क्या है कि जो इंवायरमेंटल लॉस हैं। इसके हिसाब से...।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां तो इंडस्ट्रीज ही नहीं है तो हम क्यों दिमाग दौड़ायेंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- आपके यहां नहीं लगेगा।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय संगीता जी, बालोद में कौन से प्रदूषण हो गे हे कि बालोद बर बोलत हस।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, अभी बरी बनाथे ते करिया हो जथे।

श्री धर्मजीत सिंह :- बालोद में भी फैक्ट्री है क्या ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय,सबेला वही डहार भेजत हे।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मंत्री जी, आपके हिसाब से रायपुर, कोरबा, रायगढ़ और भिलाई इन चारों शहरों में सबसे ज्यादा प्रदूषण कहां पर है, आप यह बता पायेंगे।

श्री ओ.पी. चौधरी:- माननीय सभापति महोदय, एयर क्वालिटी इंडैक्स वाईस पूछ रहे हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मंत्री जी, जी हां।

श्री ओ.पी. चौधरी :- महोदय, यह समय-समय पर बदलता रहता है, लेकिन रायपुर में सिलतरा उरला साईड जाते हैं तो एयर क्वालिटी इंडैक्स ज्यादा खराब है, लेकिन नया रायपुर तरफ एयर क्वालिटी काफी अच्छा है। तो 17 प्रकार के हरजाडास इंडस्ट्री एसपेक्ट किये गये हैं हम अगले लेयर में उसको और विस्तारित करेंगे। दूसरा, जो हरजाडास बेस्ड होता है, यह एक बहुत बड़ी समस्या होती है मैं उस पर भी बताना चाहूंगा कि हमने सेल्फ इनेसिटिव लेते हुए हरजाडास बेस्ड दूसरे राज्यों से आता था, यहां पर डिस्पोज होने के लिए। जिसमें बहुत ही आर्सेनिक वगैरह रहता है और मानव जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। उस पर भी हमने विभाग की ओर से अपनी ओर से इनेसिटिव लिया है कि कोई भी हरजाडास मेटल का दूसरे राज्य से हम छत्तीसगढ़ में नहीं लायेंगे। यह हमने निर्णय लिया है, यह पहले होता था। हमने एथिकल रूप से यह नैतिक जिम्मेदारी ली है कि हमारे स्टेट में जो हरजाडास बेस्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको बिना ट्रिटमेंट के बाहर ले जाये क्योंकि जनरली क्या होता है उसमें परमिशन ले लेते हैं और बिना ट्रिटमेंट के उसको बेच देते हैं। तो इसलिए हमारे यहां ट्रिटमेंट होकर ही जाये। यह हमारी कोशिश है मतलब हमने पूरी तरह से एडाप्ट किया है और बाहर राज्यों से बिना ट्रिटमेंट के न आये।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा, अनेक मंचों पर जो नवा रायपुर की दृष्टि से बहुत बार चर्चा होती है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यहां पर नवा रायपुर एजुकेशन हब के रूप में डेवलप हो रहा है। मैं सभी सम्माननीय सदस्यों को अवगत करना चाहूंगा कि पहले ही यहां पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्टेबलिस हो चुका है। ऑलरेडी ट्रिपल आई.टी. स्टेबलिस होकर काम कर रहा है, यहां पर आई.ए.एम. भी अच्छे तरीके से स्टेबलिस होकर काम कर रहा है। हमारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वगैरह है। अच्छे रैंकिंग में भी राष्ट्रीय स्तर पर आने लगे हैं इन 2 सालों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 3 और नये राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को लाने में सफलता पायी है NIFT national institute of fashion technology, NFSU national forensic sciences university, nielit National Institute of Electronics and Information Technology.यह तीन राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को लाने में हमने सफलता पायी है। यह मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा। अभी-अभी हमारे कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि नर्सीमूंजी इंस्टीट्यूट जो कि भारत में बहुत बड़े संस्थान के रूप में काम करता है उनको बड़ी मुश्किल से और बड़ी मेहनत से हमारी सरकार ने मनाया। वह लोग पूरी तरह से जमीन खरीदकर यहां पर हमारे छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में अपना के.जी. से पी.जी. तक संस्थान

चालू करने के संबंध में मामला आगे बढ़ रहा है। नर्सीमूंजी इंस्टीट्यूट में हमारे छत्तीसगढ़ के हजारों बच्चें मुम्बई में जाकर पढ़ाई करते हैं। वह यहीं पर पढ़ाई कर पायेंगे और एक बहुत बड़े शिक्षा के केन्द्र के रूप मे हमारा संस्थान उभर पायेगा। माननीय सभापति महोदय, जो सत्य साईं हॉस्पिटल है, वह पूरे प्रदेश के लिए शान की बात है । वह ऐसा संस्थान् हैं, जहां पर हार्ट सर्जरी होती है और पूरे हॉस्पिटल में कोई बिलिंग काउंटर ही नहीं है । रहना-खाना, दवाई सब कुछ कम्पीटली फ्री ऑफ कास्ट होता है और किसी भी दृष्टिकोण से हमारे छत्तीसगढ़ का शायद एक मात्र संस्थान होगा, जहां विदेशों से भी इतने सारे लोग आते हैं । चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, इन सब देशों से भी लोग हार्ट सर्जरी कराने आते हैं । देश भर से फोन आता है । इस तरह का संस्थान है । वहां पर हमारी सरकार आने के बाद जिनोम रिसर्च सेन्टर चालू करने के लिए, नर्सिंग कॉलेज चालू करने के लिए और हेल्थ स्कीम सेन्टर चालू करने के लिए हमारी सरकार द्वारा 5 एकड़ जमीन सत्य सांई हॉस्पिटल को एक रूपए की लागत पर प्रोवाईड करने का काम किया है । (मेजों की थपथपाहट) मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस बजट में, अभी जो वर्तमान बजट है, उस पर हमने अधोसंरचना के लिए 25 करोड़ रूपए की सहायता हम सत्य सांई हॉस्पिटल को देने जा रहे हैं । (मेजों की थपथपाहट) उस संस्थान में अभी तक हार्ट सर्जरी के 40 हजार से ऊपर ऑपरेशन हो चुके हैं, अगर प्राईवेट अस्पताल में हम ट्रीटमेंट करते जाते तो लगभग हजार करोड़ रूपए की लागत होती है । उनको 5 एकड़ जमीन हमने अपने नये कार्यकाल में दिया है । 25 करोड़ इस बजट के माध्यम से उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है, ताकि वह संस्थान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और उभरे । हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को भी इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, एक बड़ा काम इसमें किया गया है ।

सभापति महोदय, हॉस्पिटल की दृष्टि से हम सबकी चिंता रहती है कि बड़ा हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल भी हमारे छत्तीसगढ़ में बने, यहां के लोगों को हैदराबाद और बाम्बे न जाना पड़े, उस दृष्टिकोण से मैं बताना चाहूंगा कि नवा रायपुर में बाम्बे हॉस्पिटल आने के रास्ते को भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है । बाम्बे हॉस्पिटल भी हमारे नवा रायपुर में आ रहा है ।

सभापति महोदय, इसके अलावा जैसा धर्मजीत जी ने बड़े विस्तार से मेट्रो का जिक्र किया। मेट्रो के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेट्रो या ओव्हर ऑल जो बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोटेशन का मोड हो सकता है, उसके संबंध में सर्वे कराने के लिए हमने एजेंसी का टेण्डर ऑलरेडी कर लिया है, वह टेण्डर फाईनल हो गया है और अब वह वाईबलीस्टडी करते हुए उस प्रोजेक्ट के लिए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं । भारत सरकार से भी उसमें 50 प्रतिशत का पार्टनरशिप मिल जाता है तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं । अभी तुरंत बन जाएगा, हो जाएगा, यह मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन मल्टी मॉडल तरीके से एक अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे रायपुर और आसपास के क्षेत्रों के लिए आगे करने की दृष्टि से हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं । मैं उम्मीद करता हूं, पूरे विश्वास

के साथ कह सकता हूं कि कुछ सालों के अंदर इसका बहुत सकारात्मक परिणाम आएंगे । भारत सरकार में 26 जगहों के प्रोजेक्ट ऑलरेडी लाईन में लगे हुए हैं । दुर्भाग्य की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ का एक भी प्रोजेक्ट लाईन में ही नहीं है तो हम उस लाईन में बहुत जल्दी खड़ा होंगे और कुछ सालों के अंदर इसमें निश्चित रूप से हम अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, उस दिशा में प्रयास जारी है ।

सभापति महोदय, आज का दिन और बहुत रूप से ऐतिहासिक है । आज हमारे मुख्यमंत्री के चेयरमैनशिप में हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरूण साव जी की उपस्थिति और आवास पर्यावरण मंत्री के रूप में मेरी उपस्थिति में आज एस.सी.आर. (स्टेट कैपिटल रीजन) की पहली बैठक सम्पन्न हुई । (मेजों की थपथपाहट) आज के दिन को आने वाले दशकों में याद किया जाएगा । स्टेट कैपिटल रीजन बनाना बहुत जरूरी है, एक इकानॉमी ग्रोथ हब के रूप में, इकानॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, शिक्षा केन्द्र के रूप में, स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में बहुत बड़े लेवल पर चीजों को ले जाने के लिए बहुत जरूरी है । छोटी सोच, छोटे विजन से काम नहीं चलेगा, हमारे छत्तीसगढ़ को भी लंबी छलांग पर ले जाना पड़ेगा । इसलिए एस.सी.आर. के कांसेप्ट को हमारे भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में भी रखा गया था । एस.सी.आर. संकल्प पत्र का हिस्सा था, उसके अनुरूप पिछले बजट में हम लोगों ने एस.सी.आर. की परिकल्पना को बजट भाषण में भी लाया था और पिछले मानसून सत्र में पूरे एक्ट फ्रेम करके पूरा नया एक्ट बनाकर एस.सी.आर. का एक्ट भी पिछले मानसून सत्र में पास हुआ, उसके अनुसार अब बॉडी भी बन गई है । मुख्यमंत्री जी उसके चेयरमेन हैं और आज उस बॉडी की पहली बैठक हुई है, जिसमें 11 एजेंडों पर चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया गया है । आने वाले वर्षों में इसका बहुत बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को पूरे तीन करोड़ जनता जनार्दन को होगा ।

सभापति महोदय, अभी थोड़ा ज्यादा विस्तार हो जाएगा इसलिए मैं दो-चार बिन्दुओं पर आने के बाद वित्त पर आता हूं । जो योजना विभाग है, उसमें हम लोग विजन डाक्यूमेंट लाकर काम कर रहे हैं और उनकी क्या योजना होगा, उसे राघवेन्द्र जी पहले से ही जानते थे । जिस दिन विजय डाक्यूमेंट पर चर्चा थी, उस दिन पूरा विपक्ष ही गायब हो गया था । वह पहला सत्र, सदन का पहला दिन था तो उसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा । मैं इतना कह सकता हूं कि जो 2047 का लक्ष्य है, वह किसी भी लक्ष्य के लिए भविष्य का लक्ष्य अत्यंत आवश्यक है ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- हम लोग तो गायब हो गए थे, लेकिन एक वरिष्ठ सदस्य बहुत अच्छा हमारी भूमिका में थे।

श्री ओ.पी. चौधरी :- वह चलते रहता है।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- समय के हित के लिए आपका वादा भी था।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी इतना ज्यादा लंबा बोल दिए तो जवाब देना पड़ेगा। मैं जल्दी कर रहा हूं। सभापति महोदय, एक्चुअली लांग टर्म प्लानिंग हर एक के लिए

जरूरी है। मैं तो कहता हूं कि हर व्यक्ति को अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए चिंता करके योजना बनाता है तो एक राज्य क्यों न बनाये ? यही मेरा कहना है। दीर्घकालिक योजना भी जरूरी है, 2030, 2035 का मध्यकालिक लक्ष्य भी जरूरी है तथा एकवर्षीय लक्ष्य के रूप में बजट को देखा जाना चाहिए, मैं हमेशा यह बोलता हूं। हम इन तीनों रूप अल्पकालिक लक्ष्य , मध्यकालिक लक्ष्य तथा दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ चलते हैं। 2047, 2047 कहकर उसका माखौल उड़ाना उचित नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसी बात करता है तो वह उचित नहीं है।

सभापति महोदय, दूसरी चीज, मैं जी.एस.टी. के सन्दर्भ में बोलना चाहूंगा। जी.एस.टी. 2.0 लागू किया गया है, मैं उसे भारत देश के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा रिफार्म मानता हूं। (मेजों की थपथपाहट) राघवेन्द्र जी बोल रहे थे कि आप लोगों ने होर्डिंग्स लगाये कि इतना छूट हुआ, इतना छूट हुआ। मैं उसके बारे में फिर से सदन को अवगत कराना चाहूंगा। जी.एस.टी. 2.0 के माध्यम से कपड़ों पर टैक्स 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत किया गया। (मेजों की थपथपाहट) सीमेन्ट पर टैक्स को घटाकर 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत किया गया। बिल्डिंग मटेरियल्स पर जो टैक्स की कटौती की गई, उससे एक हजार वर्गफीट मकान बनाने पर लगभग डेढ़ लाख रूपये बचत होगी, यह एक कैलकुलेशन कहता है। (मेजों की थपथपाहट) फ्रीज, टी.व्ही., ए.सी. पर मोदी जी के इस रिफाम से जी.एस.टी. 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हुआ। (मेजों की थपथपाहट) किसी एक मोटर सायकल पर 8 हजार से लेकर 12 हजार रूपये तक बचत हुई। (मेजों की थपथपाहट) छोटी कार पर 60 हजार रूपये से लेकर 1 लाख रूपये तक बचत हुई। (मेजों की थपथपाहट) टी.व्ही., ए.सी. पर 3 हजार रूपये लेकर 5 हजार रूपये तक बचत हुई। (मेजों की थपथपाहट) टूथपेस्ट, साबुन, साइकिल, रसाईगैस, डिटर्जेंट और बर्तन जैसी वस्तुओं पर 5 प्रतिशत जी.एस.टी. कर दिया गया। (मेजों की थपथपाहट) इससे सामान्य व्यक्ति, सामान्य परिवारों को प्रतिवर्ष 25 हजार रूपये से 40 हजार रूपये तक की बचत हुई। इस तरह की बचत हुई है। किसानों की दृष्टि से ट्रेक्टर पर 1 लाख 20 हजार रूपये तक बचत हुई है। कृषि उपकरणों पर टैक्स 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया। बीमा, हेल्थ बीमा और जीवन बीमा आज के जमाने में बहुत महतवपूर्ण चीज है। दोनों बीमा पर 18 प्रतिशत से घटाकर 0 प्रतिशत कर दिया गया। (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- महिलाओं के लिए ज्वेलरी में, गोल्ड में कितना है ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- सबमें कम हुआ है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, पहले यह बताना होगा कि कितना गोल्ड रखे हो। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- इनको विज्ञापन में तकलीफ है क्या ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- हां-हां।

श्री धर्मजीत सिंह :- इनका भी फोटो उसमें लगवा दीजिये। इनका भी फोटो लगवाओ ताकि हम जो बोल रहे हैं, वह बात बिलकुल सही है और यह सिद्ध भी हो जायेगा।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मैं तो यह बात कह रहा हूं कि आप मान रहे हैं कि पहले ज्यादा ले रहे थे क्या, जो कम करके छूट का पोस्टर चिपकवा रहे हो ? आपकी बात मान तो रहे हैं।

श्री ओ.पी. चौधरी :- मैं उसी बात पर आ रहा हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जी.एस.टी. आपकी ही देन है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, राघवेन्द्र जी बार-बार बोलते हैं। उनके जैसे अच्छे खासे पढ़े-लिखे व्यक्ति जो बहुत जागरूक हैं, उनको इस तरह से सदन और सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को नहीं भरमाना चाहिए। इस देश में गब्बर सिंह टैक्स था। 1 जुलाई, 2017 से पहले जब जी.एस.टी. लागू नहीं था।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अच्छा यह बता दीजिये आखिर यह टैक्स किसने लगाया था, जिसको आपको कम करना पड़ा ? हमने या आपने ? आप एक लाईन में बता दीजिये, बात क्लीयर हो जायेगी।

श्री ओ.पी. चौधरी :- राघवेन्द्र जी, धैर्य रखिये। मैं उसी को बताना चाह रहा हूं। मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता सुने। जब जी.एस.टी. नहीं आया था तो पहले 17 प्रकार के टैक्स थे और 13 प्रकार का सेस था, जी.एस.टी. आया तो टैक्स की कमी हुई। अप्रत्यक्ष करो में कमी 1 जुलाई, 2017 को हुई थी, जब 8 साल बाद उस पर टैक्स सिस्टम कनसालीडेट हुआ तो और कमी करते हुए मोदी जी ने रिफाम किया। (मेजों की थपथपाहट) तो जो टैक्स 1 जुलाई, 2017 ..।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मोदी जी का एक वक्तव्य था कि जी.एस.टी. कभी सफल नहीं हो सकता, इस पर भी प्रकाश डाले।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अब आप मानते हैं कि जी.एस.टी. के पक्ष में हो? (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- आपके साथी क्या जी.एस.टी. के समर्थन में हैं? (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- हम कहां बोले? (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- जब यू.पी.ए. की सरकार रहिस, तब 35 रूपए में पेट्रोल लेवत रहेन। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मंत्री जी, जी.एस.टी. जब मनमोहन सिंह जी के समय आ रहा था, उसका आप विरोध कर रहे थे। (व्यवधान)

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- रामकुमार, तै काबर जी.एस.टी. के बारे में परेशान होथस। (हंसी)

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, मैं यही बोलना चाह रहा हूं, बहुत सिंपल सी बात है, आम आदमी को भरमाना नहीं चाहिए। 1 जुलाई, 2017 से पहले 17 प्रकार का टैक्ट लगता था, 13 प्रकार का

सेस लगता था, उसका भार जी.एस.टी. आने पर जो टैक्स लगे, उससे बहुत ज़्यादा था। मैं कुछ आइटम्स की स्टडी करके राघवेन्द्र जी को भेजने का काम करूंगा।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आदरणीय मंत्री जी, आप बिल्कुल मेरे पास भेज दीजियेगा, आप इतना अच्छा बोलते हैं और करते हैं, मैं उससे ज़रूर सीखूंगा । बस इतना बता दीजिये जो छूट या टैक्स की आप बात कर रहे हैं, ये हमारे टैक्स और अभी के टैक्स की छूट है या आपके द्वारा लगाए गए टैक्सेस की छूट और आज जो आपने रियायत दी है उसके बीच की छूट है?

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, राघवेन्द्र जी को इतना समय लगेगा समझाने में मुझे लग नहीं रहा था। सभापति महोदय, कोई चीज अगर 100 रूपए टैक्स था, 1 जुलाई, 2017 से पहले..।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आप एक्चुअली इतना घुमा के जवाब दे रहे हैं मंत्री जी कि मुझे समझाने में भी समय लग रहा है। आप कम से कम तो समझ जाइये और जवाब दे दीजिये।

श्री ओ.पी. चौधरी :- आप समझना नहीं चाह रहे। 1 जुलाई...।

श्री दिलीप लहरिया :- आपका टैक्स है या हमारा? (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आपने लगाया था या नहीं? हां-न में बता दीजिये, बात खत्म।

श्री दिलीप लहरिया :- फिर बढ़ाकर कम करते हैं। (व्यवधान)

श्री रिकेश सेन :- राघवेन्द्र जी, आपको समझाना पड़ रहा है। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- हां-न में बता दीजिए, बस बात खत्म।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अच्छा यह बताइये, आप लोग क्या चाहते हैं कि पुराने ही टैक्स उसी रेट में करें? खुश नहीं है क्या कम होने से? बस एक ही लाइन में बता दीजिए।

श्री दिलीप लहरिया :- आपके द्वारा बढ़ाया गया है। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप ही बढ़ा रहे हैं, आप ही कम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- बढ़ाये कोन रहिसे? (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- कौन से एहसान किये हो। आप ही बढ़ा रहे थे, आप ही कम कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- जी.एस.टी. का फुल फॉर्म बताइये।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, हां, हमारा ज़्यादा टैक्स है, हम कम कर दिए ना? उसको मानो न, कम किये हैं करके।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप ही ने बढ़ाया था। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आपने ही लगाया था, वही तो हम कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- बढ़ाया भी तो आप ही ने था। महोदय जी, आप इसके खत्म कर दीजिए न। आप वित्त मंत्री हैं, आप खत्म कर दीजिए।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- 8 साल तक मस्त ले लिए, उसके बाद कम कर दिये। खत्म बात।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति जी, वह पेट्रोल का वादा भी है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- खत्म कर दीजिए। जी.एस.टी. ही मत रहे न।

श्री राम विचार नेताम :- सुन लो मैं समझात हो तोला।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- कहां कृषि वाले जी.एस.टी. वाले में कूद देस गा। (हंसी)

श्री दलेश्वर साहू :- वित्त मंत्री जी, आपने 8 मिनट में खत्म करने की बात कही थी।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- कुकरी, मछरी वाले कहां से बताबे बता?

श्री राम विचार नेताम :- सभापति जी, देखिये आप लोगों को जी.एस.टी. के बारे में पूछना है तो भाई आप लोगों को इधर से समझ नहीं आ रहा है तो अपने रामकुमार जी से पूछिए। (हंसी)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- वे बता रहे हैं न, पूरा बता रहे हैं।

श्री दिलीप लहरिया :- पेट्रोल के दाम बढ़ाकर 5 रूपए कम कर दिया जाए, यही टैक्स है आपका भैया?

श्री ओ.पी. चौधरी :- जल्दी करना है तो बोलने दो।

श्री दलेश्वर साहू :- मंत्री जी, आपने 8 मिनट की बात कर दी है, कम से कम सवा-डेढ़ घंटा हो गया है। आप थोड़ा सा रहम करें, रहम करें। (हंसी)

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे 1 जुलाई, 2017 से पहले जो जी.एस.टी. लागू नहीं था, उस समय किसी चीज़ पर मान लीजिये 120 रूपए लगता था। जी.एस.टी. जो लागू किया गया 17 प्रकार के टैक्स और 13 प्रकार की सेस की जगह में तो वह 100 मान लीजिये पहले टैक्स लगता था, वह पहले घटकर 80 रूपए लगने लगा और अभी जो जी.एस.टी. 2.0 लाया गया, उस पर वह 40-50 रूपए हो गया। तो पहले ये लोग और ज़्यादा टैक्स लगाते थे, जब यू.पी.ए. की सरकार थी, जब इंदिरा जी की सरकार थी तब तो इनकम टैक्स 90 परसेंट से ज़्यादा लग पाता था। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता । पहले 1 जुलाई 2017 के पहले, जैसे साइकिल पर ही, साइकिल का अध्ययन करियेगा राघवेन्द्र जी और कल सदन को बताइयेगा। 1 जुलाई 2017 के पहले..।

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, पेट्रोल-डीज़ल का रेट भी पता कर लीजिये। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, एक दिन इस पर चर्चा करा लीजिये। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, गैस के दाम भी कम नहीं हुए हैं। (व्यवधान) गैस सिलेंडर मे 60 रूपये की वृद्धि हो गई है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- इस बात पर चर्चा करा लें न। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- रेट अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से तय होता है। (व्यवधान)

श्री दलेश्वर साहू :- स्थगन में चर्चा करा लें। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- महाराज, बइठौ।

श्री रामकुमार यादव :- जब यू.पी.ए. की सरकार रही, तब 35 रूपए में पेट्रोल लेवत रहेन। चौधरी साहब जी, अभी कतका जाथे?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, महिलाओं को दो चीज की ज़रूरत रहती है - गैस सिलेंडर, चूल्हा और ज्वेलरी।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अब जल्दी करना है तो बोलने तो दो।

श्री धर्मजीत सिंह :- अब मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूं। इज़राइल और ईरान का युद्ध चल रहा है न? पाकिस्तान में कितना बुरा हाल है, टी.वी. देखे हो या नहीं? यहां तो टैक्स को कम कर रहे हैं हमारे मंत्री।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- इज़राइल में ठुमके लगाने कौन गया था ये भी बता दीजिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमारी तो सरकार है। डबल इंजन की सरकार है। हम माँग करते हैं कि गैस सिलेंडर का रेट कम कर दीजिये। हम मांग कर रहे हैं सरकार से

श्री सुशांत शुक्ला :- चलिए स्वागत करते हैं, हमारी सरकार कहा तो इन्होंने।

श्री धर्मजीत सिंह :- समय आने पर कम हो जाएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं। (हंसी)

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, साइकिल पर ही स्मरण के आधार पर बोल रहा हूं, जी.एस.टी. लागू होने से पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, उसका मोटा-मोटी बर्डन 18% होता था। अभी जी.एस.टी. आने के बाद वह 12% हो गया था, स्मरण के आधार पर बोल रहा हूं और अभी उसको घटाकर 5% कर दिया गया है। तो ये बोलते हैं कि 12% लग रहा था, उसको 5% किये। 12% क्यों लगा रहे थे? वह 12% से पहले 18% लग रहा था, यह मैं बता रहा हूं। इस चीज़ को समझें और जनता को भी समझाएं, गुमराह न करें।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मंत्री जी, इस पर न एक दिन अलग चर्चा ही रख लीजिये क्योंकि आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं।

श्री ओ.पी. चौधरी :- निश्चित रूप से साइकिल की स्टडी करके, टी शर्ट की स्टडी करके।

श्री दलेश्वर साहू :- आप लोग तो हर मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- मंत्री जी, आपने वादा किया था कि मैं जल्दी से जल्दी खत्म कर दूंगा।

श्री ओ.पी. चौधरी :- आप इतना टोक रहे हैं तो जल्दी कैसे होगा? जल्दी कर रहा हूं। सभापति महोदय, एक्चुअली इसके अलावा जो है, पेट्रोल पर भी हमने रजत जयंती वर्ष के अवसर पर 1 रूपए की अतिरिक्त छूट राज्य की ओर से दी है । E-Way bill की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 कर दी

गई है, जिससे 26% व्यापारियों को लाभ हुआ है और E-way bill जनरेट करने में 54% की कमी आई है। जी.एस.टी. कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। पूरे सिस्टम को बीफा बेस्ड बनाया गया है, manual नहीं रखा गया है। रजिस्ट्रेशन अब 13 दिन को छोड़ कर 3 दिन में होने लगा है। इस तरह से जी.एस.टी. में बहुत सारे Reforms किए गए हैं। सभापति महोदय, अभी राघवेंद्र जी एक और बात बोल रहे थे कि पर्यावरण जैसे विभाग में अमला कम होता है, रजिस्ट्री जैसे विभाग में भी अमला कम होता है। उस संबंध में मैं यह कहना चाहूँगा कि पर्यावरण विभाग में भी, रजिस्ट्रेशन विभाग में भी और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को बने 25 सालों के इतिहास में पहली बार हमने पोस्ट का सेटअप को Revise करने का काम किया है। जहाँ-जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी पद की संख्या भी बढ़ाने का काम हमने किया है और उसमें भर्तियाँ भी प्रारंभ हो गई हैं। जैसे जितनी रजिस्ट्री रायपुर तहसील में होती है, वह पूरे बस्तर संभाग की रजिस्ट्री से ज़्यादा होती है। वहाँ पर चार टेबल थे, उसको अब हम बढ़ा कर 16 टेबल करने जा रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) जहाँ जितना काम है, उतना पोस्ट को बढ़ाने का काम हमने किया है। जैसे पर्यावरण विभाग का काम है। पहले जांजगीर जैसे जिले में पर्यावरण विभाग का काम नहीं था। अब इतने उद्योग हो गए हैं कि वहाँ पर्यावरण विभाग का काम बढ़ गया है। लेकिन वहाँ आर.ओ. ऑफिस आज तक नहीं खुला था। वैसी जगहों में हमने Setup revise किया है, आर.ओ. ऑफिस भी सैंक्शन किया है और अब आर.ओ. ऑफिस जांजगीर में भी लोकल बैठेगा। भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। हमने यह सब Setup revise किया है। एक-डेढ़ साल के अंदर सारी चीज़ Settle होगी और व्यवस्था बेहतर होगी। सभापति महोदय, आखिरी में मैं वित्त विभाग के कुछ बिंदुओं को रखते हुए अपनी बात को समाप्त करने की ओर आगे बढ़ूँगा।

श्री दिलीप लहरिया :- अभी वित्त वाला बचा है। अभी वित्त का बाकी है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अब आप लोग मुझे बोलने नहीं देंगे तो टाइम तो लगेगा ना।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- नहीं, अगर आप लोग कहेंगे तो विधायक फंड भी कम कर देंगे। (हंसी)

श्री दिलीप लहरिया :- सर, एक मिनट। माननीय मंत्री जी, हमारी सरकार में उसमें चार गुना बढ़ा था। एक करोड़ को चार करोड़ किया गया था।

श्री ओ.पी. चौधरी :- एक ही चीज़ तो बढ़ा था, भाई।

श्री दिलीप लहरिया :- आप चार करोड़ को चार गुना करिए ना। आप सरपंचों का वेतन बढ़ाइए, बी.डी.सी. का वेतन बढ़ाइए।

श्री ओ.पी. चौधरी :- एक ही तो बढ़ा था, बाकी सब अंदर कर लिए थे। (हंसी)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय मंत्री जी, इस सरकार के कार्यकाल को दो साल हो गए हैं। आप तीसरा बजट पेश कर रहे हैं। इसलिए कम से कम आप दो करोड़ तो बढ़ा दीजिए, आप इतना साहस तो दिखाइये।

श्री रामकुमार यादव :- साहब, साहत दिखा देवओ। हमन सब ताली बजा देबो।

श्री दलेश्वर साहू :- अगर आप नई बढ़ा सकओ ता प्रभारी मंत्री जो कटौती करथे ओइ ला समाप्त कर देवओ।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- आप लोग कम से कम नेता जी को बात कहने दीजिये। उनका कब से ध्यान लगा है कि जल्दी खत्म हो। नेता जी, यह लोग बार-बार वित्त मंत्री जी को छेड़ते रहेंगे तो ऐसे लगता है कि आधी रात हो जाएगी। (हंसी)

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, वित्तीय व्यवस्था की दृष्टि से आपके माध्यम से मैं सदन को To-the-point बताना चाहूँगा। आज के जमाने में कोई भी चुनाव में जो Manifesto आता है, उसमें वित्तीय भार हर चुनाव-दर-चुनाव लगभग सभी राज्यों के लिए बढ़ता जा रहा है। पिछली बार वर्ष 2023 में जो Manifesto आया था, चाहे कांग्रेस पार्टी का जन घोषणा पत्र हो या हमारा संकल्प पत्र हो, उससे वित्तीय भार हर एक का बढ़ता ही बढ़ता है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि हमने धान की कीमत को 3100 रूपये किया। जो अंतर की राशि थी, वह पहले लगभग 400 रूपये पड़ती थी, जो आप लोग लगभग 2600 रूपये तक देते थे। हम सीधा 900 रूपये अंतर की राशि को दे रहे हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अंतिम खरीदी में 2850 रूपये तक गया था।

श्री ओ.पी. चौधरी :- ठीक है। आप मोटा-मोटी मान लीजिये। सभापति महोदय, हमने उस अंतर की राशि को बढ़ाया, हमने मात्रा को भी बढ़ाया, उसके कारण से वित्तीय भार बढ़ गया था। मैं कोई आलोचना की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रदेश की वित्तीय स्थिति को बता रहा हूँ। तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में जो वित्तीय भार पड़ता था, उससे लगभग 10,000 करोड़ रूपये वित्तीय भार बढ़ गया है। उस समय जब आप लोग सरकार चलाते थे, तब भी प्रदेश में वित्तीय रूप से दिक्कत ही रहती थी। थोड़ा असंतुलन नहीं था, बहुत ज्यादा असंतुलन था। जो एक्स्ट्रा भार बढ़ा है, वह मैं बता रहा हूँ। अगला चुनाव होगा तो निश्चित रूप से फिर वित्तीय भार बढ़ेगा, उसके लिए सभी सदस्यों को चिंता करनी चाहिए। साथ ही धान पर समर्थन मूल्य के कारण लगभग 10,000 करोड़ वित्तीय भार बढ़ गया। महतारी वंदन जैसी योजना पिछली सरकार के समय संचालित नहीं थी। अभी वह नई योजना हम लेकर आए हैं, जिससे हमारे ऊपर लगभग 8,000 करोड़ का वित्तीय भार और बढ़ गया है, जो पिछली सरकार के समय दायित्व में नहीं था। प्रधानमंत्री आवास योजना में आखिरी दो सालों में आपका जीरो पर चल रहा था। आप लोग मुख्यमंत्री आवास वाला 47,000 किए थे, उसको छोड़ दीजिए। उसमें भी 47,000

आवास के लिए आप लोग 30-30 हजार का पहला किश्त दिए थे। वह लगभग जीरो के बराबर था। वह वित्तीय भार हम पर बढ़ा। अभी जो 26 लाख आवास बन रहे हैं , उससे 30 हजार करोड़ से ऊपर की राशि की जरूरत पड़ रही है । सेंट्रल के फण्ड को एसबीएम तथा नरेगा वाला छोड़ते हुये, 30 हजार करोड़ में 40 प्रतिशत हमको देना है तो 12 हजार करोड़ हमको उसमें देना है । धान में, महतारी वंदन में और आवास में, इन्हीं तीन की गणना करेंगे तो लगभग 20 हजार करोड़ का अतिरिक्त भार इन तीन चीजों पर राज्य के ऊपर बढ़ा है, इस को सभी सदस्यों को जानना जरूरी है । आज हम उसको मीट आऊट कैसे कर रहे हैं उसके बारे में कांग्रेस के सदस्यों को विशेष रूप से बताना चाह रहा हूँ, गवर्नेंस जब होता है, विष्णु का सुशासन क्या है, यह केवल शब्दों में नहीं है, यह वित्तीय रूप से कैसे हो रहा है, यह आप लोगों को कभी-कभी आश्चर्य होता होगा । कई कांग्रेस के सदस्य बात भी करते हैं कि कैसे आप लोग दे पा रहे हो। सभापति महोदय, महतारी वंदन भी हम 8 हजार करोड़ दे पा रहे हैं, 10 हजार करोड़ धान खरीदी में अतिरिक्त दे पा रहे हैं, 26 लाख आवास भी बना पा रहे हैं । वह तीन मुख्य रूप से रिफार्म किये हैं, उनके माध्यम से संभव हो सका है । (मेजों की थपथपाहट) मैं सभी सदस्यों को अवगत कराना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया है, वह एससीए पर आया है । स्पेशल कैपिटल असिसटेंस । मोदी जी ने एक योजना चालू की है, वह है स्पेशल कैपिटल असिसटेंस है । वह अलग-अलग रिफार्म इन्ट्रोड्यूस किये जाते हैं । डिजिटाईजेशन का अलग, इस तरह से रिफार्म्स इन्ट्रोड्यूज किये जाते हैं और हर रिफार्म्स के पीछे 300-400 करोड़ रूपया मिलता है। इसमें जो एससीए है वह लोन टेक्नीकली जरूर है, लेकिन 50 साल का इंट्रेस्ट फ्री लोन है । ऑलमोस्ट लाईक ग्रांट ही है । अगर सौ रूपया मिल रहा है तो उसका वेल्यू 8 ही रूपया है, यह मानकर चलिये । अगर हमें 100 रूपया मिल रहा है तो 50 साल बाद हमको जो वापस करना पड़ेगा और फायनेंशियल केल्कुलेशन करेंगे तब उसकी वेल्यू 8 रूपया ही पड़ता हे । सभापति महोदय जी, यह ग्रांट की तरह है । हम इसको जितना ज्यादा सेंटर से रिफार्म करके ला पायेंगे, उतनी सफलता हमारे प्रदेश के लिये और हमारी सरकार के लिये होगी । पिछले दो सालों में हमने उस पर संजीदगी से काम किया है । सभापति महोदय, एक डाटा बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2020-2021 में कांग्रेस की सरकार के समय एससीए का पैसा केन्द्र से ला पाये थे । रिफार्म ओरिऐंटेशन न होने के कारण 286 करोड़ ही मिल पाया है । पिछले साल हम लोग 6200 करोड़ ला पाये, इस साल 7500 करोड़ ला पाये, आने वाले साल का हमारा 10 हजार करोड़ का टारगेट है । (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, दूसरा चीज...।

श्री रामकुमार यादव :- वोतका ला तो मुसवा खा दे हे । 8500 करोड़ ला । एक ठन मुसवा हरै वोतका ला खा दे हे ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- सभापति महोदय, मैंने 8000 करोड़ का एक बताया है, जिससे प्रदेश को बड़ी मदद मिली है । दूसरी बड़ी चीज है वह है पेंशन, जब मध्यप्रदेश से हमारा राज्य अलग हुआ था,

छत्तीसगढ़ पुनर्गठन एक्ट बना था, उसमें जो संयुक्त कर्मचारी थे, उसमें 74 प्रतिशत पेंशन की जिम्मेदारी मध्यप्रदेश की थी, 26 प्रतिशत पेंशन की रिसपांसिबिलिटी हमारे छत्तीसगढ़ की थी । उसका जो डाटा था उसका कभी भी डिजिटाईजेशन नहीं हुआ है, कभी भी उसको अच्छे से नहीं देख पाये थे । मैं किसी को ब्लेम गैम नहीं कर रहा हूँ, 8 महीने तक हमारी 50 लोगों की टीम ने बहुत मेहनत किया और पूरे पेंशन रिकार्ड को डिजिटाईज्ड करने का काम किया है तो उससे 10 हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि मध्यप्रदेश हमको देने जा रहा है। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, हर साल 1000 करोड-1500 करोड़ की बचत भी होगी । यह एक बड़ा काम हुआ है इससे वित्तीय स्थिति प्रदेश में अच्छी तरह से बन पाई है । तीसरा बड़ा चीज जो है, टैक्स रिफार्म्स है जीएसटी में जैसे बोलते हैं, जी.एस.टी. 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, अब 5 साल के लिये 14 परशेंट ग्रोथ के हिसाब से भारत सरकार से कंपनशेसन का प्रावधान था । आप लोगों की जब सरकार चल रही थी, जी.एस.टी. इकट्ठा करें या न करें 14 परशेंट ग्रोथ के हिसाब से भारत सरकार अंतर की राशि दे देती । आप लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं थी । अगर वर्ष 2022 का 5 साल का पीरियड खत्म हो चुका है, आज अगर जी.एस.टी. कलेक्शन नहीं होगा तो उसका खामियाजा प्रदेश की 3 करोड़ जनता भुगतेगी । हमारे सभी सम्माननीय सदस्यों के कहीं न कहीं काम प्रभावित होंगे। कहीं सड़क का, कहीं अस्पताल का, कहीं कोई न कोई काम प्रभावित होगा । सभापति महोदय, मैं जी.एस.टी. में पिछले साल का जिक्र करना चाह रहा हूँ, हम पूरे देश में हाईएस्ट ग्रोथ रेट के साथ नंबर 1 पर रहे हैं । (मेजों की थपथपाहट)

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, 10 बज गया है । कल दोनों का बात नहीं होगा, फिर पूरी चर्चा होगी ।

समय :

10.00 बजे

श्री ओ.पी.चौधरी :- सभापति महोदय, दलेश्वर भईया को लग रहा है कि हमारे वाले ने क्यों ऐसा नहीं किये, नहीं तो उधर यह स्थिति नहीं होती और उधर जाना नहीं पड़ता, इसलिये इरिटेट हो रहे हैं कि जल्दी जायें ? सभापति महोदय, GST राजस्व में इस साल तकनीकी कारण से कम रहेगा, अभी राघवेन्द्र भाई अभी तक का फिगर बता रहे थे, उसमें मैं बताना चाहूंगा, एक तो GST 2.0 के माध्यम से टैक्स के रेट्स में बहुत कमी की गई है, more than 400 आइटम्स के रेट में कमी की गई है, एक बड़ा कारण है। दूसरा, कोयला हमारे यहां जीएसटी का बड़ा सोर्स होता है, उस पर 5% जो सेस था उसको एडजस्ट करते हुए, रेट बढ़ाया नहीं गया है, एडजस्टमेंट किया गया है, सेस को जीएसटी में मिलाया गया है, 5% के जीएसटी को 18% किया गया है। उसके कारण जो कोयले की कंपनियां हैं, चाहे वह SECL हो, कोई भी हो, उनके पास बहुत सारा इनपुट है, SECL के पास 2000 करोड़ से अधिक का इनपुट पड़ा हुआ है, इस तरह से बड़े-बड़े इनपुट हैं। वे लोग दिसंबर 2026 तक एडजस्ट करेंगे, इसके कारण भी

जीएसटी टेक्निकल कारणों से इस साल दिसंबर 26 तक कम दिखेगा। लेकिन जीएसटी 5% से 18% हुआ है, सेस जीएसटी मर्ज हुआ है, उसका लाभ दिसंबर 2026 के बाद छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को मिलेगा। सेस पहले केंद्र पर चला जाता था, अब उसका राज्य के साथ शेयर होगा, उसका दिसंबर 2026 के बाद फायदा होगा। इस टेक्निकल रीजन से जो सेस जीएसटी मर्ज हुआ है, उसके कारण इस साल जीएसटी का नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखेगा, That is only technical. ये मैं बताना चाहूंगा। सभापति महोदय, इसके अलावा राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए मैंने जीएसटी का जिक्र किया।

सभापति महोदय, सब जानते हैं कि पिछले समय में शराब दुकानों में क्या होता था सबको पता है। एक कच्चा काउंटर अलग होता था, एक पक्का काउंटर अलग होता था। (शेम-शेम की आवाज) उसके कारण ईडी के रेड के पहले छत्तीसगढ़ राज्य का कांग्रेस के रिजीम में 5000 करोड़ के आसपास का एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन होता था। अभी ये कलेक्शन केवल रिफॉर्म के कारण, पहले लोगों के जेब में पैसा जा रहा था, अब वह सरकार के खजाने में आ रहा है। इसी कारण से एक्साइज ड्यूटी 11000 करोड़ से ऊपर जा रही है। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, ये तीन रीजन हैं जिससे हम मैनिफेस्टो अच्छे तरीके से संचालित कर पा रहे हैं। अगर ये सब किए होते तो कांग्रेस भी पिछली सरकार में अच्छे तरीके से काम कर गई होती । ये सब नहीं किए।

सभापति महोदय, मैं दूसरी चीज कहना चाहूंगा, पेंशन फंड का जिक्र आया है। पिछली सरकार ने एन.पी.एस. की जगह में ओ.पी.एस. लागू किया। ओ.पी.एस. में आने वाले समय में लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, उसके कारण से पेंशन भार बढ़ता जाएगा और राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित रहे, इसके लिए हम लोगों ने पेंशन फंड की बात पिछले बजट में कही थी और पिछले मानसून सत्र में हम लोगों ने पेंशन फंड एक्ट भी बना दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुरूप हमने वह एक्ट तैयार कर दिया, पेंशन फंड भी क्रिएट कर दिए, पूरे देश में हम पहले राज्य हैं जिसने पेंशन फंड बनाया है, ताकि भविष्य में पेंशन जरूरत जिस वर्ष भी राज्य के लिए 10% से अधिक बढ़ेगी, उस साल उस फंड का उपयोग कर पाएंगे। हम राज्य के भविष्य के लिए अभी तक उसमें 1121 करोड़ रूपया जमा करा चुके हैं । हम उसको खा-पीकर बराबर नहीं कर रहे हैं, ये मैं बताना चाहूंगा, इस बजट में 500 करोड़ का प्रावधान किए हैं। हम राज्य के वित्तीय भविष्य की चिंता कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी की चिंता कर रहे हैं। अटल जी ने कहा था, सरकारें आएंगी-जाएंगी लेकिन देश रहना चाहिए। हमारी भी वही सोच है, हमारा छत्तीसगढ़ अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, उसी सोच के साथ पेंशन फंड का निर्माण किया गया है।

सभापति महोदय, दूसरा बिंदु छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड है । पिछले बजट में हम लोग इसका प्रावधान लेकर आए थे। मानसून सत्र में उसका एक्ट भी बनाया है। हमारे राज्य के बहुत बड़े राजस्व का सोर्स माइनिंग हैं। माइनिंग के रेट अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम ज्यादा होते रहते हैं, उस

अनुसार माइनिंग पर जो राजस्व है, अगर रेट कई बार गिर जाए तो वह घट जाता है, ऐसी स्थिति में राज्य का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रभावित न हो, सड़क, बिजली, पानी, पुल-पुलिया के लिए जो पूंजीगत व्यय है, उस पर पैसा कम न पड़े, किसी साल इंटरनेशनल प्राइसेस डाउन होने के कारण माइनिंग रेवेन्यू अगर कम हो जाए तो राज्य का पूंजीगत व्यय प्रभावित न हो, इसलिए ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाया गया है, इसमें हम लोग अधिनियम बना करके मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पैसा जमा कर रहे हैं।

सभापति महोदय, दूसरी चीज कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड है । इसका प्रावधान आर.बी.आई. ने किया है, जिसमें राज्य का गत वर्ष तक जो ऋण होता है, उसका 0.5% कम से कम इसमें जमा करना चाहिए। चाहिए के टर्म में आर.बी.आई. का गाइडलाइन है और उन्होंने हर राज्य के लिए बनाकर रखा है। राज्य के वित्तीय स्टेबिलिटी की ग्रेडिंग इसी आधार पर की जाती है। सभापति महोदय, 0.5% जमा करना होता है और पूरा लोन जितना भी है, उसका 5% जमा करना होता है। हम कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड के मामले में इस देश के अग्रणी राज्यों में से हैं और हमारे प्रदेश के consultant sinking fund में आज की तारीख में 8,875 करोड़ रूपये जमा है। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि इस मामले में भी हमारा राज्य देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अच्छा कर रहा है। इसके अलावा गारंटी रिडेंप्शन फंड है। गारंटी रिडेंप्शन फंड में जो स्टेट गारंटी दी जाती है, उसके लिए यह प्रावधान किया जाता है। उसमें भी 1,032 करोड़ रूपये हमारे राज्य का निवेशित है जो राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करेगा। इस तरह के कामों को हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। जितने फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हैं, चाहे ई-कोष हो, इफ्मीस हो, इफ्मीस नेक्स्ट जनरेशन हो, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) हो, एस.एन.ए. स्पर्श हो, इन सारे रिफॉर्म्स को लागू करने में हम देश में सर्वाधिक अग्रणी राज्यों में हैं। निश्चित रूप से जो संकल्प पत्र है उसके कारण राज्य पर वित्तीय भार बढ़ा है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम अच्छी तरीके से उसको नेविगेट कर पा रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम वेलफेयर स्कीम्स को भी चलाएं, महतारी वंदन योजना भी चले, धान के 3,100 रूपये भी मिले, आवास भी बने, भूमिहीन कृषक मजदूरों को 10,000 रूपये भी मिले। हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम एस.सी.आर. मेट्रो जैसी चीजों की भी बात कर रहे हैं। चाहे रोड हो, सिंचाई की परियोजनाएं हों, उद्योग विभाग के बजट हों, उनमें भी कोई कमी न आए ताकि राज्य की दीर्घकालिक आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित रहे। इन दोनों डायरेक्शन में पूरी समग्रता के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि पी.डब्ल्यू.डी. के लिए जो एस दिया जाता था, उसका तीन सालों का जो एस था, उसकी 7,500 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति थी। लेकिन इस एक अकेले वित्तीय वर्ष में 8,000 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। (मेजों की थपथपाहट) जो परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार 'द बेस्ट' करने की पूरी कोशिश हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रही है। जो बिंदु आए हैं, जैसे राघवेंद्र जी ने

अकलतरा-बलौदा बाइपास की बात कही तो उसकी जो भी प्रक्रिया है, उसकी उनको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी यहां बैठे हुए हैं। पी.डब्ल्यू.डी. विभाग वह स्वयं देखते हैं। विभाग से प्रस्ताव आएगा। इसमें कोई पक्ष-विपक्ष वाली बात नहीं होती है। जो महत्वपूर्ण काम हैं, प्रदेश के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसको हमारे आदरणीय अरुण साव जी आगे बढ़ाते हैं। (मेजों की थपथपाहट) आदरणीय अरुण साव जी के माध्यम से जब भी वह आएगा तो हम लोग निश्चित रूप से सकारात्मक पहल करेंगे। सम्माननीय सदस्य को किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम उसको एकदम सुनिश्चित करेंगे। आदरणीय हमारे धर्मजीत जी ने जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की बात कही है, उसको भी निश्चित रूप से हम आगे बढ़ाएंगे। जो-जो सदस्य कहेंगे, उनके क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने एम.एल.ए. कॉलोनी की भी बात कही है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। राजधानी में, मुख्यालय में हमर विधायक मन के एक ठिहा रहे तो सब ला अच्छा रही। ओ हा जरूरी चीज हे। ओखर बर हमर मुख्यमंत्री जी प्रयास करत हे अउ ओला आगे बढ़ात हे। हाउसिंग बोर्ड में प्रोजेक्ट हे। जमीन के कोई समस्या हे। जमीन के समस्या सॉर्ट आउट होते ही नवा विधायक मन के लिए जरूर सकारात्मक प्रयास हमर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ओखर लिए भी करबो। (मेजों की थपथपाहट) अवैध प्लॉटिंग के लिए आदरणीय धर्मजीत जी बोल रहे थे। मैं सभी सम्माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि अवैध प्लॉटिंग में जो टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग के एक्ट हैं, वह बहुत कमजोर एक्ट हैं। उसके जो मजबूत एक्ट हैं, वह पंचायत एक्ट और नगरीय निकाय के जो एक्ट हैं, उसमें एस.डी.एम. को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और नगर निगम आयुक्त को शहरी क्षेत्र के लिए प्रावधान है। उसी में वह मजबूत एक्ट है। अगर हमारे वाले एक्ट में कार्रवाई करते हैं तो उल्टा उनको easy हो जाता है। इसलिए उसके माध्यम से नहीं, यह हमारे आपसी विषय हैं। हमारी सरकार के सभी मंत्री मिलकर काम करते हैं। लेकिन हम मिलकर आदरणीय अरुण साव जी के साथ, आदरणीय विजय शर्मा जी के साथ, आदरणीय राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी के साथ समन्वय करके कराएंगे। हम सब लोग मिलकर प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। सभापति महोदय, भाषण थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या- 6, 7, 21 एवं 31 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 6 वित्त विभाग से संबंधित व्यय के लिए- नौ हजार छः सौ तीस करोड़, तीस लाख, बीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 7 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय के लिए- पांच सौ दस करोड़, बयासी लाख, सत्तर हजार रूपये,

मांग संख्या - 21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय के लिए- एक हजार दौ सौ सैंतालीस करोड़ तथा

मांग संख्या - 31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय के लिए- बयासी करोड़, उनचास लाख, साठ हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- सदन की सहमति से माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े महिला एवं बाल विकास मंत्री के विभागों की अनुदानों की मांगों को चर्चा हेतु कल लिया जायेगा, मैं समझता हूं कि सदन सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

सभापति महोदय :- सदन की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 12 मार्च, 2026 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(रात्रि 10.12 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 12 मार्च, 2026 (फाल्गुन 21, शक संवत् 1947) को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

नवा रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़)
दिनांक :- 11 मार्च, 2026